लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]





[खंड 35 में अंक 21 से 29 तक है / Vol. XXXV contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

अंक 23, बुधवार, 17 दिसम्बर, 1969/26 अग्रहायण, 1891 (शक)

No. 23, Wednesday, December 17, 1969/Agrahayana 26, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
631	तिलहनों का निर्यात	Export of Oil Seeds ..	3–6
633	पूर्व जर्मनी को व्यक्तियों का गमन	Persons going to German Democratic Republic	6–7
634	विकास कार्यों के लिए नियत धनराशि का अन्य मदों पर व्यय	Utilisation of Funds for Development Works on Stray Items	7–8
635	चाय के निर्यात के बारे भारत-श्रीलंका वार्ता	Indo-Ceylon talks on Tea Exports	8–14
636	ओखा पत्तन का एक नौ-सैनिक अड्डे के रूप में विकास	Development of Okha Port as a Naval Base	14–17
637	जम्मू तथा काश्मीर का विकास	Development of Jammu and Kashmir	17–19
639	पश्चिम बंगाल में आयुध कारखानों में उत्पादन	Production in Ordnance Factories in West Bengal ...	20–21

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS.

ता. प्र. सं./S.Q.Nos.			
601	व्यापार तथा उद्योग में एकाधिकार	Monopoly in Trade and Industry ...	21–22

---

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

602	औद्योगिक नीति संकल्प में परिवर्तन	Changes in Industrial Policy Resolution ...	22–23
603	मध्य रेलवे पर बांदा-लखनऊ एक्सप्रेस गाड़ी में जंजीर खींचने की घटनाएं	Incidents of Chain-pulling in Banda-Lucknow Express (Central Railway)	23
604	बरौनी से डिब्रूगढ़ तक बड़ी रेल लाइन	Broad-Gauge Line from Barauni to Dibrugarh	24
605	यात्रा भत्ता तथा समेकन योजना के बारे में रेलवे कर्मचारियों से अभ्यावेदन	Reperesentation from Railway Employees regarding Travelling Allowance-cum Consolidation Scheme	24
606	मैसर्स स्टेंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी	M/s. Standard Drum and Barrel Manufacturing Co. ...	25
607	दिल्ली में रेलवे फाटकों पर यातायात अवरुद्ध हो जाना	Traffic Jam at Railway Crossings in Delhi ..	25–26
608	इस्पात का उत्पादन और आयात	Steel Production and its Import ..	26
609	वर्ष 1960 की आम हड़ताल के कारण पीड़ित कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर रखना	Re-instatement of Employees victimised in General Strike of 1960	26-27
610	लौह अयस्क के निर्यात के लिए माल डिब्बों की क्षमता का प्रयोग न किया जाना	Non-utilisation of Wagon capacity for Export of Iron Ore	27
611	बरेली के निकट रेयन ग्रेड पल्प फैक्टरी स्थापित करने के लिए बिड़ला बन्धुओं को आशयपत्र दिया जाना	Grant of Letter of Intent to Birlas for setting-up Rayon Grade Pulp Factory ner Bareilly	28
612	आशुलिपिकों की परीक्षा में बैठने के लिए काम कर रहे टाइपिस्टों को अवसर	Chances to Serving Typists for appearing in test of Stenographers	28–29

ता.प्र.संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.			
613	राज्यों के लिए बच्चों की रेलगाड़ियां	Children's train for States	29
614	भारत के औद्योगिक विकास में शिथिलता	Set-Back to Industrial Development of India ...	29–30
615	लघु उद्योगों में हरिजनों तथा आदिवासियों को रोजगार देना	Employment of Harijans and Adivasis in Small Scale Industries	30
616	कुमाऊं तथा गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में पिछड़ापन	Backwardness in Kumaon and Garhwal Hills ...	30 31
617	बीकानेर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में स्टेशनों में बिजली लगाना	Electrification of Stations in Bikaner Division (Northern Railway)	31
618	जूट व्यापार में स्ट्टेबाजी	Hedge contract in Jute Trade ...	31
619	आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कल्याण योजनाएं	Welfare Scheme for Development of Scheduled Tribes Ares in Andhra Pradesh	32
620	उत्तर प्रदेश में भारी उद्योगों की स्थापना	Establishment of Heavy Industries in U.P, ..	33
621	गोआ में कच्चे लोहे के कारखाने की स्थापना	Setting up of a Pig-Iron Plant at Goa ...	33
622	मैसर्स बैनेट कोलमैन एण्ड कंपनी लिमिटेड	M/s, Benett Coleman and Company Ltd. ...	34–36
623	उत्तर रेलवे के मुख्यालय में गणमान्य व्यक्तियों के कोटे का रद्द किया जाना	Cancellation of Quota for VIPs. held at Northern Railway Headquarters' Office	36
624	रेलवे कर्मचारियों के वेतन यात्रा भत्ता के बिलों का संगणकों की सहायता के तैयार किया जाना	Preparation of Pay/T.A. Bills of Railway Employees by Computers	37

625	उत्तर रेलवे में मुख्य पूछ-ताछ तथा आरक्षण क्लर्कों के रिक्त पद	Vacancies of Chief Enquiry and Reservation Clerks in Northern Railway	37
626	कर्मचारियों की भर्ती के लिए चयन बोर्ड	Selection Boards for Recruitment of Employe es	38
627	इस्पात कारखानों में प्रयोग किये जाने वाले कोयले में राख की मात्रा	Ash content in Coal used by Steel Plants —	38
628	लघु तथा सहायक उद्योग संबंधी सांविधिक आयोग	Statutory Small and Ancillary Industries Commission ... —	38-39
629	मिश्रित एवं विशेष इस्पात के कारखाने स्थापित करने के लिए बिड़ला बन्धुओं को लाइसेंस	Licence to Birlas for setting up Alloy and Special Steel Plants	39
630	त्रिपुरा में उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस	Licences for starting Industries in Tripura	39-40
632	अमरीका को कपड़े का निर्यात	Exports of Textiles to U. S. A.	40-41
638	पाक अधिकृत काश्मीर में चीनी सैनिक	Chinese Army Personnwal in Pak-occupied Kashmir ... .-.	41
640	कपड़े की नियंत्रित किस्मों के मूल्यों का पुनरीक्षण	Revision of prices of controlled varieties of Cloth ... -..	41
641	भारत की नौसैनिक शक्ति बढ़ाना	Strengthening of Indian Navy	42
642	आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर में पिछड़े क्षेत्र निर्धारित करना	Determination of Backward Areas in Andhra Pradesh and Mysore	42-43
643	सड़क कूटने के इंजनों की खरीद	Purchase of Road Rollers ... .-.	44
644	जम्मू, काश्मीर, आसाम तथा राजस्थान में पाकिस्तानियों की घुसपैठ	Infiltration by Prkistanis into Jammu, Kashmir, Assam and Rajasthan ... -..	44

645	रूस तथा अन्य देशों को काजू का निर्यात	Export of Cashewauts to U.S.S.R. and other Countries	44–45
646	काश्मीर के प्रश्न पर रूसी नेताओं के साथ बातचीत	Talks with Soviet Leaders on Kashmir ..	45
647	आंखों के आपरेशन करने के लिये भारत द्वारा नेपाल में खोले गये शिविर	Eye Operation camps opened by India in Nepal	45 46
648	पटसन मिल बन्द होना	Closure of Jute Mills ...	46
649	यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन के प्रवेश का भारत के व्यापार पर प्रभाव	Effect of Britain's Joining European Common Market on India's Trade	46 47
650	पाकिस्तानी जहाजों का ओखा के पास अवैध प्रवेश	Intrusion of Pakistani Vessels near Okha ...	47
651	समुद्री उत्पादों का निर्यात	Export of Marine Products	47-48
652	पटसन का आयात	Import of Jute ...	48–49
653	जापान से स्टेनलैस स्टील का आयात	Import of Stainless steel from Japan	50
654	यूगोस्लाविया से आयात तथा निर्यात	Import from and Export to Yugoslavia	50-51
655	सीमा उल्लंघन की रोक-थाम	Checking of Border Violation ...	51
656	हिमाचल प्रदेश से विदेशों को सेवों तथा सरसों के साग का निर्यात	Export of Apples and Sarson ka Saag from Himachal Pradesh to foreign countries	51
657	बेरोजगार श्रमिक	Idle Labour	52
658	भारतीय नौसेना द्वारा एक विमान वाहक जहाज की प्राप्ति	Acquisition of an Aircraft Carrier by Indian Navy	52
659	मनीपुर में एक युवक प्रतिनिधिमंडल द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया जाना	Memorandum submitted by a Youth Delegation from Manipur ...	52 53

660 महाराष्ट्र के स्वतंत्र पार्टी के नेता द्वारा स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की देन-दारियों के भुगतान का प्रस्ताव — Offer by Swatantra Party Leader from Maharashtra to pay off liabilities of the late Prime Minister Lal Bahadur Shastri ... 53-54

अ.ता. प्रश्न संख्या/ U.S.Q.Nos.

4001 सिंगाजी रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे) का विकास — Development of Singaji Railway Station (Central Railway) ... 54

4002 भारत में बनने वाले चार पहियों के माल डिब्बों पर लागत तथा उसका टिकाऊपन — Cost and life of Four wheeler wegon Manufac'ured in India 54-55

4003 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड — Hindustan Machine Tools Limited ... 55–56

4004 व्यापारियों के पास यात्री कारों के क्रयादेश — Orders for passenger cars pending with Dealers ... 57

4005 बिहार शरीफ तथा जहानाबाद के बीच नई रेलवे लाइन — New Railway lines between Bihar Sharif and Jahanabad 57–58

4006 बिहार में बरवाडीह से नई रेलवे लाइनें — New Railway Lines from Barwadih in Bihar 58

4007 गया से बिहार में पश्चिम की ओर नई रेलवे लाइनें — New Railway Lines from Gaya Towards west in Bihar 58

4008 गढ़ानी से शहर (बिहार राज्य) तक नई रेलवे लाइन — New Railway Lines from Garhani to Sahr (Bihar State) 58–59

4009 रफीगंज, बिहार से नई रेलवे लाइनें — New Railway Line from Rafi Ganj, Bihar 59

4010 निम्न श्रेणी लिपिकों की भर्ती के नियम — Recruitment Rules for L.D.C.S. ... 59–60

4011	बिस्कुट बनाने के कारखाने के निर्माण के लिये लाइसेंस दिया जाना	Grant of Licence for Manufacture of Biscuit Plant	60
4012	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के कारीगर प्रशिक्षुओं द्वारा हड़ताल	Strike by Artisans Apprentices of Heavy engineering Corroration, Ranchi	60–61
4013	आम चुनाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए विधान सभा में आरक्षित स्थान	Assambly Seats reserved for Scheduled Castes and Schedules Tribes in General elections	61–62
4014	बिहार में आदिम जाति सेवा मंडल होस्टलों की मरम्मत	Repairs of Adim Jati Sew Mandal Hostels in Bihar	62
4015	रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के के मुख्य इंजीनियर की नियुक्ति	Appointment of Chief Engineer in H.E.C. ...	62 63
4016	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को घड़ियों का उत्पादन बढ़ाने के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign exchange to Hindustan Machine Tools Ltd. to expand production of Watches...	63
4017	संचार मंत्रालय के एक भूतपूर्व मुख्य इंजीनियर की टाटा की एक फर्म में नियुक्ति	Appointment of a former Cnief Engineer in Communications Ministry in Tata Firm ..	63- 64
4018	भारतीय छात्रेतर युवकों का सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण करने की परियोजना	Project of Socio-Economic Survey of Indian non-Student Youth	64

4019	चंडीगढ़ में उद्योग	Industries in Chandigarh	65
4020	एक अलग चुनाव अधिकरण की नियुक्ति	Appointment of a Separate Election Tribunal	65
4021	औद्योगिक मूल्य आयोग पर व्यय	Expenditure on Industrial Prices Commission	66
4022	मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों के रोके जाने की रोक थाम के लिए विशेष व्यवस्था	Special Machinery to check Detention of Mill and Express Trains	66–67
4023	बेगार की प्रथा	Practice of Forced Labour	67
4024	ईरान में मालडिब्बे बनाने के कारखाने की स्थापना	Setting ap of Wagon Mauufacturing Plant in Iran ...	67–68
4025	इलेक्ट्रोड पेस्ट की कमी तथा फैरो-मैंगनीज के निर्यात पर उसका प्रभाव	Shortage of Electrode Paste and its Impact on Export of Ferro-Manganese	68
4026	अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	Post-Matric scholarships to Scheduled Caste/ Scheduled Tribes Students	68–69
4027	मैसूर तथा केरल राज्य में कुटीर उद्योगों का विकास	Development of Cottage Industry in Mysore and Kerala States	69
4028	अंदमान में सरकारी आरा मिलें	Government Saw Mills in Andamans	69–70
4029	अंगूरों से राल तथा शराब बनाने वाले कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेंस	Licence to establish units to manufacture Resins and wine from Grapes ...	70
4030	आगरा-टूंडला लाइन पर कुबेरपुर तथा छालेसर स्टेशनों के बीच मालगाड़ी का लुटा जाना	Looting of Goods train between Kuberpur and Chhalesar on Agra Tundla line	70–71

4031	जनहित ट्रस्ट	Janahit Trust	71
4032	बड़े दस औद्योगिक गृहों को अग्रिम धनराशि तथा उनके द्वारा पूंजी विनियोजन	Advances to and investment by top Ten Industrial Houses	71–72
4033	राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निर्वाचन आयोग को मिली शिकायतें	Complaints received by election Commission regarding President's election	72
4034	भारतीय रेलों द्वारा आरम्भ की गई विद्युतीकरण योजनाएं पूरी करने में देरी	Delays in completion of Electrification Schemes Undertaken by Indian Railways... ...	72-73
4035	रेलवे के लिये फिश प्लेट बनाने योग्य बिलेटों का आयात	Import of fish plate quality billets for Railways .. —	73–74
4036	भारतीय रेलों द्वारा बिजली की खरीद	Purchase of power by Indian Railways ...	74-75
4037	चारबाग वर्कशाप के लिये शक्ति चालित वायवीय हथौड़े का आयात	Import of Pneumatic power hammer for Charbagh workshop	75
4038	बांदा–लखनऊ एक्सप्रेस, बांदा–कानपुर और झांसी मानिकपुर रेलगाड़ियों में पानी की कमी	Water Shortage in Banda-Lucknow Express, Banda-Kanpur and Jhansi-Manipur Trains	75–76
4039	बांदा-लखनऊ एक्सप्रेस को मानिकपुर-बांदा-लखनऊ एक्सप्रेस में बदलना	Conversion of Banda-Lucknow Express into Manipur-Banda-Lucknow Express ...	76
4040	काचीगुडा (आंध्र प्रदेश) का यात्री टिकट परीक्षक	Travelling Ticket examiner of Kacheguda (Andhra Pradesh)	76
4041	झुनझुनवाला फर्म समूह	Jhunjhunwala Group of Concerns	77
4042	इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर बुकिंग तथा आरक्षण की मिश्रित प्रणाली	Mixed system of booking and Reservation at Allahabad Railway Station ... —	77–78

4043	लूटपाट रोकने के लिये चलती गाड़ियों में सशस्त्र पुलिस की व्यवस्था	Armed Police in Running Trains to check Lootings ...	78
4044	चमड़े की वस्तुओं के उत्पादन में कमी	Shortfall in production of Leather Goods ...	78–79
4045	भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड	Bharat Barrel and Durm MFG. Company (P) Ltd.	79–80
4046	हिन्द गलबेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड	Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd.	80
4047	चुनाव पर खर्च तथा जातिवाद को समाप्त करने के सम्बन्ध में चुनाव आयोग के सुझाव	Suggestions of Election Commission regarding expenditure on elections and elimination of Casteism	80–81
4048	ठाकुर पेपर मिल्स लिमिटेड, समस्तीपुर (बिहार)	Thakur paper Mills Ltd., Samastipur (Bihar)	81
4049	दक्षिण-मध्य रेलवे मुख्यालय कार्यालयों में काम करने वाले आप्टियों को मकान आवंटित करना	Allotment of quarters to optees working in headquarters offices of South Central Railway ...	81
4050	लोको-कैरेज तथा वैगन वर्कशाप, लालागुडागेट (दक्षिण-मध्य रेलवे) में खलासियों के पद	Posts of Khalasis in Loco, Carriage and Wagon Workshop, Lallagudagate (South-Central Railways)	82
4051	लल्लागुडागेट (दक्षिण मध्य रेलवे) के इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल मेटेनेंस कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान	Payment of Arrears to Electrical Train Lighting and Electrical Maintenance Staff, Lallagudagate (South Central Railway)...	82–83

4052	बड़े व्यापार गृहों को लाइसेंस	Licences to Big Business Houses	83–84
4053	दिल्ली में हरिजनों के लिये मोटर प्रशिक्षण स्कूल	Motor Training School for Harijans in Delhi	84
4054	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का संशोधन	Amendment of Representation of the People Act	84
4055	भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा कटे-फटे बेकार लोहे की बिक्री	Sale of Iron Scrap by Bhilai Steel Plant ...	85
4056	लघु क्षेत्र में औद्योगिक नीति संकल्प को कार्यान्वित करना	Implementation of Industrial Policy Resolution in Small Scale Sector	85
4057	विदेशी सहयोग से स्थापित की गई कम्पनियां	Companies with foreign collaboration ...	86
4058	आशुलिपिकों तथा टाइपिस्टों के लिये प्रोत्साहन योजना	Incentive Scheme for Stenographers and Typists	86–87
4059	भारतीय रेलवे में टेलीफोन/टेलीप्रिंटर/कम्पटोमीटर आपरेटरों तथा टाइपिस्टों को विशेष वेतन	Special pay to Telephone/Teleprinter/Comptometer operators and Typists in Railways	87–88
4060	भारतीय रेलवे में नियुक्त टाइपिस्ट	Typists Employed on Indian Railways ...	8
4061	गुना-इटावा मार्ग का सर्वेक्षण	Survey of Guna-Etawah Route	
4062	भारत तथा विदेशों के बीच प्रशिक्षणार्थ छात्रों का आदान-प्रदान	Exchange of students for training between India and Foreign countries	
4063	फ्रांसीसी औद्योगिक शिष्टमंडल की भारत यात्रा	Visit by French Industrial Mission to India	90

4064	औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति सम्बन्धी दल समिति पर खर्च	Expenditure on Dutt Committee on Industrial Licensing Policy	90–91
4065	21 जून, 1969 को इलाहाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस रेलगाड़ी के पटरी से उतरने के बारे में प्रतिवेदन	Report on Deraliment of Allhabad-Gorakpur Express on 21st June, 1969	91
4066	सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	Centur; Spinning and Manufacturing Co. Ltd., Bombay	91–92
4067	रेलवे के विरुद्ध दायर दावे	Clains filed against Railways	92
4068	दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों के लिये रिहायशी मकान	Residential Accommodation for Railway Employees at Delhi	92–93
4069	दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले हरिजनों का उत्थान	Upliftment of Harijans living in Jhuggies of Delhi	93
4070	दिल्ली में लघु उद्योगों को औद्योगिक ऋण देने में विलम्ब	Delays in Payment of Industrial Loans to Small Scale Industries in Delhi	93–94
4071	बीकानेर डिवीजन में स्टेशन तथा हाल्ट स्टेशन खोलना	Opening of Stations and Halts in Bikaner Division	94
4072	लालगढ़ (बीकानेर डिवीजन) के निकट नई रेलवे लाइन बिछाना	Laying of a new Railway Line near Lalgarh (Bikaner Division)	94–95
4073	दक्षिण पूर्व रेलवे में नौपाड़ा गुनुपुर (छोटी लाइन) तथा वालटेयर-रायपुर (बड़ी लाइन) पर बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travelling between Naupada-Gunupur (NG) and Waltair-Raipur (BG) on South Eastern Railway	95–96

4075	पूर्वोत्तर रेलवे में रेलवे स्टेशनों के निकट रेलवे भूमि पर कब्जा	Occupation of Railway Land near Railway Stations on North Eastern Railway ...	96
4076	सुरक्षित पदों की असुरक्षित पदों में बदलना	Conversion of Reserved Posts into Unreserved ones on Railways ...	96
4077	रतलाम में डिवीजनल कार्यालय के सामने लोको-मैकेनिकल तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Loco-Mechanical and other workers in Front of Divisional Office at Ratlam ...	96–97
4078	भारतीय रेलवे लोको मैकेनिक कर्मचारी संघ का रतलाम में सम्मेलन	Conference of Indian Railway Loco-Mechanical Staff Association at Ratlam ...	97–98
4079	ब्रिज घाट स्टेशन, मुरादाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) में सुविधायें	Facilities at Brij Ghat Station, Moradabad Division (Northern Railway)	98
4080	देश में निर्मित तथा आयातित इस्पात के लिये मूल्य समानीकरण का नया फार्मूला	New Price Equalisation Formula for Indigenous and Imported Steel ... —	98–99
4081	भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड	Bharat Heavy Plates and Vessels Ltd. ...	99
4082	हंगरी के साथ तकनीकी सहयोग	Technical Cooperation with Hungary ...	100
4083	प्रीमियर टायर्स के निदेशकों को पुनरीक्षित वेतन उपलब्धियां तथा कमीशन देना	Payment of revised Salaries, emoluments and Commission to Directors of Premier tyres	100–101
4084	न्यासों और साझेदारों कम्पनियों द्वारा एकमात्र विक्रय एजेंसी सम्बन्धी करारों तथा राजनैतिक चन्दे देने की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिये विधान	Legislation to end sole selling agency agreements and political contributions by trusts and partnership firms	101

4085	पश्चिम रेलवे (मीटर गेज) के मुख्यालय को अजमेर में रखना	Location of Headquarters Office of Western Railway Metre-gauge at Ajmer	102
4086	भिलाई इस्पात कारखाने के लिये दो परियोजनाओं की स्थापना	Setting up of two projects for Bhilai Steel Plant	102
4087	कलकत्ता के लिये वृत्ताकार रेलवे	Circular Railway for Calcutta ...	102–103
4088	महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर जेब कतरने की घटनायें	Pick-pocketing on important Railway Stations	103–104
4089	रेल इंजनों के लिये पानी की कमी के कारण जोधपुर से चलने वाली रेलगाड़ी सेवाओं का मन्सूख किया जाना	Cancellation of trains from Jodhpur due to water shortage for train engines... ...	104
4090	बम्बई स्टेशन पर कुलियों के माध्यम से स्थानों का आरक्षण	Reservation through Porters at Bombay Station	104–105
4091	कोटा स्टेशन पर जल पिलाने वाली महिलाओं को वर्दियों का सप्लाई न किया जाना	Non-Supply of Uniforms to Waterwomen at Kota Station	105
4092	खादी ग्रामोद्योग भवन द्वारा खादी की बिक्री	Sale of Khadi by Khadi Gramodyog Bhavan	105
4093	पुनः सहवास न होने के आधार पर विवाह भंग करने के लिये याचिका पेश करने के अधिकार के बारे में विधान	Legislation regarding right to present petition for Dissolution of marriage for Non-resumption of Cohabitation	106
4094	बैंजीन की खपत के लिये उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries for consumption of Benzene — ...	106

4095	ए.सी.सी. सीमेंट फैक्टरी, भिलाई के लिये माल डिब्बों का आवंटन	Allotment of Wagons for ACC Cement Factory, Bhilai	107–108
4096	रूरकेला इस्पात कारखाने की पूरी क्षमता का उपयोग	Utilisation of Full capacity of Rourkela Steel Plant ...	108
4097	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर बिजली का फेल होना	Failure of Electricity on North-East Frontier Railway	108–109
4098	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को छोड़ कर अन्य समुदायों के पिछड़ेपन को दूर करना	Removal of Backwardness of Communities other than Scheduled Castes and Scheduled Tribes	109
4099	पिछड़ापन निर्धारित करने की कसौटी	Criteria to determine Backwardness	110
4100	ओल्ड नीर माली सुपाउल लाइन (पूर्वोत्तर रेलवे) का पुनः चालू किया जाना	Restoration of Old Nirmali-Supaul Line (North Eastern Rly.)	110
4101	हाई क्वालिटी स्टील लिमिटेड तथा बिहार अलाय स्टील लिमिटेड को लाइसेंस देना	Grant of Licences of High Quality Steel Ltd. and Bihar Alloy steel Ltd.	110–111
4102	नरूला फाइनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली	Narula Finance (Pvt.) Ltd., Delhi	111
4103	लागत लेखा परीक्षा करने के लिये सनदी (चार्टर्ड) लेखापालों के लिये अर्हतायें	Qualifications for chartered Accountants for conducting Cost Audit	112
4105	राजपत्रित और अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के पेंशन / उपदान के मामले	Pension/Gratuity cases of Gazetted and non-Gazetted Railway Employees	112

तारांकित प्र.संख्या/U. S. Q. Nos./विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
4106 डिगहा (पश्चिम बंगाल) से रेल सम्पर्क	Rail Link to Digha (West Bengal)	112–113
4107 इलाहाबाद डिवीजन में असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों को लाउडस्पीकरों पर घोषणाएं करने का भत्ता	Allowance for announcement to Assistant Station Masters in Allahabad Division ...	113
4108 हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन योजना	Old Age Pension Scheme in Haryana ...	113–114
4109 मैसर्स स्टेंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई	M/s. Standard Drum and Barrel Manufacturing Co., Bombay	114
4010 मैसर्स हिन्द गेलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कं० (प्राइवेट) लिमिटेड	M/s. Hind Galvanising and Engineering Co, (P) Ltd.	114
4111 रेलवे द्वारा डीजल ईंधन का आयात	Import of Diesel Fuel by Railways	115
4112 भारतीय रेलवे के लिये ढलवें इस्पात के डिब्बे	Cast Steel Bogies for Indian Railways	115
4113 वरीयता वाले तथा वरीयता न रखने वाले उद्योगों को स्टेनलैस स्टील का आवंटन	Allocation of Stainless Steel to Priority and Non-Priority Industries	115–116
4114 ओलावाक्कोट और मदुरै डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में रेलवे का निर्माण कार्यक्रम	Works programme of Railway in Olovakkot and Madurai Divisions (Southern Railway)	116–117
4115 कुष्ठ रोगियों का कल्याण	Welfare of Lepers	117
4116 समस्तीपुर स्थित डिवीजनल सुपरिन्टेडेंट के कार्यालय भवन में वातानुकूलन की व्यवस्था	Air-conditioned office Building for Divisional Superintendent's Office, Samastipur ...	117–118

4117 चौथी योजना में गरीबों की सहायता के लिये राष्ट्रीय योजना — National Scheme to help the poor during Fourth Plan Period 11

4118 प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का समाप्त किया जाना — Abolition of Managing Agency System ... 118–119

4119 देहरादून में मालगाड़ी के एकइंजन का स्टेशन मास्टर के कार्यालय से टकरा जाना — Goods train Engine ran into Station Master's Office at Dehradun 119

4120 इक्विटेबल कोल कम्पनी लिमिटेड — Equitable Coal Company Limited 120

4121 केरल के लिये औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र — Application for Industrial Licences for Kerala 120–121

4122 केरल राज्य को औद्योगिक ऋण — Industrial loans to Kerala State 121

4123 गैर-सरकारी औद्योगिक क्षेत्र में सकेन्द्रण प्रक्रिया को रोकना — Controlling Concentration Process in Private Industrial Sector 121–122

4124 चीनी तथा सीमेंट के मूल्य नियंत्रण अथवा विनियंत्रण के बारे में औपचारिकतायें तथा प्रक्रिया — Formalities and Procedure regarding Price Control or Decontrol of Sugar and Cement 122

4125 निर्धन विकलांग व्यक्तियों के लिये मुफ्त बनावटी अंग — Free supply of artificial Limbs to Handicapped Poor 123

4126 जबलपुर क्षेत्र में कटनी-गढ़वा रेलवे लाइन पर व्यय — Expenditure on Katni-Garhwal-Railway Line in Jabalpur Sector 123

4127 तुगलकाबाद, दिल्ली को कोयला भेजने की बुकिंग पर पाबंदियां — Restrictions on booking of coal consignment in Tuglakabad, Delhi 124

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

4128	डिब्राई स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिए बिजली	Electricity for Staff quarters at Dibai Station (Northern Railway)	124
4129	सामान्य निर्वाचनों में व्यय की जांच के लिये समिति	Committee for examining expenditure on General Elections	125
4130	विधि मंत्रालय में कर्मचारियों की भर्त्ती	Recruitment of Staff in Law Ministry	125–126
4131	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों मे साक्षरता	Literacy among Scheduled Castes/Scheduled Tribes	126–127
4132	कागज की लुगदी तथा अखबारी कागज के कारखानों के लिए सरकारी क्षेत्र में निगम	Corporation in Public Sector to run Paper Pulp and Newsprint Plants	127
4133	छोटे कारखानों के लिए तकनीकी जानकारी का क्रय	Purchase of know-how for small scale Units	127
4134	मध्य प्रदेश में उपरि-पुल	Over-bridges in Madhya Pradesh ...	128
4135	अप्रयुक्त पड़ी आयातित मशीनें	Imported Machinery lying idle ...	128
4136	वाराणसी स्थित डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में इंजनों का निर्माण	Production of Locos in Diesel Locomotive Works, Varanasi	129
4137	पानीपत स्टेशन (उत्तर रेलवे के कुछ पार्सल क्लर्कों को 'ट्रांजिट' ड्यूटी से छूट	Exemption from Transit Duty to some parcel clerks of Panipat Station (Northern Railway)	129–130
4138	भूमि सुधार के मामलों की जांच करने के लिये अलग न्यायिक व्यवस्था	Separate Judicial Machinery to examine cases arising from Land Reform Laws ...	130

4139	दिल्ली तथा बम्बई की नाटक फर्मों के निदेशक	Directors of Theatrical Firms in Delhi and Bombay ...	130–131
4140	उत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा स्टेनोग्राफर का चयन	Selection of Stenographers by Northern Railway Administration ..	131–132
4141	त्रिपुरा में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in Tripura ...	132–133
4142	बी० ए० के० लूप (पूर्वी रेलवे) में बिन्दूहासीनी रोड हाल्ट को पुनः चालू करने की मांग	Demand for Revival of Bindubasini Road halt in B.A.K. Loop (Eastern Railway)...	133
4143	गुजरात राज्य के लिये नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines for Gujarat State ...	133–134
4144	पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के क्षेत्रों का विभागीकरण	Divisionalisation of Areas of North-East Frontier Railway	134
4145	विभिन्न आन्दोलनों के दौरान रेलवे को हानि	Loss to Railways during various Agitations ...	134–135
4146	सोनाई रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) के बारे में सोनाई निवासियों से अभ्यावेदन	Representation from Residents of Sonai in regard to Sonai Railway Station (North Eastern Railway)	135
4147	बोकारो इस्पात संयंत्र में लगाई गई धनराशि	Investment made in Bokaro Steel Plant ...	135–136
4148	हैवी इलेक्ट्रीकल्स (इंडिया) लि०, भोपाल में इंजीनियरों के वेतनमान	Pay-scale of Engineers in Heavy Electricals (India) Ltd., Bhopal	136
4149	केरल में उद्योग	Industries in Kerala	136–137
4150	त्रिवेन्द्रम से एर्णाकुलम तक अतिरिक्त रेल गाड़ियां	Additional Trains from Trivandrum to Ernakulam	137
4151	नेशनल इंडिया ट्रेडर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई	National India Traders (P) Ltd. Bombay ...	138

4152	सेन्ट्रल डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड, बम्बई	Central Distributors Ltd.. Bombay	138
4153	बेलापुर शूगर कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	Belapur Sugar Company Ltd., Bombay ...	138–139
4154	पायरोटेनक्स इंडिया लिमिटेड, बम्बई	Pyrotenax India Limited, Bombay	139–140
4155	मैसर्स जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड के अंशधारियों को दिया गया लाभांश	Dividends to shareholders of M/s. Jessop and Co. Ltd. ...	140
4156	वर्दमान-कटवा रेलवे कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा धन का दुरुपयोग	Misuse of Funds by Burdwan Cutwa Railway Co. Ltd. Calcutta	140–141
4157	भिण्ड-इटावा होकर ग्वालियर और कानपुर के बीच एक सीधी रेलगाड़ी चलाना	Introduction of a Direct Train Between Gwalior and Kanpur via Bhind Itawah...	141
4158	इंजीनियरी पर आधारित औद्योगिक कारखाने	Engineering-based industrial Units	141–142
4159	मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industries in Madhya Pradesh	142–143
4160	घाटे पर चलने वाली रेलें	Uneconomic Railways	143
4161	अछालदा स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर जनता ट्रेन के नीचे गैंगमैनों का कुचला जाना	Running over of Gangmen by Janta train at Achhalda Station (Northern Railway) ...	143
4162	मनीपुर में उद्योग धंधों की स्थापना	Setting up of Industries in Manipur	143–144
4163	मनीपुर में उद्योगों की स्थापना के लिये सर्वेक्षण	Survey for setting up Industries in Manipur	144
4164	रेलवे स्टेशनों का विद्युतीकरण	Electrification of Railway Stations	144–145

4165	तीर्थयात्रियों पर शुल्क समाप्त कम करना	Abolition/Reduction on Pilgrim Tax	145
4166	राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के लिए उच्च शक्ति प्राप्त सलाहकार समिति	High power Legal Advisory Committee for the President and Governor	145
4167	गांधी शताब्दी वर्ष में समाज कल्याण योजनाएं	Social Welfare Schemes during Gandhi Centenary ...	145–146
4168	पश्चिम बंगाल में रेल-गाड़ियों में तोड़-फोड़ तथा लूटपाट	Sabotage and looting on Railways in West Bengal	146
4169	रेल दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिये रेलवे गार्डों तथा रेलवे स्टेशनों पर वायरलेस सेटों की व्यवस्था	Provision of Wireless sets to Railway Guards and on Railway stations for checking Railway accidents	146
4170	आदिवासियों को वजीफे	Scholarship to Adivasis ...	146–147
4171	मोटर गाड़ी निर्माण का अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाना	Bringing of Automobile Manufacture Under Essential Commodities Act ...	147
4172	विदेशी पर्यटकों को "यथा इच्छा यात्रा करें" टिकटों का जारी किया जाना	Issue of Travel as You Like ticket to foreign tourists	148
4173	रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया की मांगों पर निर्णय	Decision on demands of Republican Party of India	148
4174	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आवास योजनाएं	Housing Schemes for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	148–149
4175	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदम जातियों के विद्यार्थियों की छात्र-वृत्ति की राशि में वृद्धि	Increase in Amount of Scholarships to Scheduled Caste/Scheduled Tribes Students... ...	149–150

4176	धर्म परिवर्तन के पश्चात् अनुसूचित आदिम जातियों को उपलब्ध सुविधाओं से वंचित करना	Withdrawal of Privilege from Scheduled Tribes after Conversion	150
4177	फतेहपुर जंक्शन (उत्तर रेलवे) पर पूछताछ कार्यालय	Enquiry office at Fatehpur Junction (Northern Railway)	150
4178	कासगंज सैक्शन (पूर्वोत्तर रेलवे) स्टेशन के कर्मचारियों की ओर से अभ्यावेदन	Representation from Employees of Railway Stations in Kasganj Section (North-Eastern Railway)	150–151
4179	पूर्वोत्तर रेलवे का बड़ी लाइन में बदला जाना	Conversion of North Eastern Railway into Broad-Gauge	151–152
4180	मन्सी-सहरसा बनमांखी कटिहार शाखा लाइन पर गाड़ियों का देरी से चलना	Late Running of Trains on Branch Lines Between Mansi-Saharsa-Banmankhi-Katihar	152
4181	बरौनी जंक्शन से बनमांखी के लिए लगने वाले डिब्बे का बन्द किया जाना	Discontinuance of Bogie for Banmaukhi Attached at Barauni Junction	152
4182	खेतड़ी में रेलवे साइडिंग का निर्माण	Construction of Railway siding at Khetri ...	153
4183	गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) में औद्योगिक विकास	Industrial Development of Garhwal (U.P.) ..	153
4184	दिल्ली से कोटद्वार अथवा दिल्ली से ऋषिकेश (उत्तर रेलवे) तक रेलगाड़ी का चलाया जाना	Running of a Train from Delhi to Kotdwara or Delhi to Rishikesh (Northern Railway)...	154
4185	बनारस-छपरा बड़ी लाइन का सर्वेक्षण	Survey of Banaras-Chapra Broad-Gauge Line	154
4186	रूरकेला इस्पात कारखाने में प्रबन्धक-श्रमिक सम्बन्ध	Labour Relations in Rourkela Steel Plant ...	154–155

4187	भिलाई इस्पात कारखानें को हानि	Loss in Bhilai Steel Plant	155-156
4188	बोकारो इस्पात कारखाने को लौह अयस्क कणों की सप्लाई	Supply of Iron Ore Fines to Bokaro Steel Plant	156
4189	भारतीय रेलों की आय में वृद्धि	Increase in Earnings of Indian Railways ...	156–157
4190	कलकत्ता में बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travelling at Calcutta ...	157
4191	कलकत्ता के चारों ओर सर्कुलर रेलवे	Circular Railway around Calcutta ...	157–158
4192	बेकार माल डिब्बों का उपयोग	Utilisation of Idle Wagons	158–159
4193	गुना–मक्सी रेलवे परियोजना	Guna-Maksi Railway Project ..	159
4194	डाक गाड़ियों में तीसरी श्रेणी के डिब्बे	Third Class Compartments in Mail Trains ...	159–160
4195	साबरमती (पश्चिम रेलवे) के इंजीनियरिंग वर्कशाप सिगनल वर्कशाप और जनरल स्टोर्स के श्रमिकों को रोके रखना	Detention of Workers of Engineering Workshop, Signal Workshop and General Stores at Sabarmati (Western Railway)	160
4196	अन्य पिछड़े वर्गों को सुविधायें	Facilities for other Backward Classes.. ...	160–161
4197	बम्बई-पूना रेस स्पेशल रेलगाड़ी	Bombay-Poona Race Spectal Train	161–162
4198	पश्चिम रेलवे में मुख्यालय और बम्बई मंडल कार्यालय में तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारी	Class III and IV Staff in Headquarters office and Bombay Divisional Office (Western Railway)	162
4199	महाराष्ट्र राज्य नमक सलाहकार बोर्ड	Maharashtra State Salt Advisory Board ...	162

तारा.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos./विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
4200 लोहे तथा इस्पात के वितरण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Distribution of Iron and Steel	162–163
4201 डा० तेजा के प्रत्यर्पण पर खर्च	Amount Spent on Dr. Teja's Extradition ...	163
4202 महाराष्ट्र रेजिमेन्ट	Maharashtra Regiment ...	163
4203 मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग का विकास	Development of Handicrafts Industry in Madhya Pradesh	163–164
4204 मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलें बन्द होना	Closure of Textile Mills in Madhya Pradesh	164
4205 मध्य प्रदेश में असमर्थ जवानों के लिए कल्याण केन्द्र	Welfare Centres for Disabled Soldiers in Madhya Pradesh ...	164–165
4206 बर्मा के पृथक-कारी राज्य क्षेत्र में एक भूमिगत नागा नेता का 'राजदूत' के रूप में नियुक्त किया जाना	Appointment of Naga Underground Leaders as 'Ambassador' in Burmese Secessionist Territory	165
4207 भारत तथा पश्चिमी जर्मनी के बीच वीसा विनियम	Visa Regulations between India and West Germany	165
4208 केलों का निर्यात	Banana Exports	165–165
4209 विदेशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध तथा उसके अंतर्गत व्यय	Diplomatic Relations with countries and Expenses involved	167–168
4210 पुस्तकों के तथा सावधिक पत्र पत्रिकाओं का आयात और निर्यात	Import and Export of Books and Periodicals	168
4211 गुजरात में भूमिहीन सैनिक	Landless Army Personel in Gujarat	169
4212 काजू उत्पादों का निर्यात	Export of Cashewnut Products	169
4213 नारियल जटा के उत्पादों का निर्यात	Export of Coir Products	169–170

4214	टेलीवीजन कार्यक्रम के लिये भारत-अमरीका करार	Indo-U.S. Agreement for T.V. Programme...	170
4215	मैंगनीज का निर्यात	Manganese Exports	170–171
4216	कस्तुरी तथा भेड़-बकरी की चर्बी के आयात के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Import of Musk and Mutton Tailow	171–172
4217	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अधिकारियों के द्वारा देतारी खानों तथा पारादीप परियोजना का दौरा	M. M. T. C. Officials visit to Daitari Mines and Pradip Project	172–173
4218	पश्चिम बंगाल में 1 सितम्बर, 1969 को कपड़ा मिलों में हड़ताल के कारण हानि	Loss due to Strike in Textiles Mills in West Bengal on 1st September, 1969	173
4219	बहरामपुर(पश्चिम बंगाल) में केन्द्रीय रेशम-कीट पालन अनुसंधान केन्द्र	Central Sericulture Research Station, Berhampur (West Bengal)	173–174
4221	मूंगफली के तेल का निर्यात	Export of Groundnut Oil	174
4222	राज्य व्यापार निगम में फालतू कर्मचारी	Surplus Staff in State Trading Corporations...	174–175
4223	विभिन्न मंत्रालयों में सचिवों की नियुक्ति	Appointment of Secretaries to different Ministries	175
4224	हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड द्वारा यात्री विमानों का निर्माण	Manufacturing of Passenger Planes by Hindustan Aeronautics Ltd.	175–176
4225	कच्चे काजू की आवश्यकता	Requirement of Raw Cahsewnuts	176
4226	इजरायल द्वारा राक-फास्फेट तथा पोटाश की सप्लाई	Supply of Rock Phosphate and Potash by Israel	177

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

4227	आर्थिक सलाहकारों की एक उच्च शक्ति प्राप्त परिषद् की स्थापना	Setting up of a High-Powered Council of Economic Advisers ...	177–178
4229	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग को भारतीय सांख्यिकी संस्था, कलकत्ता, से पृथक करना	Detaching National Sample Survey Department from Indian Statistical Institute, Calcutta	178
4230	मणिपुर में विद्रोही नागाओं की घुस पैठ	Infiltration of Hostile Nagas into Manipur ..	178–179
4231	मैसूर में नारियल जटा उद्योग का विकास	Development of Coir Industry in Mysore ...	179
4232	उत्तर भारत में परमाणु बिजलीघर	Nuclear Power Station in Northern India ...	179
4233	रूमानिया को लोह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Rumania ...	180
4234	कोयम्बटूर में बन्द कपड़ा मिलों को तमिलनाडु सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जाना	Taking over of closed Taxtile Mills in Coimbatore by Tamil Nadu Government	180
4235	कोयम्बटूर जिले में कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Taxtile Mills in Coimbatore District ...	181
4236	भारत में निर्मित विमान	Aricraft produced in India ...	181
4237	दक्षिण वियतनाम में असैनिक व्यक्तियों का वध	Killing of Civilians in South Vietnam ...	182
4238	ब्रिटिश नौसेना के एक जहाज को एक रसायन से परीक्षण के तौर पर चलाना	Trial runs of a Chemical by a British Naval Vessel	182
4239	रांची में समुद्री जहाजों के डीजल इन्जन बनाने के कारखाने का निर्माण	Construction of Marine Diesel Engine Plant at Ranchi	182-183

4240	रूस को निर्यात के लिये रेलवे वैगनों का मूल्य	Price of Rail Wagons for Export to USSR ...	183
4241	कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure for Cotton Mills	184
4242	खतरों की चेतावनी देने के लिए आधुनिक संचार सेवा का चालू किया जाना	Introduction of Modern Communication Service for purpose of Warning against Dangers	184-185
4243	पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात सैन्य कर्मचारी	Army Personnel Posted in Mountainous Areas ...	185
4244	कच्चे यूरेनियम से एक परमाणु रिएक्टर चलाना	Running of an Atomic Reactor with Raw Uranium	185
4245	खुली सामान्य लाइसेंस पद्धति के अन्तर्गत राज्य व्यापार निगम द्वारा ऊन का आयात	Import of Wool under open general Licence System by State Trading Corporation ...	185
4246	जूट के सामान का उत्पादन	Produciton of Jute Goods	186
4247	भारत में "फास्ट ब्रीडर" रिएक्टर के निर्माण का प्रस्ताव	Proposal to Build Fast Breeder Reactors in India	186
4248	स्विटजरलैंड से हालैंड तक एक गैर-सरकारी विमान में यात्रा करने वाले एक मंत्री के विरुद्ध शिकायत	Complaint against a Minister who made a trip in a Private Aircraft from Switzerland to Holland	187
4249	भूतपूर्व आजाद हिन्द के सैनिकों को पेंशन देने का प्रस्ताव	Porposal for grant of Pension to Ex-INA Soldiers	187
4250	विकासशील देशों के लिये अधिमान व्यापार योजना के बारे में अमरीका और यूरोपीय साझा बाजार के बीच मतभेद के कारण हानि	Loss due to Confrontation between U.S A. and European Ecnomic Community on Preferential Trading Scheme for Developing Countries ...	188

4251	तिब्बतियों का भारत में प्रवेश	Tibetians corssing into India ...	188-189
4252	पाकिस्तानी नौ सेना के लिये रूसी साज सामान	Russian Equipment for Pakistan's Navy ...	189
4253	भारत के लिए रूसी स्ट्राइक नौकायें	Russian strike-boats for India	189
4254	कश्मीर के प्रश्न पर आत्म निश्चय के बारे में उत्तरी वियतनाम द्वारा कथित समर्थन	Alleged support by North Vietnam for Self-determination in Kashmir	190
4255	ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन द्वारा टेली-वीजन पर भारतीय निर्धनता के दृश्य दिखाना	BBC Television showing Indian Scenes of Poverty	190
4256	नेपाल में हुए अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन	International Corporation Conference in Nepal	190-191
4257	राजस्थान नहर क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों के लिये भूमि	Land for Ex-servicemen in Rajasthan Canal area	191
4258	भारत द्वारा अन्य देशों से पनडुब्बियों की खरीद	Acquisition of Submarines by India from other countries	191
4259	पूर्ति तथा निबटान के अतिरिक्त महानिदेशक का सेवाकाल बढ़ाना	Grant of extension of service to Additional Director General of Supplies and Disposals	192
4260	पुराने क्रूजरों और विध्वंशक जहाजों को बदलना	Replacement of Old Cruisers and Destroyers ...	192
4261	नेशनल लिबरेशन फ्रंट दक्षिण वियतनाम के प्रतिनिधिमंडल द्वारा भारत का दौरा	Visit of Delegation of National liberation Front, South Vietnam to India	193
4262	निर्यात व्यापार संवर्धन के लिए योजना	Scheme for promotion of Export Trade ..	193

4263	आसाम और नागालैंड में सीमावर्ती सड़कों का निर्माण	Construction of border roads in Assam and Nagaland	193-194
4264	पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti-India propaganda by Pakisthan ...	194-195
4265	ब्रिटेन को भारतीय कपड़े के निर्यात में कमी	Decline in export of Indian taxtile to United Kingdom	195
4266	जनेवा में "अंकटाड" के निदेशकों के नवें सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि	Indian representatives at Ninth session of UNCTAD Directors at Geneva	196
4267	बर्मा को पटरियों तथा रेलवे उपकरणों का निर्यात	Export of Rails and Railway Equipment to Burma	197
4268	फरक्का बांध के बारे में बातचीत	Farakha Barrage Talks ...	197-198
4269	चौथी योजना में परमाणु शक्ति का उत्पादन	Nuclear Power Generation during Fourth Plan — ...	198
4270	इटली के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with Italy ...	198-199
4271	हथकरघा उद्योग पर व्यय	Expenditure on Handloom Industry	199
4272	अग्रिम आयात लाइसेंसों का दिया जाना	Grant of advance Import Licences	199-200
4273	अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का हथकरघा निर्यात संवर्धन के साथ विलय	Amalgamation of All India Handloom Board with Handloom Export Promotion Council	200
4274	काबुल में बच्चों का अस्पताल	Children Hospital in Kabul —	201
4275	केरल में राकेट केन्द्र	Rocket Centre in Kerala	201
4276	कलकत्ता मैदान का नया नाम रखना	Renaming of Calcutta Maidan	201

4277	राज्यों में राष्ट्रीय छात्र-सेना दल का प्रशिक्षण कार्यक्रम पुनः आरम्भ करना	Revival of National Cadet Crops Training Programme in States	202
4278	कोसींगिन चाऊ के बीच बैठक	Kosygin-Chou Meeting ...	202
4279	रूमानियां के साथ व्यापार वार्ता	Trade Talk with Rumania ...	202-203
4280	जंगली जीवों के निर्यात प्रतिबन्ध	Ban on export of wild life	203
4281	उड़ीसा से निर्यात की सम्भावनाएं	Export possibilities of Orrisa	203
4282	कोवी और मछली का निर्यात	Export of Kowi and Fish	203-204
4283	नेपाल में भारतीय कर्मचारियों के वेतन में असमानता	Disparity in Pay of Indian Employees in Nepal	204
4284	राजस्थान सीमा के पास पाकिस्तानी अल्प संख्यकों को खतरा है	Threat to Pak. Minorities near Rajasthan Boarder	204-205
4285	कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए राज्यों द्वारा सेना की सहायता मांगना	Army help sought by States to restore Law and Order ...	205
4286	पूर्व यूरोप के देशों में चमड़े और खालों की मांग	Demand for Hides and Skins in East European Countries — ...	205
4287	भारतीय राज्य क्षेत्रों को अन्य देशों के भाग के रूप में दिखाने वाले रूसी नक्शे	Soviet Maps showing Indian Territory as a part of other Countries	206
4288	रद्दी लोहे का निर्यात	Export of Ferrous Scrap	206

4289	विदेशों में व्यापार प्रतिनिधि	Trade Representatives in Foreign Countries...	207
4290	संसद् सदस्यों के सद्भावना शिष्टमंडलों की विदेश यात्रा	M. Ps. Goodwill Missions to Foreign Countries	207
4291	अमरीकी मन्डी में कालीनों के नीचे बिछाई जाने वाली पटसन की पट्टी की मांग में कमी	Fall in Demand for Jute-Carpet Backing U.S.A. Market	207-208
4292	इजरायल को इस्पात का निर्यात	Exporting Steel to Isreal	208
4293	भारतीय कस्बों में चीनी वस्तुओं के स्त्रोत	Sources of Chinese Goods in Indian Towns	208-209
4294	भारतीयों पर धन भेजने पर रोक	Ban on Indians to send back Earnings	209
4295	पाकिस्तान द्वारा सहजधारी सिखों को ननकाना साहिब जाने की अनुमति न दी जानी	Pak. Refusal to Sahajdhari Sikhs for Nankana Sahib	209-210
4296	संसद् सदस्यों की विदेशी यात्रायें	Visit of Members of Parliament Abroad ...	210
4297	फास्फेट का आयात	Import of Phosphate	210-211
4298	पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में चीन की सहायता से सड़क का निर्माण	Construction of Road in Pakheld Kashmir with Chinese help	211
4299	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कच्चे पटसन की खरीद	Purchase of Raw Jute through State Trading Corporation	211
4301	प्रशुल्क आयोग द्वारा पटसन की वस्तुओं के मूल्य ढांचे की जांच	Examination of Price Structure of Jute Goods by Tariff Commission	212

4302	सूडान को भारतीय माल डिब्बों की बिक्री और अन्य देशों के साथ सहयोग	Sale of Indian Wagons to Sudan and Collaboration with other countries	212
4303	बागान उद्योग	Plantation Industries ...	212–213
4304	साम्यवादी चीन के साथ व्यापारिक सम्बन्ध	Trade Relations with Communis China ...	213
4305	फारमोसा के साथ व्यापार सम्बन्ध	Trade Relations with Formosa ...	213
4306	आयुध कारखानों में कर्मचारियों की संख्या	Number of Employees in Ordnance Factories	213-214
4307	केन्द्रीय रेशम कीट पालन अनुसन्धान केन्द्र, बरहामपुर के निदेशक के विरूद्ध आरोप	Allegations against Director Central Sericulture Research Station, Berhampore ...	214
4308	जापान को लौह अयस्क के निर्यात के लिये दीर्घकालीन करार	Long term Contract for Export of Iron ore to Japan	214–215
4309	कीनियाई भारतीयों को बसाने सम्बन्धी भारत ब्रिटिश करार के उपबन्ध	Provisions of Indo-British Agreement re-Settlement of Kenya Indians	215
4310	लातीनी अमरीकी देशों से आयात तथा उनको निर्यात	Import from and Exports to Latin American Countries	215
4311	बड़े विमानों को ठहराने के उद्देश्य से बम्बई में विमान शाला (हैंगर) का निर्माण	Construction of Hangar in Bombay for Receiving gaint Aircraft	215–216
4312	पाकिस्तान के गूजर बहुसंख्यकक्षेत्रों का भारत में विलय	Merger of Gujar dominated Areas of Pakistan with India	216
4313	हंगरी को माल डिब्बों की सप्लाई	Supply of Wagons to Hungary	216

4314	टेलीविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of T. V. Sets	216–217
4315	प्रादेशिक सेना	Territorial Army	217
4316	राजदूतों द्वारा हिन्दी में भेजे गये संदेश	Messages sent in Hindi by Ambassadors ...	217–218
4317	विदेशों में स्थित दूतावासों द्वारा कर्मचारियों की मांग का अनुमान	Assessment of Demand for Employment by Embassies abroad	218
4318	केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा तैयार किये गये राष्ट्रीय आय सम्बन्धी मार्ग दर्शक प्राक्कलन	Guide Estimates re.National Income made by Central Satistical Organisation ...	218–219
4319	कच्चे माल की कमी	Scarcity of Raw Materials	219–220
4320	रेलवे के माल डिब्बों का निर्यात	Exports of Rail Wagons	220
4321	हथकरघे की बनी वस्तुओं के निर्यात के लिये लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences for export of Handloom Products	220–221
4322	खनिज तथा धातु व्यापार निगम की छटी वर्ष-गांठ के सम्बन्ध मे विशेषांक प्रकाशित करना	Special Supplements on 6th Anniversary of MMTC	221
4323	पश्चिमी कमाऊं के छावनी क्षेत्रों में पंजाब किराया नियन्त्रण अधिनियम लागू होना	Applicability of Punjab Rent Restriction Act in Cantonment Areas of Western Command	221–222
4324	नाभिकीय ऊर्जा का व्यावहारिक उपयोग	Practical Application of Nuclear Energy ...	222–223
4325	चलचित्रों का निर्यात	Export of Films	223
4326	हाइड्रोसल्फाइट सोडे का उत्पादन	Production of Hydro-sulphite soda	223–224

4327	राज्य व्यापार निगम के कार्यकलापों का विस्तार	Expansion of Activities of State Trading Corporation	224
4328	असैनिक क्षेत्र में नियोजित वायु सेना के सेवा निवृत्त अधिकारी	Retired Air Force Officers employee in Civil Sector ...	224
4329	भूमि से वायु में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र का निर्माण	Manufacture of Ground to Air Missiles ...	225
4330	पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के आने में वृद्धि	Increased influx of Pak Minorities ...	225
4331	पूर्वी यूरोपीय देशों से आयातित वस्तुओं के वितरण का तरीका	Mode of Distribution of Items imported from East European Countries	225–226
4332	न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर	New Victoria Mills, Kanpur	226
4333	गैर-सरकारी सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को परिचय पत्रों का जारी किया जाना	Issue of Credentials to Private Social workers	226
4334	कपास के लिए ऋण देने पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध	Restrictions Imposed by Reserve Bank of India on Cotton Advances	227
4335	इंजिनियरिंग निर्यात संबर्धन परिषद् में इस्पात सप्लाई सैल	Steel Supply Cell in Engineering Export Promotion Council .. —	227
4337	सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालय में कर्मचारियों की संख्या	Staff Strength of Armed Forces Headquarters	227–228
4338	सेना से मुक्त किये गये आपत्कालीन सैनिक कमीशन प्राप्त अधिकारी	Emergency Commissioned Officers Released from Army	228–229

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

4339	उरूगवे को हाथी भेंट करना	Gift of Elephants to Uruguay	229
4340	इंगलैंड और अमेरिका में भारतीय डाक्टरों के लिए नौकरियां	Jobs for Indian Doctors in U. K. and U.S.A.	229
4341	समुद्र तल में खनिजों का उपयोग	Utilisation of Minerals in Sea Bed	230
4342	सरकार द्वारा कपास की खरीद	Purchase of Cotton by Government	230
4343	उड़ीसा में पटसन मिल स्थापित करने के लिए अभ्यावेदन	Representation for a Jute Mill in Orissa ...	230–231
4344	रूस को रेलवे वैगनों की सप्लाई में रेलवे वैगन निर्माताओं को हानि	Loss to Manufacturers of Railway Wagons for Supply to USSR	231
4345	काम पर तैनात सैनिक कर्मचारियों को दुर्घटना-ग्रस्त होने पर चिकित्सा तथा अन्य सुविधायें	Medical and other facilities for civilian employees who meet with accidents while on Duty	231–232
4346	आयातित रूई के प्रयोग पर प्रतिबन्ध	Ban on use of Imported Cotton ...	232
4347	ब्रिटेन को सूती कपड़े का निर्यात	Export of Textile Prcducts to U-K.... ...	232–233
4348	चीन की सेना में गोरखों की भर्ती	Recruitment of Gorkhas in the China's Army	233
4349	केबलों का निर्यात	Export of Cables	233–234
4350	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा कोयला खरीदा जाना	Purchase of Coal by Minerals and Metals Trading Corporation	234
	दिनांक 30 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8182 के उत्तर को शुद्ध करने वाला विवरण	Statement Correcting reply to U.S.Q. 8182 dated 30-4-1969	234

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention Notice (Query)	235
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	235–237
पटना विश्वविद्यालय में अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल का समाचार	Reported taken strike by teachers and other staff of Patna University	235
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri ...	235
डा. वी. के. आर. वी. राव	Dr. V. K. R. V. Rao	235
विरोधी दल का नेता	Leader of the Opposition ...	237–238
विशेषाधिकार के प्रश्न	Questions of Privilege ...	238-246
1. पुलिस के सब-इन्सपैक्टर के विरुद्ध महिषि (बिहार)	(1) Against Sub-Inspector of Police, Mahishi (Bihar)	238
2. शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री के विरुद्ध	(2) Against Minister of Educatian and Youth Services	238
सभा–पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	246
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (बिहार) 1969-70	Demands for Supplementary Grants (Bihar) 1969–70	247
विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented	247
समिति के लिए निर्वाचन	Election to Committee	247
प्राक्कलन समिति	Committee on Estimates	247
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित	Indian Tariff (Amendment) Bill-Introduced ...	247–249
एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा विधेयक जारी	Monopolies and Restrictive Trade Practices Bill Contd. ..	249

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	249
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	249
श्री गणेश घोष	Shri Ganesh Ghosh	250
श्री रघुवीरसिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	250
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	251
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	252
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed —	252
खंड 2 और 3	Clauses 2 and 3	257–268
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee — ...	268
43 वां प्रतिवेदन	Forty-third Report	268
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion —	269
कलकत्ता का विकास	Development of Calcutta ... —	269–274

———

लोक–सभा
LOK--SABHA

बुधवार, 17 दिसम्बर, 1969/26 अग्रहायण, 1891 (शक)
Wednesday, December 17, 1969/Agrahayana 26, 1891 (Saka)

लोक–सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Shri Madhu Limaye : I want to rise on a point of order on the Question List. I had gone out for some time. Yesterday I saw the letter sent by you secretary to me. The question which was tabled by me for today reads as follows :

"Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether the Government have received a complaint about a Cabinet Minister who is reported to have made a trip to Holland from Switzerland in a private aircraft belonging to the Philips Co ;

(b) whether investigations have been made into the purpose of this trip and the nature of relationship between this company and the Minister :

(c) the name and rank of this Minister ;

(d) whether he received any present from this company ; and

(e) if so, the action taken by the Government in this regard ?"

I have studied all the rules and I can say that more than 50 such questions have been admitted and replied to the floor of the House. I want to convey to you that I have not mentioned the name of the Minister.

Mr. Speaker : Why should hon. Member not come to me in my chamber and discuss such points with me there ?

Shri Madhu Limaye : I will conclude the matter in one minute. I am always careful in such matters. I wrote to the Prime Minister on the 19th November and sent information alongwith the proof to her. Still I drafted the question carefully and did not mention the name of the Minister in my question. If the information given by me is incorrect, the Government should have desired the trip but I am unable to understand the reason for which the Under Secretary of your Secretariat should send such a letter to me.

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस मामले पर मेरे चैम्बर में आकर विचार कर लेना, सभा में इस पर चर्चा करना उचित नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : I want to know the reasons for disallowing this question.

अध्यक्ष महोदय : आप यह बात मुझे लिखकर भेजें । इस पर आप मेरे साथ विचार विमर्श कर सकते हैं ।

श्री सु० कु० तापड़िया : मैंने मन्त्री महोदय श्री भगत के बारे में आपको एक पत्र लिखा था तथा आपके सचिवालय से मुझे यह सूचना मिली थी कि इस मामले पर 17 तारीख के लिये एक प्रश्न स्वीकार किया गया है और उत्तर की प्रतीक्षा की जा सकती है ।

Shri Madhu Limaye : I tabled a starred question for the 17th and I am constrained to say that the attitude of your secretariat is not good.

Mr. Speaker : You could have met me in my Chamber. You may give it to me in writing. House is not the proper forum for such things.

Shri Madhu Limaye : It is my grouse that the staff of your secretariat corresponds with the Government and the questions are admitted or rejected in consultation with the Government. This procedure cannot be allowed. The Prime Minister has also not replied to my question.

श्री उमानाथ : हम प्रश्न द्वारा जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं । यह काम सरकार का है कि वह किसी प्रश्न का उत्तर हां में दे अथवा 'नहीं' में दे । इसमें प्रमाण मांगने का प्रश्न कहां उठता है ।

Shri Madhu Limaye : They will have to furnish it. They are the servants of the House just like us.

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, वित्त मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : आज एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर दिया गया है ।

Shri B. R Bhagat : It has been included in the unstarred question list.

Shri Madhu Limaye : My question is Starred one.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न के बारे में पता करूंगा ।

तिलहनों का निर्यात

*631. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों में तिलहनों का निर्यात निरन्तर कम होता रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का विश्लेषण किया है ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) . प्रश्न नहीं उठते।

श्री एन० शिवप्पा : वर्ष 1964-65 में 150 लाख एकड़ भूमि में तिलहनों की खेती की जाती थी किन्तु बाद के वर्षों में तिलहनों की काश्त केवल 140 लाख एकड़ भूमि में होने लगी। मंत्री महोदय कैसे यह कह सकते हैं कि तिलहन के उत्पादन में तथा निर्यात में कोई कमी नहीं हुई है ? रूस तथा अन्य यूरोपीय देशों में खल की भारी मांग होने की सम्भावना है। अतः क्या सरकार ने खल के निर्यात के लिये बाजार ढूंढ़ने के लिए कोई प्रयत्न किया है ? यदि सरकार ने कोई प्रयत्न किया है तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उन देशों में खल के क्या मूल्य चल रहे हैं ?

चौधरी राम सेवक : वर्ष 1963-64 में तिलहनों का उत्पादन 71,32,000 मीटरी टन था, 1964-65 में 84,58,000 मीटरी टन था, वर्ष 1965-66 में.....

वैदेशिक-व्यापार मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : उस वर्ष 84,58,000 मीटरी टन था।

चौधरी राम सेवक : वर्ष 1966-67 में तिलहन का उत्पादन 60 लाख मीटरी टन हुआ।

श्री ब० रा० भगत : वर्ष 1967-68 के उत्पादन के आंकड़े 82.37 मीटरी टन हैं। वर्ष 1968-69 में 69 लाख मीटरी टन तिलहन का उत्पादन हुआ। निर्यात की प्रमुख वस्तु मूंगफली है। अन्य तिलहनों में तेल की मात्रा अधिक होती है। अतः राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुये बहुत सी तिलहनों के नियति पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। तिलहनों में निर्यात की मुख्य वस्तु मूंगफली है तथा उस अवधि में 44 लाख टन मूंगफली का निर्यात किया गया था। वर्ष 1967-68 में 57 लाख मीटरी टन तथा वर्ष 1968-69 में 44 लाख मीटरी टन मूंगफली का निर्यात किया गया। तिलहन की अन्य वस्तुएं वर्ष 1966-67 में 36 लाख मीटरी टन निर्यात की गई तथा वर्ष 1967-68 में 179 मीटरी लाख टन निर्यात की गई...

श्री रंगा : क्या 170 लाख मीटरी टन ?

श्री ब० रा० भगत : क्षमा करना इतने रुपये का इनको लाभ है। इनका मूल्य रुपयों में इस प्रकार है। वर्ष 66-67 में 36 लाख रुपये, वर्ष 1967-68 में 179 लाख रुपये और वर्ष 1968-69 में 730 लाख रुपये।

श्री ई० के० नायनार : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह कि मन्त्रीगण सभा में जो उत्तर दें वे उन्हें पहले अच्छी तरह पढ़ कर आये।

श्री पीलु मोडी : अन्यथा हमें अधिकारियों से यह कहना पड़ेगा कि वे स्वयं आकर उत्तर दिया करें।

श्री एन० शिवप्पा : मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि मंत्री महोदय ने सभा में एक लिखित विवरण नहीं दिया जिससे सभा में उपयुक्त ढग से अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते।

माननीय मन्त्री तथा उनके कनिष्ठ सहयोगी दोनों ही तथ्यों तथा आंकडों के साथ तैयार होकर नहीं आये, जिससे हम उनसे अनुपूरक प्रश्न कर सकते अथवा वे सभा का विश्वास प्राप्त कर सकते। मैं आपकी सहायता चाहता हूं तथा निवेदन करता हूं कि इस प्रश्न को कल तक के लिये निलम्बित कर दिया जाये और माननीय मन्त्री से कहा जाये कि वह उत्तर देने के लिये तैयारी करके आयें।

श्री रंगा : प्रारम्भ में उन्होंने प्रश्न के भाग (क) से (ग) तक उत्तर नकारात्मक दिया है किन्तु अब वह उत्तर 'हां' हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह निर्यात के बारे में है, उत्पादन के बारे में नहीं है।

श्री ब० रा० भगत : मैंने निवेदन किया है कि कमी नहीं हुई है।

श्री एन० शिवप्पा : माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैंने माननीय मन्त्री से निवेदन किया था कि वह रूस तथा यूरोपीय देशों में निर्यात के बारे में बताने का कष्ट करें। क्या विश्व बाजार में तिलहनों के मूल्यों के बारे में उन्हें कुछ जानकारी है? मैंने यही प्रश्न किया था और यही मैं जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न निर्यात में कमी आने के सम्बन्ध में था।

श्री एन० शिवप्पा : वह तो मूल प्रश्न था। मेरा अनुपूरक प्रश्न यह था कि मन्त्री महोदय विश्व बाजार में प्रचलित मूल्यों के बारे में बतायें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उत्तर दें।

श्री रंगा : वह उत्तर देने का प्रयत्न करें।

श्री पीलु मोडी : ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय को लकवा मार गया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या सरकार किन्ही देशों को माल का निर्यात कर रही है।

श्री ब० रा० भगत : मूल प्रश्न तिलहनों के बारे में है और अब माननीय सदस्य खल के बारे में पूछ रहे हैं यदि वह एक प्रश्न रखें तो मैं निश्चित रूप से उसका उत्तर दूंगा।

श्री एन० शिवप्पा : मैं आपकी सहायता चाहता हूँ, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : आपको केवल प्रश्न से सम्बद्ध बातें ही पूछनी चाहिये।

श्री रणधीरसिंह : माननीय मंत्री तो उत्तर देने के लिये तैयार होकर आये है परन्तु माननीय सदस्य स्वयं तैयार होकर नहीं आये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये। मैं ऐसी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री एन० शिवप्पा : यह प्रश्न बिल्कुल असंगत नहीं है। खल तिलहन का उपोत्पाद तो है।

अध्यक्ष महोदय : आप खल के बारे में पूछ रहे है, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। अगला प्रश्न।

श्री एन० शिवप्पा : मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पिछले तीन वर्षों में देश में उत्पादन कम हुआ था, परन्तु गत वर्ष भाग्य से वर्षा उचित समय पर हुई और उत्पादन में वृद्धि हुई। देश में तिलहनों का उत्पादन भी खूब हुआ। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि हमें ऊंचे दाम मिले..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने निर्यात के बारे में पूछा था तथा मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा हैं कि निर्यात में गिरावट नहीं आई।

श्री एन० शिवप्पा : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। जैसे सरकार चीनी के निर्यात के लिये राज सहायता दे रही है, क्या सरकार तिलहन के निर्यात के लिए भी राज सहायता देने के बारे में सोच रही है ? मेरा सीधा प्रश्न यही है।

श्री ब० रा० भगत : राज सहायता देने का कोई प्रश्न नहीं है। निर्धारित नीति के फलस्वरूप बहुत सी तिलहन वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। एच० पी० एस० को छोड़कर हाथ से चुनी जाने वाली मूंगफली तथा अरण्ड बीजों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। जब मैंने निवेदन किया है कि उनके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है तो उनके निर्यात के लिए राज सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री क० लकप्पा : उनका उत्तर पूर्णतः नकारात्मक है। भारत के दक्षिणी भाग में तिलहन बहुतायत में पैदा होती है। अधिकतर तथा भारी मात्रा में तिलहन वहीं उगाई जाती है। किन्तु हमारा निर्यात इसलिए गिर रहा है क्योंकि अन्य बहुत से देश प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं/ मैं जानना चाहता हूं कि तिलहन के निर्यात में भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले देश कौन कौन हैं तथा विश्व बाजार में भारत की स्थिति क्या है ?

श्री ब० रा० भगत : हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले अफ्रीकी देश हैं, जो हमारे उत्पादों के समान ही अपनी वस्तुएं पैदा करते हैं। हमारे साथ अन्य कृषि उत्पादक देश भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं किन्तु इस समय मेरे पास उन देशों की सूची नहीं है। हमारे खाद्य तथा कृषि मन्त्री महोदय ही इस बारे में स्पष्ट नीति निर्धारित करते हैं कि किन किन वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा। मैंने यह निवेदन किया है कि बहुत सी तिलहनों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। अधिकतर हाथ से चुनी जाने वाली मूंगफली का ही निर्यात किया जाता है क्योंकि उसमें तेल की मात्रा कम होती है तथा उससे देश की तेल की मांग की पूर्ति नहीं होती।

श्री क० लक्कप्पा : भारत के साथ कितने देश प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं ? क्या किसी देश से हमारे निर्यात को कोई खतरा है ?

श्री ब० रा० भगत : हमारे निर्यात को किसी भी देश से खतरा नहीं है।

Shri Sharda Nand : The hon. Minister has just now mentioned that the export of oil seeds has been banned. May I know whether any attempts have been made to check the export of oil to China through Nepal and to Pakistan ?

Shri B R. Bhagat : The measures of land customs and other necessary actions are taken to check it as far as possible,

पूर्वी जर्मनी को व्यक्तियों का गमन

633. **श्री पीलू मोडी** :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री रा० की० अमीन :
श्री मुहम्मद इमाम :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 सितम्बर, 1969 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बहुत से लोग पूर्व जर्मनी को जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस वर्ष जर्मन जनवादी गणराज्य में यात्रियों की जो संख्या बढ़ी है, उसका बहुत कुछ सम्बन्ध, जर्मन जनवादी गणराज्य की स्थापना की बीसवीं वर्षगांठ से है।

श्री पीलू मोड़ी : हर देश में प्रति वर्ष वर्षगांठ मनाई जाती है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने जर्मन प्रजातंत्रवादी गणराज्य की वर्षगांठ मनाने के लिए कोई विशेष अभिसन्धान किया है। क्या प्रत्येक देश की वर्षगांठ मनाने हेतु वहां शिष्ट मण्डल भेजने की सरकार ने कोई नीति बना रखी है ? अथवा क्या इस मामले में हम कोई भेद भाव कर रहे हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : इस मामले में हम कोई भेदभाव नहीं करते अनेक संसद सदस्यों के नाम वहां से निमन्त्रण आए हैं और उन्होंने वहां जाने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की और हमने उन्हें वहां जाने से रोका नहीं।

अध्यक्ष महोदय : वह सन्तुष्ट है।

श्री पीलु मोडी : उनके उत्तर से मैं पूर्ण सन्तुष्ट हूँ।

एक माननीय सदस्य : क्या श्री पीलू मोडी को निमन्त्रण मिला है ?

श्री रा० की० अमीन : उनके उत्तर से मैं सन्तुष्ट नहीं हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि उस देश की यात्रा करने के लिए हाल ही में जिन अनेक व्यक्तियों को निमन्त्रित किया गया था, क्या उनमें से जर्मन प्रजातन्त्रवादी गणराज्य ने शिक्षा मन्त्री को भी निमन्त्रण दिया था। क्या उन्होंने कुछ ऐसे विचार व्यक्त किये हैं, जो हमारी विदेश नीति के प्रतिकूल हैं ? मैं यह सब शिक्षा मन्त्री के बारे में कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसका उल्लेख करें। इसे जाने बिना वह उत्तर कैसे दे सकते हैं ?

श्री रा० की० अमीन : डा० वी० के० आर० वी० राव ने कुछ ऐसे विचार व्यक्त किये हैं जो हमारी विदेश नीति के प्रतिकूल बैठते हैं।

Utilisation of funds for development works on stray items

***634 Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 16 States have utilised the funds meant for development works on stray items as mentioned in the report submitted by the Programme Evaluation Organisation of the Planning Commission; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister (Shrimati Nandni Satpathy) : (a) It is presumed that the Hon'ble Member has in view the Report of the Programme Evaluation Organisation of the planning Commission on "Study of Development Staff at the District and Lower Levels" issued in November, 1968. The Report has brought out instances of under-utilisation of developmental funds in certain cases and has not disclosed any misapplication of funds.

(b) **Does not arise.**

Shri Onkar Lal Berwa : The hon. Minister has stated that any such report of misuse has not been brought to his notice. There are 16 States including Rajasthan in India. Funds were given to the people belonging to scheduled castes and scheduled tribes for constructing houses and tubewells. I went to know whether the entire amount has been spent for that very purpose, if not, where that money has gone ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : इस समिति की स्थापना किसी अन्य उद्देश्य के लिए की गई थी। उनका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थान समेत विभिन्न विकास विभागों आदि में वर्तमान कर्मचारियों की संख्या को आंकने का था। परन्तु जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है वह उस धन से सम्बन्धित है जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों पर खर्च हुआ है। इस बात को देखना तो राज्य सरकार का काम है और खर्च के राज्य सरकार ही उत्तरदायी है।

श्री सु० कु० तापड़िया : परन्तु अनुदान तो यहां से ही दिये जाते हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : The money is spent by the State Government. Central Government gives money to the State Governments for development and uplift of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Has the money meant for the Scheduled Castes/Scheduled Tribe employees, students and also the scholarships, been spent on the very purpose ? If not spent, where the money has gone ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मुख्य प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

Mr. Speaker : Your Question is not relevant. Her reply is correct.

चाय के निर्यात के बारे में भारत-श्रीलंका वार्ता

\+

*635. **श्री चेंगलराया नायडू** : **श्री दंडपाणि** :
श्री मयावन : **श्री जि० ब० सिंह** :
श्री रा० बरुआ :

क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय निर्यात में सुधार करने के मार्गोपायों पर विचार करने के लिए 13 नवम्बर, 1969 को एक प्रतिनिधिमंडल कोलम्बो गया था;

(ख) यदि हां, तो किन बातों पर विचार-विमर्श किया गया था;

(ग) अन्तिम निर्णय क्या-क्या किये गये; और

(घ) चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए दोनों सरकारों का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ) . एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां;

(ख) से (घ) . चर्चा मुख्यतया निम्न विषयों पर हुई।

(1) ब्रिटेन के 1969/70 के चाय अभियान का भविष्य;

(2) जापान में काली चाय के आयात पर प्रतिबन्ध; और

(3) जुलाई-अगस्त 1969 में मारिशस में हुई चाय उत्पादक देशों की बैठक में 1970 के लिए प्रस्तावित भारत-लंका साझा निर्यात कोटा तथा इस कोटे का इन दोनों देश के बीच वितरण।

ब्रिटेन के चाय संवर्धन अभियान के सम्बन्ध में विचार किया गया था कि इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय करने से पूर्व अब तक किए गए कार्य का मूल्यांकन एक स्वतन्त्र बाजार

सर्वेक्षण संघ के द्वारा कराया जाए। तदुपरान्त इस समस्त प्रश्न पर रोम में और आगे विचार करने के लिए निर्णय किया गया था।

जहां तक जापान में काली चाय के आयात का सम्बन्ध है; जापान की सरकार ने कोटा प्रणाली के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगा दिये हैं, जिसका स्थानीय उत्पादन तथा अनुमानित आवश्यकताओं को देखते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारण किया जाता है। जापान सरकार 1969 तथा 1970 के कोटे में 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि करने के लिए सहमत हो गई है। इस बात पर सहमति हुई थी कि कोटे में और अधिक वृद्धि करने के बारे में जापान सरकार से इस मामले में पैरवी करने के लिए विचार किया जायेगा।

जहा तक जुलाई–अगस्त, 1969 में मारिशस में हुई चाय उत्पादक देशों की बैठक का सम्बन्ध है, इस बारे में इस बात पर सहमति हुई थी कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय के मूल्यों को स्थिर रखने के उद्देश्य से 1970 में होने वाले अनुमानित चाय के निर्यात में से 9 लाख क्विंटल चाय रोक ली जाए। 1970 के भारत तथा लंका के सांझे निर्यात-कोटे के सम्बन्ध में उस बैठक में सहमति हुई थी। अन्ततोगत्वा कोलम्बो में 13–11–69 को हुई बैठक में 1970 के लिए दोनों देशों के बीच निर्यात कोटे के वितरण के बारे में चर्चा हुई थी, परन्तु अन्तिम निर्णय नहीं किया गया। फिर भी इस सम्बन्ध में अप्रेल, 1970 तक निर्णय करने की सहमति हुई थी।

मई तथा जून 1968 में भारत तथा लंका के बीच हुई बातचीत के पश्चात उद्देश्यों, कार्यों, कार्य क्षेत्र विशेष रूप से निर्धारित करने तथा चुनीन्दा बाजारों में मिश्रित तथा डिब्बे बन्द चाय के विपणन हेतु एक सांझा संघ के वित्तीय तथा प्रशासनिक विन्यास के लिए भारत तथा लंका में कार्यकारी दल बनाये गए। इन कार्यकारी दलों की 12–11–69 को कोलम्बो में हुई एक सांझी बैठक में अन्य बातों के साथ संघ के कार्य आरम्भ करने के क्षेत्रों तथा चाय के निर्यात व्यापार का संवर्धन करने का ढंग निर्धारण करने हेतु सर्वेक्षण करने की सिफारिश की है। दोनों सरकारों को इस सिफारिश पर अभी अपना निर्णय देना शेष है।

श्री चेंगलराया नायडू : मैं जानना चाहता हूँ कि जिन सदस्यों ने कोलम्बो सम्मेलन में भाग लिया था क्या उन्होंने निजीरूप से यह मत व्यक्त किया था कि इस सम्बन्ध में भारत और लंका के बीच किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा; और यदि हां, तो इस प्रकार के सम्मेलनों में यदाकदा भाग लेने का क्या लाभ है ?

वैदेशिक–कार्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : ऐसी किसी निजी समझौते की मुझे कोई जानकारी नहीं है, परन्तु इस तथ्य में कोई सचाई नहीं कि लंका के साथ हमारा कोई समझौता नहीं हुआ। हमारा तो सब बातों पर समझौता हुआ है।

श्री पीलू मोदी : कुछ कहने से पूर्व उन्हें अपने सहयोगी श्री दिनेश सिंह से परामर्श कर लेना चाहिए।

श्री चेंगलराया नायडू : भारत से निर्यात की गई चाय के मूल्य में 27½ प्रतिशत की गिरावट आगई है। अफ्रीका को बहुतायत में निर्यात किये जाने वाली दक्षिण भारत की चाय

का निर्यात भी कम हो गया है। इस स्थिति को देखते हुए क्या सरकार दक्षिण भारत से अफ्रीका को निर्यात होने वाली चाय पर लगने वाले कर में रियायत करेगी; और क्या सरकार कम से कम इस समय कर की वसूली को समाप्त करने पर विचार करेगी तथा प्रतियोगिता के आधार पर अधिकतर चाय का निर्यात करने का प्रयास करेगी जिससे हमारे चाय-उद्योग को हानि न उठानी पड़े ?

श्री ब० रा० भगत : वस्तुस्थिति यह है कि उन नये देशों समेत, जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, सब देशों से विश्व बाजार में चाय का संग्राम हो रहा है जिसके फलस्वरूप निर्यातित चाय के मूल्य गिर गये हैं। यह बात सच है कि बाह्य प्रतियोगिता, चाय की किस्म तथा गुण के कारण दक्षिण भारत की चाय को अधिक हानि पहुँची है। इस मामले की ओर हमारा ध्यान है और हम देखेंगे कि स्थिति पर हम किस प्रकार काबू कर सकते हैं।

श्री रा० बरुआ : रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन के अनुसार चाय से मिलने वाला लाभ बहुत कम है। दूसरी ओर गत कुछ महीनों में भारत से होने वाले चाय के निर्यात में एक दम कमी आगई है। यदि यह सिलसिला चलता रहा तो भय है कि चाय उद्योग को गम्भीर हानि उठानी पड़ेगी, विशेषकर मेरे राज्य में, जहां की समस्त अर्थ व्यवस्था न्यूनाधिक रूप में चाय उद्योग से सम्बद्ध है। इस गम्भीर स्थिति को देखते हुए क्या सरकार ने कर घटाकर निर्यात को लाभ प्रद बनाने अथवा श्रम आदि की सुविधा के लिए किसी प्रकार अनुपूर्ति करने सम्बन्धी कुछ साधक उपाय किए है ?

श्री ब० रा० भगत : चाय को अधिकतर प्रतियोगी तथा उच्चतर लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से गत बजट में ही कुछ राहत दी गई थी जिससे कि चाय का अधिकतर निर्यात किया जा सके।

यह भली प्रकार मालूम है कि हमारे चाय बागान बहुत पराने हैं और उनमें से कुछ तो पचास वर्ष अथवा उससे भी अधिक पुराने हैं। सरकारी सहायता से नये बागान लगाने की योजना आरम्भ की गई है और यह संतोष का विषय है कि हमारे चाय बागान उससे लाभ उठा रहे हैं और इससे यथासमय लम्बी अवधि के लिये लाभ होना पुनः प्रारम्भ हो जाएगा।

इस अंतर्राष्ट्रीय आधार पर सब सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं ताकि विश्व बाजार में चाय का सम्भरण विनियमत हो सके, जिसके फलस्वरूप निर्यात की जाने वाली चाय का इकाई मूल्य बढ़ सके। यह बात संतोष प्रद है कि देश के बाजारों में, कलकत्ता तथा अन्य स्थानों के बाजारों में सुधार आया है और प्रति इकाई अधिक उपलब्धि होने लगी है। इन, तथा ऐसे ही और उपायों से चाय उद्योग में प्रतियोगिता तथा लाभ बढ़ सकेगा।

श्री लोबो प्रभु : यह स्मरण रखना चाहिए कि चाय के निर्यात के बारे में हमारे और श्रीलंका के हित परस्पर विरोधी हैं। पिछली बैठक में दो बातें उठाई गई थीं। पहली एक संयुक्त कार्यक्रम के बारे में और दूसरी इंगलैंड के कोटे के सम्बन्ध में। इंगलैंड को कोटे के निर्धारण के बारे में विभिन्न तरीकों को देखते हुए क्या सरकार कम से कम पांच वर्ष के मध्ययान कोटों को आंकेगी, क्योंकि अभी हाल ही में लंका ने अपना कोटा हमारे कोटे से बढ़ाया है। यदि हम

अधिक वर्षों को आंकने का आधार नहीं बनाते तो हम अपने देश को हानि पहुँचाते हैं। इसलिए मैं आश्वासन चाहूँगा कि सरकार इंगलैंड के कोटों के बारे में पिछले वर्ष के आंकड़ों को आधार नहीं मानेगी।

श्री ब० रा० भगत : इससे पहले की अवधि में लंका और भारत ही चाय के मुख्य निर्माता और निर्यात देश थें····

श्री लोबो प्रभु : हम मुख्य निर्यातक थे।

श्री ब० रा० भगत : और चाय के लिए पर्याप्त मांग थी और उस समय भारत नेपाल में ऐसी प्रतिस्पर्धा के अवसर हो सकते थे। परन्तु आज बदली हुई स्थिति में जब तक उत्पादक देश, विशेषत: भारत और लंका जो 67 प्रतिशत चाय का निर्यात करते हैं और यहां 53% चाय का उत्पादन होता है, परस्पर सहयोग नहीं करते तब तक मामला खराब रहेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि लंका और भारत के कोटे निर्धारित करते समय राष्ट्रीय हितों को पूरी तरह ध्यान में रखा जायगा और माननीय सदस्य द्वारा मिले गये सुझावों एवं अपनी क्षमताओं का ध्यान रखा जायेगा।

श्री रंगा : मंत्री महोदय ने विशिष्ट प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है।

श्री ब० रा० भगत : मैंने स्पष्ट उत्तर दे दिया है।

श्री रंगा : सदस्य द्वारा सुझाई गई अवधि के बारे में मंत्री महोदय का क्या उत्तर है।

श्री ब० रा० भगत : पिछले पांच वर्षों में किया गया निर्यात, विचारणीय बातों में एक बात है। इस बारे में विचार करने की और भी बातें हैं; यथा, हमारी निर्यात की क्षमता। हम पूरी तरह राष्ट्रीय हित का ध्यान रखेंगे।

श्री रंगा : क्या इस पर भी विचार किया जायेगा ?

श्री ब० रा० भगत : इससे स्पष्ट उत्तर मैं क्या दे सकता हूँ ?

श्री रणजीत सिंह : वे स्पष्ट उत्तर देकर स्थापित परम्परा को कैसे तोड़ सकते हैं ?

Shri P. C. Verma : Most of the tea produced in Kangra district in Himachal pradesh was formerly used to be exported to Kabul but that export has declined to a great extent due to the non-availability of road link. I want to know whether in the talks with Ceylon in regard to export of tea·····

Mr. Speaker : Do you want to know whether Himachal Pradesh was mentioned in the talks with Ceylon.

Shri P. C. Verma : I would like to know whether the Government has investigated as to which places the tea produced in Kangra can be marketed.

Shri B. R. Bhagat : The position in regard to the tea produced in Kangra was not discussed with Ceylon but we are trying to increase the export of green tea of Kangra.

श्री ए० श्रीधरण : एक पूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि दक्षिण भारत की चाय का गुणस्तर घट गया है····

श्री ब० रा० भगत : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री ए० श्रीधरण : उन्होंने कहा था कि यह "फेवरेबली कम्पेयर" नहीं की जा सकती।

श्री ब० रा० भगत : मैंने कहा था कि मूल्यों में कमी हुई है।

श्री ए० श्रीधरण : मैं उन्हें सन्देह का लाभ दूंगा। उन्होंने कहा था कि यह विदेशी चाय की तुलना में नहीं ठहरती। क्या मैं ठीक कह रहा हूं ?

श्री ब० रा० भगत : मैंने यह कहा था कि यह सच है कि दक्षिण भारत की चाय के मूल्यों में उत्तर भारत की चाय के मूल्यों की तुलना में अधिक गिरावट आई है।

श्री ए० श्रीधरण : उन्होंने कहा था कि गुण और परिणाम दोनों दृष्टियों से इसमें गिरावट आई है।

श्री ब० रा० भगत : मैंने कहा था कि इसके गुण प्रकम प्रतिस्पर्धा के योग्य नहीं और कई और भी बातें हैं।

श्री ए० श्रीधरण : इसके दो कारण हैं। एक तो निजी गैरसरकारी व्यक्तियों द्वारा जहां के चाय बागान का प्रबन्ध किया जाता है और दूसरे वे लोग चाय की प्रक्रिया में आधुनिकीकरण नहीं ला पाए। इन बातों को देखते हुए और समाजवाद की हाल की घोषणा के अनुसार क्या सरकार बागों का, जिसमें चाय बागान भी सम्मिलित हैं, राष्ट्रीयकरण करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : श्री वेणी शंकर शर्मा।

श्री ए० श्रीधरण : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से संगत प्रश्न नहीं है।

श्री ए० श्रीधरण : यह प्रश्न पूरी तरह संगत है।

श्री क० लकप्पा : यह पूरी तरह संगत प्रश्न है।

श्री लोबो प्रभु : क्या वे रूस से धन प्राप्त करेंगे।

श्री ए० श्रीधरण : उन्हें इससे बचना चाहिये।

मुझे अपने प्रश्न के उत्तर लेने में सरकार की कठिनाई मालूम है। मुझे समाजवाद के बारे में उनकी कठिनाई भी मालूम है।

श्री नी० श्रीकान्तन : इसमें विदेशी हित बन्धे हुए हैं।

Shri Beni Shanker Sharma : The tea industry in this country could not become self reliant even after 22 years of self rule, it depends even on small countries like Ceylon. I do not object to an agreement being reached with Ceylon. Our tea export for the first half of 1969 has considerably declined in comparison to the exports of first half of 1968. I pointed out during the discussions on Budget that the reduction made in the export duty is not sufficient and there is no likelihood of inerease of tea export due to that reduction. Taking in view the present position of tea export, does the hon. Minister not observe that the reduction made in export duty was insufficient and as such he would consider to remove it completely.

Tea industry cannot stand on its own lags unless the excise duty is refunded. In view thereof, would the hon. Minister consider refund of excise duty.

Shri B. R. Bhagat : The points raised by the hon. Member concern the Budget and as such nothing can be stated in regard to it at the present moment.

श्री हेम बरुआ : इस तथ्य को देखते हुए कि भारतीय चाय विश्व बाजारों में लंका के साथ प्रतिस्पर्धा में पीछे रह गई है और विशेषत: इस बात को देखते हुए कि आसाम के ग्रामीण बाजार चाय पर ही निर्भर हैं; मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या लंका की मुद्रा के पुनर्मूल्यन के कारण हमारे चाय के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा है। क्या इस विशेष तथ्य पर लंका से बातचीत की गई थी और यदि हां तो लंका सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है।

श्री ब० रा० भगत : जब तक मुझे वहां की मुद्रा के पुर्नमूल्यन के बारे में विशेष रूप में प्रश्न नहीं मिलता, तब तक इसका उत्तर देना मेरे लिये कठिन है। पृथक प्रश्न की सूचना मिलने पर मैं इसका उत्तर दे दूंगा।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न मुख्य प्रश्न से ही सम्बन्धित है। क्या इसकी चर्चा नहीं की गई थी ?

श्री ब० रा० भगत : श्री लंका की मुद्रा के पुनर्मूल्यन का किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है यह एक तकनीकी और मुख्यत: वित्तीय प्रश्न है। उसका अध्ययन किए बिना मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

श्री हेम बरुआ : यदि उनको श्री लंका की मुद्रा के पुनर्मूल्यन से उत्पन्न प्रभावों की जानकारी नहीं थी तो उन्होंने श्रीलंका के साथ किस मामले पर बातचीत की थी ?

अध्यक्ष महोदय : वे इस समय इसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं।

श्रीमती इलापाल चौधरी : जो विवरण हमें दिया गया है उससे पता चलता है कि चाय के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिये हमने 9 करोड़ किलो चाय को निर्यात बाजार से रोक रखा है। इस स्थिति में हमें अपने निर्यात में विवदता लानी होगी। जापान ने 10000 टन हरी चाय की मांग की है। उसके बारे में क्या किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि प्रश्न कुछ पहले पूछा गया है ।

श्री ब० रा० भगत : यह एक समाचार पत्र की रिपोर्ट थी जिसकी पुष्टि नहीं हुई । मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि जापान ने काली चाय का अगले वर्ष का अपना कोटा 5 प्रतिशत बढ़ा दिया है ।

श्रीमती इलापाल चौधरी : उन्होंने काली चाय के आयात पर रोक लगाई है ।

श्री के० रमानी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकारी प्रतिनिधि मंडल किस उद्देश्य से श्रीलंका गया ? क्या उनका विचार बाजारों के प्रभाव क्षेत्र को लंका और भारत में बांटने का था अथवा उनका विचार कोटा प्रणाली अथवा नियंत्रण पद्धति प्रारम्भ करने का था ?

श्री ब० रा० भगत : बाजारों और क्षेत्रों के बंटवारे का कोई प्रश्न नहीं है । हम उसी बाजार में इसका निर्यात कर रहे है । हम सभी बाजारों में चाय की मांग को विकसित करने के लिए समन्वित प्रयत्न कर रहे हैं । विश्व बाजारों में निर्यात के स्तर को पूर्णतः विनियमित करने के लिए सामान्य व्यवस्था की गई है अन्यथा और कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है ।

श्री के० एन० अब्राहम : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी शिकायत मिली है कि चाय के निर्यातकों द्वारा बीजकों में घटा कर राशि दिखायी गयी है जिससे हमें विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है ?

श्री ब० रा० भगत : उस बारे में हमें कोई शिकायत नहीं मिली है ।

ओखा पत्तन का एक नौसैनिक अड्डे के रूप में विकास

*636. **श्री बलराज मधोक** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी घाट पर ओखा पत्तन का एक नौसैनिक अड्डे के रूप में विकास करने के बारे में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की क्रियान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी नहीं, फिलहाल कोई अन्य विमानवाहक अधिग्रहीत करने के लिए कोई योजनाएं नहीं हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोई माननीय सदस्य : प्रतिरक्षा मन्त्री कहां हैं ?

श्री मं० रं० कृष्ण : माननीय सदस्य अपने प्रश्न पूछें और यदि वे मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे तो प्रधान मन्त्री इनके उत्तर देंगी ।

श्री बलराज मधोक : प्रधान मन्त्री प्रश्न का आरम्भ से ही उत्तर दें । कुछ दिन हुए हमने भारत तथा मारिशॅस के प्रधान मन्त्रियों द्वारा जारी की गयी संयुक्त विज्ञप्ति के संबंध

में समाचार पत्रों में पढ़ा था। इसके अन्तर्गत उन्होंने हिन्द महासागर में पैदा होने वाली रिक्तता के बारे में चर्चा की थी और यह इच्छा प्रकट की थी इस महासागर को परमाणु अस्त्रों से मुक्त रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय : इस बात का इस प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ?

श्री बलराज मधोक : हम यह बात पहले ही कह रहे थे। किन्तु सरकार ने सदा ही इसे मानने से इन्कार किया है। अन्त में उन्हें स्वीकार करना ही पड़ा है कि हिन्द महासागर में शक्ति की रिक्तता पैदा हो गयी है और बहुत सी शक्तियां, विशेषकर चीन और पाकिस्तान इससे लाभ उठाकर कुछ उपद्रव करने का प्रयत्न कर रही हैं। ओखा बन्दरगाह करांची से बहुत ही समीप है। यह प्राकृतिक बन्दरगाह है। सरकार ने कहा है कि इसे नौसैनिक अड्डे के रूप में विकसित करने का उनका कोई विचार नहीं हैं। जबकि वह यह स्वीकार करती है कि यहां नौसेना की सुविधाओं को विकसित किया जा सकता है। इस बात को देखते हुए भी कि हिन्द महासागर की स्थिति में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, सरकार द्वारा इस स्थान को विकसित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मं० रं कृष्ण : किसी अड्डे का विकास करना कई बातों पर निर्भर करता है। सर्वप्रथम माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहता हूं कि अपने नौसेना के बेड़े के लिये सुविधाएं प्रदान करने के लिये हम बहुत उत्सुक हैं। जहां कहीं भी सम्भव है, हम ऐसा कर रहे हैं किन्तु सभी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये कुछ समय लगेगा। यदि माननीय सदस्य का विचार है कि हम केवल ओखा बन्दरगाह से ही सफलतापूर्वक कोई कार्यवाही कर सकते हैं तो यह ठीक नही है; कई और भी उपयुक्त स्थान हैं। उनके साथ-साथ हम इस बन्दरगाह का भी विकास करेंगे।

हम अपनी नौसेना को अत्यन्त प्रभावी पोतों से सुसज्जित कर रहे हैं, अतः यह आवश्यक नहीं है कि पाकिस्तान के निकट ही सभी सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाये। प्रतिरक्षा मन्त्रालय नौसेना की सभी आवश्यकताओं से परिचित है और माननीय सदस्यों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस विषय में वह आश्वस्त रहें। हम स्थिति के प्रति जागरूक हैं और विकास के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री बलराज मधोक : क्या यह सच है कि जापान की सरकार ने भारत में बन्दरगाहों के लिये सहायता देने का प्रस्ताव किया है जिससे नौसैनिक अड्डों के रूप में इनका प्रयोग किया जा सके और मछलियां पकड़ने में भी सहायता मिल सके। यदि हां, तो क्या सरकार ओखा बन्दरगाह के विकास के इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी ? यह एक प्राकृतिक बन्दरगाह है; विकसित होने पर न केवल सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये इसका प्रयोग हो सकेगा बल्कि पश्चिमी घाट पर माल की निकासी के लिये भी यह एक समुद्र द्वार का काम करेगी।

श्री मं० रं० कृष्ण : सम्भवतः परिवहन मन्त्री इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। प्रतिरक्षा मन्त्रालय का जहां तक सम्बन्ध है, मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि अपने ही साधनों से हम ऐसा नहीं कर सकते। इस विषय में हम किसी अन्य देश की सहायता लेंगे।

श्री म० ला० सोंधी : पश्चिमी तट पर 1965 में हमें जो अनुभव हुआ उसे देखते हुए क्या मन्त्री महोदय सदन में यह कहने के लिये तैयार हैं कि विमान वाहक पोत खरीदने की नीति गलत थी ? इसे न खरीदने से बहुत सा धन बच जाता जिसका ओखा को नौसैनिक अड्डे के रूप में विकसित करने के लिये प्रयोग किया जा सकता था ?

श्री मं० रं० कृष्ण : हमें विमान-वाहक पोत का मूल्य काफी अधिक लग सकता है किन्तु शत्रु की तैयारियों को देखते हुए किसी भी पोत को अनावश्यक नहीं कहा जा सकता।

श्री म० ला० सोंधी : मेरा प्रश्न यह नहीं था।

श्री समर गुह : क्या भारत के किसी शत्रु की घोषणा की गयी है ?

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय को स्वयं जानना चाहिये।

श्री समर गुह : उन्हें सम्भावित शत्रु कहना चाहिये था।

श्री मं० रं० कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने माननीय मन्त्री के विचार जानने के लिये प्रश्न किया है। मैं इस के लिए अनुमति नहीं देता। श्रीमती शारदा मुकर्जी आप बोलिये।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : जब ओखा में वायु सेना और स्थल सेना के उद्योग-समूह हैं तो क्या मन्त्री महोदय ने विचार किया है कि एक प्रभावकारी तथा सम्पूर्ण सुरक्षा प्रबन्ध के लिये वहां एक नौसेना का उद्योग-समूह भी होना चाहिये ? यदि हां, तो मन्त्रालय द्वारा अभी तक इस पर केवल विचार ही क्यों किया जा रहा है जबकि पाकिस्तान की ओर से सदैव ही खतरा बना हुआ है ?

श्री मं० रं० कृष्ण : सदस्य महोदय, सुरक्षा सम्बन्धी मामलों में विशेषज्ञ दिखाई देती हैं। उनका कहना है कि हमारा वहां कोई स्कूल है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : स्कूल नहीं, वहा हमारी थल तथा वायु सेना के उद्योग-समूह हैं।

श्री मं० रं० कृष्ण : सेना के तीनों ही अंगों का वहा समन्वित रूप है। हमारा एक स्कूल है जहां इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। हम इस बात के प्रति जागरूक है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : यह प्रतिरक्षा उद्योग समूह है, स्कूल नहीं। सरकार ने वहां नौसेना केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में निर्णय क्यों नहीं किया ?

श्री मं० रं० कृष्ण : यह समन्वय परिपूर्ण है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : वहां वायु सेना केन्द्र तथा स्थल सेना-केन्द्र की स्थापना की गयी है, किन्तु नौसेना केन्द्र की स्थापना क्यों नहीं की गयी ?

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न नहीं कर रही हैं बल्कि सुझाव दे रही हैं।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : यह सुझाव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

Development of Jammu and Kashmir

***Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1416 on the 30th April, 1969 and state :

(a) whether it is a fact that Government gave a sum of Rs. 21.70 crores to Jammu and Kashmir State in 1968-69;

(b) whether it is also a fact that the Jammu and Kashmir Government spends the major portion of this assistance on Srinagar, as a result of which there is great resentment among the people of Jammu; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister (Shrimati Nandini Satapathy) : (a) Yes, sir for the State's Annual Plan 1968-69.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Shri Ram Gopal Shalwale : The amount is given to Jammu & Kashmir State for both the regions but the objection has been raised time and again in this House that this amount is spent exclusively on Kashmir and not on Jammu. I want to know whether Central Government have asked for any clarification from the State Government ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : माननीय सदस्य यह समझते हैं कि जम्मू की अपेक्षा कश्मीर में अत्यधिक राशि खर्च की गई है, यह बात ठीक नहीं है। गजेन्द्रगडकर आयोग ने, जिसकी नियुक्ति जम्मू तथा कश्मीर राज्य सरकार द्वारा की गई थी, अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि:

"इसलिये यह शिकायत ठीक नहीं है कि किसी क्षेत्र के साथ जानबूझ कर भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। मैंने उस प्रतिवेदन का एक वाक्य यह बताने के लिये उद्धृत किया है कि यह सच नहीं है कि कश्मीर घाटी में अधिक धन खर्च किया जाता है।

Shri Ram Gopal Shalwale : Many complaints have been sent to the Prime Minister and it had also written a letter to her in this respect and on that basis Kohli Commission was appointed to look into the communal policy adopted by Sadiq Government in Kashmir. I want to know whether the report of above mentioned commission has been received or not ? I have given my evidence before that Commission. I want to know as to why the Report is being suppressed ?

Mr. Speaker : How it is related to this question ?

Shri Ram Gopal Shalwale : Kohli Commission was appointed on the basis of this question.

Mr. Speaker : The Report of Gajendragadkar...

Shri Ram Gopal Shalwale : I want to know as to why the Report of Kohli Commission is being suppressed ?

अध्यक्ष महोदय : इसका मूल प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । वह अलग प्रश्न पूछ सकते हैं ।

Shri Ram Gopal Shalwale : When she is ready to reply why are you preventing her ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Ram Gopal Shalwale : My question is based on the fact that the entire work is being carried on communal lines in Kashmir. The Prime Minister should clarify it.

श्री बलराज मधोक : यह प्रश्न जम्मू तथा कश्मीर के दो क्षेत्रों के बीच भेदभाव किये जाने के बारे में है । यहां भी भेदभाव किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : इस आरोप को गलत सिद्ध करने के लिए गजेन्द्रगडकर आयोग का प्रतिवेदन उद्धृत किया गया है ।

Shri Ram Gopal Shalwale : My question is related to Kohli Commission. This House has a right to get information. Why are you depriving us ? Either you give your ruling or let the Prime Minister reply.

Mr. Speaker : Please sit down. It has no relevance with the original question. You had written certain letter about a commission and now you want to ask a question about it.

Shri Ram Gopal Shalwale : The commission was appointed for this purpose and they have submitted the Report. I therefore say that Report is being suppressed. The Prime Minister should clarify it.

Mr. Speaker : Yoy should not defy when I have told that it does not arise.

श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा : गजेन्द्र गड़कर आयोग की एक मुख्य सिफारिश प्रादेशिक तथा राज्य विकास बोर्ड स्थापित करने के बारे में थी । क्या राज्य सरकार ने इसे स्वीकार किया है तथा इसे क्रियान्वित किया है ।

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : गजेन्द्र गडकर आयोग ने प्रादेशिक विकास बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की थी और जम्मू, कश्मीर तथा लद्दाख के लिए एक एक प्रादेशिक बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया गया है ।

Shri Prakash Vir Shastri : The Central Government had given an assistance of Rs. 72 crores to the State of Jammu and Kashmir upto 1964 and more than, Rs. 150

crores from 1964 to 1968. I want to know the special circumstances on account of which more than Rs. 150 crores have been given to them during the last four years and Rs. 72 crores during the last sixteen years ? Whether the development of roads or industry or any other things has been taken place in the same proportion; if not, then what was standing in their way and how this amount was utilised ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : वर्ष 1956–57 से लेकर वर्ष 1965–66 तक जम्मू तथा कश्मीर में योजना तथा गैर–योजना के कार्यों पर निम्नलिखित खर्च किया गया। वर्ष 1956–57 से 1960–61 तक जम्मू प्रदेश में 16.30 करोड़ रुपये और कश्मीर प्रदेश में 16.26 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

Shri Prakash Vir Shastri : My question was that a sum of Rs. 72 crores have been given by the Centre to the State of Jammu and Kashmir during the last sixteen years but during the period of four years from 1964 to 1968 more than Rs. 150 crores have been given. I want to know the reason for this extraordinary increase and whether the development has taken place in proportionate to the amount of assistance given to them ? and if so, the details thereof ?

Shrimati Indira Gandhi : The details are not available but on the hon'ble Member is aware, there was scarcity of rice in that State and therefore more assistance was to be given and development has been done in certain other spheres also. We can collect the detailed information if it is required.

Shri Maharaj Singh Bharati : In view of the fact that nothing has been spent on Laddakh during the last three Plan and since a Regional Development Council has been set up, whether Government would make special allocation for the development of Laddakh ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : वर्ष 1968–69 में लद्दाख में 11.83 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय किया गया है।

Shri Maharaj Singh Bharati : I wanted to know whether any special amount would be spent for the development of Ladakh as nothing has been spent there during the last three plans. The sum of Rs. 11 crores is only their share. I want to know as to what has been done to make up the deficiency ?

Shrimati Nandini Satpathy : Yes, Sir. Action is being taken for the development of Ladhkh keeping in view the above noted fact. We are also taking action on the some of the suggestions given in the Report submitted by Gajendragadkar Commission.

Shri Sheo Narain : I want to know the details of the development work. It may be given to-day or some time later.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : कैसा विकास ?

Shri Sheo Narain : I have asked about development.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में आश्वासन नहीं दिये जाते। यह समय जानकारी प्राप्त करने के लिये है।

Production in Ordnance Factories in West Bangal

*639. **Shri Ranjeet Singh :**
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that since March, 1968, the production schedule of the Ordnance Factories situated in West Bengal has been lagging behind; and

(b) if so, whether it has adversely affected the supply position in the services ?

The Minister of State in the Mlnistrry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) No, Sir. The production schedule of the Ordnance Factories situated in West Bengal has, by and large, been maintained.

(b) No, Sir.

श्री रणजीत सिंह : 'बाई एण्ड लार्ज' (प्रायः) शब्द का क्या अभिप्राय है । क्या इसका अर्थ यह है कि हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सके, परन्तु हम उस लक्ष्य के निकट पहुँच सके हैं। भाषा के साधारण प्रयोग में इस शब्द का अभिप्राय लक्ष्य से कम है ।

श्री ल० ना०मिश्र : माननीय सदस्य द्वारा इस शब्द का अभिप्राय न समझे जाने के कारण मैं स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं । कुछ मामलों में हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, कुछ मामलों में हम लक्ष्य से भी आगे बढ़ गये हैं और कुछ मामलों में हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके हैं परन्तु गत दो वर्षों में पश्चिमी बंगाल के सभी आयुद्ध कारखानों में अत्यावश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में हमने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है ।

श्री रणजीत सिंह : किन किन वस्तुओं के सम्बन्ध में लक्ष्य से उत्पादन कम रहा है ?

श्री ल० ना० मिश्र : जिन वस्तुओं के उत्पादन में कमी रही है, मैं उनका ब्योरा लोक-हित में नहीं बता सकता ।

श्री एस० कन्डप्पन : वस्तु का नाम बताने में लोकहित की क्या बात है ?

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह बात लोक हित में नहीं बताई जा सकती । अतः मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री रणजीत सिंह : इस प्रकार कह कर वह कई बातें छिपा सकते हैं । क्या गत तिमाही से पश्चिमी बंगाल में निदेशकों से निरन्तर ऐसे समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि मजदूरों की गड़-बड़ के कारण वे प्रायः लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो वही बात है ।

श्री रणजीत सिंह : कृपया प्रतिरक्षा मन्त्री का समर्थन न कीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : लोकहित को ध्यान में रखते हुए वह उत्तर नहीं देना चाहते। आप फिर दूसरे ढंग से वही बात पूछ रहे हैं।

श्री ल० ना० मिश्र : कुछ कारखानों में विशेषकर गन एण्ड शैल फैक्टरी, कोसीपुर में कुछ समय से श्रमिक स्थिति ठीक नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, परन्तु दूसरे कारखानों में उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार हुआ है और औद्योगिक सम्बन्ध सन्तोषजनक रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : पश्चिम बंगाल में तीन आयुध कारखाने हैं। दि राइफल फैक्टरी, ईशापुर, दि मैटल एण्ड स्टील फैक्टरी, ईशापुर तथा गन एण्ड शैल फैक्टरी, कोसीपुर हाल ही में मन्त्री महोदय को सूचित किया गया है कि इन कारखानों में अथवा इनमें से कुछ कारखानों में काम अपर्याप्त है और शिकायत यह है कि कुछ कार्य गैर सरकारी क्षेत्र को दे दिया गया है। अतः मै यह जानना चाहता हूँ कि और मैं मन्त्री महोदय से आश्वासन भी चाहता हूँ कि आयुध कारखानों का कार्य गैर सरकारी क्षेत्र को दिये जाने के कारण इन कारखानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा। मैं श्री रणजीत सिंह को बताना चाहता हूं कि वहां औद्योगिक रूप से पूर्ण शान्ति है और वहां किसी प्रकार की औद्योगिक अशान्ति नहीं है। हम कारखानों के संघों का प्रबन्ध अच्छी प्रकार से चला रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री रणजीत सिंह : जब तक साम्यवादी दल तथा साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल का परस्पर संघर्ष जारी रहेगा तब तक हम यही समझेंगे कि वहां पर औद्योगिक शान्ति है।

श्री ल० ना० मिश्र : पश्चिम बंगाल में स्थित आयुध कारखानों के काम को गैर-सरकारी क्षेत्र को नहीं दिया गया है। यह कहना गलत है कि सरकारी क्षेत्र को क्रयादेश न देकर गैर-सरकारी क्षेत्र को कुछ क्रयादेश दिये गये हैं। हमारी नीति कभी भी ऐसी नहीं रही है और मेरी अनुमति से इस प्रकार का क्रयादेश नहीं दिया जा सकता, सरकारी क्षेत्र को छोड़कर गैर सरकारी क्षेत्र को कोई क्रयादेश नहीं दिया जा सकता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Monopoly in Trade and Industry

*601 **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Iudustrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) the details of action taken by Government to abolish monopoly in trade and industry during the last four months;

(b) whether it is a fact that monopolist trend has increased in the country during the last fifteen years;

(c) if so, the extent to which Government policies and their implementation have been responsible for this; and

(d) the details of the schemes formulated by Government for setting up industries in villages ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Attention is invited to the Monopolies and Restrictive Trade Practices Bill now pendidg before this House.

(b) and (c) . Attention is invited to the Report of the Monopolies Inquiry Commission.

(d) The schemes formulated by Government for setting up industries in villages are, broadly speeking, of two kinds:-

(i) Village industries for which assistance is given by the Khadi Commission; and

(ii) Rural Industries Projects Programme.

Under (i), the Khadi Commission gives assistance for the development of Khadi and various village industries, including village oil, hand pounding of rice, village leather, bee-keeping, gur and Khandsari, palm gur, pottery, village carpentary and black smithy, cottage match, handmade paper, non-edible oils and soap, etc.

As regards (ii), steps are being taken to encourage the growth of village and small industries by providing small entrepreneurs and artisans with financial aid, such as credit facilities, improved equipment, organisation of training facilities, marketing assistance, common facilities, etc. in villages coming under Rural Industries Project areas.

औद्योगिक नीति संकल्प में परिवर्तन

*602. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक नीति संकल्प में परिवर्तन करने का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने इस बारे में लगभग दो महीने पहले सकेत दिया था; और

(ग) यदि हां; तो इन परिवर्तनों को औपचारिक रूप से लागू किया जायेगा तथा इनका स्वरूप क्या है ?

औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ग) वर्तमान औद्योगिक नीति सरकार ने अपने औद्योगिक नीति संकल्प 1956 द्वारा प्रारम्भ की थी । विभिन्न क्षेत्रों में आगे हुए विकास को दृष्टि में रखते हुए विशेषत: सरकारी क्षेत्र के भविष्य, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण के उपयोग, आर्थिक शक्ति के एकीकरण की रोकथाम की दृष्टि से उद्योगों के विनियमन, विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों का बिखराव तथा त्वरित औद्योगिक विकास के संदर्भ में लघु उद्योगों के विकास की नीति के बारे में नीति का निर्धारण किया जा रहा है । औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में औद्यो-

गिक अनुज्ञापन नीति जांच समिति प्रशासनिक सुधार आयोग तथा योजना आयोग ने भी कई सिफारिशें की हैं। ये सभी मामले आजकल विचाराधीन है।

(ख) यह कहा गया था कि औद्योगिक अनुज्ञापन नीति जांच समिति की सिफारिशें 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में शायद कुछ परिवर्तन करें।

Incidence of Chain-Pulling in Banda-Lucknow Express (Central Railway)

***603. Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the causes of the increasing number of the incidents of chain-pulling in the Banda-Lucknow Express on the Central Railway resulting in the late running of this train;

(b) the reasons why the Government Railway Police do not take any action against the persons who pull the chain and stop the train at odd hours in the jungle; and

(c) whether Government would take steps to remove this complaint ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Students returning from Schools and Colleges at Hamirpur and Ghatampur by 109 Dn. Banda-Lucknow Express mostly pull the alarm chain near Shambhua, Kathara Road, Sirhi-Itara and Bhimsen stations where this train is not scheduled to stop. The number of incidents has, however, shown a declining trend in recent months.

(b) Due to difficulty in indentifying the persons pulling the alarm chain and unhelpful attitude of co-passengers, it has not been possible to apprehend and prosecute the offenders.

(c) All possible efforts are being made.

Broad Gauge line from Barauni to Dibrugarh

***604. Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Ranjeet Singh :**

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government propose to replace the metre guage line from Barauni to Dibrugarh by the broad guage line to help facilitate the free movement of the Army and large number of tanks in the hour of need keeping in view the possibilities of attacks by China and Pakistan on the border of Assam;

(b) if so, the time by which it is likely to be done; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) to (c) . Engineering and Traffic Surveys have been sanctioned for considering the conversion of the Barauni-Katihar and Bongaigaon Gauhati heavy density metre guage sections. A broad guage link already exists between Katihar and Bongaigaon, in addition to a metre guage line. The surveys for the Barauni-Katihar section will be completed by about June, 1970. whereas for the Bongaigaon-Gauhati section the surveys have been completed and the reports and estimates are under finalisation. The

actual conversion of these sections is dependent upon the results of the surveys, the priority these works will merit among similar other proposals and the availability of funds. The Defence Department have not asked for these conversions to be taken up on strategic considerations. Conversion of the metre guage section beyond Gauhati to Dibrugarh is not being considered at present.

Representation from Railways Employees regarding Travelling Allowance-cum-Consolidation Scheme

*605. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2209 on the 5th August, 1969 and state ;

(a) whether Government have received representations and complaints from all the Railways demanding abolition of Travelling Allowance-cum-Consolidation Scheme and payment of travelling allowance to checking staff as was being paid previously;

(b) the categories of Railway employees from whom such complaints have been received and whether some other complaints and demands have also been made and, if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railway (Shri Govinda Menon) : (a) and (b) . A reference has been received only from the Western Railway stating that the orders regarding consolidated travelling allowance payable to the categories of Travelling Ticket Examiners, Conductor Guards, Coach Attendants of First Class Corridor Coaches, Air-conditioned Coach Attendants etc , have resulted in less to certain employees.

(c) As already stated in reply to Question No. 2209 referred to above, the Railway Administration have restered the pre-existing position pending further examination which is still not complete.

मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी

*606. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री 5 अगस्त, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 341 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस तथ्य की दृष्टि से मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी को प्रतिदिन इस्पात के 3000 ढोल बनाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस 20 जुलाई 1959 को दिया गया था और उन्होंने इसके लिए मशीनें जुलाई, 1959 तक लगा दी थी, क्या यह पता चलता है कि उस फर्म के लाइसेंस प्राप्त करने से पहले ही मशीनें प्राप्त कर ली थी तथा लगा दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस मिलने से पूर्व मशीनें खरीदी तथा लगाई जा सकती है; और

(ग) यदि नहीं, तो फर्म द्वारा इस अधिनियम का उल्लंघन किये जाने के कारण सरकार इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मै० स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी ने 20 जुलाई, 1959 से औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किए जाने के पहले ही मशीनें खरीद ली थी किन्तु उन्होंने यह भी बताया है कि मशीनें जुलाई, 1959 में ही लगाई गईं ।

(ख) अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गये नियम में ऐसी अनुमति दी गई है कि मशीनों की खरीद के लिए आर्डर दिए जा सकते हैं बशर्ते कि एक बार लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दे दिया गया हो, किन्तु बिना लाइसेंस के उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है ।

(ग) की जाने वाली कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।

Traffic Jam at Railway Crossing in Delhi

*607. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Yajna Datt Sharma :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the names of the places where road traffic is jammed on account of the Railway crossing in Delhi; and

(b) the details of the action taken so far to remove the inconvenience caused to public and also the details of further plans in this regard ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) The important level crossings in Delhi where traffic jams are caused are as under :-

(i) Patel Road crossing near the Delhi Milk Scheme office

(ii) Sarai Rohilla crossing.

(iii) Mehrauli Road crossing near Safdarganj Airport.

(iv) New Rohtak Road crossing opposite Zakhira.

(v) Mehrauli Badarpur Road crossing at Mathura end of Tughlakabad Station Yard.

(vi) Level crossing at Delhi end of Tughlakabad station yard.

(vii) Level crossing at Mathura end of Okhla station yard.

(viii) Link road crossing near Defence Colony.

(ix) Road connecting Lodi Colony and Sewa Nagar.

(b) Of these, four road over-bridges are proposed to be constructed in replacement of the following level crossings in the next five years:-

(i) Patel Road Crossing.

(ii) Sarai Rohilla Crossing.

(iii) Mahrauli Road Crossing near Safdarjang Airport.

(iv) Link Road Crossing near Defence Colony.

The remaining road-over-bridges have not so far been included in the list of priority by the Committee constituted to prepare Five Year Programme for the construction of Road over/under bridges in lieu of the existing level crossing within the Union Territory of Delhi.

इस्पात का उत्पादन और आयात

*608. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री 18 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 219 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात के आयात सम्बन्धी नियमों को उदार बनाने के लिए क्या प्रस्ताव है; और

(ख) वर्तमान उत्पादन क्षमता से अधिक उत्पादन प्राप्त करने और अतिरिक्त उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए क्या निश्चित प्रस्ताव है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार ने इंजीनियरिंग माल के निर्यात के लिए लगभग 6 करोड़ रुपये मूल्य का इस्पात आयात करने का निश्चय किया है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक खपत के लिए इस्पात के आयात, तथा वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए अधिक आयात के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ख) वर्तमान क्षमता से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हिन्दुस्तान स्टील लि० के कारखानों में तकनीकी सुधार और समतुलन सुविधाएं आदि को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त सभी कारखानों के श्रमिक सम्बन्धों में सुधार, तथा तकनीकी अड़चनों यथा, देखरेख में कमी और फालतू पूर्जों की कमी को कम से कम करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। अतिरिक्त क्षमता लगाने की ब्यौरेवार विकास योजना सरकार के विचाराधीन है।

वर्ष 1960 की आम हड़ताल के कारण पीड़ित कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर रखना

*609 **श्री सूरज भान** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1960 की आम हड़ताल के कारण पीड़ित कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर रखने तथा उनकी सेवा में किये गये व्यवधान को समाप्त करने के बारे में भारतीय रेलवे मजदूर संघ तथा दक्षिण मध्य रेलवे कार्मिक संघ द्वारा 11 सितम्बर, 1969 को प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन पेश किया गया था और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ;

(ख) वर्ष 1960 की आम हड़ताल में भाग लेने के कारण रेलवे के कितने कर्मचारियों को सेवा से निकाला गया था तथा कितने कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान किया गया था तथा इन मामलों का पुनरालोकन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार वर्ष 1960 की आम हड़ताल के कारण पीड़ित कर्मचारियों के साथ उसी प्रकार उदार व्यावहार करेगी, जैसा कि 19 सितम्बर, की हड़ताल तथा जुलाई, 1968 के फायरमैनों के आन्दोलन के शिकार हुए कर्मचारियों के साथ किया गया है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) माननीय सदस्य ने जिन दो संगठनों का उल्लेख किया है, उनकी ओर से प्रधान मंत्री के नाम एक ज्ञापन

प्राप्त हुआ है जिसमें दूसरी बातों के साथ-साथ जुलाई, 1960 की हड़ताल के सम्बन्ध में सेवा से हटाये/बर्खास्त किये गये कर्मचारियों को दुबारा ड्यूटी पर लेने और हड़ताल में भाग लेने वाले अनेक अन्य कर्मचारियों के सेवा भंग को क्षमा करने के प्रश्न उठाये गये हैं।

(ख) जुलाई, 1960 की हड़ताल के तुरंत बाद कुल 12,803 कर्मचारियों को बर्खास्त/सेवा से हटाया अथवा पदमुक्त किया गया था। बाद में की गई समीक्षाओं के परिणामस्वरूप अधिकांश कर्मचारियों को सेवा में वापस ले लिया गया। इस समय केवल 55 कर्मचारी ऐसे हैं जो विभिन्न आरोपों के कारण अभी भी सेवा से हटे हुए/बर्खास्त हैं। सरकार ने इन मामलों पर भी अनेक बार विचार किया है और उसने यह विनिश्चय किया है कि उन्हें पुनर्नियुक्त करने का औचित्य नहीं है।

जहां तक नवम्बर, 1960 में भी सेवा-भग का प्रश्न है, इस आशय के आदेश जारी किये गये हैं कि जिन कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया, उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को छट दिवस माना जाये। इस कारण उन्हें किसी और परिणाम का सामना नहीं करना पड़ा।

(ग) चूंकि जुलाई, 1960 की हड़ताल में भाग लेने वालों को अब किसी विपरीत परिणाम का सामना नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए इस बारे में और उदारता बरतने का प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में जिन 55 कर्मचारियों का उल्लेख है, उनके विरुद्ध तोड़-फोड़, भड़काने अथवा गम्भीर दुर्व्यवहार के विशिष्ट आरोप हैं।

लौह अयस्क के निर्यात के लिए माल डिब्बों की क्षमता का प्रयोग न किया जाना

*613 **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लौह अयस्क का निर्यात करने के लिये विशेष रूप से बढ़ाई गई माल डिब्बों की क्षमता का उपयुक्त नौवहन कार्यक्रम बनाने में वैदेशिक व्यापार मंत्रालय की असफलता के कारण, उपयोग नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे को इससे कितनी हानि हुई है : और

(ग) माल डिब्बों की क्षमता का कितने समय तक उपयोग नहीं किया गया ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं। निर्यात के लिए लौह अयस्क के लदान में हर साल वृद्धि होती रही है। 1968–69 के दौरान 1967–68 की तुलना में निर्यात के लिए 12.0 लाख मीटरिक अधिक लौह अयस्क लादा गया था। इसी प्रकार 1969–70 के पहले सात महीनों में 1968–69 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में निर्यात के लिए 14.3 लाख मीटरिक टन अधिक लौह अयस्क लादा गया था।

(ख) और (ग) . सवाल नहीं उठता।

बरेली के निकट रेयन ग्रेड पल्प फैक्ट्री स्थापित करने के लिए बिड़ला बन्धुओं को आशय-पत्र दिया जाना

611. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में बरेली के निकट रेयन ग्रेड पल्प स्थापित करने के लिये बिड़ला बन्धुओं को आशय-पत्र दिया है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस फैक्ट्री के लिये बिड़ला बन्धुओं को 2,80,000 टन यूकलिप्ट्स देने के लिये सहमत हो गई है ;

(ग) क्या सरकार की नीति उस उद्योग गृह को जिसके पास पहले ही कई उद्योग हों, कारखाने स्थापित करने के लिये नये लाइसेंस न देने की है ; और

(घ) यदि हां, तो बिड़ला बंधुओं को आशय-पत्र दिये जाने तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूकलिप्ट्स सप्लाई करने के लिए सहमत हो जाने के क्या कारण है तथा इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) . मै० केसोराम इण्डस्ट्रीज एण्ड काटन मिल लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के हल्दवानी तहसील में रेयन ग्रेड ब्रुड टाल्प का उत्पादन करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के लिये मार्च, 1966 में आवेदन पत्र दिया था । किन्तु, इस उद्योग को जुलाई, 1966 में उक्त अधिनियम के लाइसेंस देने संबंधी उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया था और इसलिये उसे कोई आशय पत्र जारी नहीं किया गया था । राज्य सरकार ने सूचित किया था कि उन्होंने फर्म की वार्षिक 2.80 लाख टन आवश्यकता के स्थान पर 2 लाख टन यूकोलिप्ट्स की सप्लाई करने का वायदा किया था ।

फर्म ने, पूंजीगत उपकरणों के आयात के लिए भी आवेदन पत्र दिया था, किन्तु इस मामले पर अंतिम रूप से निर्णय करने के पहले ही फर्म ने अपनी योजना का परित्याग कर दिया था और आयात के बारे में दिए गये अपने आवेदन पत्र को वापस ले लिया ।

आशुलिपिकों की परीक्षा में बैठने के लिये काम कर रहे टाइपिस्टों को अवसर

***612. श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे में काम कर रहे टाइपिस्टों को प्रति वर्ष होने वाली आशुलिपिकों की परीक्षा में बैठने के लिये केवल तीन अवसर ही दिये जाते हैं ;

(ख) क्या भारतीय रेलवे में काम करने वाले अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है, और यदि हां, तो टाइपिस्टों के साथ भेदभाव बरतने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या भारतीय रेलवे में काम कर रहे टाइपिस्टों पर से यह प्रतिबन्ध हटाना संभव है, क्योंकि उनकी पदोन्नति हेतु उनकी योग्यता एवं उपयुक्तता के लिये केवल यही एकमात्र परीक्षा है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) . 1952 में किये गये विनिश्चय के अनुसार आशुलिपिकों की कोटि के 25 प्रतिशत पद उपयुक्त रूप से अर्ह टाइपिस्टों की पदोन्नति के लिए आरक्षित किये जाते थे । 1957 में श्रमिक संघ के साथ हुए करार के परिणामस्वरूप यह विनिश्चय किया गया कि सभी रिक्तियों के लिए उन टाइपिस्टों को, जो आशुलिपिकों के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी योग्यता सिद्ध करें, नियुक्ति किया जाना चाहिए और बाहर से केवल उतने ही आशुलिपिकों की सीधी भर्ती की जाये जितने की ऐसे टाइपिस्टों की उपलब्धता में कमी हो । आशुलिपिक के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए प्रत्येक टाइपिस्ट को तीन अवसर दिये गये ।

(ग) और (घ) . तीन अवसर श्रमिक संघ के साथ किये गये करार की शर्तों के अनुसार दिये जाते हैं । इस प्रयोजन के लिए ये तीन अवसर काफी पर्याप्त समझे जाते हैं।

Children's Trains for the States

613. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the names of the States with have been provided with children's trains under the programme to provide one train to each State; and

(b) the terms and condition for given such trains to the States ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railway (Shri Govinda Menon) : (a) The State of Mysore, Gujarat, Andhr Pradesh, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh have been provided with Children's Trains.

(b) The train is supplied free of cost but the State have to bear expenditure for laying out track providing sheds and station. The operating and maintenance expenditure is also borne by the States.

भारत के औद्योगिक विकास में शिथिलता

***614. श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री मयावन :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री दण्डपाणि :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले एक वर्ष से चली आ रही राजनैतिक अस्थिरता के कारण देश में औद्योगिक विकास की गति में और भी ज्यादा शिथिलता आ गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस राजनैतिक अस्थिरता के कारण उद्योगों को कितनी हानि पहुँची है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत कुछ योजनाओं का परित्याग किया गया है ;

(घ) क्या इस धीमी औद्योगिक प्रगति से राष्ट्र को काफी हानि पहुंचेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) कोई विशेष दृष्टान्त समक्ष नहीं आया है ।

(घ) तथा (ङ) . प्रश्न ही नहीं उठते ।

Employment of Harijans and Adivasis in Small Scale Industries

***615. Shri Deven Sen :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a separate industrial development corporation to provide employment to the Harijans and Adivasis in the small scale industries ;

(b) if so, by when ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) Government have not felt the need for setting up a separate Corporation for the purpose.

कुमाँऊ तथा गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में पिछड़ापन

***616. श्री बलराज मधोक :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के चतुर्थ श्रेणी के बहुत से कर्मचारी तथा दिल्ली में घरों में काम करने वाले नौकर कमाऊं तथा गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों से आये हुए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें से अधिकांश ब्राह्मण अथवा राजपूत परिवारों के हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनको, अपने आर्थिक तथा शैक्षिक पिछड़पन के कारण दिल्ली आना पड़ता है ; और

(घ) यदि हां, तो हमारी जनता के एक बहुत बड़े वर्ग, जबकि इस वर्ग में उच्च जातियों के लोग हैं, के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण मन्त्री विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूल रेणु गुह) : (क) से (घ) . आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Electrification of Stations in Bikaner Division (Northern Railway)

***617. Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the total number of Railway Stations in the Bikaner Division of the Northern Railway where is no electricity inspite of the fact that the Bhakhra power cables pass through these Stations ;

(b) the number of Railway Stations where electricity will be provided by the year 1970 ; and

(c) the names of the Railway Stations out of these, which will be given priority in this regard ?

The Minster of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) 4 stations viz. Rangmahal, Patli, Khalilpur and Farukh Nagar.

(b) and (c) . All these four stations have been programmed for electrification and are expected to be electrified by 31-3-1970.

जूट व्यापार में सट्टे बाजी

***618. श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्दकमार सोमानी :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री जूट व्यापार में सट्टे बाजी के बारे में 5 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2260 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय जूट मिल संघ से प्राप्त अभ्यावेदन पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय जूट मिल संघ ने अभ्यावेदन दिया था कि अगस्त, तथा नवम्बर में जूट उद्योग में क्षति अवरोधक संविदा की अनुमति न दी जाए । अगस्त में क्षति अवरोधक संविदा रोक दी गई थी पर नवम्बर में अनुमति दे दी गई ।

आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कल्याण योजनाएं

*619. **श्री वी० नरसिम्हा राव :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित आदिमजातीय क्षेत्रों का विकास करने के लिये कोई कल्याण योजनाएं बनाई गई हैं और स्वीकृत की गई हैं।

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और उन पर कितना धन व्यय होगा ; और

(ग) तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में आन्ध्र प्रदेश में प्रति हजार जनसंख्या वार अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी योजनाओं पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) . हां, श्रीमान। ब्योरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम :—

चतुर्थ योजना के लिए स्वीकृत परिव्यय 189.00 लाख रुपये 1969-70 के लिए मंजूर किए गए आंवटन :

		(रुपये लाख की राशियों में)
1.	नैट्रिक-उपरांत छात्रवृत्तियां	0.75
2.	लड़कियों के होस्टल	2.00
3.	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	1.50
4.	आदिम जाति विकास खण्ड	35.00
5.	सहकारिता	8.30
6.	अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा विशेष परियोजनाएं	1.50
		49.5

राज्य क्षेत्र कार्यक्रम

चतुर्थ योजना के लिए स्वीकृत परिव्यय 1969-70 के लिए मंजूर किये गये आवंटन		299.00 लाख रुपये (रुपये लाख की राशियों में)
	शिक्षा	7.94
	आर्थिक विकास	10.06
3.	स्वास्थ्य, आवास इत्यादि।	2.00
		20.00

(ग) लगभग 20,000 रुपये।

Establishment of Heavy Industries in U. P.

***620. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have considered certain proposals for setting up heavy industries, besides the Telephone Industry, in Uttar Pradesh during the next two years ;

(b) if so, the type of industries and the places where they are proposed to be setup ; and

(c) the time by which a final decision would be taken in this regard ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : The Central industrial projects to be set up during the Fourth Five year Plan are given on page 253-260 of the Draft Five Year Plan Report. The projects to be set up in U. P. during the Fourth Plan are also mentioned there. In so far as projects locations for which have not yet been decided are concerned it is not possible to state at this stage, which of such projects, if any, will be located in U. P.

गोआ में कच्चे लोहे के कारखाने की स्थापना

***621. श्री वासुदेवन नायर :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान तथा उसके अन्य पड़ौसी देशों को कच्चा लोहा और अर्धनिर्मित इस्पात की वस्तुएं सप्लाई करने हेतु गोआ में कच्चे लोहे का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या प्रस्तावित कारखाने की स्थापना ईरान के सहयोग से की जायेगी ;

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) कारखाने की स्थापना पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ग). निजी क्षेत्र की एक फर्म को 24 जून, 1964 को गोआ 3,00,000 टन की क्षमता का कच्चे लोहे का एक कारखाना लगाने के लिए आशय-पत्र जारी किया गया था। गोआ में 255,000 टन बिलेट के उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र की एक फर्म से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर विचार किया जा रहा है।

(ख) इन प्रस्तावों में से किसी में भी ईरान का सहयोग प्राप्त करने का जिक्र नहीं है।

(घ) प्रस्तावित कच्चे लोहे के कारखाने की अनुमानित लागत लगभग 10 करोड़ रुपये और बिलेट बनाने के कारखाने की लागत लगभग 15 करोड़ रुपये हैं।

मैसर्स वैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड

*622. **श्री मधु लिमये :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने श्री शान्ती प्रसाद जैन के साथ इस आशय का करार किया है कि वे मैसर्स वैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के अंशधारियों का प्रतिनिधित्व करने के नाते तीन निदेशकों को नामजद करेंगे, उनमें से एक अर्थात श्री शांति प्रसाद जैन के पुत्र, अध्यक्ष होंगे ;

(ख) क्या इस मन्त्रालय के प्रभारी मंत्रिमंडल स्तर के मन्त्री ने इस करार की सूचना श्री शान्ति प्रसाद जैन को दी थी ;

(ग) क्या लोक सभा में वक्तव्य किये गये विरोध के परिणामस्वरूप यह करार क्रियान्वित नहीं किया गया था ;

(घ) क्या यह भी सच है कि समवाय न्यायाधिकरण ने नये अध्यक्ष को नामजद किया है और निदेश दिया है कि महाप्रबन्धक श्री पी० के० राय को तत्काल नौकरी से अलग कर दिया जाये ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या समवाय न्यायाधिकरण का निर्णय मैसर्स वैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड तथा सरकार द्वारा क्रियान्वित किया गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). भारत संघ ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 300 ख तथा 398 के अन्तर्गत, दो अलग-अलग याचिकायें, मैसर्स बेनट कोल मैन एण्ड कम्पनी लि० के विषय में, भूतपूर्व कम्पनी न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की थी। इन दोनों याचिकाओं में, श्री एस० पी० जैन उत्तर वादियों में से एक थे। धारा 388 ख के अन्तर्गत, प्रश्न इस उपपत्ति के लिये था कि श्री एस० पी० जैन सहित कथित याचिका के सभी, उत्तरवादी, किसी कम्पनी के कार्य एवं प्रबन्ध से सुबंधित निदेशक अथवा अन्य किसी पद को धारण करने के लिये योग्य एवं उचित व्यक्ति नहीं है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 388 ख के अन्तर्गत, याचिका की कार्यवाही श्री एस० पी० जैन तथा उनके सुपुत्र श्री ए० पी० जैन की प्रेरणा पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच के आदेश से रोक दी गई है।

2. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 398 के अन्तर्गत याचिका कम्पनी के कार्यकलापों के कुप्रबन्ध की बाबत शिकायतों को रोकने के लिये, कम्पनी को उचित प्रबन्ध एवं इसके कार्यों पर नियंत्रण प्रदान कराने के लिये थी। वह याचिका जो 1964 में मिसिल की थी, भूतपूर्व कम्पनी न्यायाधिकरण के उन्मूलन हो जाने पर बम्बई उच्च न्यायालय को स्थानान्तरित कर दी गई थी। जनवरी, 1969 में श्री ए० के० जैन से, कम्पनी के हिस्सेधारियों की समिति के अध्यक्ष की हैसियत से, हिस्सेधारियों का प्रबन्ध पुनः स्थापना के लिये एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत याचिका में, कम्पनी के लिए उचित प्रबन्ध प्रदान कराने का ही उद्देश्य था। इन कार्यवाहियों में साधारणतः समय लगता है व निर्णय हो जाने पर भी पुनः अपील की संभावना होती है। अतः यह अनुभव किया गया

कि यदि उन कर्मचारियों के हितों की, जिन्होंने जांच-पड़ताल में सहायता की थी, उचित प्रकार से रक्षा करने की शर्त पर, मुख्य उत्तरवादियों के साथ वार्ता के माध्यम से, ऐसे निदेशक मंडल के पुनर्गठन के लिए, जिससे उचित एवं स्वतन्त्र यथोचित प्रबन्ध व्यवस्था की जा सकती हो, तो इसके लिये प्रयास करना अधिक उत्तम रहेगा, जिससे कि कम्पनी को यथाशीघ्र उचित प्रबन्ध की प्राप्ति हो जाये। इसके लिये कोई भी समझौता वार्ता न्यायालय के यथोचित आदेश के लिये भारत संघ तथा जैन वंश की ओर से दो अलग-अलग याचिकाओं में प्रस्तुत करना था। सरकार का विचार था कि पुर्नगठित बोर्ड में सरकार द्वारा प्रस्तावित निदेशकों का बहुमत हो, इसकी अवधि कम से कम 3 वर्ष हो व जैन वंश के वह सदस्य जो इन दोनों याचिकाओं में उत्तरवादी है, बोर्ड ने सम्मिलित न हो। प्रत्येक समझोते में उन कर्मचारियों को, जिन्होंने जांच पड़ताल में सहायता दी थी, रक्षा का सुनिश्चय हो। सरकार के इस निर्णय पर 27 अगस्त, 1969 को एक बैठक सायंकाल हुई व निम्नलिखित विशिष्ट विषयों पर चर्चा हुई :—

1. सरकार की ओर से सुझाये गये पांच निदेशकों तथा हिस्सेधारियों की ओर से सुझाये गये चार निदेशकों के नाम।
2. पुर्नगठित बोर्ड की अवधि।
3. उन कर्मचारियों की रक्षा का प्रश्न जिन्होंने जांच हड़ताल के मध्य सरकार को सहायता दी थी।

यह समझौता हो गया था कि कम्पनी के निदेशक मंडल में नौ सदस्य होंगे जिनमें से पांच सरकार द्वारा तथा चार हिस्सेधारियों द्वारा (सर्वश्री एस० पी० जैन, ए० पी० जैन व श्रीमती रामा जैन के अतिरिक्त) मनोनीत होंगे। पुर्नगठित मंडल की अवधि तीन वर्ष की होगी। इन बातों पर समझौता नहीं हुआ कि कर्मचारियों की रक्षा किस प्रकार की जाये व दोनों पार्टियां न्यायालय के लिये अपने अपने प्रस्तुतीकरण के लिये स्वतन्त्र है। निदेशक मंडल की अध्यक्षता के प्रश्न पर 27 अगस्त, 1969 को बैठक में विशेषरूप से चर्चा नहीं हुई। अतः अध्क्षता पर समझौते का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ।

3. जबकि वह समझौता वार्ता चल रही थी धारा 398 के अन्तर्गत याचिका पर बम्बई उच्च न्यायालय में मार्च, 1969 से लगातार कार्यवाही हुई तथा इन कार्यवाहियों के मध्य सभी उत्तरवादी न्यायालय के आदेशों का पालन करने को सहमत थे। भारत संघ ने भी न्यायालय को सूचना दी थी कि यद्यपि वह इस मामले को आगे बढ़ाने के इच्छुक थे परन्तु वह इस धारा को 398 के अन्तर्गत कार्यवाही को जल्दी समाप्त करने व न्यायालय के आदेशों का इस शर्त पर सहमत हो गये थे कि कम्पनी समेत सभी उत्तरवादी न्यायालय के आदेशों का पालन करने, निदेशक मंडल के पुर्नगठन तथा कर्मचारियों की रक्षा समेत सभी संबंधित मामलों का पालन करने का बचन दे। सबसे पश्चात कम्पनी से 20 अगस्त, 1969 को समझोते की बात थी व उसके पश्चात भारत संघ का वकील 'पिछले दिन की बैठक का परिणाम (जैसा कि पिछले पैरा में बताया गया है) न्यायालय के नोटिस में लाया था। न्यायालय ने उसी दिन अर्थात 28 अगस्त, 1969 को अपना निर्णय दे दिया।

4. 1 सितम्बर, 1969 को श्री एस० पी० जैन, समझौता कराने के लिये न्यायालय में अग्रसर हुये। याचिका के साथ मिसिल किये गये शपथ-पत्र में इस प्रकार का आरोपण था

कि 27 अगस्त, 1969 की रात्रि को एक समझौता उपस्थित था जिसके आधार पर, न्यायालय को एक समझौता आदेश पालन करना था। भारत संघ के वकील को इस आधार पर प्रार्थना पत्र का विरोध करने के अनुदेश दिये गये कि वह बात कानून से मान्य न थी व इसे खारिज कर देना चाहिये तथा यह भी आधार था कि श्री एस० पी० जैन द्वारा आरोपित कोई अन्तिम समझौता नहीं हुआ था। न्यायाधीश ने 6 सितम्बर, 1969 को लागत सहित सम्मन खारिज कर दिये व श्री एस० पी० जैन दिनांक 6 सितम्बर, 1969 के कथित निर्णय के विरुद्ध एक अपील दायर कर दी जो अब बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष अनिर्णीत हैं। इस प्रकार यह विषय कि कोई अन्तिम या निर्णीत समझौता हुआ था, यह निर्णयाधीन है।

5. कम्पनी के निदेशक मंडल का पुनर्गठन, श्री नैन जे० द्वारा दिये गये, दिनांक 20 अगस्त, 1969 के निर्णय एवं आदेश द्वारा किया गया है। इसमें अब ग्यारह निदेशक हैं, जिनमें, पांच न्यायालय द्वारा, तीन सरकार के तथा तीन हिस्सेदारियों के मनोनीत हैं। इस नये मंडल में, न्यायालय द्वारा तथा सरकार द्वारा, मनोनीत निदेशकों को मिलाकर हिस्सेदारियों के निदेशकों से प्रभावी बहुमत है। श्री के० टी० देसाई, जो अब मंडल के अध्यक्ष हैं वह गुजरात उच्च न्यायालय के सेवा अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश एवं स्टेट बैंक आफ इन्डिया के उपाध्यक्ष हैं। कम्पनी के मुख्य प्रबन्धक श्री पी० के० राव की सेवायें, बम्बई उच्च न्यायालय के दिनांक 28 अगस्त, 1969 के आदेशों के अनुसार समाप्त कर दी गई हैं।

उत्तर रेलवे के मुख्यालय में गणमान्य व्यक्तियों के कोटे का रद्द किया जाना

*623. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री समर गुह :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा दिल्ली में बुलाये गये अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सम्मेलन के प्रतिनिधियों को क्या-क्या सहायता तथा सुविधायें दी गई ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन प्रतिनिधियों को वापिसी-यात्रा की सुविधा देने के लिये उत्तर रेलवे मुख्यालय, बड़ौदा हाउस से गणमान्य व्यक्तियों के सुरक्षित कोटे को रद्द कर दिया गया था ;

(ग) क्या अन्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी उनके वार्षिक सम्मेलनों के समय ऐसी सुविधायें दी जाती हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस अवसर के दौरान विशेष रियायतें देने का क्या कारण है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) दिल्ली में बुलायी गयी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक के समय गाड़ियों की संख्या बढ़ाने और टिकट देने की अतिरिक्त सुविधाओं जैसी व्यवस्था, जो रेलों द्वारा यातायात की अतिरिक्त भीड़-भाड़ को सम्हालने के लिए सामान्यत : की जाती है, की गयी थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां, बशर्ते रेलों को काफी पहले सूचना दी जाये।

(घ) सवाल नहीं उठता।

रेलवे कर्मचारियों के वेतन/यात्रा भत्ता के बिलों का संगणकों की सहायता से तैयार किया जाना

*324. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारियों के नियमित तथा अनुपूरक वेतन बिलों/यात्रा भत्ता बिलों आदि को संगणकों की सहायता से तैयार कराने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो संगणकों के प्रयोग से कितने कर्मचारियों के फालतू हो जाने की सम्भावना है और उन्हें कहीं और खपाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) तीन उत्पादन यूनिटों में नियमित वेतन बिल बनाने का काम पहले ही से कम्प्यूटरों द्वारा किया जा रहा है और क्षेत्रीय रेलों पर भी कम्प्यूटरों से इस काम को करने के लिए एक कम्प्यूटर कार्यक्रम तैयार किया गया है।

(ख) क्षेत्रीय रेलों पर इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के कारण कोई भी कर्मचारी काम से नहीं हटाया जायेगा, यदि कुछ शाखाओं में इस कारण कुछ कर्मचारी फालतू हो जाते हैं कि उनका काम कम्प्यूटरों से किया जाने लगा है, तो ऐसे कर्मचारी या तो उन्हीं शाखाओं में रिक्त पदों पर समाहित कर लिये जायेंगे या उन्हें अन्य शाखाओं में दुबारा तैनात किया जायेगा। कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की गति लिपिक वर्गीय कर्मचारीयों की कमी के सम्बन्ध में प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में रहने वाली स्थिति पर निर्भर करेगी।

उत्तर रेलवे में मुख्य पूछताछ तथा आरक्षण क्लर्कों के रिक्त पद

*625. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1966 के महीने में सम्पूर्ण उत्तर रेलवे में सामान्य तथा आरक्षित कोटे में अलग-अलग 250-380 रुपये के वेतनमान में मुख्य पूछताछ तथा आरक्षण क्लर्कों के कितने पद रिक्त थे और ये रिक्त पद किस-किस स्टेशन पर थे ;

(ख) उक्त वेतनमान में उचित चयन के बाद उस समय कुल कितने व्यक्ति काम कर थे और वे किस-किस स्टेशन पर नियुक्त थे ;

(ग) शेष कितने रिक्त पदों के लिए उस समय चयन किया गया था ;

(घ) सामान्य तथा आरक्षित कोटे में इन रिक्त पदों के लिए लिखित तथा मौखिक परीक्षा के लिए पृथक-पृथक कितने व्यक्ति बुलाये गये ; और

(ङ) भाग (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों में से उन व्यक्तियों की जो कि उस वेतन मान में बिना चुने गये किसी उच्च ग्रेड में कार्य कर रहे हैं, संख्या कितनी है तथा उनके बारे में अन्य ब्यौरा क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ङ) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Selection Board for Recruitment of Employes

*626 **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Railways be pleased to State :

(a) whether it is a fact that there is a Selection Board to recruit employees of all categories for each Division of the Railway, in which non-officials are also included ; and

(b) if so, the reasons for not taking the representatives of the people of the local area concerned on the said Selection Boards ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) No, Sir.

(b) such an arrangement is not considered necessary.

Ash content in Coal used by Steel Plants

*627. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the coal used in the steel plants in the public sector contains over 16 percent ash, whereas the Australian coal used by Japan contains only 8 percent ash ;

(b) whether it is also a fact that consequent upon increasing the quantity of ash by one per cent, the capacity of the furnace goes down by three per cent and thus our capacity has decreased by 25 percent ; and

(c) if so, the action being taken by Government to impove the situation in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) Indian Coal contains an ash contant averaging 22 to 26 percent which is reauced to about 17 percent after washing for use in the steel plants. Precise figure of ash content in Australian coal is not known ; however, it is understood to be around 8 to 10 pereent.

(b) According to the technical opinion. increase of every one percent of ash in the coke reduces the output of blast furnace by about 3 per cent , Washing Indian coal to bring the ash content below 17 per cent would not be economical. The high ash content of the Indian coal was taken into account while designing the capacity of the blast furnaces.

(c) By establishing Coal Washeries etc. Government have been taking such steps as are possible to improve the quality of coal available in the country for use of the Steel Plants.

लघ तथा सहायक उद्योग संबंधी सांविधिक आयोग

*628. **श्री जि० मो० बिस्वाय** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों की प्रगति के लिये लघु तथा सहायक उद्योग संबंधी सांविधिक आयोग की स्थापना करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवय-कार्य मंत्री (श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मिश्रित एवं विशेष इस्पात के कारखाने स्थापित करने के लिए बिड़ला बंधुओं को लइसेंस

*629. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री 18 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 301 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिश्रित एवं विशेष इस्पात के जिन दो कारखानों के लिये बिड़ला बन्धुओं को दो फर्मों को लाइसेंस दिये गये थे, वे कब और कहां स्थापित किये जायेंगे और वे कब तक काम करना आरम्भ कर देंगे ;

(ख) एक अथवा इन दोनों कारखानों को मैसर्स बिड़ला जूट मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता के एककों के रूप में स्थापित करने के लिये बिड़ला बन्धुओं के आवेदन पत्र की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) क्या दुर्गापुर में मिश्रित इस्पात कारखाने का विस्तार करने की योजनाओं को क्रियान्वित करना आरम्भ कर दिया गया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) दो बिड़ला कम्पनियों के पास विशेष। मिश्र-इस्पात के उत्पादन के लिए लाइसेंस थे ; एक पतरांतू (बिहार) के लिए और दूसरा पश्चिमी बंगाल के लिए। दोनों ही लाइसेंस 28-2-69 को समाप्त हो गए किन्तु पुनर्बंधीकरण के लिए प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

(ख) बिहार एलायज को दिए गए लाइसेंसों को मेसर्स बिड़ला जूट मैन्यूफैक्चरिंग लि को बदली करने के लिए एक प्रार्थना पर प्राप्त हुआ है। इस प्रार्थना पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया।

(ग) दुर्गापुरा के मिश्र इस्पात कारखाने के विस्तार कार्यक्रम को चौथी पंच वर्षीय योजना में शामिल करने का एक प्रस्ताव विचारधीन है।

त्रिपुरा में उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस

*630. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री के० रमानी :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में उद्योग स्थापित करने हेतु लोगों ने लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र दिये है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्राप्त ऐसे आवेदनपत्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) लाइसेंस किन उद्योगों के लिए दिये गये हैं ;

(घ) जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस दिये गये हैं क्या उनका उत्पादन कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) . जी, हां ।

1966-69 की अवधि में (31-10-1969 तक) प्राप्त आवेदनों का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

प्राप्त आवेदन की तारीख	उपक्रम का नाम	उद्योग
1. 22-7-1966	इण्डस्ट्रीयल एण्ड डेवलपमेंट सिंडीकेट, अगरतला ।	गेहूं उत्पाद
2. 30-3-1967	—वही—	—वही—
3. 7-3-1969	निर्मल कुमार जैन	—वही—

सभी तीनों आवेदनों को इसलिए रद्द कर दिया गया था, क्योंकि आटा पीसने की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं थी ।

(ग) सूत के धागे बनाने के लिए औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना हेतु दो लाइसेंस एक 1963 में तथा दूसरा 1964 में जारी किए गये थे । लाइसेंस प्राप्त कर्ता ने पहला लाइसेंस 1964 में वापस कर दिया और दूसरा 1969 में समाप्त कर दिया गया ।

(घ) और (ङ) . प्रश्न ही नहीं उठते ।

अमरीका को कपड़े का निर्यात

***632. डा० रानेन सेन** : क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका की सरकार की संरक्षणवाद की नीति से भारत से अमरीका को कपड़े के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रभाव किस सीमा तक पड़ा है ;

(ग) क्या भारत ने अमरीका की सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो अमरीका की सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) अमरीका को सूती वस्त्रों का निर्यात, अमरीका सरकार के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार करार के अन्तर्गत हो रहा है ।

इस करार के अन्तर्गत वार्षिक निर्यात कोटे की व्यवस्था की गई है। इन वार्षिक कोटों पर निर्यात निष्पादन निम्नलिखित है :

कोटा अवधि	आंकड़े 10 लाख वर्ग गजों में	
अक्तूबर–सितम्बर	कोटा	निर्यात निष्पादन
1966–67	79.00	69.70
1967–68	88.20	76.54
1968–69	92.61	86.54

(ख) से (घ) . प्रश्न नहीं उठता ।

Chinese Army Personnel in Pak occupied Kashmir

*638 **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the press-reports that there were about 15 thousand Chinese military personnel in Pak. occupied Kashmir;

(b) whether Government are also aware that the Chinese are providing special training to Pakistani military personnel there; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) As already indicated by the Minister of External Affairs on the 22nd July 1969, about 12,000 Chinese Military personnel had been inducted into this area for building a road.

(b) Government are aware of the training being imparted to Pakistani personnel in guerilla tactics and the plans to associate Chinese instructors with such training in Pakistan occupied Kashmir.

(c) The developments in this regard have been taken into account in making our plans for the security of the country.

कपड़े की नियंत्रित किस्मों के मूल्यों का पुनरीक्षण

*640. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री 6 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2475 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कपड़े की नियन्त्रित किस्मों के मूल्यों के पुनरीक्षण के लिये भारतीय कपड़ा-मिल संघ की प्रार्थना पर इस बीच क्या निर्णय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का इस बारे में कब निर्णय करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) इस अवस्था में नियन्त्रित कपड़े के मूल्यों का पुनरीक्षण न करने का विनिश्चय किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत की नौसैनिक शक्ति बढ़ाना

*641. **श्री रवि राय** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हमारी नौसैनिक शक्ति के बारे में वाइस एडमिरल सोमन की पुस्तक में उल्लिखित निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन निष्कर्षों से सहमत है; और

(ग) उनका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) भूतपूर्व नौसेना अध्यक्ष वाईस एडमिरल बी० एस० सोमन द्वारा लिखी कोई पुस्तक सरकार के सामने नहीं आई।

(ख) तथा (ग) . प्रश्न नहीं उठते।

आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर में पिछडे क्षेत्र निर्धारित करना

*642. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर में पिछड़े क्षेत्रों को निर्धारित करने से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है और उन क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के उद्योग स्थापित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) वहां प्राथमिकता के आधार पर औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में इन क्षेत्रों के और अधिक विकास की योजना का ब्योरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सभा पटल पर प्रस्तुत विवरण में दर्शाये गये विकास के सूचकों के आधार पर, प्रत्येक राज्य को अपने पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करना था। 6 जुलाई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 968 के उत्तर की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने तेजी से विकास के लिए समुचित कदम (उद्योगों के विकास सहित) उठायें। अब इन क्षेत्रों में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजना स्थापित करने के कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित उद्योगों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) . सम्बन्धित राज्य सरकारों से सूचना की इन्तजारी की जा रही है।

विवरण

विकास के सूचक

(1) कुल जन संख्या तथा जन संख्या का घनत्व।

(2) कुल कामगारों की प्रतिशतता के रूप में कृषि मजदूरों सहित कृषि कार्य में लगे कामगारों की संख्या।

(3) प्रति कृषि कामगार खेती योग्य क्षेत्र। +

(4) प्रति कृषि कामगार के अनुसार बोया गया कुल क्षेत्र।

(5) कुल के अनुपात में समस्त सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता।

(6) कुल बोये गये क्षेत्र के अनुपात में, एक मर्तबा से अधिक बार बोये गये क्षेत्र की प्रतिशतता।

(7) कृषि उत्पादन का प्रतिव्यक्ति (ग्रामीण जनसंख्या) कुल मूल्य।

(8) बिजली का उपयोग करने वाले प्रतिष्ठान।

(क) जोड़
(ख) परिवार
(ग) गैर-परिवार

(9) प्रति लाख जनसंख्या के अनुसार रजिस्टर्ड फैक्टरियों में काम करने वाले कामगारों की संख्या।

(10) सड़कों की लम्बाई मीलों में—

(क) प्रति हजार वर्ग मील
(ख) जन संख्या का प्रति लाख

(11) एक जिले में रजिस्टर्ड वाणिज्यिक गाड़ियों की संख्या।

(12) साक्षर जन संख्या की प्रतिशतता—

(क) पुरुष
(ख) महिलायें

(13) स्कूल जाने वाले बच्चों की प्रतिशतता—

(क) लड़के
(ख) लड़कियां

आयु वर्ग में—

(क) 6–11 वर्ष, और
(ख) 11–14 वर्ष

(14) तकनीकी प्रशिक्षण के लिए प्रति दस लाख जनसंख्या के अनुसार स्थानों की संख्या—

(क) शिल्पकार
(ख) डिप्लोमास्तर

(15) प्रति लाख जन संख्या के अनुसार अस्पतालों में रोगी शय्यायें।

+कुल बोया गया क्षेत्र, चालू बंजर भूमियां, चालू बंजर भूमियों के अलावा अन्य बंजर भूमि, कृषि योग्य फालतू भूमि तथा कुल बोये गये क्षेत्र में शामिल नहीं किये गये विविध पेड़ की फसलें तथा झाड़।

सड़क कूटने के इंजनों की खरीद

*643. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **पूर्ति** मन्त्री 30 जुलाई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 239 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के बारे में इस बीच में अन्तिम निर्णय किया गया है जिसने काम के निरीक्षण के प्रमाण पत्र पर रोड रोलरों के लिये 90 प्रतिशत पेशगी के भुगतान के लिये आदेश दिये थे;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक अभी तक सेवा में हैं ?

पूर्ति मन्त्रालय तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) . मामला अभी तक विचाराधीन है ।

(ग) जी, हां ।

जम्मू, काश्मीर, आसाम तथा राजस्थान में पाकिस्तानियों की घुस पैठ

*644. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 6 महीनों के दौरान जम्मू, काश्मीर, आसाम और राजस्थान में पाकिस्तानी घुस पैठ बहुत बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में अनुमानत: कितने पाकिस्तानियों ने भारत के उन राज्यों में घुसपैठ की है;

(ग) अब तक उनमें से कितने घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) इस घुसपैठ को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) . सूचना गृह मन्त्रालय द्वारा राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

Export of Cashewnuts to U. S. S. R. and other Countries

*645. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that although there has been a considerable increase in the export to U. S, S. R., the export of cashewnuts has fallen during the last ten months ended October, 1969;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the countries with which India has to compete in this field and the countries to which the export of Indian cashewnuts has fallen; and

(d) the measures proposed to be adopted by Government to boost the export of cashewnuts ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) According to the tentative figures supplied by the Cashew Export Promotion Council, there has been a Marginal decline in the exports of cashew kernels during January October, 1969 as compared to January-October, 1968.

(b) This could be attributed to the stockpiling by U. S. buyers in 1968 in excess of their requirements in anticipation of a strike by longshoremen in the Atlantic ports of USA, which took place from December 1968 to February, 1969, disturbance in imports of raw cashewnuts due to strike by dock workers in Cochin port in August, 1969 and change in the terms of trade in raw cashewnuts between Tanzania and India in September, 1969 and increasing competition from other producing countries.

(c) The competing countries are Kenya, Tanzania, Mozambique, Portugal and Brazil. The important countries to which exports have fallen during January-October, 1969, as compared to January- October, 1968, are USA, UK, Canada and West Germany.

(d) The Cashew Export Promotion Council, Cochin sponsored by the Government of India has undertaken a number of export Promotion measures like dissemination of market information, conducting publicity and propagan a abroad, participation in major international fairs and exhibitions etc, to boost exports. The Indian Office for Food Products in Brussels established in 1964 is also undertaking promotional work for Indian cashewnuts at the levels of importers, retailers, consumers and institutions concerned with food items in Western Europe, particularly for whole nuts, which form a high percentage of Indian cashewnuts exported as against other competitors. Facilities for modernising the cashew industry are under consideration Steps are also being taken to increase the indigenous production of raw cashewnuts.

काश्मीर के प्रश्न पर रूसी नेताओं के साथ बातचीत

***646. श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री वंश नारायण सिंह :

क्या **वैदेशिक–कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब वह सितम्बर 1969 में मास्को गये थे तो क्या वहां उन्होंने काश्मीर के बारे में रूसी नेताओं के साथ बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या रूसी नेताओं ने उन्हें आश्वासन दिया था कि रूसी काश्मीर के मामले में भारत का समर्थन करेगा ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) . सोवियत नेताओं ने फिर यह कहा है कि काश्मीर पर उनका रवैया अपरिवर्तित है।

आंखों के आपरेशन करने के लिए भारत द्वारा नेपाल में खोले गए शिविर

***647. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल में आंखों का आपरेशन करने के लिए काटमंडू में भारतीय दूतावास ने हाल ही में कुछ शिविर खोले थे;

(ख) क्या इन शिविरों में भारतीय डाक्टरों की सेवायें बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध की गई थीं;

(ग) यदि हां, तो भारतीय डाक्टरों ने कितने व्यक्तियों का आपरेशन किया अथवा इलाज किया; और

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में अन्य एशियाई देशों को ऐसे दल भेजे हैं अथवा भेजने का विचार है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) 11,303 रोगियों को ठीक किया गया, 1478 लोगों की आंखें बनाई गई, वर्तन दोष के 1170 मामले ठीक किए गए और 738 रोगियों को मुफत चश्में दिए गए ।

(घ) सरकार ने किसी दूसरे देश में इस प्रकार के दल नहीं भेजे हैं ।

पटसन मिल बन्द होना

*648. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री 19 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 425 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धन की कमी के कारण सितम्बर और अक्तूबर, 1969 के बीच कौन-कौन सी पटसन मिले बन्द हुई;

(ख) क्या ऐसी मिलों की वास्तविक वित्तीय स्थिति की जांच कराने का सरकार का विचार है;

(ग) क्या यह सच है कि ककनाराह कम्पनी लिमिटेड ने 80 लाख रुपये की देनदारी के बावजूद हाल ही में अपने प्रबन्ध निदेशकों की उपलब्धियां बहुत अधिक बढ़ा दी हैं;

(घ) क्या नेशनल कम्पनी लिमिटेड ने पटसन के स्टाक के आधार पर, जो वास्तव में नहीं था, भारत के स्टेट बैंक से 3 करोड़ रुपये से अधिक राशि के ऋण प्राप्त किये है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी मिलों को बन्द न होने देने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख) . दो मिलें, अर्थात नस्करपाडा जूट मिल्स और एलायन्स जूट मिल्स, वित्त की कमी के कारण कुछ समय तक बन्द पडी रही थी और सितम्बर तथा अक्तूबर, 1969 में भी बन्द पडी रही । इन मिलों को पुनः चालू कराने की सम्भावना पर पटसन आयुक्त द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(ग) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन के प्रवेश का भारत के व्यापार पर प्रभाव

*649. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन यूरोपीय साझा बाजार की ओर अधिक आकर्षित है और परिणामतः भारत के व्यापार में बड़ी कमी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो व्यापार में हुई इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख) ब्रिटेन के साथ हमारे व्यापार में ह्रास की प्रवृति रही है । ब्रिटेन को किये जाने वाले हमारे निर्यातों में बढ़ोतरी का रुख लाने के लिए हम उपाय कर रहें है ।

वर्ष 1961 से ही ब्रिटेन यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल होने का प्रयास कर रहा है । हाल की प्रेस रिपोर्टों के अनुसार यूरोपीय आर्थिक समुदाय की ब्रिटेन की सदस्यता के लिए बातचीत 1970 में आरम्भ होने की सम्भावना है । यदि ब्रिटेन को होने वाले हमारे निर्यातों में कोई गिरावट आने की आशंका है और जिसका कारण प्रत्यक्ष रूप से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की ब्रिटेन की सदस्यता हो सकता है, तो भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सदस्यता के लिए ब्रिटेन के आवेदन के सम्बन्ध में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं में अपने हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठायेगा और ऐसी व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगा जिनसे भारत के व्यापार को होने वाली क्षति पर्याप्त रूप में पूरी हो सकेगी ।

पाकिस्तानी जहाजों का ओखा के पास अवैध प्रवेश

***650. श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969 में अक्तूबर मास के अन्तिम सप्ताह में और नवम्बर के प्रथम सप्ताह में पाकिस्तान के आठ यन्त्रीकृत जहाज, जिनमें 142 पाकिस्तानी थे, ओखा के पास सौराष्ट्र के तटवर्ती समुद्र में अवैध रूप से घुस आये थे;

(ख) क्या इस आकस्मिक अवैध प्रवेश का सम्भावित उद्देश्य सौराष्ट्र तट पर नौसेना के प्रतिष्ठानों का पता लगाना तथा नौसेना प्रतिरक्षा रेखाओं के प्रसंग में भारतीय जल प्रांगण सम्बन्धी महत्वपूर्ण सामरिक जानकारी प्राप्त करना था; और

(ग) यदि हां, तो पकड़े गये जहाजों और गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) . ध्यान गृह मन्त्रालय द्वारा उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2883 दिनांक 5 दिसम्बर 1969 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

*** 651. श्री वासुदेवन नायर :**
श्री अदिचन :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं;

(ख) क्या उक्त कार्यवाही के फलस्वरूप वर्ष 1968 तथा 1969 में समुद्री–उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मद के निर्यात में कितनी वास्तविक वृद्धि हुई;

(घ) उनके निर्यात में कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है; और

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना में इनमें से प्रत्येक मद के उत्पादन और निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात को तेज़ करने के लिये निम्न लिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) उत्पादन के उपायों का विकास करने के लिये मछली पकड़ने, उन्हें समुद्र से बाहर लाने, तैयार करने डिब्बों में बन्द करने तथा ठण्ड में रखने में मशीनों के प्रयोग का एक कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ii) मछली तथा मछली उत्पादों के निर्यातकर्ताओं के लिये आयात नीति के अधीन कुछ पूंजी, सामानों के फालतू पुर्जों तथा पैकिंग सामग्री के आयात की अनुमति दी जा रही है ।

(iii) निर्यातकर्ताओं की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों, प्रेस प्रचार आदि में भाग लेकर समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्द्धन परिषद द्वारा निर्यात नीति को नियमित किया जा रहा है ।

(iv) समुद्री उत्पादों की मदों का निर्यात (किस्म नियन्त्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अधीन लाकर किस्म में सुधार किया जा रहा है ।

(ख) से (घ). समुद्री उत्पादों का निर्यात वर्ष 1967-68 के 19.72 करोड़ रुपये के मूल्य के 21907 टन से बढ़ कर वर्ष 1968-69 में 26,811 टन हो गया है जिनका मूल्य 24.70 करोड़ रुपये है । वर्ष 1967-68 की तुलना में वर्ष 1968-69 के दौरान जिन महत्वपूर्ण मदों के निर्यात में वृद्धि हुई है उनमें अवरुद्ध झींगे (Frozen Prawns). जिनके निर्यात में 13.33 करोड़ रुपये से बढ़कर 18.02 करोड़ हो गया है. सूखी मछली के बारे में यह वृद्धि 1.8 करोड़ रुपये से 1.41 करोड़ रुपये हुई है, फ्रोजन लोब्सटर टेल्स के बारे में 0.35 करोड़ रुपये से बढ़ कर 0.92 करोड़ तथा फ्रोजन फ्राँग लैग्स के बारे में 0.62 करोड़ रुपये से बढ़ कर 0.65 करोड़ हुई है । अप्रैल, 1969 से अक्तूबर, 1969 की अवधि में, समुद्री उत्पादों का निर्यात गत वर्ष की इसी अवधि के 11.76 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 200.16 करोड़ रुपये का हुआ है । यह वृद्धि मुख्यतः अवरुद्ध झींगों (Frozen Prawns) के निर्यात में वृद्धि के कारण हुई है जिसका निर्यात 1968 के अप्रैल से अक्तूबर के 8.29 करोड़ रुपये की तुलना में 1969 के अप्रैल से अक्तूबर तक की अवधि में 16.57 करोड़ रुपये का हुआ है ।

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये उत्पादन अथवा निर्यात सम्बन्धी मदवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं ।

पटसन का आयात

*652. **श्री र० कृ० बिड़ला** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उत्पादित पटसन की सप्लाई अपर्याप्त होने के कारण भारतीय पटसन मिल आयातित पटसन पर निर्भर करते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में कितनी मात्रा में पटसन का आयात किया गया, यह आयात किन-किन देशों से किया गया तथा उसका मूल्य कितना है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में वैज्ञानिक ढंग से पटसन की खेती करने की मांग की गई है और यदि हां, तो सरकार तथा पटसन उद्योग द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सरकार ने पटसन के अच्छी किस्म के तथा अधिक मात्रा में पैदावार देने वाले बीजों का विकास किया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) पटसन का आयात उसी वर्ष किया जाता है जब उसकी कमी होती है ।

(ख) सिंगापुर, मलयेशिया तथा थाइलैंड से वर्ष 1967-68 में 4.89 करोड़ रु० मूल्य के 34,032 मे० टन तथा वर्ष 1968-69 में 16 46 करोड़ रु० मूल्यके 92,452 मे० टन पटसन का आयात किया गया ।

(ग) पटसन की उपज, उत्पादन तथा गुण बढ़ाने के लिये समय समय पर अनुरोध किये गये हैं । एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है, जिसमें इस सम्बन्ध में किये गये उपाय दिये गये हैं ।

विवरण

पटसन की उपज, उत्पादन बढ़ाने और गुण बढाने के लिये किये गये उपाय :—

1. इसकी उपज बढ़ाने के लिये यूरिया के 'फोलियर-स्प्रे' को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।
2. चौथी पंचवर्षीय योजना में पटसन सम्बन्धी एक विशेष पैकेज कार्यक्रम शामिल किया गया है जिसके अन्तर्गत योजना के अन्त तक 2.10 लाख एकड़ भूमि इसके अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पटसन उत्पादों को 50 प्रतिशत राज सहायता पर उन्नत बीज दिये जायेंगे । सारे क्षेत्र में 'सीड-ड्रिल्स' (बीज बोने की मशीनें) और 'व्हील-होज' से बुवाई की जायेगी, जो किसानों को निःशुल्क सप्लाई की जायेंगी । 'फोलियर-स्प्रे' के लिये यूरिया की लागत सरकार वहन करेगी । सरकार कम वाल्यूम के शक्तिचालित स्प्रेयर मशीनों का संचालन व्यय भी वहन करेगी । पटसन का वर्गीकरण भी इस कार्यक्रम का एक आवश्यक अंग होगा ।
3. इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन ने भी पटसन विकास कार्य आरम्भ किया है जिसमें (क) सघन खेती का प्रदर्शन और (ख) पटसन के बीज का उत्पादन और वितरण शामिल है ।

(घ) जी, हां ।

जापान से स्टेनलैस स्टील का आयात

* 653. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत जापान से स्टेनलैस स्टील खरीदता रहता है जो भारतीय ग्राहकों के लिये प्रति मास 300 मीट्रिक टन स्टेनलैस स्टील अरक्षित रखता है।

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने हाल में हमारा पूरा कोटा खरीदने के लिये आयात लाइसेंस जारी नहीं किये थे;

(ग) क्या सरकार यह सोचती है कि क्योंकि जापान में स्टेनलैस स्टील के प्रचलित मूल्य विश्व में प्रचलित मूल्यों से कम है इसलिये हमें अपना पूरा कोटा तभी आयात करना चाहिए यदि हमारी आवश्यकता से अधिक सामग्री का मुनाफे पर पुनः निर्यात किया जा सके;और

(घ) यदि हां, तो आयात कोटे का पूरा उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं और क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई अब कार्यवाही की गई है कि भविष्य में ऐसे अवसर हाथ से न जाने पायें ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें वर्ष 1968-69 से जापान तथा अन्य देशों से किये गये अविकारी इस्पात की चादरों के आयात दिखाये गये हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2380/69**] विशिष्ट विदेशी ऋणों के आधार पर और रुपये में भुगतान के क्षेत्रों के लिये जारी किये गये आयात लाइसेंसों को छोड़कर आयात लाइसेंस सामान्य मुद्रा क्षेत्र के लिये दिये जाते हैं। सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि जापान भारतीय ग्राहकों के लिये प्रति मास 300 मे० टन अविकारी इस्पात आरक्षित रखता है।

(ख) से (घ). स्वदेशी उत्पादन के कार्यक्रम के प्रकाशन में वास्तविक उपभोक्ताओं की आधी जरूरतों को पूरा करने के लिये अविकारी इस्पात चादरों की अनुमत विशिष्टियों आवश्यक एण्ड प्राडक्स के निर्माण के लिये अपेक्षित पत्तियों और प्लेटों के आयात-लाइसेंस दिये जाते हैं, बाकी अंश के आयात की अनुमति स्वदेशी उत्पादकों से अप्राप्यता प्रमाण लेकर प्रस्तुत करने पर दी जायेगी। आयातों की अनुमति कोई और आधार न होने पर ही दी जाती है केवल विदेशों में मूल्य कम होने के आधार पर नहीं। वर्तमान आयात नीति में विदेशी माल के आयात की उसे और सांधित किये बिना केवल पुनर्निर्यात करने के प्रयोजन से, अनुमति देने की व्यवस्था नहीं है।

Import from and Export to Yugoslavia

* 654. **Shri J. Sundar Lal :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the details of commodities imported from and exported to Yugoslavia during the years 1967, 1968 and 1969; and

(b) the value of import and export in terms of rupees separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) The principal commodities that are imported from Yugoslavia into India are lubricating base oils, Chemicals, Non-ferrous metals and semis, Tractor components, Diesel engine components, Construction and earthmoving equipments, as well as capital goods and equipments. Exports from India to Yugoslavia consist mainly of Iron ore, Textile fabrics, Jute Manufactures, Tanned and semi tanned hides and skins, Tyres and tubes, Aluminium ingots, Linoleum and other traditional items like Tea and Coffee, De-oiled cakes, Cashew Kernels, H. P. S. groundnuts etc. apart from various consumer goods.

(b) Total value of imports and exports from and to Yugoslevia are :--

Year	Imports Rs.	Exports Rs.
1967	13.82 crores	14.67 crores
1968	13.25 crores	16.14 crores
1969	4.64 crores (upto July)	19.4 crores (upto August)

Checking of Border Violations

* 655. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3411 on the 13th August. 1969 and state :

(a) whether Government are considering over a scheme for checking effectively border violations in future; and

(b) if so, the steps proposed to taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). The vigiliance that continues to be exercised by our troops on the border is a safeguard against violations.

हिमाचल प्रदेश से विदेशों को सेवों तथा सरसों के साग का निर्यात

* 656. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1968 से अक्तूबर, 1969 के अंत तक हिमाचल प्रदेश से निर्यात किये गये सेवों तथा सरसों के साग का मूल्य कितना था और प्रत्येक देशों को इन वस्तुओं की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ख) इन वस्तुओं के लिये और कितने आर्डर प्राप्त हुए हैं तथा अगले वर्ष यह लक्ष्य कहां तक पहुंच जाने की सम्भावना है; और

(ग) आगामी वर्षों में निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) राज्य-वार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं और संशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण में सरसों का साग अलग से वर्गीकृत नहीं है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

बेरोजगार श्रमिक

* 657. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 अक्तूबर, 1969 के "दि इक्नामिक्स टाम्इस" में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार को ध्यान में रखते हुए कि रूस में, 10 लाख श्रमिकों की कमी है, भारत द्वारा अपने बेरोजगार श्रमिक वहां न भेजे जाने के क्या कारण है, क्योंकि ऐसा करना इंग्लैंड और अन्य लोकतंत्री देशों में भारतीय श्रमिकों को रोजगार मिलने के अनुरूप होगा;

(ख) रूस में भारतीय उत्प्रवासियों की निर्धारित संख्या कितनी है और क्या इसको बढ़ाने के लिये सरकार ने आग्रह किया है; और

(ग) शेक्रीन फैक्टरी में उत्पादिता को 87 प्रतिशत और उत्पादन को 80 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना को हमारी अपनी फैक्टरियों में, कम से कम उन फैक्टरियों में जो रूस के सहयोग में चलती हैं और जहां श्रमिक फालतू हैं, लागू न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारत सरकार की नीति भारत से उत्प्रवास को प्रोत्साहन देने की नहीं है ।

(ख) सरकार को ऐसे कितने कोटे के बारे में ज्ञात नहीं है और इसे बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यह सुझाव कार्रवाई के लिए है ।

भारतीय नौसेना द्वारा एक विमान वाहक जहाज की प्राप्ति

* 658. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार अपनी पंचवर्षीय प्रतिरक्षा योजना में नौसेना के लिए एक नया विमान वाहक जहाज प्राप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख). कच्छ खाड़ी क्षेत्र की रक्षा के लिए ओखा में नौसैनिक सुविधायें स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही हैं। ओखा बन्दरगाह का एक नौसैनिक अड्डे के तौर पर विकास करने के लिए कोई निर्णय नहीं किया गया ।

मनीपुर के एक युवक प्रतिनिधिमण्डल द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया जाना

* 659. **श्री एम० मेघचन्द :** क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या मनीपुर के एक युवक प्रतिनिधि मंडल ने 18 नवम्बर 1969, को उनसे भेंट की थी तथा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था:

(ख) यदि हां, तो उसमें किन बातों की चर्चा की गई है; और

(ग) ज्ञापन में उल्लिखित बातों के बारे में प्रधान मन्त्री की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री वित्त मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित ज्ञापन की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2381/69**]

(ग) ज्ञापन में जिन बातों की चर्चा की गई है, उन्हें संबद्ध अधिकारियों के पास समुचित विचार के लिए भेज दिया गया है।

महाराष्ट्र के स्वतन्त्र पार्टी के नेता द्वारा स्वर्गीय प्रधान मन्त्री लाल बहादुर शास्त्री की देनदारियों के भुगतान का प्रस्ताव

***660. श्री यशपालसिंह :**
श्री मृत्युंजय प्रसाद :

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको स्वतन्त्र पार्टी की महाराष्ट्र शाखा के संयुक्त मन्त्री से इस आशय का एक पत्र प्राप्त हुआ है कि उनका दल स्वर्गीय प्रधान मन्त्री लाल बहादुर शास्त्री के सभी बिलों और देनदारियों का भुगतान सार्वजनिक चंदे द्वारा करने को तैयार है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) स्वर्गीय प्रधान मन्त्री की देनदारियों की वास्तविक राशि कितनी है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, तथा अणु-शक्ति मन्त्री योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). तथ्य इस प्रकार है :

श्रीमती ललिता शास्त्री आजकल बंगला नं० 1, मोतीलाल नेहरु प्लेस में रह रही हैं। इसमें पहले प्रधान मन्त्री शास्त्री रहते थे और इसके लिए 125 रु० मासिक किराया नियत किया गया है जो कि श्रीमती शास्त्री की पेंशन का 10 प्रतिशत है।

निर्माण और आवास मंत्रालय तथा उनके परिवार के बीच लगभग 2200 रु० की रकम के बारे में कुछ लिखा पढ़ी होती रही है; यह रकम उस फर्नीचर के किराए की है जिसका इस्तेमाल उनका परिवार मार्च 1966 के बाद साढ़े तीन वर्ष से करता आ रहा है। स्वर्गीय प्रधान मंत्री के उपयोग की कुछ चीजें शास्त्री स्मारक ट्रस्ट को स्थानांतरित करने के प्रश्न पर भी कुछ लिखा-पढ़ी होती रही है। प्रस्तावित स्थानान्तरण से सम्बद्ध फर्नीचर और अन्य वस्तुओं का अनुमानित मूल्य लगभग 16,500 रु० बैठता है।

प्रधान मंत्री को इन मामलों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस विषय पर कुछ अखबारों में जब रिपोर्टें छपी, तब उन्होंने इसकी पूछताछ कराई। उनके निर्देश से प्रधान मन्त्री सचिवालय और निर्माण तथा आवास मंत्रालय के दो अधिकारी श्रीमती शास्त्री से खुद जाकर मिले और उनकी इच्छा के अनुरूप मुख्य रूप से निर्णय लिये जा रहे हैं। श्रीमती शास्त्री से व्यक्तिगत पूछताछ के दौरान उन्होंने कहा कि मैं इस मामले का प्रचार किये जाने पर

अप्रसन्न हूं। उन्होंने यह बात ठीक ही कही है कि किन्हीं पुराने बिलों का भुगतान करने के उद्देश्य से 'सार्वजनिक चंदा' लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकार को इस विषय में अपनी जिम्मेदारी मालूम है। प्रधान मन्त्री शास्त्री राष्ट्र के थे और उन्होंने देश के लिये अपने जीवन का बलिदान किया। भाग (क) में उल्लिखित किसी पेशकश को स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकार बहुत खेद प्रकट करती है और निहित स्वार्थी लोगों ने इस विषय में बढ़ा-चढ़ा कर तथा तोड़ मरोड़ कर जो प्रचार किया है, उसकी वह निंदा करती है।

Development of Singaji Railway Station (Central Rly.)

4001. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Railway be pleased to state :

(a) whether Government propose to develop further the Singaji Railway station on the Itarsi-Bhusawal line of the Central Railway and to construct a big Waiting Room on that station in view of the fact that there remains great rush of passengers on the said station who come to attend the fair which is held at the Samadhi of Sant Singaji in Singaji ;

(b) if so, when Government propose to start construction work there ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railway (Shri Govind Menon) : (a) (b) and (c). To meet the rush of passengers during Singaji Fair, held for about ten days in October every year, two temporary waiting sheds measuring 60'X30' each areprovided each year, which are considered adequate.

However, development of the existing waiting accommodation to meet the normal traffic at this station will be taken up in future years in consultation with Zonal Railway Users Amenities Committee and subject to availability of funds.

भारत में बनने वाले चार पहियों के माल डिब्बे पर लागत तथा उसका टिकाऊपन

4002. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बनने वाले चार पहियों के माल डिब्बे की औसतन लागत तथा उसका टिकाऊपन क्या है ;

(ख) कितने कारखानों में इसका निर्माण हो रहा है, वे कहां स्थित हैं और प्रत्येक की वार्षिक क्षमता कितनी है ;

(ग) गत तीन वर्षों में वर्षवार चार पहियों के कुल कितने माल डिब्बों का निर्माण किया गया ;

(घ) इस अवधि में टूट-फूट तथा अन्य कारणों से वर्षवार कितने माल डिब्बे नष्ट हुए ;

(ङ) वार्षिक निर्माण दर के अनुपात में क्षति की इतनी अधिक प्रतिशतता के क्या कारण हैं ; और

(च) 1966–67 से देश वार कितने तथा किस मूल्य के माल डिब्बों का निर्यात किया गया ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) चौपहिया माल डिब्बे की लागत माल डिब्बों की टाइप और आमान तथा आपूर्ति के स्त्रोत पर निर्भर है। परन्तु सी० आर० टाइप के बड़ी लाइन के बन्द चौपहिये माल डिब्बे की वर्तमान औसत लागत लगभग 21,000 रुपये है। एक चौपहिया माल का संहितागत औसत कार्य समय सामान्यत: 40 वर्ष है।

(ख) **सरकारी क्षेत्र** :–सरकारी क्षेत्र में उत्पादन यूनिटों की संख्या, उनका कार्य-स्थल और चौपहियों के हिसाब से लाइसेंस की गयी क्षमता अनुबन्ध 'क' पर लगे विवरण में दी गयी है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2382/69]**

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स

4003. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का 30 मार्च 1969 तक न बिके हुए संचित माल का मूल्य क्या है तथा वह माल किस प्रकार का है ;

(ख) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के एक संयंत्र की अप्रयुक्त क्षमता 52 प्रतिशत तक है ;

(ग) भारत द्वारा अभी भी 40 करोड़ रुपये के मूल्य की मशीनी औजार आयात करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या ट्रैक्टरों और छपाई मशीनों के निर्माण की नई योजना से नए मशीनी औजारों के मामले में आत्मनिर्भरता लाने में अनावश्यक देरी नहीं होगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) 31 मार्च, 1969 को कम्पनी के पास स्टाक में पड़ी हुई मशीनों की कीमत 131 लाख रु० के मूल्य की थी। इसमें शोरूम में रखी हुई 11 लाख रुपये के मूल्य की मशीनें शामिल नहीं हैं, आर्डर प्राप्त 100 लाख रुपये के मूल्य की मशीनें, सुपुर्द की जाने वाली 65 लाख रु० के मूल्य की मशीनें, 2 लाख रुपये की किराये की मशीनें सम्मिलित नहीं हैं विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार हैं :–

मशीनों की किस्म	फ्री स्टाक	शो-रूम प्रदर्शनी	किराया	आर्डर पर रखी हुई मशीनें	सुपुर्द की गई मशीनों का स्टाक	योग
1	2	3	4	5	6	7
लेथें	120	30	4	98	62	314
मिलिंग मशीन	64	21	–	119	34	238
रेडियल ड्रिल्स	18	11	–	13	58	100

मशीनों की किस्म	फ्री स्टाक	शो-रूम प्रदर्शनी	किराया	आर्डर पर रखी हुई मशीनें	सुपुर्द की गई मशीनों का स्टाक	योग
1	2	3	4	5	6	7
ग्राइंडिंग मशीनें	38	8	2	14	10	72
गियर शेपर्स	8	4	–	2	–	14
विशेष प्रयोग की मशीनें	–	–	–	6	1	7
अन्य मशीनें	31	–	–	–	–	31
योग	279	74	6	252	165	776
मूल्य लाख रु० में	131	11	2	100	65	309

× गियर हार्बस, सिंगल स्पिंडल आटौमेटिक्स, ब्रोचिंग मशीनें और कापींग लेथे ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) . इस वर्ष आयात किये गए मशीनी औजारों में बहुत सी नई डिजाइनों की मशीनें शामिल हैं जिन्हें हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० विगत पांच वर्षों से बनाने की कोशिश कर रहा था, विशेष किस्म के मशीनी औजार जैसे बहुत भारी मशीनी औजार, जो अभी भी देश में नहीं बनाये जाते हैं (और जिसके बनाने की स्थिति में एच० एम० टी० अभी नहीं है) ये हैं, हैवी ड्यूटी प्रेसे, तथा धातु को रूपाकार देने वाली अन्य मशीनें (जिसके लिए बहुत कुछ संभावना है कि एच० एम० टी० आगामी पांच या उससे अधिक वर्षों में उसे बना सकेगा) गियर ग्राइंडिंग मशीनें, इंटर्नल ग्राइंडर्स, जिग बोरिंग, थ्रेड ग्राइंडिंग, लैसिंग हार्निंग मशीनें फोर्ज प्रेसे (वेरी हैवी तथा हैवी ड्यूटी वाले) आदि । देश में विशेष प्रकार के फाउन्ड्री फोर्ज उपकरण, वेल्डिंग उपकरण तथा अधिक संख्या में पुर्जे तथा विशेष किस्म के सहायक सामान मेटल वर्किंग तथा मशीनी औजार उद्योग द्वारा आयात किए जाते हैं । यह बहुत सी वस्तुओं का आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद उत्पादन नहीं है क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की होती हैं तथा इनकी आवश्यकता भी सीमित हो रही है । शतप्रतिशत देशी उत्पादन पर निर्भित अकिस्म के नए मशीनी औजार बनाने से पहले टेक्नालाजी को पूरा करने में लगभग तीन से पांच वर्ष का समय लगा जिसमें जिग्स तैयार करने, टूलिंग आदि शामिल है । सभी प्रकार में मशीनी औजारों की देश की मांग के साथ साथ निर्माण की मांग के आधार पर उत्पादन को निर्धारित कार्यक्रम की अपेक्षित क्षमता पर विचार कर लेने के पश्चात आगामी तीन वर्षों में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के सभी पांचों कारखानों की निर्धारित क्षमता अनुमानतः 25 प्रतिशत बच रहेगी । चूंकि इस फालतू क्षमता का उपयोग मुद्रण मशीनों, ट्रैक्टरों, डाई बनाने वाली मशीनों तथा अन्य जटिल प्रकार के मशीनी औजारों के निर्माण में किए जाने का इरादा है । अतः उत्पादन में प्रस्तावित विविधता लाने से मशीनी औजार बनाने के वर्तमान कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ेगा । इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि उच्चतम विकसित देश अभी भी चुने हुए मशीनी औजारों का बराबर आयात कर रहे हैं । सभी प्रकार के मशीनी औजारों में शत प्रतिशत आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेना आर्थिक तथा तकनीकी दृष्टि से न तो संभव ही है और न आवश्यक ही ।

व्यापारियों के पास यात्री कारों के क्रयादेश

4004. श्री बाबूराव पटेल : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विभिन्न व्यापारियों के पास, कारों के लिए कितने कितने क्रयादेश पड़े हैं ;

(ख) नवीनतम आंकड़ों के अनुसार डाकघरों में जमा कराई गई 2000 रुपये प्रति कार के हिसाब से कितनी राशि है ;

(ग) इस जमा राशि का प्रतिवर्ष किस दर पर ब्याज दिया जाता है और गत वर्ष कुल कितना ब्याज दिया गया ; और

(घ) यदि ब्याज नहीं दिया गया, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 31 अगस्त 1969 तक विभिन्न विक्रेताओं के पास प्रत्येक मार्के की सवारी कार के क्रयादेशों की संख्या निम्न प्रकार हैं :–

फियेट	39,842
हिन्दुस्तान ऐम्बेसेडर	28,382
स्टेन्डर्ड हेराल्ड	138

(क) मोटर कार (वितरण तथा बिक्री) नियंत्रण आदेश 1959 के अनुसार प्रत्येक कार के क्रयादेश के साथ डाकखाने में 2,000 रुपये की धनराशि का जमा होना आवश्यक है। इस आधार पर ऐसे क्रयादेशों जिनका भुगतान 31 अगस्त, 1969 तक नहीं किया गया है कि डाकखाने में जमा धनराशि 13,67,24,000 रु० होगी।

(ग) तथा (घ) . इन जमा खातों पर डाकखाने द्वारा 3 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है। गत वर्ष देश के विभिन्न डाकखानों द्वारा इन जमा खातों पर दिये गये ब्याज की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

मोटर कार नियंत्रण आदेश के अनुसार इस जमा खाते की पास बुक विक्रेता के पास रखी जाती है। विक्रेताओं द्वारा कार की डिलीवरी के समय इन पास-बुकों को ग्राहकों को लौटा दिया जाता है इस समय तक यह पास-बुकें विक्रेताओं के कब्जे में रहती हैं। अतः प्रतिवर्ष इन जमा खातों पर लगने वाले ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता अपितु (इसे मूलधन में ही जमा किया जाता है और इसे विक्रेताओं द्वारा पास बुकों को लौटाये जाने के पश्चात ही निकाला जा सकता है।

बिहार शरीफ तथा जहानाबाद के बीच नई रेलवे लाइन

4005. श्री चंद्रशेखर सिंह : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार शरीफ तथा जहानाबाद के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने तथा इसे बिहार में अर्वल कस्बे तक बढ़ाने की सरकार की कोई योजनायें हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस लाइन को सार्वजनिक उपयोग के लिये खोले जाने में कितना समय लगने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क), (ख) और (ग) . जी नहीं । अर्थोपाय की वर्तमान कठिन परिस्थितियों तथा प्राथमिक परियोजनाओं के लिये अल्प साधानों को बचा रखने की आवश्यकता के कारण यह संभव नहीं है कि निकट भविष्य में इस रेल सम्पर्क के निर्माण पर विचार किया जा सके ।

बिहार में बरवाडीह से नई रेल लाइनें

4006. श्री चंद्र शेखर सिंह : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बरवाडीह से तथा औरंगाबाद, दाऊनगर, अखाल, पालीगंज, बिक्रम तथा बीहता कस्बों में से होती हुई नई रेलवे लाइनें बनाने की सरकार की कोई योजनाएं हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह नई रेलवे लाइन कब पूरी हो जायेगी तथा जनता के उपयोग के लिये उपलब्ध हो जायेगी ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क), (ख) और (ग) . जी नहीं । धन की कमी के कारण निकट भविष्य में इस लाइन के निर्माण के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता ।

गया से बिहार में पश्चिम की ओर नई रेलवे लाइनें

4007. श्री चंद्रशेखर सिंह : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया से बिहार में पश्चिम की ओर टेकरी, कोंच, गोह, देवहरा और दाऊनगर कस्बों तक नई रेलवे लाइनें बिछाने की सरकार की कोई योजनाएं हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह नई लाइन सार्वजनिक प्रयोग के लिये संभवतः कब तक तैयार हो जायेगी ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क), (ख) और (ग) . जी नहीं । वित्तीय कठिनाइयों के कारण निकट भविष्य में इस रेल सम्पर्क के निर्माण पर विचार करना सम्भव नहीं है ।

गढ़ानी से शहर (बिहार राज्य) तक नई रेलवे लाइन

4008. श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बिहार राज्य में गढ़ानी (जिला शाहबाद) से शहर (सोन नदी के समीप) अरवाल, जहानाबाद और बिहार शरीफ तक एक नई रेलवे लाइन बनाने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो यह लाइन कब पूरी होगी तथा कब तक जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध होगी ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क), (ख) और (ग). जी नहीं। धन की कमी के कारण निकट भविष्य में इस लाइन के निर्माण के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता।

रफीगंज, बिहार से नई रेलवे लाइन

4009. श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में रफीगंज से टेकरी, मऊ मानिकपुर, कुरथा थाना, अटीला पालीगंज, बिहता आदि से होकर जाने वाली एक नई रेल लाइन बिछाने के लिये क्या सरकार ने कोई योजना बनाई हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह नई लाइन कब तक जनता के प्रयोगार्थ तैयार हो जायेगी ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क), (ख) और (ग). जी नहीं। अर्थोपाय की वर्तमान कठिन परिस्थितियों और प्राथमिक परियोजनाओं के लिए अपने अल्प साधनों को बचा रखने की आवश्यकता के कारण यह सम्भव नहीं है कि निकट भविष्य में इस रेल सम्पर्क के निर्माण पर विचार किया जा सके।

निम्न श्रेणी लिपिकों की भर्ती के नियम

4010. श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : क्या रेलवे मंत्री 18 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 204 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चूंकि 13 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9374 के भाग (ग) और (घ) के उत्तरों में बताई गई सूचना के अनुसार निम्न श्रेणी लिपिकों के भरती के नियम उन पर लागू नहीं होते, क्या संबंधित व्यवस्था भी, जो स्पष्टतः उन भरती नियमों के अनुसार की गई थी, उन पर लागू नहीं होती ; और

(ख) क्या रेलवे बोर्ड के कार्यालय में निम्न श्रेणी में नियुक्ति के लिये, जो इन लिपिकों की सेवा की नियमित लाइन से बाहर होती है, नियम 2026 (एफ० आर० 30) आर दो के परन्तुक के अन्तर्गत वेतन सुरक्षित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अन्तर्गत नियमित वेतन की सुरक्षा सेवा की लाइन में स्थानापन्न पदोन्नति तक ही सीमित होती है, जो इस मामले में जोनल रेलवे है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) रेलवे बोर्ड कार्यालय में ग्रेड II सेवा (लोअर डिवीजन क्लर्क) की भर्ती के नियम पुर्नसंगठन एवं पुर्नबलन योजना, रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के पैरा 17 में दिये गये हैं। इस पैरा की एक प्रतिलिपि संलग्न है। जो कलर्क बोर्ड कार्यालय में नियुक्ति के समय रेलों पर 60-130 (पी०) 110–180 (ए) वेतनक्रम में काम कर रहे थे और बाद में उन कार्यालयों में उच्चतर पदक्रमों जैसे पुनर्व्याप्ति के साथ 80–220 (पी)/130–300 (ए) के पदक्रम में नियुक्त किये गये थे, उनको ग्रेड II में समाहित करना इस पैरा के अन्तर्गत व्यावहारिक नहीं है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2383/69**]

(ख) जैसा कि 20-4-1961 के बोर्ड के आदेश में निर्दिष्ट है, (उक्त आदेश की एक प्रतिलिपि 15-4-69 के अतारांकित प्रश्न सं० 6381 के उत्तर के साथ संलग्न की गयी थी) इन क्लर्कों के वेतन संरक्षण नियम 2026 (एफ० आर० 30) ऑर II के पुरन्तुकों में ढील करके दिया गया है।

बिस्कुट बनाने के कारखाने के निर्माण के लिए लाइसेंस दिया जाना

4011. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी फर्म को बिस्कुट बनाने के कारखाने के निर्माण के लिये कोई लाइसेन्स दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कब उत्पादन कार्य आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ;

(ग) लाइसेन्स जारी करने के लिए क्या मापदंड निर्धारित किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चालू लाइसेन्स नीति के अनुसार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन बिस्कुट बनाने वाले संयंत्रों के निर्माण के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये दिये गये आवेदनों में गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के कारीगर प्रशिक्षुओं द्वारा हड़ताल

4012. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची स्थित हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड में करीगर प्रशिक्षुओं की कुछ महीने हड़ताल रही थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या यह हड़ताल अन्तिम रूप से वापिस ले ली गई है ;

(घ) हड़ताल के कारण, महीने वार, कितनी हानि हुई ;

(ङ) क्या उक्त कारपोरेशन के डिप्टी चेयरमैन उस समय विश्व के दौरे पर चले गये थे जबकि कारीगर हड़ताल पर थे ; और

(च) क्या कारीगरों ने उस समय हड़ताल की थी जब कारपोरेशन के अध्यक्ष विदेश गये हुए थे ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र) : (क) रांची स्थित भारी इन्जीनियरी निगम के भारी मशीनें बनाने के कारखाने के शिल्पी प्रशिक्षार्थियों ने 6 अक्तूबर, 1969 को औजार रखे हड़ताल की थी। अन्य इकाईयों के शिल्पी प्रशिक्षार्थी 27 अक्तूबर, को इस हड़ताल में सम्मिलित हुए थे।

(ग) शिल्पी प्रशिक्षार्थियों ने शिल्पी संगठन द्वारा रखी गई सात मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल की थी।

(ग) हड़ताल 12 नवम्बर को समाप्त हो गई थी।

(घ) जानकारी उपलब्ध नहीं हैं। इससे प्राप्त किया जा रहा है ; और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) जी, हां। पूर्वनिश्चित कार्यक्रमानुसार कम्पनी के उपाध्यक्ष कम्पनी के कार्य से कुछ विदेशों की यात्रा पर गये थे।

(च) जी, नहीं।

साधारण निर्वाचनों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए विधान सभा में आरक्षित स्थान

4013. श्री कार्तिक उरांव : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1951 और 1961 की जनगणना रिपोर्टों के अनुसार बिहार में हजारी बाग जिले की जनसंख्या कितनी-कितनी थी ;

(ख) उक्त जनगणना रिपोर्टों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की जनसंख्या कितनी-कितनी है ; और

(ग) 1952, 1957, 1962 और 1967 के साधारण निर्वाचनों में विधान सभा के कुल कितने स्थान थे और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए विधान सभा के कुल कितने स्थान आरक्षित थे ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मो० यूनस सलीम) : (क)

1951	1,937,210
1961	2,396,411

		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
(ख)	1951	215,722	267,880
	1961	300,647	270,693

		कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
(ग)	1952	15	2	1
	1957	16	1	2
	1962	16	1	2
	1967	16	2	कुछ नहीं

बिहार में आदिम जाति सेवा मंडल होस्टलों की मरम्मत

4014. श्री कार्तिक उरांव : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में आदिम जाति सेवा मंडल द्वारा चलाये जा रहे आदिवासी होस्टल शोचनीय अवस्था में हैं तथा उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता और गत दस वर्षों अथवा इससे भी अधिक समय से अधिकांश होस्टलों की मरम्मत नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो विभिन्न आदिवासी होस्टलों, विशेषकर रुसाई स्थित आदिम जाति सेवा मंडल होस्टल, रांची जिले में पराधी कुरु के महात्मा गांधी स्मारक स्कूल होस्टल की मरम्मत के लिये कितना धन मंजूर किया गया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) यह सच है कि बिहार में आदिम जाति सेवा मंडल द्वारा चलाये जाने वाले आदिवासी होस्टलों की कई बर्षों से मरम्मत नहीं हुई है ।

(ख) आदिम जाति सेवा मंडल ने पहले राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं किया था । मंडल ने हाल ही इन होस्टलों की मरम्मत के लिए धन मांगा है । यह प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के मुख्य इंजीनियर की नियुक्ति

4015. श्री कार्तिक उरांव : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में एक ही व्यक्ति ने मुख्य इंजीनियर (तकनीकी) और मुख्य इंजीनियर (नमूना) का कार्यभार संभाल रखा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मुख्य इन्जीनियर (तकनीकी) तथा मुख्य इंजिनियर (नमूना) के पदों पर नियुक्ति कर दी गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) भारी मशीने बनाने के कारखाने के मुख्य इंजीनियर (रूपांकन) का कोई पद नहीं है वरन् मुख्य रूपांकन इंजीनियर का पद अवश्य है। इस समय मुख्य इंजीनियर (तकनीकी) और मुख्य रूपांकन इंजीनियर के पदों पर दो अलग-अलग व्यक्ति काम कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मुख्य इंजीनियर (तकनीकी) के पद पर नियुक्ति कर दी गई है और एक दूसरा अधिकारी मुख्य रूपांकन इंजीनियर का काम कर रहा है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को घड़ियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विदेशी मुद्रा

4016. श्री वेदव्रत बरुआ : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने भारत में घड़ियों के निर्माण को बढ़ाने के लिये विदेशी मुद्रा की स्वीकृति के लिये आवेदन किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने उसे विदेशी मुद्रा देने से इन्कार कर दिया है ; यद्यपि घड़ियों के आयात तथा विदेशी घड़ियों की तस्करी में भारी हानि होती है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) . घड़ियों के उत्पादन में विस्तार करने का हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए विदेशी मुद्रा की स्वीकृति का प्रश्न इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने के पश्चात उठेगा।

Appointment of a Former Chief Engineer in Communications Ministry in a Tata Firm

4017. Shri J. Sunder Lal : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri P. M. Agarwal a former Chief Engineer, Ministry of Communications, is now holding a key position in a very big company or firm of Tatas ;

(b) if so, the date and grounds of his retirement from the Government service and the reasons for according permission to him to accept employement in the said Tata firm immediately after his retirement ; and

(c) the value of shares owned by the aforesaid official and his wife in the various Tata Group of concerns ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Shri P. M. Agarwal is Managing Director of M/s. Tata Hydro-Electric Agencies Ltd.

(b) Shri P. M. Agarwal retired from Government service on 31st March, 1964. He had attained the age of 55 years on July 7, 1963 and sought and obtained Government's permission for retirement. Later, he approached the Government to obtain permission to take up employement in M/s Tata Hydro-Electric Agencies Ltd., Bombay. The Government, after due consideration of relevant criteria involved in according such sanctions, allowed him to take up employment in this company.

(c). One equity share of Rs. 5,000/--of M/s. Tata Hydro-Electric Agencies Ltd. is jointly held by M/s. Tata sons Pvt. Ltd., Shri P. M. Agarwal and four other Directors of M/s. Tata Hydro-Electric Agencies Ltd. The Particulars of Shri Agarwal's shareholdings as also of his wife in other Tata Companies are not readily available.

भारतीय छात्रेतर युवकों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने की परियोजना

4018. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका सरकार ने भारतीय छात्रेतर युवकों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने की परियोजना के लिये धन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का विवरण क्या है तथा इससे किन उद्देश्यों की प्राप्ति होने की आशा है और सर्वेक्षण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) दिल्ली में छात्रेतर युवकों के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की एक परियोजना अमरीकी सरकार द्वारा विस्तोपोषित की गई है।

(ख) इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैं:—(1) शिक्षा संस्थाओं में बड़े पैमाने पर छोड़े जाने तथा प्रगतिरोध के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों और प्रक्रियाओं का पता लगाना; (2) उनके रहने सहने के स्तरों की जानकारी प्राप्त करना ; (3) यह जानना कि वे अपना समय किस प्रकार बिताते हैं; (4) यह जानकारी प्राप्त करना कि वे किस प्रकार के जन-पर्यावरण का शिकार है ; (5) यह जानना कि वर्तमान युवक संगठन तथा कार्यक्रम उन तक कहां तक और कैसे पहुँचते हैं ; (6) छात्रेतर युवकों के शैक्षणिक स्तर, आकांक्षाओं तथा योजनाओं का पता लगाना ; (7) छात्रेतर युवकों के नौकरी ढूंढने के अनुभवों के अतिरिक्त छात्रेतर युवकों की रोजगार की स्थिति, व्यवसायिक आकांक्षाओं और योजनाओं का पता लगाना ; (8) युवकों के अन्य-संक्रामण के विस्तार तथा प्रकार को जानना ; (9) जीवन अनुस्थापन के रूप में प्राप्तियों तथा सामाजिक गतिशीलता के मूल्यों की, जैसे की युवकों की व्यक्तिपरकता, परिवारपरकता, क्रियाशीलता-निष्क्रियता तथा वर्तमान-भविष्य अनुस्थापन, जानकारी प्राप्त करना ; (10) युवकों की राजनीतिक जानकारी तथा व्यवहार के बारे में जानना।

अध्ययन की प्रथम अवस्था समाप्त हो चुकी है तथा दूसरी अवस्था के दिसम्बर, 1970 तक समाप्त हो जाने की सम्भावना है।

चण्डीगढ़ में उद्योग

4019. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चंडीगढ़ स्थित उद्योगों में गत दस वर्षों में अथवा उसके लगभग अवधि में कोई प्रगति नहीं हुई है ; और

(ख) क्या चंडीगढ़ स्थित उद्योगों के विकास के लिए समुचित प्रोत्साहन देने की कोई योजना सरकार के पास है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किये जा रहे हैं:—

(1) औद्योगिक भूखंडों (प्लाटों) का तय किये हुए मूल्य पर आवंटन करना ;

(2) उत्पादनशील उद्योगों के लिये केन्द्रीय बिक्री कर में कमी करना ;

(3) जल, विद्युत शक्ति तथा संचार सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध करना ;

(4) छोटे पैमाने के उद्योगों को उदार शर्तों पर छोटे-छोटे ऋण तथा रियायती दर पर अधिक ऋण प्रदान करना; तथा

(5) दिल्ली वित्तिय निगम, जिससे चंडीगढ़ सम्बद्ध है, द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करना ।

Appointment of a separate Election Tribunal

4020. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether Government propose to appoint a separate Election Tribunal to ensure speedy disposal of election petitions ;

(b) if not, the reasons therefor, considering the fact that the disposal of election petitions is delayed so much that the next Elections comes in before old petition are disposed of ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Mohd. Yunus Saleem) : (a) and (b) . No, Sir, by and large, there is no avoidable delay in the disposal of election petitions. Out of 397 petitions filed after the general elections of 1967, only 16 petitions are pending. Similarly, out of 120 appeals filed before the Supreme Court, all but 16 appeals have been disposed of·

औद्योगिक मूल्य आयोग पर व्यय

4021. श्री लोबो प्रभु : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित औद्योगिक मूल्य आयोग पर कितना खर्च आने का अनुमान है और क्या इस खर्चे का प्रशुल्क आयोग तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के लिए जिम्मेदार अन्य प्रशासनों पर व्यय में कमी करके संतुलित किया जायेगा ;

(ख) जैसा कि प्रशुल्क आयोग का क्षेत्राधिकार घटाकर उसे फिर से आयातों के विरुद्ध संरक्षण का स्तर निर्धारित करने की मूल जिम्मेदारी सौंपने का विचार है, इस शीर्ष के अन्तर्गत कितना काम रहा है और क्योंकि सीमा शुल्कों का निर्धारण अब संरक्षण के आधारों पर नहीं अपितु राजकोषीय आधार पर हो रहा है, क्या यह काम कम नहीं हो जायेगा;

(ग) क्या सरकार के हस्तक्षेप से होने वाली निराशा से; जैसा कि कृषि मूल्य आयोग के प्रस्तावों के बारे में हुआ है, बचने के लिए इस आयोग के निर्णयों को कानूनी मान्यता दी जायेगी ; और

(घ) यदि कानूनी मान्यता दी जायेगी, तो क्या मूल्य नियंत्रण स्तर उन क्षेत्रों में भी बढ़ाया जायेगा जहां वह अभी तक लागू नहीं है, और यदि नहीं, तो इस आयोग के प्रस्ताव किस प्रकार लागू किये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). सिद्धान्त रूप में सरकार ने औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय में आयोगिक लागत मूल्य ब्यूरो स्थापित करने का निश्चय किया है न कि अलग से कोई आयोग स्थापित करने का । ब्यूरो को अभी उसकी बताये उद्योगों से सम्बन्धित मूल्यों का पूर्ण तथा शीघ्र अध्ययन करना है । ये अध्ययन प्रशुल्क आयोग द्वारा की गई जांच के अनुरूप नहीं होंगे परन्तु निवेश की लागत के सन्दर्भ में मुख्यतः वर्तमान उद्योगों के मूल्य के रूप का विश्लेषण तकनीकी सुधारों की सम्भावनायें, पूंजी तथा मालों का उचित उपयोग, तथा उल्लिखित उद्योग के औद्योगिक एककों की वर्तमान मूल्यों के सन्दर्भ में पूर्णतम क्षमता लागत में कमी करने के क्षेत्र एवं प्रणाली की दृष्टि से होगा । ब्यूरो प्रशुल्क आयोग का स्थान अथवा उसका कोई कार्य नहीं लेगा । ब्यूरो के विस्तृत प्रशासनिक प्रबन्ध अभी अन्तिम रूप से करने बाकी है ।

मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों के रोके जाने की रोक-थाम के लिये विशेष व्यवस्था

4022. श्री बेदव्रत बरुआ: क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई है कि दूरगामी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां मामूली कारणों से न रोकी जायें ;

(ख) क्या यह पता लगाने के लिए, कि क्या सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा रेलगाड़ियों को समय पर चलाने के लिए समुचित सावधानी बरती गई थी, रेलगाड़ियों के रोके जाने के प्रत्येक मामले की जांच करने के लिए कोई व्यवस्था है; और

(ग) क्या लापरवाही के कारण रेलगाड़ी में विलम्ब होने के किसी मामले में वर्ष 1968-69 में दण्ड देने का कोई मामला हुआ है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). यात्री ढोने वाली गाड़ियों के समय पालन के काम की रेल प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर

दैनिक छानबीन की जाती है। गाड़ियों के गैर-अनुसूचित विलम्ब सम्बन्धी सभी मामलों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है और जो कर्मचारी उपेक्षा आदि करने के दोषी पाये जाते हैं, उन्हें दण्ड दिया जाता है।

(ग) जी हां।

Practice of Forced Labour

4023. **Shri Yajna Datta Sharma :**
Shri Sharda Nand :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the name of places in India where the practice of forced labour and bonded labour is in vogue ; and

(b) the steps so far taken to abolish the said practice, the results achieved there form and the details of furthre programme in this regard ?

The Minister of state in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) ; Under article 23 of the constitution, traffic in human beings and begar and other simliar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision is an offence punishable in accordance with the Law. However, the system of bonded labour is prevalent in some States. According to the Reports of the Elayaperumal Committee and the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, it exists under the name of ' Gothi " in Orissa, " Mahidari" in Madhya Pradesh," Sagari" in Rajasthan, "Vet Begar", Salbandi" etc. in Maharashtra, "Jana", "Manihi" or "Ijhari" in Jammu and Kashmir, " Jeetha" in Mysore, "Vetti" in Andhra Pradesh and Tamil Nadu, "Halpati" in Gujrat. and " Valvla" in Dadra and Nagar Haveli etc.

The State Governments are fully seized of the problem and they have taken various executive and legislative measure to combat this evil. A statement showing these various measures was placed on the table of the House on 22-7-1969 in answer to Starred question No. 40.

Various welfare programmes for the social educational and economic uplift of the affected people are in progress and these are being further expanded under the Fourth Plan,

ईरान में माल डिब्बे बनाने के कारखाने की स्थापना

4024. **श्री बे० कु० दास चौधरी :**
श्री पीलू मोदी :
श्री म० ला० सोंधी :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान में माल डिब्बे बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिए भारत और ईरान के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर हुए है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). आर्थिक व्यापार तथा तकनीकी सहयोग के भारतीय तथा ईरानी संयुक्त आयोग के विचार विमर्श को अनुसरण करते हुए ईरान में मालगाड़ी के डिब्बे बनाने के एक संयुक्त उपक्रम की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।

इलेक्ट्रोड पेस्ट की कमी तथा फरो-मैंगनीज के निर्यात पर उसका प्रभाव

4025. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रोड पेस्ट की अत्यधिक कमी के कारण फैरो-मैंगनीज के निर्यात पर बहुत प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) क्या केवल दो गैर-सरकारी समवायों को ही अपेक्षित मात्रामें इसकी सप्लाई करनी पड़ेगी और इन दोनों समवायों ने फैरो-मैंगनीज के उत्पादकों को इस उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है, क्योंकि उन्हें पर्याप्त कच्चा माल नहीं मिल रहा; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्योग को इस समय इलेक्ट्रोड पेस्ट की कितनी कमी अनुभव हो रही है और सरकार का इस उद्योग की आवश्यकता को कैसे पूरा करने का विचार है ताकि वह निर्यात लक्ष्य को पूरा करने में समर्थ हो सके ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) फैरो-मैंगनीज के उत्पादन के लिए 5000 टन इलेक्ट्रोड पेस्ट की वार्षिक आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति इस समय मेसर्स इण्डियन एल्यूमीनियम कं० और मेसर्स ग्रेफाइट इण्डिया लि. द्वारा की जा रही है। इण्डियन एल्यूमीनियम कं. ने जनवरी-जून 1970 में सप्लाई करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है क्योंकि एल्यूमीनियम गलाने के लिए उन्हें स्वयं इसकी आवश्यकता है किन्तु आशा है कि मेसर्स ग्रेफाइट इण्डिया फेरो-मैंगनीज उत्पादकों की पूरी आवश्यकता की पूर्ति कर सकने में सक्षम है। इस कारखाने को कच्चे मालों की पर्याप्त सप्लाई होती रहे, इसके लिए उपाय किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

4026. श्री राम चरण : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियों के रूप में प्रति मास कितनी धनराशि दी जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1948–49 में उक्त विद्यार्थियों को इतनी ही धनराशि दी जा रही थी;

(ग) यदि हां, तो उक्त नीति का क्या औचित्य है जबकि वर्ष 1948 या 1949 की तुलना में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य लगभग 15 गुना बढ़ गये हैं :

(घ) क्या छात्रवृत्ति के लिए उक्त धनराशि में उचित वृद्धि करने और माता-पिताओं की आय की सीमा में भी वृद्धि करने के बारे में सरकार विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो आय और छात्रवृत्ति की कितनी सीमा रखने का प्रस्ताव रखा गया है और इस बारे में कब निर्णय किये जाने की आशा है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फुलेण गृह) : (क) यह सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2384/69**]

(ख) नहीं, श्रीमान।

(ग),(घ) तथा (ङ). अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बद्ध संसदीय समिति इन बातों का विस्तृत परीक्षण कर रही है। कोई भी निर्णय लेने के पहले इस सम्बन्ध में उसकी सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।

मैसूर तथा केरल राज्य में कुटीर उद्योगों का विकास

4027. श्री एम० एम० कृष्ण : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969-70 और 1970-71 में मैसूर तथा केरल राज्यों में कुटीर उद्योगों का विकास करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन राज्यों में कुटीर उद्योगों का विकास करने के लिए इन राज्यों को किस प्रकार की सहायता देने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) ; जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अण्डमान में सरकारी आरा मिलें

4028. श्री भगवानदास
श्री मुहम्मद इस्माइल
श्री ज्योतिर्मय बसु
श्री वदरुद्दुजा
श्री वि० कु० मोडक :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय- कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 से 1968–69 तक प्रतिवर्ष अण्डमान की सरकारी आरा मिल द्वारा कितने मूल्य के उत्पाद बेचे गये;

(ख) गत तीन वर्षों में कितना लाभ अथवा हानि हुई; और

(ग) इसके कार्य करण में सुधार करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो क्या ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) . जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अंगूरों से राल तथा शराब बनाने वाले कारखाने स्थापित करने के लिये लाइसेंस

4029. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय तथा कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य औद्योगिक विकास निगमों ने अंगूरों के प्रयोग से राल तथा शराब बनाने के कारखानों की स्थापना के लिए लाइसेंस लेने हेतु केन्द्रीय सरकार को लिखा है,

(ख) क्या सरकार ने इस बीच मामले पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) . सरकार को अंगूरों से राल बनाने के लिए कोई आवेदन किसी राज्य औद्योगिक विकास निगमों से प्राप्त नहीं हुआ है । दिसम्बर, 1968 में राज्य में उत्पन्न होने वाले अंगूरों के उपयोग पर आधारित शैम्पेन तथा शराब (शुष्क एवं द्रव्य) बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक नए एकक को स्थापित करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत एक लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम से एक आवेदन प्राप्त हुआ था । 22-7-69 को सरकार ने निगम को यह बताते हुए एक पत्र जारी किया है कि लाइसेंस जारी करने का प्रत्यक्षतः कोई प्रकरण नहीं है फिर भी, निगम को एक अवसर दिया गया था कि वह निर्णय पर पहुंचने से पूर्व पत्र जारी होने से तीन सप्ताह के अन्दर अन्दर अपनी बात प्रस्तुत करें । निगम से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जो सरकार के विचाराधीन है ।

Looting of Goods Train Between Kuberpur and Chhalesar on Agra-Tundla Line

4030. Shri Sharda Nand :
Shri Shri Chand Goyal :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri J. Sundar Lal :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the month of August some dacoits stopped a goods train between Kuberpur and Chhalesar on the Agra-Tundla line and looted goods of 6 wagons of the train;

(b) if so, the total value of goods thus looted by the dacoits; and

(c) the number of persons arrested in this regard and the action taken by Goverment against them ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon). (a)and (b). On 10.8.69. some criminals stopped goods train No, 871 Up between Kuberpur and Chhalesar stations by disconnecting hose pipes and victimised six wagons. One Package contaning baby toy pistols valued Rs. 75/-was stolen from one wagon and contents of the other five wagons were found correct,

(c) No. person has so far been arrested. Government Railway Police, Tundla; has registered a case under section 379 IPC and the same is under investigation.

जनहित ट्रस्ट

4031. श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री रामसिंह अयरवाल :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों, कम्पनियों तथा फर्मों के नाम और पते क्या हैं जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में "नेशनल हैरल्ड" प्रकाशित करने वाले जनहित ट्रस्ट के अंश खरीदे हैं अथवा जनहित ट्रस्ट में किसी भी रूप में धन जमा कराया है;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनी से कितनी राशि ली गई है तथा उसके वर्षवार आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस न्यास ने बैंकों से ऋण लिया है;

(घ) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं तथा न्यास को किस प्रतिभूति पर ऋण दिये गये हैं; और

(ङ) उन व्यक्तियों और कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस न्यास को किसी भी रूप में 10,000 रु० या इससे अधिक राशि जमा कराई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) से (ङ). जनहित ट्रस्ट के बारे में पूछी गई सूचना, जो आपने कम्पनी अधिनियम (1956) के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ प्रतीत नहीं होता, सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

बड़े दस औद्योगिक गृहों को अग्रिम धनराशि तथा उन द्वारा पूंजी विनियोजन

4032. श्री कंवरलाल गुप्त : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन में बताये गये पहले दस औद्योगिक गृहों के नाम क्या हैं और सरकार अथवा जीवन बीमा निगम सहित इसके वित्तीय निगमों, स्टेट बैंक आफ इन्डिया आदि द्वारा प्रत्येक औद्योगिक गृहों को कितना धन दिया गया;

(ख) प्रत्येक औद्योगिक गृह ने अपनी कम्पनियों में कुल कितना धन लगाया है; और

(ग) सरकार ने भविष्य में एकाधिकार को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) तथा (ख). सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(ग) एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया विधेयक, 1969, संसद में, आर्थिक प्रणाली के परिचालन से, आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण, जन साधारण के अहित का परिणाम न हो, एकाधिकार पर प्रतिबन्ध रहे, एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें समाप्त हो तथा इससे सम्बन्धित अथवा घटित बातों को. व्यवस्था की दृष्टि से पुनः स्थापित किया गया था । यह विधेयक वर्तमान में, लोकसभा के विचारान्तर्गत है ;

राष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग को मिली शिकायतें

4033. श्री कंवरलाल गुप्त : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) शिकायत करने वाले कौन हैं तथा उनकी शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शिकायतों के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है, और यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है; और

(घ) सरकार का विचार राष्ट्रपतीय तथा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1952 में क्या परिवर्तन करने का है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मो० यूनुस सलीम) : (क) 11 (ग्यारह) ।

(ख) शिकायत करने वालों के नाम और शिकायतों के ब्योरे दर्शित करने वाला विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (उपाबंध) । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2385/69**]

(ग) जी नहीं ।

(घ) निर्वाचन आयोग का विचार राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम और उसके नियमों में आवश्यक संशोधन के लिए सरकार के विचारार्थ सिफारिशें करने का है ।

भारतीय रेलों द्वारा आरम्भ की गई विद्युतीकरण योजनाएं पूरी करने में देरी

4034. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा दूसरी तथा तीसरी योजनाओं में आरम्भ की गई विद्युतीकरण योजनाओं में से लगभग एक भी योजना लक्ष्य के अनुसार पूरी नहीं की गई और उनमें से कुछ योजनाओं के 1971 तक भी पूरा होने की सम्भावना नहीं है;

(ख) यदि यदि हां, तो उन योजनाओं के नाम क्या हैं, वे किन तिथियों को आरम्भ की गई और लक्ष्य की तुलना में कब पूरी की गई तथा उन योजनाओं के कब तक पूर्ण होने की आशा है जो अभी तक पूरी नहीं की गई हैं;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गई नई योजनाओं के नाम क्या हैं, उनके लक्ष्य क्या हैं तथा उनमें अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इन योजनाओं की क्रियान्विति में अधिक बिलम्ब के क्या कारण हैं तथा क्या सरकार ने बिलम्ब के औचित्य का पता लगाने और आयोजन और क्रियान्विति में त्रुटियों को दूर करने के लिये कोई प्रयत्न किये हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (**श्री गोविन्द मेनन**) : (क), (ख), (ग) और (घ). एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2386/69**]

रेलवे के लिए फिश प्लेट बनाने योग्य "बिलेटों" का आयात

4035. श्री प्रेमचंद वर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1964-65 के दौरान रेलों द्वारा बड़ी मात्रा में फिश प्लेट बनाने योग्य बिलेटों का आयात किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त अवधि में जितनी मात्रा में बिलेटों की वास्तव में खपत हुई थी उससे बहुत अधिक मात्रा में बिलेटों के लिये क्रयादेश दिये गये थे तथा बहुत बड़ी मात्रा में बिलेट बचे पड़े रहे थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि बिलेटों के लिये क्रयादेश दिये गये थे हालांकि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों ने पर्याप्त मात्रा में बिलेट सप्लाई करने की पेशकश की थी तथा वर्ष 1966 और 1967 के लिये इन कारखानों तथा आयात के भी सब क्रयादेशों को रद्द कर दिया गया था;

(घ) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों की पेशकश को स्वीकार नहीं किये जाने के क्या कारण थे; और

(ङ) क्या गलत अनुमान करने, गलत आयोजन करने तथा विदेशी मुद्रा को बर्बाद करने की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है और इसके लिये जिम्मेदार पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) जी हां । 1964-65 में फिशप्लेट बनाने योग्य 15,000 मीटरिक टन बिलेटों के आयात के लिए आर्डर दिये गये थे जिनमें से 13,000 मीटरिक टन बिलेट प्राप्त हो चुके हैं ।

(ख) जी हां। यद्यपि आयातित बिलेट आवश्यकता से अधिक नहीं थे, इनकी खपत उन ठेकेदारों की असफलता के कारण न हो सकी जिन्हें फिशप्लेट बनाने और सप्लाई करने का काम सौंपा गया था। अब सभी बिलेटों की खपत हो चुकी है।

(ग) जी नहीं। बिलेटों का आयात बिलेट उत्पादन की तत्कालीन उपलब्ध देशी क्षमता को ध्यान में रखने के बाद किया गया था। रेलवे बोर्ड द्वारा 1966 या 1967 में हिन्दुस्तान स्टील लिमि० के इस्पात संयंत्रों को कोई आर्डर नहीं दिया गया था क्योंकि तैयार फिशप्लेटों की 1966 से आगे की सप्लाई के आर्डर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को दिये जा चुके थे और वे उन आर्डरों के अनुसार फिशप्लेटों की सप्लाई करते रहे हैं। इसलिए बिलेटों के आर्डरों को रद्द करने का सवाल नहीं उठा।

(घ) और (ङ). ऊपर (क), (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

भारतीय रेलों द्वारा बिजली की खरीद

4036. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे भिन्न-भिन्न अभिकरणों से भिन्न-भिन्न दरों पर बिजली खरीदती है;

(ख) किन-किन अभिकरणों से बिजली खरीदी जाती है तथा प्रत्येक अभिकरण से किस दर पर बिजली खरीदी जाती है;

(ग) सभी अभिकरणों से समान दर पर बिजली न खरीदे जा सकने के क्या कारण हैं;

(घ) समान तथा उचित दरों पर बिजली खरीदने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या रेलवे का विचार बिजली तैयार करने के अपने प्रबन्ध करने का है और यदि हां, तो वे योजनाएं क्या हैं, उनमें कितना विनियोजन होगा और बिजली का उत्पादन कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) जिन एजेन्सियों से रेलें बिजली खरीदती हैं उनकी संख्या इतनी अधिक हैं कि उनके नाम नहीं दिये जा सकते। स्थानीय हालतों और मांग के अनुसार बिजली की दरें भिन्न-भिन्न होती हैं और इसलिए, सभी मामलों में यह दर एक निर्धारित दर नहीं हो सकती।

(ग) बिजली की बिक्री की दरें राज्य बिजली बोर्डों या अन्य लायसेन्सधारियों द्वारा निर्धारित की जाती हैं और इन्हें निर्धारित करने में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उन्हें अपनी पूंजी पर समुचित प्रतिलाभ मिल जाये। ये एजेन्सियाँ सामान्यतः स्वायत्त निकाय होते हैं जिन्हें अपनी शुल्क दरें नियत करने का पूरा अधिकार होता है। बिजली पैदा करना और उसका संचरण अनेक पहलुओं पर निर्भर करता है जो अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होते हैं। अतः सभी एजेन्सियां एक समान दर पर बिजली नहीं देतीं।

(घ) एक समान दर पर बिजली खरीदने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। बिजली राज्य बिजली बोर्डों/लायसेंसधारियों से सम्बन्धित क्षेत्र में प्रचलित दरों पर खरीदी जाती है।

(ङ) रेलें आम तौर पर बिजली राज्य बिजली बोर्डों/लायसेंसधारियों से खरीद रही है, लेकिन अनेक ऐसे स्थानों पर जहां बिजली अन्य एजेन्सियों से नहीं मिलती या जहां उन्हें अपने पावर हाउस में पैदा करना अधिक सस्ता पड़ता है, रेलों ने अपने पावर हाउस भी बनाये हैं।

चारबाग वर्कशाप के लिये शक्ति चालित वायवीय हथौड़े का आयात

4037. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा वर्ष 1957 में चारबाग वर्कशाप के लिये दो लाख रुपये से भी अधिक लागत पर 3 टन के एक शक्ति चालित वायवीय हथौड़े का आयात किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसे $4\frac{1}{2}$ वर्षों तक नहीं लगाया गया और इस बात का पता कि बनते समय इसमें कोई खराबी रह गई थी 7 वर्षों बाद लगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि हथौड़ा अब भी काम नहीं कर रहा है तथा वर्कशाप को अपनी जरूरतें अन्यत्र से पूरी करनी पड़ती हैं; और

(घ) क्या इस भारी हानि के लिये जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है और यह सुनिश्चित करने के लिये कि वह हथौड़ा ठीक प्रकार से काम करे, क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) उत्तर रेलवे ने 1957 में 2.08 लाख रुपये की लागत पर 3–टन के एक न्यूमैटिक हैमर का आयात किया था। इस हैमर को लगाना चारबाग कारखाने की पुनर्गठन योजना का एक भाग था, जो पांच वर्ष (1956–61) में पूरी हुई। उत्तर रेलवे ने यह हैमर नवम्बर, 1957 में लिया और उसे जुलाई, 1961, अर्थात् तीन वर्ष और 8 महीने बाद लगाया।

दो वर्ष से अधिक तक काम देने के बाद हैमर की सिलिन्डर दीवार और स्टफिंग बाग में एक दरार पड़ गयी। इस दरार की रेलवे ने सामान्य विधि से मरम्मत कर दी।

(ग) जी नहीं।

(घ) कोई हानि नहीं हुई है और हैमर काम दे रहा है।

Water shortage in Banda-Lucknow Express, Banda-Kanpur and Jhansi-Manikpur Trains

4038. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the reasons for which the Railway Administration has not so far been able to solve the problems in regard to water, sanitation. light and fans in III Class Railway compartments;

(b) whether it is a fact that shortage of water is always experienced in the Banda-Lucknow Express, Banda-Kanpur and Jhansi-Manikpur trains (Central Railway) and on 21st November, 1969, there was no water at all in any of the lavatories of III Class compartment of the Banda-Lucknow Express after it left Kanpur Station and no arrangments were made for providing water on route; and

(c) the steps Gorvernment propose to take in order to remove the difficulties of passengers of the said trains ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Adequate arrangements exist both at starting and at important stations enroute for proper watering and cleanliness of compartments.

IIIrd class compartments have also been provided with sufficient number of lights and fans. There have, however, been occasional failures when some of the lights and fans in compartments have not been working due to large scale thefts and pilferages of components, defects in equipments etc. Arrangements have been made at starting stations and at important stations enroute for proper attention to defects and deficiencies with the least possible delay.

(b) No. There has been no complaint of shortage of water in compartments of Banda-Lucknow Express, Banda-Kanpur and Jhansi-Manikpur trains on 21st November, 1969.

(c) Does not arise.

Conversion of Banda-Lucknow Express into Manikpur-Banda-Lucknow Express

4039. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is possible to convert the Banda-Lucknow Express (Central Railway) into the Manikpur-Banda-Lucknow Express; and

(b) if so, the additional expenditure involved therein ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Extension of 109Dn/110Up Lucknow-Banda Express to and from Manikpur is neither justified on considerations of traffic nor is it operationally feasible for want of requisite line capacity and terminal facilities at Manikpur.

(b) Does not arise.

काचीगुड्डा (आंध्र प्रदेश) का यात्री टिकट परीक्षक

4040. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 फरवरी, 1969 को काचीगुड्डा (आंध्र प्रदेश) के एक यात्री-टिकट परीक्षक ने दक्षिण-मध्य रेलवे के एक सतर्कता निरीक्षक से, जब कि वह अवैध रूप से प्रथम श्रेणी के डिब्बे में अपने बच्चों को ले जा रहा था, फालतू किराया ले लिया था;

(ख) क्या उक्त यात्री टिकट परीक्षक ने इस मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों से की थी; और

(ग) सतर्कता निरीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा यात्री टिकट परीक्षक को, जिसे अपना कर्तव्य पालन करते समय सतर्कता निरीक्षक ने गम्भीर परिणामों की धमकी दी थी, क्या संरक्षण दिया गया है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) चौकसी निरीक्षक के विरुद्ध जो कार्रवाई करनी है, वह विचाराधीन है। जहां इस प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली। लेकिन सम्बन्धित चल टिकट परीक्षक के हित का रेल प्रशासन ध्यान रखेगा।

Jhunjhunwala Group of Concerns

4041. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Shri Chand Goyal :
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5035 on the 26th August, 1969 and state :

(a) whether any enquiry has since been conducted in respect of the Jhunjhunwala Group of Concern, Bombay;

(b) if so, the details of the capital invested in this group of concerns and the details of the amount of loans given to them by Government; and

(c) whether the information in this regard has since been collected ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) On the basis of available information, the following companies appear to belong to the Jhunjhunwala Group, (Bombay).--

(1) Jhunjhunwala-Harvis Ltd.
(2) McKenzies Ltd.
(3) National India Traders (P) Ltd.
(4) Oriental Timber Trading Corporation (P. Ltd.
(5) Pulps industries Ltd.
(6) Rayon Plup Mfg. Co. Ltd.

This Group was not mentioned either by the Monopolies Inquiry Commission or by the Industrial Policy Licensing Inquiry Committee.

(b) and (c). Necessary information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Mixed system of booking and reservation at Allahabad Railway Station

4042. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3992 on the 19th August, 1969 and state :

(a) whether any decision has since been taken in respect of the scheme, under consideration of Government for introducing the mixed system of Booking and Reservation at Allahabad Railway Station;

(b) whether it is a fact that at this station booking and reservation is done at separate counters instead of at one and the same counter, which results in waste of public time and deterioration in the efficiency of staff;

(c) whether Government would take decision in the matter at an early date, if so, when; and

(d) the reasons for which decision has not been taken so far ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Yes.

(b) Yes; some inconvenience is reported to be experienced due to booking and reservation being done at separate counters at Allahabad station.

(c) and (d) Some modifications in the Inquiry Office building are necessary before the combined booking-cum-reservation system can be introduced at Allahabad. As soon as the modifications are carried out, the new system will be introduced.

Armed Police in running trains to check lootings

4043. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Shri Chand Goyal :
Shri J. Sunder Lal :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme to provide armed police in trains with a view to checking increasing activities of looting in the running trains; and

(b) if so, the Railway in which this scheme would be enforced first and the number of persons who would be initially required for this purpose ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) and (b) . For dealing with crimes on Railways a periodical assessment is made in order to devise ways and means to combat it. Important right passenger trains are being escorted by armed Police personnel in the States of U. P., Bihar and Bengal.

In sectors vulnerable for looting/thefts from goods trains, petrolling is being done by Armed Railway Protection Force personnel and goods trains are also being escorted by them.

चमड़े की वस्तुओं के उत्पादन में कमी

4044. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में चमड़े की वस्तुओं का उत्पादन बहुत कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चमड़ा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ताकि वे अपने उत्पादन को बढ़ा सके ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) चूंकि चमड़े की वस्तुओं का अधिकांश उत्पादन लघु क्षेत्र द्वारा किया जाता है। अतः ठीक ठीक उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी बड़े पैमाने के उद्योगों का जूतों का उत्पादन निम्न प्रकार से है:—

वर्ष	लाख जोड़ों में
1966	169
1967	179
1968	182

(1) कच्चे चमड़े के निर्यात पर रोक लगा दी गई है।

(2) बकरी की कच्ची खालों के निर्यात पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और निर्यात केवल कोटा पर ही किया जा सकता है। 1954 से 1958 की अवधि में सर्वोत्तम वर्षों का वर्तमान कोटा 20 प्रतिशत रहा है।

(3) कच्चे चमड़े और खालों तथा वैटिल मत खाल का सामान्य लाइसेंस के आधार पर आयात करने की अनुमति दी जाती है।

(4) चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुएं बनाने वाले उद्योगों को प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में रखा गया है तथा कच्चे माल का निर्यात की उदारतापूर्वक अनुमति दी जाती है।

(5) पंजीयित निर्यातक नीति के अन्तर्गत कच्चे माल का चमड़े और चमड़े से बनी वस्तुओं के निर्यात की एवज में आयात करने की अनुमति दी जाती है।

(6) छोटे पैमाने के क्षेत्रों को यंत्रीकृत तथा अर्द्ध यंत्रीकृत एककों की स्थापना के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा किराया खरीद के आधार पर मशीनें, लघु उद्योग संस्थाओं द्वारा तकनीकी सलाह तथा ऋण देने वाली विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड

4045. श्री सीताराम केसरी : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री 29 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1251 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग (प्राइवेट) लिमिटेड के मूल कारखाने की 45 गैलन के ढोल बनाने की लाइसेंस प्राप्त क्षमता कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार उन के 20 जुलाई, 1969 के औद्योगिक लाईसेंस का संशोधन करते समय उन्हें प्रति दिन एक पारी के आधार पर 3600 ढोल बनाने के लिये कच्चा माल नियत करने को सहमत हो गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके लिये कभी एक पारी के आधार पर प्रति दिन 3600 ढोल बनाने के लिये कच्चा माल नियत किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फ.खरुद्दीन अली अहमद): (क) से (घ). प्रतिदिन एक पारी के आधार पर 3600 इस्पात के ढोल बनाने के लिये मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड जो दिनांक 20-11-1954 को व्यवसाय संवहन अनुज्ञापन स्वीकृत किया गया था। पर्याप्त विस्तार करने के लिये दिया गया 20 जुलाई, 1960 को औद्योगिक लाइसेंस ड्रम तथा ढोलों की क्षमता 27,800 टन प्रति वर्ष दिखाता है, विस्तार के पश्चात, जब दिनांक 5 जून, 1961 के पत्र के अन्तर्गत लाइसेंस संशोधित किया गया था तो इस्पात के ढोलों की क्षमता फिर से इन शर्तों से अधीन विद्यमान

टन क्षमता में परिवर्तन नहीं होगा। एक पारी में एक दिन में 3600 दिखाई गई थी। ढोल उद्योग को कच्चे माल के आवंटन का आधार अधिकतर निर्धारित क्षमता रहता है न कि लाइसेंस प्राप्त क्षमता। इस सम्बन्ध में ध्यान प्राकलन समिति के 85वें प्रतिवेदन के पृष्ठों 21 से 34 की ओर आकर्षित किया जाता है जो 30 अप्रैल, 1969 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। समिति की सिफारिशों पर सरकार के विचार समिति को बता दिये जायेंगे तथा अन्तिम निर्णय सरकार को समिति की अग्रेता सिफारिशें जान लेने के पश्चात लिया जायेगा।

हिन्द गलैवनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड

4046. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के बारे में 29 जुलाई, 1969 के तारांकित प्रश्न सं० 206 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच मामले सम्बन्धी सभी बातें तथा तत्सम्बन्धी सही कानूनी स्थिति का पता लगा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) . पूरा विवरण अभी उपलब्ध नहीं है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

Suggestions of Election Commission regardiug expenditure on elections and Elimination of Casteism

4047. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Suraj Bhan :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Sharda Nand :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether the Election Commission has made certain suggestions to reduce the heavy expenditure on Elections and to eliminate casteism etc.;

(b) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto;

(c) whether the 'List System' followed in elections in some European countries has also been considered in this context; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Mohd. Yunus Saleem) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) The list system is in vogue with local variations in a few comparatively small European countries, such as Belgium, Holland, Norway, sweden, Denmark and Finland. In each these countries they have evolved a relatively small number of stable parties so that coalition or minority cabinets hold office for long periods. The list system tends to spirit up big parties and to encourage the formation and independence of small separate groups. This also causes vested interests to gain control of parties who can calculate accurately, within a margin of ten to twenty per cent, how many members will get in.

ठाकुर मिल्स लिमिटेड, समस्तीपुर (बिहार)

4048. श्री भोगेंद्र झा : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठाकुर पेपर मिल्स लिमिटेड, समस्तीपुर (बिहार) को अपने नियन्त्रण में लेने तथा उसे फिर से चालू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) 10 मी० टन प्रतिदिन क्षमता वाला यह एक छोटा एकक है जो वित्तीय एवं प्रबन्धात्मक समस्याओं के कारण कई वर्षों से बन्द पड़ा है।

दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय कार्यालयों में काम करने वाले आप्टियों को मकान आबंटित करना

4049. श्री सूरज भान : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन कर्मचारियों ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय कार्यालयों में काम करने की इच्छा व्यक्त की थी उन सबको मकान आबंटित कर दिये गये हैं;

(ख) क्या कर्मचारियों से ऐसी कोई शिकायत मिली है कि मकानों के आवंटन में कदाचार किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) जिन कर्मचारियों ने रहने के स्थान की व्यवस्था किये जाने की शर्त के साथ प्रधान कार्यालय के लिए विकल्प दिया था, उन सबको क्वार्टर आवंटित कर दिये गये हैं। दूसरे व्यक्तियों के नाम दर्ज कर लिये गये हैं और उन्हें अपनी बारी आने पर क्वार्टर आवंटित किये जायेंगे।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

लोको-कैरेज तथा वैगन वर्कशाप, लालागुडागेट (दक्षिण-मध्य रेलवे) में खलासियों के पद

4050. **श्री सूरज भान** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोको, कैरिज और वैगन वर्कशाप, दक्षिण मध्य रेलवे, लालागुडागेट में खलासियों के कितने रिक्त पद हैं तथा कितनी अवधि से वे भरे नहीं गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि खलासियों की भर्ती की गई थी और इन रिक्त पदों पर नियुक्त करने के लिए उनके नाम सूची में रखे गये थे; और

(ग) यदि हां, तो सूची पर अमल करने तथा रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) लगभग 417 स्थान एक वर्ष से अधिक अवधि से रिक्त हैं ।

(ख) एक नाम-सूची बनायी गयी और 15-11-1968 को अधिसूचित की गयी थी ।

(ग) डीजलीकरण के फलस्वरूप बहुत से कर्मचारी फालतू हो गये थे और उन्हें समाहित करने के सन्दर्भ में यह नाम-सूची परिचालित न हो सकी । इस नाम सूची से आवश्यकतानुसार व्यक्तियों को लेने के प्रश्न पर बाद में विचार किया जायेगा ।

लल्लागुडागेट (दक्षिण-मध्य रेलवे) के इलैक्ट्रिक ट्रेन लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल मेटेनेंस कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान

4951. **श्री सूरज भान** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शंकर सरन पचाट के अधीन अत्यधिक कुशल वर्ग-I तथा II में पदोन्नत इलैक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल मेटेनेंस कर्मचारियों को वेतन की बकाया राशि देने के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड द्वारा आदेश जारी किये गये थे;

(ख) क्या दक्षिण मध्य रेलवे में लल्लागुडागेट में काम कर रहे उपरोक्त कर्मचारियों को वेतन की बकाया राशि दी जा चुकी है;

(ग) यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मचारियों को वेतन की बकाया राशि जल्दी देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) क्या सरकार इस बकाया राशि को 31 अक्तूबर, 1962 से देने के प्रश्न पर विचार करेगी जैसा कि रेलवे के कुछ अन्य विभागों में किया गया है ; और

(ङ) यदि इन पदों का दर्जा 1962 में बढ़ाया गया होता और पदोन्नत कर्मचारियों का वेतन 1962 में ही निर्धारित किया जाता, तो इस मामले में क्या स्थिति होती ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं । न्यायाधीश शंकर शरण अधिकरण की सिफारिशों के अनुसार 31 मई, 1963 को जारी किये गये ग्रेड ऊंचा करने के आदेश केवल यांत्रिक कारखानों के कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं ।

लेकिन सरकार ने 1-4-1968 को यह आदेश जारी किये कि गैर–यांत्रिक कारखानों के कुशल पदों को भी न्यायाधीश शंकर शरण अधिकरण द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार, प्रभार के मूल्यांकन के आधार पर, उच्च कुशल ग्रेड का कर दिया जाय। बाद में, रेल प्रशासनों को यह बात स्पष्ट की गयी थी कि गैर–यांत्रिक कारखानों में ग्रेड ऊंचा किये गये पदों पर पदोन्नत कर्मचारियों को बकाया का भुगतान 1–4–1968 से किया जाये।

(ख) जी नहीं।

(ग) कर्मचारियों को बकाया का भुगतान शीघ्र करने के लिए रेल प्रशासनों को निदेश दिया जा रहा है।

(घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, बकाया सामान्यतः केवल 1-4-1968 से देय हैं।

(ङ) न्यायाधीश शंकर शरण अधिकरण के अनुसार 31 मई, 1963 को ग्रेड ऊंचा करने के आदेश केवल यांत्रिक कारखानों के कर्मचारियों से सम्बन्धित थे, इसलिए उन्हें गैर–यांत्रिक कारखानों के कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जा सकता। अतः 1962 में इन कर्मचारियों का वेतन निश्चित करने का सामान्यतः प्रश्न नहीं उठता।

बड़े व्यापार गृहों को लाइसेंस

4052. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच सम्बन्धी दत्त समिति के कार्य क्षेत्र के कार्यकाल में 73 बड़े व्यापार गृहों को, जिनमें उनके दूसरे दर्जे के व्यापार गृह भी शामिल हैं, गैर–सरकारी क्षेत्र की अन्य कम्पनियों, निजी निगमेतर निकायों, सरकारी क्षेत्र तथा सहकारी समितियों की तुलना में कितने प्रतिशत लाइसेंस प्राप्त हुए थे;

(ख) अन्य गैर–सरकारी कम्पनियों तथा फर्मों, सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों की तुलना में इन 73 बड़े व्यापार गृहों द्वारा लाइसेंसों को उपयोग में लाने में असफलता की प्रतिशतता क्या हैं; और

(ग) इन 73 व्यापार गृहों से उक्त अवधि में आयात शुल्क, उत्पादन शुल्क, आयकर विक्रय कर आदि के रूप में अन्य गैर–सरकारी कम्पनियों, सहकारी समितियों तथा सरकारी उपक्रमों की तुलना में सरकार को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) . 73 बड़े औद्योगिक गृहों तथा अन्य कम्पनियों को जारी किए गये औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या तथा अन्यों की तुलना में बड़े गृहों को जारी किये ग लाइसेंसों के अकार्यान्वयन के प्रतिशत का ब्योरा औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के प्रतिवेदन में उपलब्ध है जिसे सभा–पटल पर पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ग) सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

वास्तविकता की दृष्टि से 73 बड़े गृहों के नाम लगभग 2000 निजी फर्में हैं तथा अन्य गैर सरकारी कम्पनियों, सहकारी समितियों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को एक स्थान पर

रखने पर बहुत बड़ी संख्या हो जायेगी, उपर्युक्त सूचना को इकट्ठी करने में अत्यधिक समय तथा परिश्रम की आवश्यकता है जो उन उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होगी जिनके प्राप्त करने की सम्भावना हो सकती है।

Motor Training School for Harijans in Delhi

4053. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that grants have been given this year to the Motor Training School for Harijans in Delhi; and

(b) if so, the amount thereof and the name of the persons to whom grants were given and also the complete details in this regard ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) No grant is given by Government to any Motor Training School for Harijans in Delhi. The Hind Sweepers Sewak Samaj, however, is being given a grant for the training of Harijans specially Sweepers in motor driving through established Schools.

(b) Government have approved an estimated expenditure of Rs. 65,400/-on this Scheme in the current years of which 90% will be borne by Government. The Scheme envisages the imparting of motor driving training in six centres in Northern India, including one in Delhi. The average number of persons to be trained in each centre is 34. The duration of the course will be approximately six months, as may be laid down by the particular Training School.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का संशोधन

4054. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) संशोधित किये जाने वाले मुख्य उपबन्ध क्या हैं; और

(ग) संशोधन विधेयक के संसद में कब तक पुर:स्थापित किये जाने की संभावना है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री मो० यूनूस सलीम) : (क), (ख) और (ग) . लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम, 1951 को संशोधित करने के लिए निर्वाचन आयोग अनेक प्रस्थापनाएं तैयार कर रहा है और आशा की जाती है कि ये संशोधन इतने व्यापक है कि इनके अन्तर्गत निर्वाचन विधि का संपूर्ण क्षेत्र आ जाता है। इनकी संख्या काफी अधिक है। सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के अधिवेशन में इन पर और भी विचार विमर्श किया जाएगा। तत्पश्चात सरकार निर्वाचन आयोग की प्रस्थापनाओं की भली प्रकार परीक्षा के बाद संसद में एक विधेयक पुर: स्थापित करने के लिए कदम उठाएगी।

Sale of Iron scrap by Bhilai Steel Plant

4055. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large quantity of iron scrap of the Bhilai Steel Plant, is sold by auction in one lot, to big businessmen, who purchase it and take it to Calcutta and the small industries set up in Bhilai on the basis of the said iron scrap, bring it back to Bhilai after purchasing it at a price which is 25 percent more than the auctioned price;

(b) whether it is also a fact that the owners of the said small industries at Bhilai want to purchase iron scrap in smaller quantities after paying 10 percent more than the price at which it is auctioned to big businessmen; and

(c) if so, the reasons for which Government do not sell iron scrap to them at reasonable prices ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a), (b) and (c) . The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

लघु क्षेत्र में औद्योगिक नीति संकल्प को कार्यान्वित करना

4056. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु उद्योगों में औद्योगिक नीति संकल्प को और अधिक कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए एक अनुदेश पत्र बनाने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन अनुदेशों के कब तक तैयार हो जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या यह सच है कि बड़े पैमाने के उद्योगों ने यहां तक कि आरक्षित क्षेत्रों से, अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता का अनधिकृत ढंग से विस्तार किया है और इस प्रकार छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए अपना विस्तार करने में बाधायें उपस्थित कर दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) . औद्योगिक नीति संकल्प जिसका सम्बन्ध लघु क्षेत्र से है, को उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु डा० पी० एस० लोकानाथन की अध्यक्षता में एक समिति जून, 1969 में स्थापित की गई थी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिस पर लघु उद्योग बोर्ड द्वारा शीघ्र ही विचार किया जायेगा ।

(ग) और (घ) . इस प्रकार के कुछ दृष्टान्त देखने में आए हैं । इस पर कार्रवाई करने का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

विदेशी सहयोग से स्थापित की गई कम्पनियां

4057. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री अब्दुल गनी दार :
श्री काशीनाथ पांडेय :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967, 1968 और 1969 में भारत में विदेशी वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग से स्थापित की गई कम्पनियों के क्या नाम हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में विदेशी कम्पनियों और उनके भारतीय सहयोगकर्ताओं का साम्य तथा अधिकांश पूंजी में अंश कितना कितना हैं, और

(ग) क्या विदेशी फर्मों के सहयोग से उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस देते समय सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के निष्कर्षों और सिफारिशों को ध्यान में रखा था ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) . विदेशी सहयोग वाले औद्योगिक उपक्रमों तथा साथ ही साथ भारतीय पार्टियों के नाम, विदेशी सहयोगियों, बनाये जाने वाली वस्तुओं एवं क्या सहयोगी करार में विदेशी पूंजी की हिस्सेदारी भी निहित है, का विवरण इण्डस्ट्री तथा ट्रेड जनरल त्रैमासिक में छापा जाता है जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

पूंजीगत ढांचे का निर्माण तथा विदेशी सहयोगकर्ताओं व भारतीय पार्टियों के मध्य इंक्विटी तथा अधिमान पूंजी का वितरण सरकार द्वारा अनुमत शर्तों के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है जो प्रत्येक मामले में उद्योग तथा हिस्सेदारी के स्वाभावानुसार भिन्न होता है । अन्ततोगत्वा, कुछ उद्योगों के सिवाय केवल अल्प विदेशी पूंजी की हिस्सेदारी की आज्ञा दी गई है ।

(ग) औद्योगिक अनुज्ञापन नीति जांच समिति की सिफारिशें अभी भी विचाराधीन हैं ।

आशुलिपिकों तथा टाइपिस्टों के लिये प्रोत्साहन योजना

4058. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे में काम करने वाले आशुलिपिकों के लिए एक प्रोत्साहन योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि टाइपिस्टों के लिए ऐसी कोई योजना लागू नहीं की गई;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ङ) क्या टाइपिस्टों को और अधिक कार्यकुशल बनाने की दृष्टि से उनके लिए ऐसी प्रोत्साहन योजना लागू करना सम्भव है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण र रेलवे मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) जी हां। अग्रिम वेतन वृद्धि के रूप में।

(ख) 130–300 रु० के भर्ती पदक्रम के स्टेनोग्राफरों को, जो 80 शब्द प्रति मिनट से शार्टहैण्ड की गति परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, 150 रु० का उच्चतर वेतन दिया जाता है और जो 100 शब्द प्रति मिनट और 120 शब्द प्रति मिनट से शार्टहैण्ड की गति परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं उन्हें क्रमशः दो और चार अग्रिम वेतन वृद्धि या 176 रु० और 200 रु० का उच्चतर वेतन जो भी कर्मचारी को हितकर हो, दिया जाता है।

यह प्रोत्साहन स्टेनोग्राफरों को इसलिये दिया जाता है कि स्टेनोग्राफी में उच्च व्यावसायिक क्षमता वाले स्टेनोग्राफरों को काफी संख्या में आकर्षित किया जा सके और वर्तमान कर्मचारियों को सेवा में उच्चतर दक्षता प्राप्त करने की प्रेरणा मिल सके।

(ग) टाइपिस्टों के लिए कोई प्रोत्साहन वेतनवृद्धि नहीं है।

(घ), (ङ) और (च) . प्रोत्साहन वेतनवृद्धि इस विचार पर आधारित है कि कुछ कामों के लिए कर्मचारियों को आर्थिक प्रेरणा मिले ताकि वे उच्चतर व्यावसायिक योग्यताएं या अपने निज के और अपने काम के हित में दक्षता प्राप्त कर सकें। जब कि स्टेनोग्राफरों के मामले में यह प्रोत्साहन उपयोगी और वांछनीय है, टाइपिस्टों के मामले में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनका काम एक मानक किस्म का है और अनुभव के साथ उनकी दक्षता में जो वृद्धि होती रहती है वह उनके काम की जरूरत के लिए काफी है। साथ ही भारत सरकार के अन्य विभागों में टाइपिस्टों के रूप में काम करने वाले क्लर्कों को कोई प्रोत्साहन वेतनवृद्धि नहीं दी जाती।

भारतीय रेलवे में टेलीफोन /टेलीप्रिंटर/कम्टोमोटर आपरेटरों तथा टाइपिस्टों को विशेष वेतन

4059. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे में (एक) टेलीफोन आपरेटरों और (दो) टेलीप्रिंटर आपरेटरों (तीन) कम्टो-मोटर आपरेटरों को विशेष वेतन दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो विशेष वेतन के रूप में कितनी राशि दी जाती है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) रेलवे कर्मचारियों को विशेष वेतन किन कारणों के आधार पर दिया जाता है;

(घ) किन-किन वर्गों के कर्मचारी विशेष वेतन पाने के हकदार हैं;

(ङ) क्या भारतीय रेलों में काम करने वाले टाइपिस्टों को भी विशेष वेतन मिलता है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां, लेकिन टेलिप्रिन्टर आपरेटरों के बारे में केवल उन्हीं को विशेष वेतन दिया जाता है जो सिग्नेलरों के संवर्ग में होते हैं।

(ख)	कोटि	विशेष वेतन की रकम
	टेलिफोन आपरेटर	वेतन का 10 प्रतिशत जो कम से कम 15 रुपये मासिक होगा।
	टेलिप्रिंटर आपरेटर	15 रुपये मासिक।
	काम्पटोमोटर आपरेटर	15 रुपये मासिक।

विशेष रूप से दुष्कर किस्म की ड्यूटियों को ध्यान में रख कर ही विशेष वेतन दिया गया है।

(ग) रेल कर्मचारियों को विशेष वेतन निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है :—

(1) विशेष रूप से दुष्कर किस्म की ड्यूटियां; या

(2) काम में या उत्तरदायित्वों में विशेष वृद्धि; या

(3) जिस स्थान पर काम किया जाता हो उसका स्वास्थ्य के लिए हानिकर होना।

(घ) रेलों पर कर्मचारियों की जिन कोटियों को विशेष वेतन दिया जाता है उनकी सूची संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2387/69**]

(ङ) और (च) जी हां। उन्हें 30 रुपये मासिक का विशेष वेतन केवल वहीं दिया जाता है जहां पूर्ण कालिका स्टेनोग्राफरों का औचित्य न होने के कारण उनसे स्टेनोग्राफरों के रूप में काम लिया जाता है।

भारतीय रेलवे में नियुक्त टाइपिस्ट

4060. श्री चंद्रिका प्रसाद : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे जोन में और भिन्न-भिन्न वेतन-मानों में कितने-कितने टाइपिस्ट नियुक्त हैं और उनकी प्रतिशतता कितनी है;

(ख) भारतीय रेलवे में काम कर रहे टाइपिस्टों की पदोन्नति के क्या अवसर हैं;

(ग) क्या सरकार को रेलवे में काम कर रहे टाइपिस्टों से उचित माध्यम से होकर उनकी मांगों तथा शिकायतों के सम्बन्ध में अप्रैल, 1969 में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसकी एक अग्रिम प्रति सीधे मन्त्री जी के पास भेजी गई थी;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2388/69**]

(ख) टाइपिस्टों के लिए पदोन्नतिसरणि इस प्रकार है :—

पद क्रम
110– 180 रु०
130– 300 रु०
210– 380 रु०

टाइपिस्टों को भी सेवा में पांच वर्ष के अन्दर अपने विकल्प से क्लर्क संवर्ग में चले जाने की अनुमति दी गयी है और उसके बाद वे क्लर्क संवर्ग में 130–300 रु०, 210–380 रु०, 335–425 रु०, 350–475 रु० और 450–575 रु० के पदक्रमों में पदोन्नति के पात्र हैं। और 130-300 रु. के वेतनमान में आशुलिपिक बन सकते हैं निर्धारित परीक्षा पास करने के बाद और उन्नति पाकर स्टेनोग्राफर संवर्ग में 210 रुपये, 425 रुपये 380 रुपये, 530 रुपये का उच्च ग्रेड भी प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) जी, हां ;

(घ) उनकी मुख्य मांगे अग्रिम वेतन वृद्धि के रूप में संचालन भत्ता प्रोत्साहन देना, वेतनमानों में सुधार किया जाना और उन्नति के अवसर देना है।

(ङ) टाइपिस्टों की उन्नति के अवसरों को बढ़ाने के लिए उच्च ग्रेडों में पदों के विभाजन की प्रतिशतता समय-समय पर संसोधित की जाती रही है जिसका विवरण निम्न लिखित हैं :—

ग्रेड	25–7–69 से पहले की प्रतिशतता	25–7–61 के बाद परन्तु 1-6-63 से पहले की प्रतिशतता	1–6–63 के बाद परंतु 1-6-64 से पहले की प्रतिशतता	1–6–64 के बाद की वर्तमान प्रतिशतता
210–300	जहां 20 या इससे अधिक टाइपिस्ट काम करते हों। वहां नए पदों की व्यवस्था की जाए।	जहां 15 या इससे अधिक टाइपिस्ट काम करते हों। वहां नए पदों की व्यवस्था की जाए।	5	10
130–300	30	30 से 35	35	40
110–180	70	70 से 75	60	50

टाइपिस्टों की उनके अपने संवर्ग के उच्च ग्रेडों में पदों की प्रतिशतता बढ़ाने के अतिरिक्त उन्हें लिपिक संवर्ग एवं स्टेनोग्राफर संवर्ग दोनों में पदोन्नति के अवसर दिय गय हैं।

Survey of Guna-Etawah Route

4061. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of Railways be pleased to state the time by which Government propose to start the survey work in respect of the extension of the route from Guna to Etawah (U.P.) via Shivpuri, Gwalior and Bhind ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : There is no proposal to construct a new rail link from Guna to Etawah via Shivpuri, Gwaliorand Bhind. Hence the question of undertaking any survey for this line at this stage does not arise.

Exchange of Students for Training Between India and Foreign Countries

4062. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether there is any programme for mutual exchange of students between India and some other countries for training in Railway techniques; and

(b) if so, the details thereof ?

The Ministry of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

फ्रांसीसी औद्योगिक शिष्टमंडल की भारत यात्रा

4063. **श्री नि० रं० लाकर :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री जी० व० सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री बी० नरसिम्हा राव :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस से 5 सदस्यीय औद्योगिक शिष्टमण्डल नवम्बर, 1969 में भारत आया था और उनसे बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या बातचीत हुई और क्या निर्णय किये गये,

(ग) क्या भारत–फ्रान्स सहयोग के बारे में भी बात चीत हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो उस बारे में अन्तिम करार क्या किया गया ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) ; विचार विमर्श केवल जानकारी के लिए था। फ्रांसीसी शिष्टमण्डल केवल डिजाइन तथा इन्जीनियरी में सहयोग प्रदान करने में रुचि रखता था। शिष्टमण्डल को भारत में सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्र में डिजाइन तथा इन्जीनियरी फर्मों से सम्पर्क स्थापित करने का परामर्श दिया गया है।

(घ) अन्तिम करार का प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति सम्बन्धी दत्त समिति पर खर्च

4064. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री चेंगलाराया नायडू :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री दण्डपाणि :
श्री रा० बरुआ :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक लाइसेंस नीति सम्बन्धी दत्त समिति पर सरकार का 5.56 लाख रुपये खर्च हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर इतना भारी खर्च किये जाने के क्या कारण है ;

(ग) क्या यह राशि अब तक नियुक्त किये गये किसी अन्य आयोग अथवा समिति पर किये गये खर्च की तुलना में अधिकतम है ; और

(घ) क्या भविष्य में, सरकार ऐसे आयोगों अथवा समितियों पर किये जाने वाले खर्च के सम्बन्ध में सीमा निर्धारित करेंगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उद्योग लाइसेंन्स नीति जांच समिति पर 22-7-67 से 31-7-1969 तक के दो वर्ष की अवधि में कुल 19.19 लाख रुपये व्यय हुए ।

(ख) समिति को दिया गया कार्य बहुत अधिक था तथा समिति का प्रारम्भिक रूप में स्वीकृत कार्य काल जो केवल छः माह (22-6-67) तक ही था समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा ।

(ग) विगत कई वर्षों में भारत सरकार द्वारा गठित अनेक आयोगों/समितियों पर हुआ व्यय अभी उपलब्ध नहीं है । अतः अतीत में गठित किये गये किसी अन्य आयोग/समिति पर हुए व्यय में दत्त समिति पर हुए व्यय की तुलना करना कठिन है । फिर भी आवश्यकतानुसार कम से कम सुनिश्चय करने के हर सम्भव प्रयास किये गये थे ।

(घ) जी, नहीं । इस प्रकार की कोई सीमा लगाना सम्भव न होगा ।

21 जून, 1969 को इलाहाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस रेलगाड़ी के पटरी से उतरने के बारे में प्रतिवेदन

4065. श्री एस० एम० कृष्णा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इलाहाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस रेलगाड़ी के 21 जून, 1969 को पटरी से उतर जाने के बारे में, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 100 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) इस दुर्घटना के सम्बन्ध में कलकत्ता स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त, जिन्होंने सांविधिक जांच की थी, ने अभी तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है । फिर भी, उनके अन्तिम निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना तोड़-फोड़ के कारण हुई थी ।

(ग) चूंकि रेल संरक्षा का आयोग पर्यटन और नगर उड्डयन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है, इसलिए इस रिपोर्ट के अंतिम रूप से तैयार हो जाने के बाद इसे सभा पटल पर रखने के प्रश्न पर उक्त मंत्रालय द्वारा विचार किया जायेगा ।

सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई

4066. श्री देवेन सेन : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री मैसर्स सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के बारे में 6 मई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 1524 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके भाग (ख) और (ग) के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित करली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) . सूचना अभी तक संग्रह की जा रही है ।

रेलवे के विरुद्ध दायर दावे

4067. श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में रेलवे के विरुद्ध कुल कितने तथा कुल कितनी राशि के दावे दायर किये गये ;

(ख) कितने मामलों में रेलवे के विरुद्ध निर्णय दिया गया ; और

(ग) दूसरे पक्ष को हर्जाने के रूप में कितनी राशि दी गई और इन मामलों की पैरवी करने में कितनी राशि खर्च हुई ?

रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) वर्ष 1968-69 के दौरान रेलवे के विरुद्ध कुल 7,20,036 दावे दाखिलकिये गये। प्रत्येक दावे के बारे में मुआवजे के लिये मांगी गई धन राशि के पृथक पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ख) वर्ष 1968-69 के दौरान अदायगी के लिए तय किये गये दावों की संख्या 4,10,394 है ।

(ग) वर्ष 1968-69 के दौरान मुआवजे के रूप में कुल 10,17,88,889 रुपये की धनराशि अदा की गई थी । दावा-हीन तथा टूटे फूटे माल आदि की बिक्री से प्राप्त 81,56,285 रुपये की धनराशि का हिसाब लगा लेने के बाद इस वर्ष मुआवजे के रूप में अदा की गई धनराशि 9,36,32,604 रुपये थी । मुआवजे प्राप्त करने के लिए दावों पर जोर देने के बारे में खर्च की गई धनराशि के पृथक पृथक आंकड़े तैयार नहीं किये जाते ।

दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकान

4068. श्री बलराज मधोक : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों के लिये अभी तक रिहायशी मकानों की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उपलब्ध क्वार्टरों तथा अपेक्षित क्वार्टरों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आगमी दो वर्षों में दिल्ली में सभी रेलवे कर्मचारियों के लिये रिहायशी आवासों की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) दिल्ली क्षेत्र में क्वार्टरों के आवंटन के लिए दर्ज 26019 रेल कर्मचारियों में से 8394 कर्मचारियों को क्वार्टर दे दिये गए हैं।

(ख) सूचना इस प्रकार है :—

कोटि	दिल्ली क्षेत्र में क्वार्टरों के आवंटन के लिए दर्ज कर्मचारियों की संख्या	उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें रेलवे के क्वार्टर दिये गये
1—राजपत्रित कर्मचारी	358	314
2—तीसरे दर्जे के अनिवार्य कर्मचारी	3036	2251
3—चौथे दर्जे के अनिवार्य कर्मचारी	6996	2613
4—तीसरे दर्जे के गैरअनिवार्य कर्मचारी	8941	1558
5—चौथे दर्जे के गैरअनिवार्य कर्मचारी	6688	1658

(ग) दिल्ली क्षेत्र में नियुक्त सभी रेल कर्मचारियों को अगले दो वर्षों के भीतर रेलवे के क्वार्टरों देना सम्भव नहीं है। धन की उपलब्धता के अनुसार एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर अतिरिक्त क्वाटर बनाये जा रहे हैं।

दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले हरिजनों का उत्थान

4069. श्री बलराज मधोक : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी बस्तियों और अन्य झुग्गी शिविरों में रहने वाले लोग अधिकांशतः हरिजन और अन्य पिछड़े हुए लोग हैं;

(ख) यदि हां, तो गांधी शताब्दी वर्ष में उनके उत्थान के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में बस्तीवार ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क), (ख) तथा (ग). यह सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सभा पटल रख दी जाएगी।

दिल्ली में लघु उद्योगों को औद्योगिक ऋण देने में विलम्ब

4070. श्री बलराज मधोक : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अनेक छोटे उद्योगों को औद्योगिक प्लाट खरीदने तथा उन पर इमारत खड़ी करने के लिए लगभग एक वर्ष पहले औद्योगिक ऋण की पहली किस्त दी गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे उद्यमियों को तब से कोई अग्रेतर किस्त नहीं दी गई है ; और

(ग), यदि हां, तो औद्योगिक ऋण की अग्रेतर किस्तों को देने में विलम्ब के कारण कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं और भविष्य में ऐसे विलम्ब को न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ख). दिल्ली प्रकाशन औद्योगिक प्लाटों की खरीद के लिए एक मुश्त ऋण देता है न कि किश्तों में। किन्तु कारखाने के भवन निर्माण के लिए ऋण पट्टे तथा नक्शे की स्वीकृति के उपरान्त तीन किश्तों में दिया जाता है। ऋण की पहली किश्त 11 पार्टियों को मार्च, 1969 में दी गई थी। और दूसरी किश्त 10 पार्टियों को नवम्बर-दिसम्बर 1969 में दी गई थी। एक पार्टी को दूसरी किश्त इसलिए नहीं दी गई थी क्योंकि उसके कारखाने का निर्माण नक्शे के अनुसार न था।

Opening of Stateons and Halts in Bikaner Division

4071. Shri P. L Barupal : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of new Railway stations and Halts likely to be opened in the Bikaner Division of the Northern Railway by the end of December, 1969 and also the number and name of those which are proposed to be opend thereafter;

(b) whether it is a fact that the name of some new Stations and Halts in the above Division were published in the Railway Time Table which was effective from the 1st October, 1968 but those name were not published in the October, 1969 issue; and

(c) if so, the reasons for this omission ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : No new station or train halt is likely to be opened in the Bikaner Division of Northern Railway by December, 1969. Six train halts are expected to be opened in Bikaner Division during the year 1970. Name of only one halt has been decided on at present and the names of the other five halts are still to be decided as indicated below :--

	Section on which thehaltis located.	Name of the halt
(i)	Between Bigga and Parsneu	Still to be decided.
(ii)	Between Mohannagar and Jaitsar	,,
(iii)	Between Siwani and Jhunpa	,,
(iv)	Between Manheru and Bhiwani	Dhana Ladanpur.
(v)	Between Sirsa and Suchankotli,	Still to be decided.
(vi)	Between Rai Singh Nagar and Gajsinghpur.	

(b) No.

(c) Does not arise.

Laying of a new railway line near Lalgarh (Bikaner Division)

4072. Shri P L. Barupal : Will the Minister of Railways be pleased to state ;

(a) whether he is aware of the fact that the Railway track between Bikaner and Lalgarh Junction of the Bikaner Division of the Northern Railway can be removed and a new Railway line from near Lalgarh via Udasar village near Military Cantonment can be laid by constructing a new Railway Station near Nagneecha Mandir so as to solve the transport difficulties of the people of Bikaner;

(b) whether it is a fact that the ins itutions like the Bikaner District Congress Committee, Municipal Committee, Bikaner and Chamber of Commerce, Bikaner had unanimously adopted a resolution in respect of the shifting of the present Bikaner Station, and sent it to his Ministry for implementation; and

(c) if so, the time by which the project relating to the construction of a Railway line from Nagneecha Mandir to Lalgarh Junction via Military Cantonment and village Udasar is likely to be completed so that the problem of public transport could be solved ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) . (a). (b) and (c). The proposal to minimise in convenience to the publce, due to frequent and unavoidable closure of level crossings between Bikaner and Lalgarh has been considered more than once in the past. In a meeting held in 1961 between the representatives of the Government of Rajasthan and the Railways the question of provision of two road over-bridges in place of existing level crossing as against diversion of the existing railway line outside the city was considered when it was decided that the replacement of level crossing by road over-bridges would meet the needs of the public. A number of representations against the construction of the proposed road over-bridges were however received from the public as well as officials of the State Government who felt that the diversion of the railway line from the heart of the city would be the proper solution. The matter was again considered in a meeting held at Bikaner in September 1966 between the State Minister for Revenue and General Manager/Northern Railway, and the State Minister had finally held the view that the proposal for building the road over-bridges should be dropped.

There is, however, no firm proposal from the State Government either for construction of two road over-bridges in replacement of the existing level crossings in the Bikaner city or in the alternative for diversion of the existing railway line outside the city, in which case the entire cost of survey and construction shall have to be borne by the State Government.

दक्षिण पूर्व रेलवे में नौपाड़ा गुनुपुर (छोटी लाइन) तथा वाल्टेयर-रायपुर (बड़ी लाइन) पर बिना टिकट यात्रा

4073. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे अधिकारियों ने पिछले छः महीनों में दक्षिण-पूर्व रेलवे में नौपाड़ा-गुनपुर (छोटी लाइन) तथा वालटेयर-रायपुर (बड़ी लाइन) के मध्य कितनी बार आकस्मिक जांच की;

(ख) इन छः महीनों के दौरान कितने यात्री बिना टिकट पकड़े गये तथा उनसे जुर्माने के रूप में कितनी धनराशि एकत्रित की गई; और

(ग) क्या आकस्मिक जांच के दौरान कोई रेलवे कर्मचारी चूक करता पाया गया था और यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) अक्तूबर, 1969 को समाप्त होने वाले छः महीनों में की गयी अचानक जांचों की संख्या इस प्रकार थी:—

नौपाड़ा-गुनपुर खण्ड	—	12
वाल्तेरू-रायपुर खण्ड	—	43

(ख) इसी अवधि में पकड़े गये बिना टिकट यात्रियों की संख्या और वसूल किये गये जुर्माने की रकम :—

(1) नौपदा-गुनुपुर
संख्या — 52
रकम — 385 रु०

(2) बाल्तेरु-रायपुर
संख्या — 1409
रकम — 2577 रु०

(ग) जी नहीं।

Occupation of Railway Land near Railway Stations on North Eastern Railway

4075. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the persons who have authorisedly or unauthorisedly occupied the entire land near various stations of the North Eastern Railway and have constructed houses, shops and Gumtis thereon and are also cultivating the land;

(b) the names, designations and addresses of all such persons and also the Departments in which they are employed; and

(c) the area of land occupied by each person ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways(Shri Govinda Menon)(a) (b) and (c) . Compilation of the information desired will involve considerable labour and time which will not be commensurate with the results likely to be achieved.

If the Hon. Member could indicate the specific section or station for which the information is required, this can be collected and furnished.

Conversion of Reserved posts into Unreserved ones on Railways

4076. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it is essential to seek Home Ministry's approval for converting reserved posts into unreserved ones in accordance with that Ministry's Office Memorandum No. 8-1-69 Establishment (S.C.T) dated the 28th January, 1969; and

(b) if so, the number of cases sent to the Home Ministry for its approval under the said rule and the details there of ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon): (a) Yes.

(b) The orders referred to in part (a) of the Question have not been made applicable on the Railways as the matter is under examinations in consultation with the Ministry of Home Affairs.

Demonstration by Loco-Mechanical and other workers infront of Divisional Office at Ratlam

4077. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Loco Mechanical Workers and other Railway workers had organised a demonstration on the 7th November, 1969 infront of the Divisional Office at Ratlam to press their demands;

(b) whether it is also a fact that the Divisional Superintendent had agreed that he would be present in the office at the time of demonstration;

(c) if so, whether it is further a fact that he was not present in the office at the time of demonstration, although he had agreed to be there;

(d) if so, the reasons therefor;

(e) whether the demonstrators had submitted a memorandum addressed to the Railway authorities, if so, the details thereof; and

(f) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) (a) **Yes, Sir.**

(b) No, Sir.

(c) and (d): Do not arise.

(e) A memorandum containing certain general demands e.g. revision of pay scales, declaration of Loco Sheds as Factories, supply of uniform, implementation of Class Iv Staff Promotion Committee, and also about certain local grievances was presented to the Railway Administration.

(f) No specific action was considered necessary as such demands are discussed with the recognised unions and Federations having negotiating facilites with Railway Board and appropriate action taken where necessary.

In so far as the pay scales are concerned, while Government could not agree to any large scale revision of the Pay scale, they, however, have accepted in principle the setting up of a Pay Commission for the Central Government Employees and when it is set up, the case of the Loco Mechanical Staff would also receive adequate consideration.

Conference of the Indian Railway Loco Mechanical Staff Association at Ratlam.

4078. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the 6th Conference of the Indian Railway Loco Mechanical Staff Association had been held in Ratlam on the 6 and 7 November. 1969;

(b) if so, whether Government are aware of the charter of demands approved in the said Conference or have received the same; and

(c) If so, the details thereof, and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) (a) and (b). it is understood that such a conference was held where in it was decided that a memorandum should be presanted to all Loco Formen on the railways with 5 general demands along with the local grievances of the respective units.

(c). the general demamds include :

(i) revision of pay scales of this category.

(ii) declaring the loco-sheds as factories under the Factories Act.

(iii) supply of uniforms to all loco staff.

(iv) Implementation of decided policies about promotion of class iv staff upgradation etc.

(d)- No specific action was considered necessary as such demamds are discussed by the respective Railway Administeration with the recognised unions in respect of local issues and by the railway board with the federations having negotiating facilities with the railway board on general issues like payscales etc.

In so far as the pay scales are concerned while government could not agree to any large scale revision of the pay scales of any one category of staff, the government have accepted, in priniple, the setting up of a pay commission for the Central Government employees and when it is set up, the case of the Loco Mechanical Staff would also receive adequate consideration.

Facilities at Brij Ghat Station Moradabad Division (Northern Railway)

4079. **Shri Prakash vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether government have under consideration certain schemes for increasing the facilities at the Brij Ghat station on the bank of the Ganga, Muradabad Division (Northern Railway),

(b) whether Government have also received certain requests for halting the Express train at this Station on the da: s of Purnimas and Amawasyas; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) There is no station called 'Brij Ghat' on the Moradabad Division of Northern Railway. Presumably the Hon. Members refers to the flag station Garhmukteshwar Bridge.

There is no scheme for increasing the existing facilities at this station except the proposal to make the existing kacha approach Road, into a pucca one.

(b) No.

(c) Does not arise.

देश में निर्मित तथा आयातित इस्पात के लिये मूल्य समामोकरण का नया फार्मूला

4080. **श्री वासदेवन नायर :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को सप्लाई करने के लिये आयात किये गये तथा देश में ही बने इस्पात के मूल्यों का समानीकरण करने का कोई नया फार्मूला तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत ब्योरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) ऐसा कोई फार्मूला सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड

4081. श्री वासुदेवन नायर : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम के भारत हैवी प्लेट्स लिमिटेड में प्रयोगात्मक उत्पादन आरम्भ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) इस कारखाने का निर्माण कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(घ) जब यह कारखाना पूरा उत्पादन करेगा तो उस का वार्षिक उत्पादन क्या होगा;

(ङ) क्या इस कारखाने ने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिये काफी क्रयादेश प्राप्त कर लिये हैं; और

(च) यदि हां, तो कितने मूल्य के क्रयादेश प्राप्त किये गये हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां । प्रयोगात्मक उत्पादन जुलाई, 1969 में आरम्भ किया गया था ।

(ख) बोकारो स्टील लि० के लिए छः फलाई ऐश कलैक्टर तैयार हो चुके हैं और चार और आंशिक रूप से तैयार हैं । बोकारो स्टील लि० के लिए डी-ऐरियेटरों का निर्माण-कार्य तेजी से चल रहा है । फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया के लिए उपकरणों का निर्माण आरम्भ कर दिया गया है ।

(ग) 1970 के मध्य तक ।

(घ) जब कारखाना पूरी तरह उत्पादन करना शुरु कर देगा तो इसका वार्षिक उत्पादन 23,000 टन होगा, जिसका मूल्य लगभग 14 करोड़ रुपये होगा ।

(ङ) और (च) पूर्णक्षमता के लिए जो 1974 में प्राप्त होगी अभी से क्रयादेश बुक करना समय पूर्व है । अभी तक 2 करोड़ रुपये के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं और ये उत्पादन की आम्भिक अवस्था के लिए काफी हैं ।

हंगं के साथ तकनीक सहयोग

4082. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा हंगरी ने यह समझौता किया है कि दोनों देशों के बीच पारस्परिक सहयोग के आधार पर तकनीकी तथा औद्योगिक सहयोग के नये क्षेत्रों का पता लगाया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के मध्य ऐसे सहयोग की क्या सम्भना बनाएँ हैं तथा इस सहयोग लिये के किन-किन उद्योगों का चुनाव किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) तकनीकी तथा औद्योगिक सहयोग की सम्भावनाओं तथा इस प्रकार के सहयोग के लिए उद्योगों के चुनाव का निर्णय एक विशेषज्ञ शिष्टमण्डल के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् किया जायेगा । शिष्टमण्डल को शीघ्र ही हंगरी भेजने का प्रस्ताव है ।

प्रीमियर टायर्स के निदेशकों को पुनरीक्षित वेतन उपलब्धियां तथा कमीशन देना

4083. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "प्रीमियर टायर्स" के निदेशकों ने कम्पनी कानून विभाग से लाभ के नये वेतनों, भत्तों तथा कमीशनों के बारे में किये गये उनके निर्णयों को स्वीकृति देने के लिये आवेदन किया है, जो लाभ का 11 प्रतिशत भाग बनता है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इस कम्पनी द्वारा मैनेजिंग एजेन्टों को दिया गया मैनेजिंग एजेन्सी कमीशन लाभ का लगभग 10 प्रतिशत भाग था ;

(ग) क्या यह प्रबन्धकों द्वारा मैनेजिंग एजेन्सी सिस्टम को समाप्त करने सम्बन्धी कम्पनी अधिनियम में हाल ही में किये गये संशोधनों के प्रभाव को निष्फल करने का स्पष्ट प्रयास नहीं है :

(घ) क्या इस कम्पनी का निदेशक एक "युवक व्यापार प्रबन्धक" था जिसने कुछ मास पूर्व "प्रधान मंत्री को हमारा पूर्व समर्थन" शीर्षक से पूरे पृष्ठ का विज्ञापन प्रकाशित कराया था ; और

(ङ) क्या कम्पनी कानून विभाग ने "प्रीमियर टायर्स" के प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति दे दी है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कम्पनी ने, प्रबन्ध निदेशक तथा उप-प्रबन्ध निदेशक को नियुक्ति के लिये, अन्य परिलब्धियों सहित शुद्ध लाभ पर क्रमशः 3 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत कमीशन पर, एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है ।

(ख) इस कम्पनी के प्रबन्ध अभिकर्ताओं को, कम्पनी के शुद्ध लाभ के केवल प्रथम 10 लाख रुपये के लाभ में से 10 प्रतिशत कमीशन की अनुमति दी थी। इसके पश्चात शुद्ध लाभ पर कमीशन की दर, विसूप अनुमाप के अनुसार, उत्तरोत्तर कम थी।

(ग) अधिनियम में, सरकार के अनुमोदन की शर्त पर, प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति की अनुमति है।

(घ) विभाग को कोई सूचना नहीं है।

(ङ) प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति तथा उनके वेतनों एवं परिलब्धियों के बाबत, कम्पनी का प्रस्ताव, अभी तक विचाराधीन है।

न्यासों और साझेदारों कम्पनियों द्वारा एकमात्र विक्रय एजेंसी सम्बन्धी करारों तथा राजनैतिक चन्दे देने की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिये विधान

4084. श्री मधु लिमये : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एकमात्र विक्रय तथा मैनेजिंग एजेन्टों की नियुक्ति करके भारी कमीशन प्राप्त करने की नई प्रथा की ओर आकर्षित किया गया है, जो मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली का स्थान ले रही है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान न्यासों तथा साझेदारों, कम्पनियों द्वारा राजनैतिक चन्दे देने की प्रक्रिया, जिसके लिये सरकारी लिमिटेड कम्पनियों पर अब रोक लगा दी गई है, की ओर भी आकर्षित किया गया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार एकमात्र विक्रय–एजेन्सी सम्बन्धों, करारों तथा न्यासों और साझेदार कम्पनियों द्वारा राजनैतिक चन्दे देने की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिये कोई कानून बनाने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस कानून को न बनाने के क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उन प्रबन्ध अभिकर्ताओं के लिये, जिन्होंने इस पद पर काम करना समाप्त कर दिया है, उन्हें, एकमात्र विक्रेता अभिकर्ताओं के पद की नियुक्ति के लिये, कम्पनी अधिनियम की धारा 294 (4) के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होता है। सरकार को इस प्रकार के अनुमोदन प्राप्त करने के लिये बहुत ही अल्प प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुये है।

(ख) हां, श्रीमान्।

(ग) और (घ) . वर्तमान में एकमात्र विक्रेता अभिकरण व्यवस्था को समाप्त करने के लिये, कोई कानून बनाने का विचार नहीं है। कम्पनी अधिनियम की धारा 294 से केन्द्रीय सरकार को, किसी एक–मात्र विक्रेता अभिकरण समझौते का निरीक्षण करने तथा उसकी शर्तों में, यदि वह उनकी राय में, मुख्य कम्पनी के हितों के प्रतिकूल है, परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। न्यासों तथा साझेदारों फर्मों द्वारा दिये जाने वाले चन्दे की बाबत विषय विचारधीन है।

पश्चिम रेलवे (मीटर गेज) के मुख्यालय को अजमेर में रखना

4085. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने पश्चिम रेलवे (मीटर गेज) के मुख्यालय को अजमेर में रखने का प्रस्ताव किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजस्थान की पिछड़े क्षेत्र सम्बन्धी समिति ने रेलवे बोर्ड के प्रस्ताव की अविलम्ब क्रियान्विति के लिये सरकार से अनुरोध किया है : और

(ग) क्या उस प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है और यदि हां, तो उसे कब तक कार्य रूप दे दिया जायेगा ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) . सवाल नहीं उठता ।

भिलाई इस्पात कारखाने के लिये दो परियोजनाओं की स्थापना

4086. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीयनिरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भिलाई इस्पात कारखाने के लिये दो परियोजनायें स्थापति करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या भिलाई इस्पात कारखाने की क्षमता बढ़ाने का भी कोई निर्णय किया गया है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क), (ख) और (ग) . चौथी योजना में भिलाई इस्पात कारखाने की इस्पात पिण्ड की क्षमता को 2.5 मिलियन टन से बढ़ा कर 4.2 मिलियन टन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । प्रारंभिक कार्यवाही के रूप में धमन भट्टी की कच्चा लोहा बनाने की क्षमता का विस्तार करने का कार्य आरंभ किया जा चुका है और इसके 1971 के मध्य तक पूरा होने की संभावना है ।

भिलाई में एक प्लेट मिल तथा बिना जोड़ की ट्यूबों का एक कारखाना लगाने के प्रस्ताव विचाराधीन है ।

कलकत्ता के लिए वृत्ताकार रेलवे

4087. डॉ० रानेन सेन : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने सरकार से कलकत्ता के लिये वृत्ताकार रेलवे की अपनी परियोजना में फेर-बदल करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मंडल ने क्या संशोधन सुझाये हैं ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिये हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) कलकत्ता के लिए महानगरीय रेल परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्णय करते समय बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल द्वारा दिये गये सुझावों पर पूरी तरह विचार किया जायेगा।

विवरण

(ख) मण्डल द्वारा सुझाये गये मुख्य परिवर्तन इस प्रकार हैं :—

(i) उपनगरीय लाइनों का प्रस्तावित विस्तार पूर्व रेलवे के चित्तपुर यार्ड और पोर्ट कमिश्नर्स रेलवे के खिर साइड खण्ड की वर्तमान रेलवे लाइन के साथ-साथ होनी चाहिए। रेल पथ अधिकांश सतही स्तर पर होना चाहिए और केवल बहुत थोड़े हिस्से में रेल पथ ट्रेस्टलों पर बिछाने की जरूरत है।

(ii) चित्तपुर यार्ड में सतही लाइनों का इस्तेमाल होने देने के लिए यार्ड के ढांचे में परिवर्तन और माल संचालन का पुनर्समायोजन किया जाना चाहिए। खासकर साल्ट लेक क्षेत्र में एक पूरक विन्यास यार्ड का भी निर्माण होना चाहिए या वर्तमान दमदम यार्ड को दक्षिण तक बढ़ाना चाहिए।

(iii) उपनगरीय लाइन का लेक टाउन-बालीगंज खण्ड भी दमदम-प्रिन्सेप घाट खण्ड के साथ-साथ पूरा किया जाना चाहिए।

(iv) जब तक लेक टाउन-बालीगंज खण्ड का निर्माण न हो, शहर के किनारे किनारे चारों ओर की वर्तमान रेलवे लाइनों को, जो अधिकांशतः माल यातायात के लिए अभिकल्पित हैं, सवारी यातायात के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके लिए रेलवे लाइन के ढांचे में आवश्यक परिवर्तन और माल यातायात के संचलन का पुनर्समायोजन किया जाना चाहिए।

(v) माजेरहाट या ब्रेस ब्रिज पर कार्ड लाइन द्वारा सोनारपुर से बजबज खण्ड तक सीधा सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए।

(vi) सोनारपुर में प्रस्तावित कस्बे को ध्यान में रखते हुए, सोनारपुर के लिए परिवहन की आवश्कताओं का पुनरीक्षण करके रेल परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर जेब कतरने की घटनायें

4088. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर जेब कतरने की घटनायें प्राय: होने लग गयी हैं तथा वे घटनायें भीड़-भाड़ के कारण गाड़ियों में चढ़ते तथा उतरते समय होती हैं ;

(ख) क्या रेलवे रक्षा दल ने जेब कतरों को गिरफ्तार करने के लिए कोई विशेष अभियान आरम्भ किया हैं ;

(ग) क्या गाड़ियों में चढ़ते तथा उतरते समय भीड़-भाड़ के न होने देने के लिये कोई नई योजनायें आरम्भ की जा रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) रेल परिसर में जेब कटने के मामले होते ही हैं और यद्यपि गाड़ियों में चढ़ते-उतरते समय जो भीड़ होती है, उससे जेब कतरे लाभ उठाते हैं, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि जेब कटने की घटनाएं आसमान्य रूप से बढ़ गयी हैं ।

(ख) राज्य पुलिस सरकारी रेलवे पुलिस (न कि रेलवे सुरक्षा दल) रेलों में अपराध का काम देखती है और वह गाड़ियों में यात्रा करने वाले और प्लेटफार्म अथवा रेल परिसर में मौजूद जेब-कतरों को गिरफ्तार करने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाती है । संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए सादे कपड़ों में भी पुलिस कार्मिक तैनात किये जाते हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) महत्वपूर्ण स्टेशनों पर लाउडस्पीकरों द्वारा घोषणा करके चढ़ने वाले यात्रियों को चेतावनी दी जाती है कि वे पहले उतरने वाले यात्रियों को उतर लेने दें ताकि इस तरह की भीड़ न हो ।

Cancellation of Trains from Jodhpur due to water shortage for Train Engines

4089. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several trains starting from Jodhpur towards other districts in Rajasthan have recently been cancelled due to shortage of water for the engines of these trains; and

(b) if so, whether this would not result in severing connections with these Districts in the absence of train services ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) No,

(b) Does not arise.

Reservation through Porters at Bombay Station

4090. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Railways be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that reservations for all classes, whether for First Class or Third Sleeper Class, can be made through porters at Bombay Station and the porters are openly charging Rs. 15/—for this purpose;

(b) if so, the action proposed to be taken by Government to prevent this type of corruption; and

(c) the number of such cases which have so far come to the notice of Government ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Social Welfare (Shri Govinda Menon) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Nil.

Non-Supply of Uniforms to Water-Women at Kota Station

4091. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Railways be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the Waterwomen posted at Kota station (Rajasthan) have not been provided with uniforms;

(b) the number of permanent Waterwomen there; and

(c) the reasons for not providing them with uniforms ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govind Menon) : (a) No, Sir. They have been provided with uniforms.

(b) Five.

(c) Does not arise.

खादी ग्रामोद्योग भवन द्वारा खादी की बिक्री

4092. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा कलकत्ता स्थित खादी ग्रामोद्योग भवनों और खादी बोर्ड द्वारा नियन्त्रित सहायक कम्पनियों द्वारा गत तीन वर्षों में, जिसमें, 31 अक्तूबर, 1969 तक चालू वर्ष की अवधि भी शामिल है, खादी की कुल कितनी बिक्री की गई है;

(ख) खादी उत्पादन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितने व्यक्ति, कताई करने वाले, बुनकर और अन्य कर्मचारी काम करते हैं; और

(ग) विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को श्रेणीवार न्यूनतम और अधिकतम कितनी मजदूरी दी जाती है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पुनः सहवास न होने के आधार पर विवाह भंग करने के लिये याचिका पेश करने के अधिकार के बारे में विधान

4093. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन व्यक्तियों को, जिनके विरुद्ध दाम्पत्य अधिकार वापिस लिए जाने पर कानूनी तौर पर पृथक् रहने की डिक्री पास की तारीख से दो वर्ष बीतने पर विवाह भंग के लिए याचिका देने की भी अनुमति दी जाती है;

(ख) क्या सरकार उन व्यक्तियों को भी वह अधिकार देना चाहती है जो 7 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक पुनः इकट्ठे नहीं रहे हैं परन्तु कानूनी पृथक्करण अथवा दाम्पत्य अधिकारियों की पुनरापित्त की कोई डिक्री न होने के कारण अपने विवाह को भंग नहीं करा सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक विधान लाया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उनको होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार उन्हें क्या राहत देना चाहती है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मू० यूनुस सलीम) : (क) इस आशय का एक उपबन्ध हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में कर दिया गया है। ऐसा ही एक उपबन्ध विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में करने की प्रस्थापना है और इस आशय का एक विधेयक लोकसभा में लम्बित है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) विवाह-विषयक मामलों में पैदा होने वाली वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिए समुचित राहत वर्तमान विधि के धीन उपलभ्य है।

Setting up of Industries for Consumption of Benzene

4094. **Shri Maharaj Singh Bharathi :** Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state the names of the new industries proposed to be set up during the Fourth Plan period with a view to consuming the increasing production of benzene in the form of a by-product and whether the rubber industry is also one of them ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : In the Fourth Plan period an additional capacity for the manufacture of styrene, chlorobenzene, nitrobenzene, caprolactum, BHC & DDT, which will be based on benzene, is planned to be established. No decision has yet been made regarding the setting up of additional capacity of SBR type or any other type of synthetic rubber.

Allotment of Wagons ACC Cement Factory, Bhilai

4095. Shri Maharaj Singh Bharathi : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the wagons according to requirement are not made available to the ACC Cement Factory, Bhilai owing to which the production of Cement in the said factory last year was only 5 lakh tonnes when it could have been 12 lakh tonnes; and

(b) if so, the steps being taken by Government to make available the required number of wagons so that the factory could supply the entire production of twelve lakh tonnes of Cement to all the places ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) and (b). In 1968-69, the total indents registered by the Jamul Cement Works of Messrs ACC at Drug near Bhilai were for 31,306 wagons. On the basis of this demand, the total despatch of cement, had all the wagons been loaded, would have been only 6 8 lakhs tonnes. The demand of the factory itself was, therefore, much less than 12 lakh tonnes.

Even this demand of 31,306 wagons equivalent to 6 8 lakh tonnes is doubtful, as indents are repetitive in as much as when wagons are not supplied on a particular day full on indent, the remaining indents are usually repeated on the following days. The arrear indents, therefore, become cumulative and do not represent the actual requirement of wagons for despatch of cement.

The Railway supplied a total of 21,047 wagons equivalent to 4.6 lakh tonnes. The shortfall in despatches was mainly due to demands for loading being made for areas outside the normal marketing zone of this factory. Had the demands been made within the zone, the loading would have been much more as the wagons would have moved in closed circuits. Railway capacities are developed with reference to the production of a cement factory, or, indeed, any other industry and the area which that industry is to serve.

The marketing zone of the Jamul Cement Factory covers Bengal, Bihar, Orissa and Assam. The factory did not want wagons for movement of cement to these area, reportedly due to slack demands, and wanted heavy booking to distant points in Northern and Western India not within the marketing zone of this factory and movement to which areas vas not part of the planning for the setting up of the Jamul Cement Factory In view, however, of the increased demands for cement in Northern and Western India, movement out of the normal marketing zone has been permitted from cement factories in block rakes and to the extent movement capacity is available. In fact, in the last few months, there has been increased movement out of zone

The production and loading were also affected off and due to breakdown in the machinery and plant and labour trouble.

Currently, the demands for movement from this plant are being met in full. Even the indents for out-of-zone movement have been complied with in greater measure in recent months, as demands for other traffic are law because of the slack season in the last few months More movement to out-of zone areas will be possible as and when additional capacity becomes available and works for development of capacity for movement towards Northern and Western India are in hand.

In 1969-70, during the first 8 months ending November 1969, the despatches from the Jamul Cement Works aggregated to 22,431 wagons as against only 12,480

wagons during the corresponding period of last year, thus representing an increase of over 7.%

Utilisation of full capacity of Rourkela Steel Plant

4096, Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Rourkela Steel Plant is manufacturing pipes much below its capacity because of the decline in the demand for the pipes; and

(b) if so, whether Government are making arrangements so as to utilise the full capacity of the said plant during the Fourth Plan period ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). Yes, Sir. The Pipe Plant at Rourkela is not operating at full capacity. The main reasons for this is that the available hot strip has to be rationed between the Pipe Plant and the cold rolling units for the production of thinner gauges of steel of which there is an acute shortage in the country.

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर बिजली का फेल होना

4097. श्री वेद वृत बरुआ : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, मई और जून, 1969 के दौरान पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर अक्सर बिजली फेल हो जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) मई, 1969 में आसाम मेल बरौनी से दिल्ली तक कितने दिन बिना बिजली और पंखे के गई; और

(ग) क्या बिजली के फेल होने को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय असम डाकगाड़ी के सवारी डिब्बों में रोशनी और पंखे चले जाने के कारण आयी शिकायतों से हैं। गाड़ी में रोशनी के सम्बन्ध में मई, 1969 में 2 और जून, 1969 में 6 शिकायतें आयी। अप्रैल, 1969 में कोई शिकायत नहीं मिली थी।

(ख) ऐसा कभी नहीं हुआ है कि असम डाकगाड़ी बरौनी से, डिब्बों में रोशनी और पंखों के बिना चली हो। शायद कभी ऐसा हो गया हो कि रास्ते में कुछ डिब्बों में रोशनी और पंखे चले गए हों। ऐसा अधिकांशत: गुण्डागर्दी, उपस्कर की चोरी, उपस्कर में खराबी आदि कारणों से होता है।

(ग) जी हां। इस तरह की खराबियों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(i) रोशनी और पंखों की फिटिंगों की प्रारम्भिक और पर्यन्त स्टेशनों पर अच्छी तरह जांच की जाती है। जिन गाडियों में गड़बड़ होती है उन पर ध्यान रखने के लिए अलग पर्यवेक्षक रखे जाते हैं,

(ii) महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रेलों की अधिकारियों और निरीक्षकों द्वारा बार-बार जांच की जाती है,

(iii) रास्ते में जो खराबियां पैदा होती है उन्हें महत्वपूर्ण मध्यवर्ती स्टेशनों पर ठीक किया जाता है,

(iv) बिजली-सम्बन्धी खराबियों पर तुरन्त ध्यान देने के लिए, जिन गाड़ियों में गड़बड़ी होती है उनके साथ फिटरों के चलने की व्यवस्था है,

(v) अधिकारियों द्वारा डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों की संयुक्त आवधिक जांच की जाती है,

(vi) डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में रोशनी की अवस्था पर क्षेत्रीय रेल मुख्यालय के स्तर पर निगरानी रखी जाती है,

(vii) अग्निरक्षण व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से फालतू पुर्जों की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गयी है,

(viii) जनता से मिलने वाली शिकायतों की अच्छी तरह छानबीन की जाती है और लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को छोड़कर अन्य समुदायों के पिछड़ेपन को दूर करना

4098. श्री वि० प्र० मंडल : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अलावा समाज में कुछ अन्य ऐसे बड़े वर्ग हैं जो सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं;

(ख) पिछड़ापन कैसे निर्धारित किया जाता है;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि इस देश में अनेक जातियां तथा समुदाय सामाजिक आर्थिक, शिक्षा तथा राजनैतिक दृष्टि से अन्य कुछ एक भाग्यशाली जातियों तथा समुदायों से बहुत पिछड़ी हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पिछड़ेपन को दूर करके सारे समाज को एक समान स्तर पर कैसे लाने का सरकार का विचार है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां।

(ख) पिछड़ेपन का निश्चय करने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों को आर्थिक जांचों को अपनाने की सिफारिश की है।

(ग) तथा (घ). विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन शुरू किए गए कार्यक्रमों का उद्देश्य देशकी आम जनता की आर्थिक दशा को सुधारना था।

पिछड़ापन निर्धारित करने की कसौटी

4099. **श्री वि० प्र० मंडल :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति के पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए उसके आर्थिक स्तर को ही आधार मानती है; और

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि यह आधार बहुत अनुचित और अन्यायपूर्ण है क्योंकि जात-पांत पर विश्वास करने वाले समाज में, अनेक जातियां तथा समुदाय जन्म के आधार पर समाज में पिछड़ी समझी जाती हैं ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) तथा (ख). जो जातियां अस्पृश्यता के आचरण पर आधारित वास्तविक अयोग्यताओं से पीड़ित हैं, उन्हें अनुसूचित जातियां घोषित किया गया है। जहां तक अन्य पिछड़े वर्गों का सम्बन्ध है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि पिछड़ेपन का निश्चय करने के लिए केवल जाति को ही कसौटी नहीं बनाया जा सकता।

ओल्ड वीर माली सुपाउल लाईन (पूर्वोत्तर रेलवे) का पुनः चालू किया जाना

4100. **श्री वि० प्र० मंडल :**
श्री शिव चंद्र झा :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसी बांध के पूरा हो जाने से कोसी नदी के बाढ़ पर नियन्त्रण हो जाने के फलस्वरूप सरकार का विचार पूर्वोत्तर रेलवे के ओल्ड वीर माली भपतियाही-सुपाउल लाइन को पुनः चालू करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) सुपोल–थुरभीटा खण्ड पहले ही खोला जा चुका है। इस समय थुरभीटा से भप्तियाही तक के खण्ड को फिर से बनाने का काम जारी है और यह काम जून, 1970 तक पूरा हो जायेगा। इन खण्डों के फिर से बन जाने के बाद इन के काम पर निगाह रखने और कोसी नदी के एक ओर भप्तियाही और दूसरी ओर निर्मली के बीच एक रेल सम्पर्क को फिर से स्थापित करने की किसी योजना पर विचार करने से पहले कुछ समय के लिए कोसी नदी के व्यवहार पर निगाह रखने का विचार है। जो भी हो, कोसी नदी पर बहुत बड़ा पुल बनाये जाने के कारण इस योजना पर बहुत अधिक खर्च होगा। अतः वित्तीय दृष्टि से इसके शुरु होने की सम्भावना नहीं है।

हाई क्वालिटी स्टील लिमिटेड तथा बिहार अलाय स्टील लिमिटेड को लाइसेंस देना

4101. **श्री श्रद्धाकर सुपकार :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री 18 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाई क्वालिटी स्टील लिमिटेड और बिहार एलाय स्टील लिमिटेड, जिन्हें क्रमश: 19 अगस्त, 1961 और 14 जनवरी, 1966 को मिश्रित धातु के उत्पादन के लिए लाइसेंस दिये गये थ, उत्पादन कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन दोनों कारखानों की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी; नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नरूला फाइनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली

4102. श्री रा० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नरूला फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड, दिल्ली के विरुद्ध जिन आरोपों की सूचना सरकार को दी गई है, उनमें जाली हिसाब किताब रखने का भी एक आरोप है;

(ख) क्या उपर्युक्त कम्पनी के दिवालिया हो जाने के बाद सरकार को इस कम्पनी की अनियमितताओं/कदाचारों का पता चला था, और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस कम्पनी ने अपने शाखा कार्यालय में वर्ष 1965 से 1967 तक की अवधि में सम्बन्धित व्यक्तियों से पूरी राशि वसूल करने से पहले अपनी देय राशि का भुगतान कर दिया था और उनकी मोटर गाड़ियां उन्हें दे दी थीं; और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(घ) क्या कम्पनी को बन्द करने का काम आरम्भ किये जाने के बाद कोई मोटर गाड़ियां उनके सम्बन्ध में पूरी राशि वसूल किये बिना, सम्बन्धित व्यक्तियों को दे दी गई थीं, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) क्या कम्पनी ने अपने शाखा कार्यालय में वर्ष 1965 से 67 तक सम्बन्धित व्यक्तियों को कोई छूट दी थी, और यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं और कुल कितनी राशि की छूट दी गई ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 20-12-1968 को नरूला फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड नाम की कम्पनी को बन्द करने के आदेश दिये थे तथा उच्च न्यायालय से संलग्न सरकारी परिसमापक (Liquidator) को कम्पनी का "परिसमापक" नियुक्त किया गया है। अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रखा जायेगा ।

लागत लेखा परीक्षा करने के लिये सनदी (चार्टर्ड) लेखापालों के लिये अर्हतायें

4103. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में लगभग 1 :0 व्यावसायिक लागत लेखापाल हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उद्योगों की कुल श्रेणियों के सम्बन्ध में जारी किये गये लागत लेखा परीक्षा आदेश लागू करने के लिये उनकी सेवाओं का उपयोग करने का है; और

(ग) यदि हां, तो क्या "अर्हताओं" के प्रस्तावित निर्धारण को इस समय स्थगित कर दिया जायेगा ताकि सनदी (चार्टर्ड) लेखापाल लागत लेखा परीक्षा कर सकें ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) कम्पनी अधिनियम की धारा 233 ख (2) के अन्तर्गत, लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, कम्पनी द्वारा अपनी साधारण बैठक में की जाती है, केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233 ख के अन्तर्गत, शास प्राप्त लेखाकारों के लिये विहित योग्यता का प्रश्न, सरकार के विचाराधीन है ।

राजपत्रित और अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के पेंशन/उपदान के मामले

4105. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1968 से 31 अगस्त, 1969 तक उनके मन्त्रालय/जोनल रेलवे में, रेलवे वार सेवा निवृत हुए राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) 1 अक्तूबर, 1969 को कितने राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों के पेंशन/उपदान के मामले क्रमश: तीन वर्ष से अधिक, दो वर्ष से अधिक, एक वर्ष से अधिक और छः महीने से अधिक समय से विचाराधीन थे;

(ग) इन मामलों में निर्णय न लेने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन मामलों को शीघ्र निबटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

डिगहा (पश्चिम बंगाल) से रेल सम्पर्क

4106. **श्री समर गुह** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में डिगहा, जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में एकमात्र समुद्र तटवास है, के विकास और उक्त स्थान पर पर्यटकों के आसानी से पहुंचने के लिये उसके साथ रेल सम्पर्क स्थापित करना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या बेल्डा स्टेशन या अन्य उपयुक्त स्थान से डिगहा तक रेलवे लाइन को बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में इस एकमात्र समुद्र तटवास की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) वर्तमान कठिन अर्थोपाय स्थिति के कारण फिलहाल इस प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

Allowance for Announcement to Assistant Station Masters in Allahabad Division

4107. Shri Jegannath Rao Joshi : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Assistant Station Masters in Allahabad Division, who give instructions on loudspeakers from the cabins to the staff working under them, are not paid any allowance for making announcements, where as the staff making announcements at the Stations are being paid such allowance;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government would look into the question of paying allowance for making announcements to those Assistant Station Masters who also perform announcement job in addition to their normal duties; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) and (b). Yes. Special pay of Rs. 25/- p. m. (not allowance) is granted only to full-time announcers communicating with the travelling public in consideration of the specialised and arduous nature of the duties and Rs. 15/- p. m. is granted to other staff who are utilised as part-time announcers subject to fulfilment of certain prescribed conditions, in consideration of the specific addition to their own duties.

(c) and (d). Does not arise as giving instructions to the staff working under them is a part of Assistant Station Masters'duties and provision of loudspeakers at big stations is a facility for carrying on the work more efficiently without having to walk about to the points where the staff are working or having to shout the orders, aloud.

Old Age Pension Scheme in Haryana

4108. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Haryana have implemented the Old Age Pension Scheme from November, 1969;

(b) if so, the names of the other States which have implemented similar scheme in their respective States; and

(c) the time by which the scheme would be implemented in the remaining States ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) Yes, Sir. From 1st April, 1969.

(b) Andhra Pradesh, Kerala, Mysore, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal.

(c) There is no Central scheme on old age penion, The matter is entirely the concern of rhe State Governments.

मेसर्स स्टेण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई

4109. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री मैसर्स स्टेण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई के बारे में 12 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3143 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) में मांगी गई जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यपार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : मैसर्स स्टेण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, जिन्हें कुछ स्पष्टीकरण के लिए कहा गया है, से अभी पूरे विवरण प्राप्त नहीं हुये है। पूरी सूचना उपलब्ध होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

मैसर्स हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कं० (प्राइवेट) लिमिटेड

4110. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री मैसर्स हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कं. (प्राईवेट) लि. के बारे में 12 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3144 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) से (ग) में मांगी गई जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). मैसर्स हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राईवेट) लि. से जिन्हें इस सम्बन्ध में लिखा गया है अभी तक पूरी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। जानकारी उपलब्ध होते ही वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे द्वारा डीजल ईंधन का आयात

4111. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री तेन्नेटि विश्वनाथ :
श्री भगवान दास :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे ने 1968 में और 1969 की प्रथम छमाही में कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के डीजल ईंधन का आयात किया;

(ख) इसका आयात किस देश से किया गया; और

(ग) इस डीजल की किस्म क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) कुछ नहीं।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता।

भारतीय रेलवे के लिये ढलवें इस्पात के डिब्बे

4112. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में ढलवें इस्पात के प्रयोग किये जाने की वांछनीयता के बारे में उनके मन्त्रालय ने कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या यह सच है कि ढलवें इस्पात के डिब्बों के निर्माण के लिये एक एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसका अभिप्राय यह है कि उनके मन्त्रालय का दुर्गापुर इस्पात कारखाने के व्हील्स और एक्सल कारखाने के उत्पादन कार्यक्रमों में विश्वास नहीं है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) ढले हुए इस्पात की बोगियों के विभिन्न टाइपों का व्यापक परीक्षण किया जा रहा है ताकि भारतीय रेलों पर इस्तेमाल के लिए उपयुक्त टाइप/टाइपों का विनिश्चय किया जा सके।

(ख) ढले हुए इस्पात की बोगियों के उत्पादन की क्षमता देश के अन्दर पहले से उपलब्ध है इसलिए फिलहाल कोई नया कारखाना स्थापित करने का विचार नहीं है।

(ग) सवाल नहीं उठता क्योंकि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के पहिया और धुरी संयंत्र के उत्पादन कार्यक्रम में ढले हुए इस्पात की बोगियों के उत्पादन का कार्यक्रम नहीं है।

वरीयता वाले तथा वरीयता न रखने वाले उद्योगों को स्टेनलैस स्टील का आवंटन

4113. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 की अन्तिम तिमाही में और वर्ष 1970 की पहली दो तिमाहियों में दुर्गापुर स्थित मिश्र इस्पात कारखाने में कितने टन स्टेनलैस स्टील तैयार किये जाने का विचार है और उपर्युक्त अवधि में तिमाहीवार, प्राथमिकता प्राप्त तथा गैर-प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिये कितने-कितने प्रतिशत स्टेनलैस स्टील नियत किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1969 । जनवरी, 1970 को दिये जाने वाले माल के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों द्वारा भेजे गये क्रयादेशों पर 10 प्रतिशत से अधिक स्टेनलैस स्टील अलाट नहीं किया और गैर-प्राथमिकता वाले उद्योगों के क्रयादेशों पर अधिक स्टेनलैस स्टील अलाट किया है; और

(ग) क्या समस्त विश्व में निकल की अत्यन्त कमी को देखते हुए, जो निकट भविष्य में कम नहीं होगी, सरकार देश में उपलब्ध निकल और स्टेनलैस स्टील का पूरा भण्डार प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के उपयोग के लिये आरक्षित रखने की आवश्यकता पर विचार कर रही है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 1969 की अन्तिम तिमाही और 1970 की पहली तिमाही में कुल 1435 टन तैयार बेदाग इस्पात का उत्पादन होगा (प्रत्येक तिमाही में लगभग 718 टन) । 1970 की दूसरी तिमाही में 950 टन के उत्पादन की आशा है । पैकिंग और निरीक्षण में समय लगेगा । अतः उपरोक्त उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत बाजार में पहुंचेगा । बेदाग इस्तात की प्लेट का कुल सप्लाई का आवंटन प्राथमिक उद्योगों को किया जायेगा और गर्म वेलित चादरों का 80 प्रतिशत प्रायमिक उद्योगों और शेष गेर-प्राथमिक उद्योगों को दिया जायगा । जहां तक ठण्डी बेलित चादरों का सम्बन्ध है, प्राथमिक उद्योगों की आवश्यकता कम है और इनकी आवश्यकताओं की पूरी तरह पूर्ति करने के पश्चात् शेष मात्रा गैरप्राथमिक उद्योगों को देदी जायेगी । गैरप्राथमिक उद्योगों को काफी समय से ये चादरें नहीं मिली हैं ।

(ख) जी, नहीं । दिसम्बर, 1969 - जनवरी, 1970 की अवधि में तैयार हुई बेदाग इस्पात की प्लेटों की कुल मात्रा परमाणु शक्ति आयोग, भारतीय उर्वरक निगम और रासायनिक यंत्र और मशीनों के निर्माताओं जैसे प्राथमिक उद्योगों को दी जायेगी । जनवरी, 1970 तक 70 टन गर्म वेलित चादरों का उत्पादन होगा, जिसमें से 60 टन प्राथमिक उद्योगों को, और शेष 10 टन गैर प्राथमिकता क्षेत्र को, जिनको पहले वचन दिया जा चुका है, दिया जाएगा । ठण्डी वेलित चादरों की पूर्ति पहले टेक्सटाइल कमिश्नर आदि के अधीन कारखानों जैसे प्राथमिक उद्योगों की पूरी आवश्यकताओं के लिए की जायेगी और इसके बाद जो चादरें बच जायेंगी वे बर्तन निर्माताओं आदि को दी जायेंगी ।

(ग) चूंकि प्राथमिक उद्योगों की बेदाग इस्पात की आवश्यकताओं और परिणामतः देश में उपलब्ध निकल के उपयोग में प्रथम अग्रता दी जाती है । अतः प्राथमिक उद्योगों के लिए निकल का स्टाक आरक्षित रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

ओलवक्कोड और मदुरै डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में रेलवे का निर्माण कार्यक्रम

4114. श्री श्रीकान्तन नायर: क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आलवक्कोड और मदुरै डिवीजनों में रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में दक्षिण रेलवे द्वारा कौन-कौन से विकास-कार्य प्रारम्भ किये गये हैं ;

(ख) क्या दूसरी रेलवे लाइन बिछाना, पटरियों को बदलना, जैसे कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं ; और

(ग) इन डिविजनों में इन विकास कार्यों से यात्रियों को क्या अतिरिक्त सुविधायें मिल जायेंगी ।

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2389/69]

(ख) जी हां ।

(ग) शीघ्र संचलन, प्लेटफार्मों का विस्तार, ऊपरी पैदल पुल, अतिरिक्त शौचालयों, यात्री शैलटर आदि कुछ सुविधायें हैं जो इन विकास कार्यों द्वारा यात्रियों को दी जायेंगी ।

कुष्ठ रोगियों का कल्याण

4115. श्री शिव चन्द्र झा : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुष्ठ रोगियों के कल्याण के लिये सरकार की कोई विशिष्ट योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उनके कल्याण के लिये उन पर अब तक कुल कितना व्यय किया गया है और चौथी योजना में उन पर अनुमानतः कितनी राशि और किस रूप में खर्च की जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) रोग मुक्त कुष्ठ रोगियों के लिए कल्याण योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। परन्तु, कुष्ठ रोगियों के उपचार तथा चिकित्सा के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियन्त्रण योजना चल रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) चतुर्थ योजना में सभी विकलांग व्यक्तियों का कल्याण प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है ।

समस्तीपुर स्थित डिविजनल सुपरिन्टेडेंट के कार्यालय भवन में वातानुकूलन की व्यवस्था

4116. श्री शिव चन्द्र झा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि समस्तीपुर स्थित डिविजनल सुपरिन्टेडेंट के कार्यालय में वातानुकूलन की व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार कम से कम समस्तीपुर, दरभंगा, सकरी, मधुबनी और बरौनी जैसे बड़े स्टेशनों के प्रतीक्षालय में वातानुकूलन को व्यवस्था करने का विचार है और यदि हां, तो कब ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) समस्तीपुर के मंडल अधीक्षक के कार्यालय के कमरे को वातानुकूलित कर दिया गया है ।

(ख) कार्यालय के कमरे को इसलिए वातानुकूलित किया गया है क्योंकि इससे कार्य-संचालन की क्षमता बेहतर हो गयी है । इस काम की अनुमानित लागत 12,000 रु० है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) वातानुकूलन पर बहुत सा पूंजीगत निवेश होता है और अनुरक्षण पर आवर्ती व्यय होता है । चूंकि धन-राशि की स्थिति कठिन है, इसलिए प्रतीक्षा-कक्षों को वातानुकूलित करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

चौथी योजना में गरीबों की सहायता के लिये राष्ट्रीय योजना

4117. श्री ना० रा० देवधरे :
श्री जे० के० चौधरी :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबों को सहायता देने के लिए एक राष्ट्रीय योजना चालू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

प्रबंध अभिकरण प्रणाली का समाप्त किया जाना

4118. श्री भगवानदास : **श्री इ० के० नायनार :**
श्री के० रमानी : **श्री रामावतार शर्मा :**

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली अन्तिम रूप से कब समाप्त हो जायेगी ।

(ख) क्या यह सच है कि प्रबन्ध अभिकर्ता अपना नाम परामर्शदाता रखने लगे हैं ;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में ऐसी कितनी परामर्शदात्री फर्में बन गयी हैं ; और

(घ) उनके पारिश्रमिक की शर्तें क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली, 3 अप्रैल 1970 को समाप्त हो जायेगी ।

(ख) भूतपूर्व प्रबन्ध अभिकर्ताओं में से अपनी प्रबन्धित कम्पनियों के परामर्शदाता के पद की नियुक्ति का एक मामला, सरकार को दृष्टिगोचर हुआ है ।

कुछ थोड़े से उद्योग गृहों ने, तकनीकी विशेषज्ञ आदि सेवाओं के लिये परामर्शदाताओं के पद पर कार्य करने के लिये अलग कम्पनियों की स्थापना की है । यद्यपि, कम्पनियों द्वारा परामर्श दाता के पद की नियुक्ति के लिये, वर्तमान में, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की अपेक्षा नहीं होती, परन्तु सरकार उसे दूर करने के लिये जो भी आवश्यक कार्यवाही हो सकती हो, उस प्रवृत्ति का सतर्कता से अध्ययन कर रही है ।

(ग) उपलब्ध अभिलेखों से प्रतीत हुआ है कि, विभिन्न राज्यों में, गत तीन वर्षों के मध्य, परामर्शदात्री कम्पनियों के नाम से कार्य करने के लिये, कुछ कम्पनियों का पंजीकरण हुआ है । परन्तु इन कम्पनियों के व्यापारिक गृहों तथा प्रबन्ध अभिकर्ताओं से सम्बन्ध की बाबत सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) परामर्शदात्री कम्पनियों के पारिश्रमिक की शर्तों के बाबत ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

देहरादून में मालगाड़ी के एक इंजन का स्टेशन मास्टर के कार्यालय से टकरा जाना

4119. श्री यशपालसिंह : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 नवम्बर, 1969 को देहरादून में मालगाड़ी का एक इंजन स्टेशन मास्टर के कार्यालय से टकरा गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ;

(ग) इससे कितनी हानि हुई ; और

(घ) इन दुर्घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) जी हां

(ख) दुर्घटना गाड़ी को अत्यधिक रफ्तार से चलाने और ड्राइवर द्वारा गाड़ी को नियंत्रित न कर पाने के कारण हुई थी ।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 31,165 रुपये की क्षति होने का अनुमान है ।

(घ) दुर्घटना ड्राइवर द्वारा निर्धारित नियमों का पालन न करने के कारण हुई थी । रेलवे कर्मचारियों की गलती को निष्क्रिय करने के लिए और उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए रेलें पहले ही से शैक्षिक मनोवैज्ञानिक दण्डात्मक और तकनीकी जैसे चार तरह के सुरक्षा सम्बन्धी अभियान चलाये जा रहे हैं ।

इक्विटेबल कोल कम्पनी, लिमिटेड

4120. श्री भगवान दास :
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् :
श्री ज्योतिमय बसु :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'इक्विटेबल कोल कम्पनी, लिमिटेड' में 50,000 रुपये से अधिक के अंशों वाले अंशधारियों के नाम क्या है।

(ख) इस कार्य से सम्बद्ध विदेशियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उक्त कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक की उपलब्धि कितनी है और उसे पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी धनराशि मिली है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ग) कम्पनी का प्रबन्ध, 31-12-1968 तक प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा किया जाता था। 1-1-1969 से इसका प्रबन्ध निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। कम्पनी का 1 मार्च, 1969 से प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिये प्रार्थना-पत्र वर्तमान में कम्पनी विधि बोर्ड के विचाराधीन है।

केरल के लिए औद्योगिक लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र

4121. श्री अ० कु० गोपालन : **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री प० गोपालन : **श्री ई० के० नायनार :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष केरल में उद्योग आरम्भ करने हेतु लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन-पत्र भेजे गये थे।

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के आवेदन पत्रों का ब्योरा क्या हैं ;

(ग) किन-किन उद्योगों के लिए लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(घ) क्या उन उद्योगों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है जिसके लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) . केरल में नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 1968 में 12 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। आवेदनों का विस्तृत ब्योरा संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2390/69**]

(ग) से (ङ) . 11 आवेदनों में से फोर्मिक एसिड उपोत्पाद का उत्पादन करने के प्रकरण में लाइसेंस मंजूर किया गया है और अन्य दो मामलों जिसमें एक वियर बनाने तथा दूसरा ड्राई बैटरी सेल बनाने का है आशय पत्र जारी किये गये हैं। चूंकि जनवरी, 1969 में ही लाइसेंस जारी किया गया है। अतः नए औद्योगिक उपक्रम उत्पादन प्रारम्भ करने में थोड़ा ही समय लगेगा। शेष 9 आवेदनों में से 8 खारिज कर दिये गये हैं और छोटी कार परियोजना के एक आवेदन पत्र पर नीति संबंधी निर्णय की प्रतीक्षा है।

केरल राज्य को औद्योगिक ऋण

4122. श्री सी० के० चक्रपाणी :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री प० गोपालन :
श्री के० अनिरुद्धन :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 से जून, 1969 तक की अवधि में केरल को कुल कितना औद्योगिक ऋण दिया गया ;

(ख) क्या उन सभी औद्योगिक योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है जिनके लिए ये ऋण दिए गए थे ;

(ग) यदि नहीं, तो उनमें से कितनी योजनाएं क्रियान्वित नहीं की गई ; और

(घ) क्रियान्वित की गई योजनाओं में इस समय कुल कितने लोग कार्य कर रहे हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1679814.73 रुपये।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

गैर सरकारी औद्योगिक क्षेत्र में सकेन्द्रण प्रक्रिया को रोकना

4123. श्री शिवचंद्र झा : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना की अवधि में गैर सरकारी औद्योगिक क्षेत्र में सकेन्द्रण प्रक्रिया को रोकने (समाप्त करने) के लिए किन्हीं विशिष्ट उपायों को अन्तिम रूप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) . एकाधिकार तथा प्रतिबन्धित व्यापार रीति का एक विधेयक सदन के समक्ष विचाराधीन है। हाल ही में औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने कई महत्वपूर्ण और विशिष्ट सिफारिशें की हैं जिनका कि क्षेत्र विस्तृत है। उनमें औद्योगिक लाइसेंसी करण आर्थिक शक्ति का कुछ हाथों में केन्द्रीकरण, बड़े औद्योगिक समूहों की भूमिका संयुक्त क्षेत्र की धारणा तथा वित्तीय संस्थानों का काम करना सम्मिलित हैं। समिति के प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है। समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं और सरकार के निर्णय शीघ्र ही घोषित किये जाने की आशा है।

चीनी तथा सीमेंट के मूल्य नियंत्रण अथवा विनियन्त्रण के बारे में औपचारिकताएं तथा प्रक्रिया

4124. **श्री एस० के० सम्बन्धन** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री 25 नवम्बर, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 190 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी तथा सीमेंट मूल्य नियंत्रण अथवा विनियंत्रण के बारे में समस्त सामान्य औपचारिकताएं तथा प्रक्रिया क्या हैं ;

(ख) क्या इन दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु पर नियंत्रण अथवा विनियंत्रण के बारे में भिन्न-भिन्न औपचारिकताएं तथा प्रक्रिया अपनाई जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है, तथा किन परिस्थितियों के कारण सरकार को इस प्रकार की अलग अलग कार्यवाही करनी पड़ी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सीमेंट उद्योग का अध्ययन प्रशुल्क आयोग द्वारा 1961 में किया गया था और सीमेंट के मूल्य उसकी सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किये गये थे। इन मूल्यों में सरकारी कृत्यों के परिणाम स्वरूप जैसे ईंधन, बिजली आदि के मूल्य वृद्धि के कारण, समय समय पर समंजन किया जा सकता था। चीनी उद्योग का अध्ययन चीनी उद्योग जांच आयोग द्वारा किया गया था जिसने 1965 में सरकार को प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में आयोग द्वारा सिफारिश किये गये पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक में प्रतिनिधि चीनी कारखानों के वास्तविक तथा परियोजित उत्पादन लागत को मूल्यों का आधार बनाने की सिफारिश की थी। चीनी के मूल्यों का निर्धारण इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जा रहा है। सीमेंट से नियंत्रण को हटाया जा रहा है जबकि चीनी पर से नियंत्रण आंशिक रूप से हटा लिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्धन विकलांग व्यक्तियों के लिये मुफ्त बनावटी अंग

4125. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने ऐसे नियम बनाये है और यह आदेश दिया है कि आयकर न देने वाले सभी (निर्धन) व्यक्तियों को सरकारी खर्च पर बनावटी अंग तथा अन्य विकलांग साधन मुफ्त दिये और लगाये जायेंगे ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार भी, जो अब गरीबों के लाभ के लिए समाजवादी ढांचे पर काम करने की योजना बना रही है संघ राज्य क्षेत्रों में निर्धन विकलांग व्यक्तियों को सरकारी खर्च पर बनावटी अंग तथा अन्य विकलांग साधन मुफ्त देने तथा लगाने के लिए ऐसे ही नियम बनाने के लिए तैयार है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों के बारे में भी ऐसी हिदायतें जारी करने का है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) ऐसे आदेश के बारे में समाज कल्याण विभाग को राज्य सरकार से कोई सरकारी सूचना नहीं मिली है ।

(ख) सभी संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होने वाला कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं ।

(ग) यह राज्य विषय होने के कारण भारत सरकार के लिए इस सम्बन्ध में राज्यों को कोई निदेश जारी करना सम्भव नहीं है ।

जबलपुर क्षेत्र में कटनी-गढ़वा रेलवे लाइन पर व्यय

4126. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर क्षेत्र में बरास्ता ब्योहरी कटनी-गढ़वा रेलवे लाइन पर अब तक कितना व्यय किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस रेलवे लाइन पर अग्रेतर निर्माण-कार्य स्थगित अथवा बिल्कुल ही बन्द कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) प्रत्यक्षत: माननीय सदस्य का आशय ब्योहारी होकर सिंगरौली-कटनी रेल सम्पर्क के निर्माण से है । इस रेल सम्पर्क पर मार्च 1969 तक कुल खर्च 16.73 करोड़ रुपये रहा ।

(ख) और (ग) . इस नयी लाइन पर पहले जितना यातायात होने का अनुमान लगाया गया था उतना इस समय होने की संभावना नहीं है । इस प्रायोजना को पूरा करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

तुगलकाबाद, दिल्ली को कोयला भेजने की बुकिंग पर पाबन्दियां

4127. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने तुगलकाबाद, दिल्ली को कोयला भेजने की बुकिंग पर पाबन्दियां लगा दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इन पाबन्दियों को लगाने से पहले दिल्ली प्रशासन से विचार विमर्श किया गया था ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं। रेलवे बोर्ड यातायात की बुकिंग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाता। लेकिन उत्तर रेल प्रशासन ने 19-11-69 से 10-12-69 तक तुगलकाबाद को कोयला बुक करने पर प्रतिबन्ध लगाया था।

(ख) माल पाने वालों द्वारा कोयला हटाने का काम धीमा कर दिये जाने के कारण रेलवे साइडिंग पर माल डिब्बों से उतारा हुआ कोयला बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो गया था, जिसकी वजह से प्रतिबन्ध लगाना पड़ा। नवम्बर, 1969 में प्रतिदिन औसतन 8.2 माल डिब्बा उतरा हुआ कोयला साइडिंग से हटाया गया जबकि वहां प्रतिदिन औसतन 12.4 माल डिब्बा कोयला उतारा गया। नवम्बर, 1969 के अन्त तक 163½ माल डिब्बों का कोयला जमीन पर पड़ा था जिसे वहां से हटाया जाना था।

(ग) जी नहीं। अस्थायी जमघट हो जाने के कारण जब कभी यातायात की मात्रा सम्हलाई क्षमता से बढ़ जाती है, तभी रेलें परिचालन सम्बन्धी अस्थायी प्रतिबन्ध लगा देती हैं। इस तरह के अस्थायी प्रतिबन्ध लगाने से पहले स्थानीय प्रशासनों से परामर्श नहीं किया जाता।

Electricity for staff quarters at Dibai Station (Northern Railway)

4128. **Shri Yeshpal Singh :**
Shri P. L. Barupal
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that electricity has been provided at Dibai Station on the Aligarh Bareilly line ;

(b) if so, whether it is also a fact that electric connections have not so far been provided in Staff quarters including that of Station Master, Dibai ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govind Menon) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Electrification of these quarters has not been taken up due to paucity of funds.

साधारण निर्वाचनों में व्यय की जांच के लिए समिति

4129. श्री विक्रम चंद महाजन : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण निर्वाचन में अभ्यर्थियों के निर्वाचन सम्बन्धी व्यय के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मोहम्मद यूनुस सलीम) : (क) और (ख) . जी नहीं, किन्तु निर्वाचन आयोग साधारण निर्वाचन में अभ्यर्थियों द्वारा दिये जाने वाले भारी व्यय को रोकने के लिए कई प्रस्थापनाओं पर विचार कर रहा है ।

विधि मन्त्रालय में कर्मचारियों की भर्ती

4130. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1967 से लेकर आज तक उनके मंत्रालय में 700 रुपये प्रति मास से अधिक वेतन पाने वाले तकनीकी तथा गैर तकनीकी कर्मचारियों की कितनी नई नियुक्तियां की गई हैं ;

(ख) उनका राज्य वार ब्योरा क्या है ;

(ग) उनमें से कितनी नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की गई हैं ; और

(घ) संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सभी नियुक्तियां न करने के क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क)

	तकनीकी	....	कुछ नहीं
	अतकनीकी	....	60
(ख)	आन्ध्र प्रदेश	....	4
	बिहार	....	2
	दिल्ली	....	4
	गुजरात	....	1
	हरियाणा	....	2
	केरल	....	8
	मध्य प्रदेश	....	4
	महाराष्ट्र	....	4
	मैसूर	....	1
	उड़ीसा	....	1

पंजाब	....	...	2
राजस्थान	....		3
तामिल नाडु	....		3
उत्तर प्रदेश			18
पश्चिमी बंगाल			3

(ग) और (घ) . 50 नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग की मार्फत की गई हैं । शेष 10 पदों के लिए उपयुक्त अभ्यार्थियों का चयन आयोग की मार्फत होने तक इनके लिए तदर्थ इन्तजाम संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अधीन कर दिया गया था । इन दस पदों में से दो पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन अब आयोग द्वारा कर दिया गया है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों में साक्षरता

4131. श्री अदिचन :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वाधीनता के पश्चात प्रत्येक राज्य में हरिजनों अर्थात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों में शिक्षा का कितना प्रसार हुआ है, और कितने प्रतिशत पुरुष तथा महिलायें साक्षर हैं ;

(ख) स्वाधीनता के पश्चात केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों ने उनकी शिक्षा पर कितना व्यय किया है ;

(ग) हरिजनों में साक्षरता के स्वाधीनता के समय तथा वर्तमान आंकड़े गैर-हरिजनों के तदनुरूपी आंकड़ों की तुलना में कितने अधिक अथवा न्यून हैं ; और

(घ) संविधान में हरिजनों को संरक्षण तथा उनके लिये आरक्षण सम्बन्धी विशेष उपबन्धों को कितने प्रतिशत साक्षर होने पर समाप्त किया जा सकता है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम है, तो उसका ब्योरा क्या है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए साक्षरता के आंकड़े पहले पहल 1961 की जनगणना में एकत्रित किए गए थे । एक विवरण, जिसमें 1961 की जनगणना में पुरुषों तथा स्त्रियों में साक्षरता की अनुमानित प्रतिशतता दर्शाने वाले राज्यवार आंकड़े दिये गए हैं, संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2391/69**]

(ख) 1968-69 तक 154.14 करोड़ रुपये की कुल राशि खर्च की गई थी ।

(ग) साक्षरता की प्रतिशतता	1951	1961
सामान्य	16.6	24.04
अनुसूचित जातियां	×	10.27
अनुसूचित आदिम जातियां	×	8.53

× प्रमाणित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का शैक्षणिक उत्थान साक्षरता के सामान्य स्तर से सम्बन्धित है। इसलिए, कड़ी प्रतिशतता अथवा तारीख सीमाएं विहित करना संभव नहीं है।

कागज की लुगदी तथा अखबारी कागज के कारखानों के लिए सरकारी क्षेत्र में निगम

4132. श्री यशपाल सिंह :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में कागज की लुग्दी तथा अखबारी कागज के कारखानों को चलाने के लिए निगम स्थापित करने का प्रस्ताव हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में इन वस्तुओं की पर्याप्त क्षमता ही पायेगी, इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है निगम कुछ हद तक उत्पादन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होगा।

छोटे कारखानों के लिए तकनीकी जानकारी का क्रय

4133. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे कारखानों के प्रयोग के लिए तकनीकी जानकारी की समेकित क्रय के लिए लघु उद्योगों का एक प्रतिनिधि मण्डल हाल में जापान गया था ;

(ख) यदि हां,तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रतिनिधि मण्डल द्वारा क्या सुझाव दिए गय हैं ;

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकरात्मक हो तो क्या ऐसा कोई प्रतिनिधिमण्डल भेजने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) . प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

मध्य प्रदेश में उपरि-पुल

4134. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश के कितने नगरों में रेलवे लाइनों पर उपरि-पुलों के निर्माण की स्वीकृति दी है ;

(ख) क्या यह सच है कि विदिशा नगर में रेलवे लाइनों पर हुई कुछ गम्भीर घटनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश के कुछ संसद् सदस्यों ने कुछ समय पूर्व विदिशा नगर में, एक उपरि पुल के निर्माण की मांग की थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) दो।

(ख) और (ग) . मध्य रेलवे की क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति ने जिसके सदस्यों में कुछ संसद् सदस्य भी हैं, जनवरी, 1969 में आयोजित अपनी 49 वीं बैठक में विदिशा स्टेशन पर वर्तमान ऊपरी-पुल के विस्तार का सुझाव दिया था। यह सुझाव स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि इससे जहां बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या अधिक बढ़ जायेगी, वहां रेलवे स्टेशन के दूसरी ओर स्थित बस्तियों को मामूली सा अतिरिक्त लाभ पहुंचेगा। इन बस्तियों की आवश्यकता स्टेशन यार्ड के दोनों सिरों पर बने समपारों से अच्छी तरह पूरी हो जाती है।

अप्रयुक्त पड़ी आयातित मशीनें

4135. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मौके पर रखरखाव तथा मरम्मत की उचित सुविधाओं के अभाव के कारण कुछ परियोजनाओं के लिए आयात की गई बहुत महंगी मशीनें देश में अप्रयुक्त पड़ी हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या रखरखाव करने वाली इंजीनियरों की एक कोर बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे अर्हता प्राप्त इंजीनियरों में कुछ हद तक बेरोजगारी कम हो सके और अप्रयुक्त पड़ी मशीनों के उत्तरोत्तर क्षय से होने वाली भारी हानि से देश की बचत हो सकेगी ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कोई कार्यवाही आरंभ की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जहां तक इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय के अधीन परियोजनाओं का संबंध हैं, कार्य-स्थल पर उचित रख-रखाव और मरमत की सुविधाओं के अभाव में कोई आयातित मशीनें अप्रयुक्त नही पड़ी हुई है।

(ख), (ग) और (घ) . प्रश्न नहीं उठते।

वाराणसी स्थित डीजल लोकोमोटिवस वर्क्स में इंजनों का निर्माण

4136. श्री म० सुदर्शनम : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी स्थित डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में योजना लक्ष्यों के अनुसार निर्माण हो रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक निर्माण कितना है और लक्ष्यों को प्राप्त न करने के कारण क्या हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में वास्तविक उत्पादन के साथ-साथ उत्पादन के लक्ष्य नीचे दिये गये है :—

	मुख्य लाइन के डीजल इंजन		डीजल शंटर
	बड़ी लाइन	मीटर लाइन	बड़ी लाइन
(i) लक्ष्य			
1966–67	55	—	—
1967–68	66	—	21
1968–69	60	10	—
(ii) वास्तविक उत्पादन			
1966–67	55	—	—
1967–68	66	—	17
1968–69	60	10	4*

*देश में बने धुरा आदि जैसे पुर्जे देरी से प्राप्त होने के कारण बड़ी लाइन के 4 डीजल शंटर तैयार न किये जा सके।

पानीपत स्टेशन (उत्तर रेलवे) के कुछ पार्सल क्लर्कों को 'ट्रांजिट' ड्यूटी से छूट

4137. श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री टी० पी० शाह :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के पानीपत स्टेशन के कुछ पार्सल क्लर्कों को उनके परिवारों की बीमारी के आधार पर 'ट्रांजिट' ड्यूटी से छूट दी गयी है ;

(ख) यदि हां, क्या प्रशासन के लिए उन्हें दिल्ली स्टेशन पर 'ट्रांजिट' ड्यूटी के लिए स्थानान्तरित करना संभव नहीं था, जहां पर चिकित्सा की अच्छी सुविधायें उपलब्ध हैं।

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली डिवीजन के कुछ डिवीजनल अधिकारी उन कर्मचारियों के साथ मिले हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) और (ख) . जी नहीं। लेकिन एक पार्सल क्लर्क को उसके स्वास्थ्य के आधार पर, जैसा रेलवे चिकित्सा अधिकारी ने सिफारिश की है, ट्रांजिट कार्य से छूट दी गयी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

भूमि सुधार के मामलों की जांच करने के लिए अलग न्यायिक व्यवस्था

4138. श्री यशपाल सिंह : क्या **विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने उनको यह सुझाव दिया है कि वह भूमि सुधार कानूनों से, जो मामले उत्पन्न होते हैं, केवल उन्हीं का निबटारा करने के लिये एक अलग न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करने के प्रस्ताव की जांच करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस प्रस्ताव की जांच की है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में उनका क्या मत है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मोहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) . प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली तथा बम्बई की नाटक फर्मों के निदेशक

4139 श्री जुगल मंडल : क्या **औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित समवायों के निदेशकों तथा अंशधारियों के नाम क्या हैं :—

(i) नई दिल्ली थियेटर्स (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली ;

(ii) ईगल थियेटर्स (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई ; और

(iii) साइन फोज (इन्डिया) लि०, बम्बई ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मद (ii) तथा (iii) का सम्बन्ध सम्भवत: ईगल पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, देहली, तथा साइफोन्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड बम्बई से है।

"नई दिल्ली थियटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड" तथा उपरोक्त दो कम्पनियों के निदेशकों तथा अंशधारियों के नाम निम्न प्रकार है :

1. नई दिल्ली थियेटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड

(क) निदेशकों के नाम

(i) श्री शिव शंकरलाल, प्रबन्धक निदेशक

(ii) श्रीमती किशोरी देवी, निदेशक

(ख) अंशधारियों के नाम

(i) श्री शिव शंकरलाल
(ii) श्रीमती किशोरी देवी
(iii) श्री भवानी शंकर
(iv) श्रीमती उषा शंकर
(v) श्री अश्विनी शंकर

2. ईगल पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड

(क) निदेशकों के नाम

(i) श्री एफ० सी० मेहरा, निदेशक
(ii) श्री ए० एस० साहनी, निदेशक
(ii) श्री शम्मी कपूर, निदेशक
(iv) श्री राम प्रकाश मसीन, निदेशक
(v) श्री एस० पी० मसीन, निदेशक

(ख) अंशधारियों के नाम

(i) श्री एफ० सी० मेहरा
(ii) श्री ए० एस० साहनी
(iii) श्री शम्मी कपूर
(iv) श्री राम प्रकाश मसीन

3. साईन फोन्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड

(क) निदेशकों के नाम

(i) श्री निवास अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक
(ii) श्री विलास अग्रवाल, निदेशक
(iii) श्री प्रकाश अग्रवाल, निदेशक

(ख) अंशधारियों के नाम

(i) श्री निवास अग्रवाल
(ii) श्री विलास अग्रवाल
(iii) श्री शिवनाथ प्रसाद अग्रवाल
(iv) श्री प्रकाश अग्रवाल

उत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा स्टेनोग्राफरों का चयन

4140. श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे प्रशासन ने रेलवे बोर्ड की 1965 की हिदायतों के अनुसार वर्गोन्नत पदों के लिए स्टेनोग्राफरों का 130–300 रुपये के वेतनमान से 210–425 रुपये के वेतनमान में एक चयन किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रशासन चयन की तारीख को 210–425 रुपये के वेतनमान वाले सभी रिक्त पदों के बारे में सहमति प्राप्त नहीं कर सका था जिसके फलस्वरूप उक्त चयन में कई अर्हता प्राप्त स्टेनोग्राफरों को पदोन्नति से वंचित रहना पड़ा;

(ग) क्या कुछ अर्हता प्राप्त स्टेनोग्राफरों के वर्तमान कुछ रिक्त पदों को शामिल करने के लिये सरकार से अभ्यावेदन किया है और अदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) कितने रिक्त स्थानों के बारे में सहमति प्राप्त करने में विलम्ब हुआ, कितने रिक्त स्थानों को इस चयन में शामिल नहीं किया गया है और कितने अर्हता प्राप्त स्टेनोग्राफरों को इस कारण पदोन्नति नहीं दी गई थी; और

(ङ) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) कर्मचारियों का अभ्यावेदन निर्माण यूनिट के रिक्त स्थानों को शामिल करने के लिए है जो नियमों के अधीन अनुमेय नहीं है।

(घ) और (ङ) सवाल नहीं उठता।

त्रिपुरा में औद्योगिक बस्तियां

4141. श्री किरितविक्रम देव बर्मन :
श्री अदिचन :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास तथा इस सीमावर्ती राज्य के समुचित औद्योगिककरण के लिए त्रिपुरा में औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है तथा त्रिपुरा में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों का स्वरूप तथा क्षमता क्या है; और

(ग) ये औद्योगिक बस्तियां कब तक स्थापित हो जाएँगी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) चतुर्थ योजना में त्रिपुरा के धर्मनगर में एक नई औद्योगिक बस्ती की स्थापना का प्रस्ताव है। वहां स्थापित होने वाले उद्योगों के स्वभाव तथा क्षमता का निर्णय विकास आयुक्त लघु उद्योग द्वारा निकट भविष्य में क्षेत्र का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण करने के पश्चात किया जायगा। नये उद्योगपतियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाराघाट में नये शैडों का निर्माण करके अरुन्धती नगर में विद्यमान औद्योगिक बस्तियों का भी अग्रेतर विस्तार

किया जा रहा है। ग्लास कारखाना तथा फलों को डिब्बों में बन्द करने के कारखाने जैसे उद्योगों की स्थापना के हेतु इस स्थापना स्थल में वर्क शेडों के आवंटन के लिए प्रार्थनाएं आई हैं।

(ग) 1973-74 तक धर्मनगर में प्रस्तावित औद्योगिक बस्ती के तैयार हो जाने की आशा है। अरुन्धतीनगर में औद्योगिक बस्तियों के विस्तार का कार्य 1970-71 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

बी० ए० के० लूप (पूर्वी रेलवे) में बिन्दूहासोनी रोड हाल्ट को पुनः चालू करने की मांग

4142. **श्री धूलेश्वर मीना :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वी रेलवे बी० ए० लूप में बिन्दूहासोनी रोड नामक हाल्ट स्टेशन 1954 तक विद्यमान था और इसके पश्चात इसको बन्द कर दिया गया था;

(ख) क्या उस देहाती क्षेत्र में यह एकमात्र हाल्ट स्टेशन था जिसमें उस क्षेत्र के लोगों को रेलवे संचार की सुविधायें उपलब्ध थीं;

(ग) क्या गोलखोर तथा उसके उपनगरों के सभी लोगों ने स्टेशन को पुनः चालू कराने के लिये 10 नवम्बर, 1969 को सत्याग्रह करने का निर्णय किया था और इस उद्देश्य हेतु उन्होंने हाबड़ा स्थित पूर्वी रेलवे के डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट तथा अन्य अधिकारियों को नोटिस दिया था, लेकिन वह सत्याग्रह 10 नवम्बर 1969 को उस स्थान का दौरा करने वाले यातायात निरीक्षक, बारबखा तथा अन्य पुलिस अधिकारियों के इस आशय के लिखित आश्वासन पर कि उनकी मांग उचित है और इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा, स्थगित कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उक्त हाल्ट स्टेशन को पुनः चालू करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है और यह स्टेशन कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। अहुतगाम नामक एक अन्य हाल्ट था जो बड़हरवा जंकशन और तिलडांगा स्टेशन के बीच स्थित था। आधी किलोमीटर की दूरी पर बोनीडांगा स्टेशन खुलने के साथ, 1-4-1969 से अहुतगाम स्टेशन को बन्द कर दिया गया।

(ग) और (घ) सत्याग्रह का एक नोटिस मिला था, लेकिन सिविल अधिकारियों की सामयिक कार्रवाई के कारण सत्याग्रह नहीं किया गया। हाल्ट की मांग के सम्बन्ध में रेल अधिकारियों द्वारा 10 नवम्बर को कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया था। फिर भी इस हाल्ट स्टेशन को फिर से खोलने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है और इस मामले पर यथासम्भव शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

गुजरात राज्य के लिये नई रेलवे लाइनें

4143. **श्री प्र० न० सोलंकी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 में गुजरात राज्य के लिये कुछ नई रेलवे लाइनें बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) इन रेलवे लाइनों को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क), (ख) और (ग) 1970-71 में गुजरात राज्य में कोई खास नयी लाइनें बनाये जाने का प्रस्ताव नहीं है। किन्तु गुजरात में कुछ नयी लाइनों, जैसे भावनगर–तारापुर, हरीज–राधनपुर और गांधीधाम–लखपत के बनाये जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। चूंकि चौथी पंचवर्षीय योजना में बनायी जाने वाली नयी लाइनों के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया, इसलिए इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि गुजरात राज्य में पड़ने वाली यदि कोई नयी लाइनें चौथी योजना में बनायी जायेंगी तो वे कौन सी होंगी।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के क्षेत्र का विभागीकरण

4144. श्री हेम बरुआ : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कुछ क्षेत्रों का विभागीकरण करने से सम्बन्धित योजना को अन्तिम रूप दिया गया है तथा उसे कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार का रंगिया, असम में एक डिवीजनल कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा इस बारे में निर्णय किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो योजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां। योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और पहली मई, 1969 से उसे कार्यान्वित कर दिया गया है ।

(ख) योजना जिस रूप में कार्यान्वित की गयी है उसमें रंगिया में मंडल मुख्यालय बनाने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन, चूंकि अब यह मान लिया गया है कि यदि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की वित्तीय सीमाओं में सम्भव हो और इस काम के लिए अपेक्षित भूमि रेलवे को मुफ्त में मिल जाये तो रंगिया में मंडल मुख्यालय बनाया जायेगा।

(ग) योजना का पूरा ब्योरा अभी तैयार नहीं किया गया है ।

Loss to Railways during various agitations

4145. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the estimated loss suffered by Railways as a result of attack on Railway stations and damage to lines and carriages during various agitations in 1968 and 1969;

(b) the details of loss sustained as a result of natural calamities like floods, etc.; and

(c) whether his Ministry has considered some measures for protecting Railway property from arson and sabotage during agitations and, if so, the outlines thereof and the time by which they would be implemented ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a), (b) and (c) . The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Representation from Residents of Sonai in regard to Sonai Railway Station (North Eastern Railway)

4146. Shri Shiv Charan Lal :
Shri Nihal Singh :
Shri Sheopujan Shastri :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government have received representations from the public of Sonai through M. Ps. in regard to Sonai Station (Metre Guage Line) in which it is stated that the Engineers of that place are acting arbitrarily taking bribes and constructing the proposed station at a distance of one kilometre :

(b) whether it is a fact that up till now four Members of Parliament have suggested to him to conduct an on-the-spot enquiry;

(c) whether it is also a fact that the public have served notices to launch an agitation since his ministry did not conduct on-the-spot enquiry;

(d) if the replise to parts (b) and (c) above be in the affirmative, whether Government propose to reconsider this matter; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) A representation was received from the public of Sonai area through the Members of Parliament in which it was stated that the Railway officers were acting arbitrarily. No representation has been received stating that the engineers of that place are taking bribe for constructing the proposed station at a distance of one kilometre.

(b) Three Members of Parliament have written to the Minister of Investigate about the siting of the proposed crossing station at Sonai,

(c) Yes.

(d) No.

(e) As the site for locating the proposed crossing station at a distance of about 1 kilometre from the existing Sonai halt station towards Raya side has been finalised with the approval of the local public and after examining all technical and other aspects, further examination for siting the crossing station at a distance of 2 furlongs has not been consisdered necessary.

Investment made in Bokaro Steel Plant

4147. Shri Sheopujan Shastri : Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) the investment made in the Bokaro Steel Plant so far;

(b) whether the total estimated expenditure likely to be incurred on the plant on its completion has been worked out; and

(c) if so, the extent thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K C. Pant) : (a) The investment made in Bokaro Steel Plant till the end of November, 1969 is about Rs. 300 crores.

(b) and (c) . The original estimate of expenditure on Bokaro (stage I) for the production of 1.7 million tonnes of ingots steel per year is Rs. 671 crores. Bokaro Steel Ltd are at present reviewing this estimate in details in the light of the available data on actual progress and expenditure.

Pay Scale of Engineers in Heavy Electricals (India) Ltd., Bhopal

4148. **Shri J gannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the pay scale of Graduate Engineers in the Heavy Electricals (India) Ltd. Bhopal and that of their counterparts in the Heavy Engineering Corporation, Ranchi;

(b) whether there is any disparity between the two pay-scales and, if so, the reasons therefor and the time by which this disparity is likely to be removed;

(c) whether definite and clear rules have been framed for it the promotion of graduate engineers of the Heavy Electricals (India) Ltd. Bhopal and, if so, the nature thereof, and if not, the reasons therefor; and

(d) whether it is a fact that complaints have also been received in regard to the residential units of the said engineers and if so, the details thereof and the action proposed to be taken in the matter ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) The pay scale of Graduate Engineers in Heavy Electricals (India) Limited is Rs. 400-950 whereas in Heavy Engineering Corporation Limited, Ranchi it has been revised from Rs. 400-950 to Rs. 400-1100/-.

(b) The pay scale in Heavy Electricals (India) Limited conform to the standard pay-scales of the Government of India which are also adopted by many of the public sector undertakings. The management does not propose to revise the pay scale of Graduate Engineers but have recently given a special pay of Rs. 90/- p. m. to such of the employees in this scale of pay who have completed three years of satisfactory service.

(c) The promotion of Graduate Engineers, like other officers in Heavy Electricals (India) Limited is governed by the rules contained in company's Service Rules.

(d) The Graduate Engineers in the scale of Rs. 400-950 have represented for the provision of additional amenities such as (i) additional ceiling fans, (ii) overhead tanks for water storage, (iii) wash basin and mirror and (iv) sink and draining board in the kitchen etc. in the quarters occupied by them. These matters are under consideration of the management.

केरल में उद्योग

4149. **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम काल में तथा चतुर्थ योजना के आरम्भ से केरल मे कितने उद्योगों की स्थापना करने की सिफारिश की गई थी और कितने उद्योग स्थापित किये जा चुके हैं;

(ख) महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किये गये उद्योगों की तुलना में जो विदेशी मुद्रा की कमाई के रूप में केन्द्र को कुछ भी नहीं देते, केरल में कितने प्रतिशत उद्योग स्थापित किये गये हैं, जो रबड़, नारियल जटा, काली मिर्च, आदि के निर्यात के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाता है; और

(ग) केरल में उद्योगों के अनुपात को बढ़ाने के लिए केन्द्र तथा योजना आयोग ने क्या उपाय किए है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) . जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिवेन्द्रम से एर्णाकुलम तक अतिरिक्त रेल गाड़ियां

4150. श्री क० अनिरुद्धन : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिए त्रिवेन्द्रम से एर्णाकुलम तक अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने की कोई मांग की गई है;

(ख) उस क्षेत्र में रेल यातायात में सुधार करने के लिये रेलवे बोर्ड ने क्या उपाय किए हैं; और

(ग) रेलों से यात्रा करने वाले लोगों को और अधिक सुविधायें देने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल कितने धन का आवंटन किया गया है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की मांग की गई है कि मंगलूर की ओर के यात्रियों के लिए तिरुवनन्तपुरम सेण्ट्रल से एर्णाकुलम तक एक सीधी गाड़ी चलायी जाये जो 29 डाउन कोच्चिन-मंगलूर एक्सप्रेस से मेल ले और तिरुवन्तपुरम सेण्ट्रल और काजकुट्टम के बीच एक खण्डीय गाड़ी चलायी जाये ।

(ख) 196 अप/195 डाउन तिरुवन्तपुरम सेण्ट्रल-एर्णाकुलम तेज सवारी गाड़ी चलाकर तिरुवन्तपुरम-सेण्ट्रल और एर्णाकुलम के बीच सीधी गाड़ी चलाने की मांग पूरी कर दी गई है । यह गाड़ी एर्णाकुलम जंकशन पर 29 डाउन कोच्चिन-अलाप्पुझा एक्सप्रेस और 26 अप बेंगलूरु-कोच्चिन आइलेंड एक्सप्रेस से मेल लेती है ।

(ग) "उपयोगकर्ता सुविधाओं" के लिए रेलवे की चौथी पंचवर्षीय योजना में 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

National India Traders (P) Ltd , Bombay

4151. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Industrial Development Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3214 on the 12th August, 1969 and state :

(a) whether Government have since collected the requisite information regarding the National India Traders (P) Limited, Bombay;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, reasons therefor and the time by which the information would be collected and laid on the Table of the House ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c) The information has already been collected and furnished in fulfilment of the Assurance given in the Lok Sabha in reply to Unstarred Question No. 1091 dated the 25th February, 1969.

The information is reproduced below :

(a) No licence appears to have been issued to M/s. National India Traders (Private) Ltd., Bombay, under the Industries (Dev. & Reg.) Act, 1951.

(b) and (c) . Do not arise.

Central Distributors Ltd., Bombay

4152. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3213 on the 12th August, 1968 and state :

(a) whether Government have since collected the requisite information about the Central Distributors Limited, Bombay;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not the reasons therefor and the time by which it would be collected and laid on the Table of the House ?

The Minister of Industrial Development Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c) . As the information had to be collected from a large number of sources, it has not yet been possible to collect complete information and certain clarifications have also to be obtained. It is, however, expected that relevant information will become available shortly.

Belapur Sugar Company Ltd., Bombay

4153. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3212 on the 12th August, 1969 and state :

(a) whether the information regarding M/s. Belapur sugar Company Ltd., Bombay has since been collected by Government through different sources ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay and the time by which information would be collected and laid on the Table of the House ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) (a) to (c). The information has already been collected and furnished in fulfilment of the assurance given in the Lok Sabha in reply to Un-starred Question No. 4921 dated the 1st April 1969.

The information is reproduced below : (a) and (b). There is no company with the name of Belapur Sugar Company Ltd. Presumably the refernce is to the Belapur Company Ltd. The latter company was registered in 1919 under the Companies Act, 1913 and it started its sugar factory at Harigaon, Districts Ahmednagar, (Maharashtra), from the cane crushing seasons 1924 25. When the Industries Development and Regulation) Act, 1951, came into force in 1952, it got itself registred under the said Act on 17.9.1952 Later, this company applied in October, 1959, for the grant of a licence under the said Act for increasing the daily cane crushing capacity from 1000 tons to 1200 tons and a licence for substantial expension was issued in July, 1961. This expension was completed during the seasons 1964 65. The undertaking again submitted an application in October, 1963 for a licence under the Industries (Development & Regulation) Act, for further increasing the daily cane crushing capacity to 1500 tons and an expension licence was granted in June, 1965. This expension is yet to be completed. Another application has also been received in December, 1965, for increasing the daily cane crushing capacity from 1500 tons to 2000 tons. This application is pending consideration.

(c) and (d). Beside sugar, the Company have reportedly manufactured certain by-products of the Sugar manufacture such as molasses, filter press mud and bagasse. These items are not included in the scheduled to the Industries (Development and Regulation) Act, and no separate licence is consequentially necessary."

Pyrotenax India Limited, Bombay

4154. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No 3211 on the 12th August, 1969 and state :

(a) whether Government have since Collected the requisite information regarding Pyrotenax India Ltd., Bombay from different sources;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for which the information has not since been collected and the time by which the said information would be collected and laid on the Table of the House ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c). The Information has already been collected and furnished in fulfilment of an assurance given in the Lok Sabha in reply to Unstarred Question No. 2535 dated the 11th March 1969.

The information is as followes :--

M/s. Pyrotenax India Ltd., Bombay applied for a Licence on the 24th June, 1960, for the manufacture of Mineral Insulated Copper Cables with an annual capacity of 2400 miles. The Licence for the capacity applied for was granted on the 12 th May, 1961, and the unit started production in March, 1966. The articles being produced by the undertaking are Mineral Insulted copper and aluminium cables and the total production upto March, 1969 has been reported as 561 K.M. valued at Rs. 32.99 lakhs.

The Licenced inculded the usual terms and conditions regarding location of the Industrial undertaking, items of manufacture and capacity, periods within which effective steps" were to be taken and the undertaking was to be established.

मैसर्स जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड के अंशधारियों को दिया गया लाभांश

4155. श्री पी० विश्वम्भरन : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मैसर्स जैसप एण्ड कम्पनी लि० के अंशधारियों को, वर्ष-वार कितना लाभांश वितरित किया गया ; और

(ख) यदि कोई लाभांश नहीं दिया गया, तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 31 अक्तूबर, 1966 तथा 31 अक्तूबर, 1967 को समाप्त हुई कम्पनी की गणनाविधि के लिये कम्पनी ने इक्विटी शेयरों पर 12.5 प्रतिशत तथा प्रिफरेंस शेयरों पर 6.5 प्रतिशत के लाभांश की घोषणा की थी। 31 अक्तूबर, 1968 को समाप्त हुई गणनाविधि के लिये इक्विटी शेयरों पर किसी लाभांश की घोषणा नहीं की थी। किंतु प्रिफरेंस शेयरों में 6.5 प्रतिशत लाभांश की घोषणा की गई थी।

(ख) इन्जीनियरी उद्योगों में मन्दी के कारण, कई उत्पादों की मांग में गिरावट और अलाभकारी निर्यात के कारण 1968 में हानि हुई। अतः इक्विटी शेयरों पर कोई लाभांश की घोषणा नहीं की गयी थी।

बर्दवान- कटवा रेलवे कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा धन का दुरुपयोग

4156. श्री पी० विश्वम्भरन : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवायों के पंजीयक तथा समवाय विधि बोर्ड को बर्दवान-कटवा रेलवे कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के अंशधारियों से कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा कथित अनियमितताओं, कुप्रबन्ध तथा धन का दुरुपयोग किये जाने की शिकायतें मिली है ;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या निदेशक मण्डल में नामजद सरकारी निदेशक को वापिस बुला लिया गया है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कम्पनी रजिस्ट्रार को, कम्पनी के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (4) के अन्तर्गत कम्पनी के लेखे की किताबों का निरीक्षण करने के आदेश दिये गये थे। रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है व परीक्षान्तर्गत है।

(ग) वर्दमान-कटवा रेलवे, जो वर्दमान-कटवा रेलवे कम्पनी लिमिटेड के अधिकार में थी व उसी द्वारा चलायी जा रही थी, सरकार ने 1-4-1966 को खरीद ली। इसके पश्चात्, सरकार का कम्पनी के कार्य संचालन में कोई हित न था, अतः सरकारी नामजद सदस्य को कम्पनी के निदेशक मंडल से हटा लिया गया।

Introduction of a direct train between Gwalior and Kanpur via Bhind Etawah

4157. Shri Ram Avtar Sharma : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration of Government to start a direct train between Gwalior and Kanpur via Bhind-Etawah ;

(b) if so, the time by which the final decision is likely to be taken on it ; and

(c) if not, the difficulties being experienced by Government in this regard which they are not in a position to remove ?

The Minister of Law and Social Welfares and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) (b) and (c) . Introduction of a direct train between Gwalior and Kanpur via Bhind-Etawah would involve the conversion of the Gwalior-Bhind N.G Line into B.G. and extension of the B.G line upto Etawah There is no justification for this conversion at present ; due to the present difficult ways and means position extension of the line upto Etawah cannot be considered at present.

Engineering based Industrial Units

4158. Shri Ramavtar Sharma : Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether there is a proposal under consideration of Government for the establishment of some Engineering based Industrial units, which also include Gas Cylinder Production Plant in the Country ;

(b) if so, the particular industries proposed to be established ;

(c) whether any feasibility study report has been prepared for these industries by the National Industrial Development Corporation, New Delhi ; and

(d) The name of the States where the places have been chosed for the establishment of these units by the National Industrial Development Corporation ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhrudeen Ali Ahmed) : (a) and (b) . The following engineering based industrial units have been included in the Fourth Plan document for establishment in the Central Sector.

	Name :	Location :
1.	H. P. Gas Cylinders	Not yet decided.
2	Agricultural Tractors	-do-
3.	Pumps and Compressors	Naini, Allahabad.
4.	Watch Factory of Hindustan Machine Tools Limited.	Jammu and Kashmir State.
5.	Seamless pipes	Not yet decided
6.	Second Shipyard	Coachin

(c) and (d). A project report has been prepared by the National Industrial Development Corporation for the project for manufacture of H. P. Gas Cylinders. Certain sites have been suggested for location of the unit by the NIDC but no final decision has been taken. A proposal for the manufacture of agricultural tractors by HMT has also been received which has been based on the recommendations made by the NIDC to HMT.

मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों का विकास

4159. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश, जो कि एक पिछड़ा क्षेत्र है, में लघु उद्योगों के बड़े पैमाने पर विकास के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ख) क्या उस राज्य और विशेषकर उस राज्य के ग्वालियर क्षेत्र में लघु उद्योगों की स्थापना की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ग) क्या इस बारे में ग्वालियर के लोग लघु उद्योग विकास आयुक्त, दिल्ली से मिले थे ;

(घ) यदि हां, तो उनमें हुई वार्ता का ब्योरा क्या है ; और

(ङ) आगामी वर्ष में इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि रखी गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारत सरकार ने पिछड़े हुए राज्यों में लघु उद्योग के विकास के लिए कोई योजना तैयार नहीं की है क्योंकि लघु उद्योग के विकास की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। फिर भी केन्द्रीय सरकार लघु उद्योगों का तेजी से विकास करने के बारे में विभिन्न प्रोत्साहनात्मक कदम उठाने हेतु राज्य सरकारों को सहायता देने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता तथा तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करती है। मध्य प्रदेश सरकार का कथन है कि उन्होंने अपने राज्य में पिछड़े हुए क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास के लिए ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की है, यद्यपि राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को पिछड़े हुए क्षेत्रों में भी लघु उद्योग के विकास के लिए प्राप्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

(ख) उद्योगों के विकास जिसमें लघु क्षेत्रों के उद्योग भी शामिल हैं, की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के सभी 43 जिलों का सर्वेक्षण कराया गया, इसके अन्तर्गत ग्वालियर प्रभाग का क्षेत्र अर्थात् ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया तथा जिला गुना भी आते हैं। पद्दौरे (शिवपुरी में) जैसी महत्वपूर्ण तहसील का विशेष अध्ययन कराया जा रहा है। भिंड जिले में ग्रामीण उद्योग परियोजना चलाई गई है। ग्वालियर में एक औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया है। ग्वालियर में 63 तथा गुना में 5 औद्योगिक शेड निर्मित किए गए हैं। भिंड, मुरैना, शिवपुरी तथा दतिया में अर्ध शहरी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गई हैं।

(ग) तथा (घ). औद्योगिक विकास उपमन्त्री ने 30 अप्रैल, 1969 को अपने निवास स्थान पर मध्य प्रदेश के सभी संसद सदस्यों को विचार-विमर्श के लिए बुलाया था।

विकास आयुक्त ने संसद सदस्यों को लघु उद्योगों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं के बारे में बताया।

(ङ) वर्ष 1969-70 में मध्य प्रदेश में ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए 72 लाख रुपया पूंजी परिव्यय करने की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से देवल, ग्वालियर खंड के लिये विशिष्ट आवंटन की जानकारी नहीं है। वर्ष 1969-70 के पूंजी परिव्यय के लिए अभी अंतिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है।

घाटे पर चलने वाली रेलें

4160. श्री श्रद्धाकर सुपकार : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाटे पर चलने वाली रेलों के कार्य का अध्ययन करने के लिये एक समिति स्थापित की गई थी ;

(ख) क्या उस समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, 15 दिसम्बर, 1969 को।

(ग) रिपोर्ट की एक प्रति शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Running over of Gangmen by Janta train at Achhalda Station (Northern Railway)

4161. Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that five gangmen were run over by the Janta train at Achhalda Station on the Northern Railway on the 3rd October, 1969 or during the first week of October;

(b) if so, the causes of the accident;

(c) whether Government have made any arrangements to provide some compensation to the dependents of the deceased; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) No. However, 4 gangmen were run over and killed by train No. 39 Up Janta Express on 26.9.969 between Achalda and Pata stations on Allahabad Division of the Northern Railway.

(b) The Mishap was accidental.

(c) and (d) Rs. 500/- was paid as ex-gratia payment to the dependants of each of the four deceased gangmen. The question regarding payment of the compensation due under the worker's Compensation Act, 1923 is under active consideration.

मनीपुर में उद्योग धंधों की स्थापना

4162. श्री एम० मेघचन्द : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये कोई उद्योग स्थापित करने की मंजूरी दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस उद्योग का ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारूप में तकनीकी-आर्थिक अध्ययनों को पूरा करने के हेतु तथा इन अध्ययनों के फलस्वरूप बनाई जाने वाली एक अथवा अधिक परियोजनाओं के विदेश के हिस्से को पूरा करने के लिए "बड़े तथा मध्यम उद्योगों" के अन्तर्गत मनीपुर के लिए 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। तकनीकी-आर्थिक अध्ययनों के पूरा हो जाने के पश्चात् ही परियोजनाओं के बारे में निर्णय हो सकता है। इस संघीय क्षेत्र में ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के विकासार्थ 71 लाख रुपये की भी व्यवस्था की गई है।

मनीपर में उद्योगों की स्थापना के लिये सर्वेक्षण

4163. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योगों की स्थापना करने के लिए तकनीकी सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उस राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए उक्त सर्वेक्षण आवश्यक नहीं है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "हां" हो तो वह सर्वेक्षण किस प्रकार का है, तथा सर्वेक्षण से सम्बन्धित उद्योगों का ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क),(ख) तथा (ग). चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारूप में तकनीकी-आर्थिक अध्ययनों को पूरा करने के हेतु तथा इन अध्ययनों के फलस्वरूप बनाई जाने वाली एक अथवा अधिक परियोजनाओं के विदेश के हिस्से को पूरा करने के लिए "बड़े तथा मध्यम उद्योगों" के अन्तर्गत मनीपुर के लिए 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। तकनीकी-आर्थिक अध्ययनों के पूरा हो जाने के पश्चात ही परियोजनाओं के बारे में निर्णय हो सकता है। इस संघीय क्षेत्र में ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के विकासार्थ 71 लाख रुपये की भी व्यवस्था की गई है।

Electrification of Railway Station

4164. Shri Bharat Singh Chauhan : Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No 1150 on the 29th July, 1960 regarding electrification of Railway Stations and state :

(a) whether the requisite information has since been collected by Government;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the time by which it would be collected and laid on the Table of the House ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Requisite information has since been collected.

(b) The details are placed at Annexure A. **[Placed in Library. See No. L. T. 2392/69]**

(c) Does not arise.

Abolition reduction on Pilgrim Tax

4165. Shri Bharat Singh Chauhan : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1349 on the 29th July, 1969 and state :

(a) whether Government have under consideration any proposal for abolishing or reducing the Terminal (Pilgrim) Tax keeping in view the religious sentiments of the people;

(b) if not, whether Government propose to impose such a Tax at the Railway Station in and around Bombay wherefrom pilgrims go out and come back in a large number; and

(c) if so, when the said Tax would be imposed there ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) No.

(b) No, because Bombay itself is not a place of pilgrimage and cannot be "a notified place" for levying the tax under the Terminal Tax on Railway Passengers Act, 1956.

राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के लिए उच्च शक्ति-प्राप्त विधि सलाहकार समिति

4166. श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद् की एक उप-समिति के अध्यक्ष श्री के० सन्थानम् ने यह सुझाव दिया है कि एक उच्च-शक्ति प्राप्त विधि सलाहकार समिति का गठन किया जाए, जो राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को कठिन एवं नाजुक सांविधानिक एवं विधिक मामलों पर परामर्श दे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री

(क) श्री के० सन्थानम् राष्ट्रीय एकता परिषद की किसी भी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Social Welfare Schemes during Gandhi Centenary

4167. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shri Chand Goyal :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether some special schemes of Social Welfare have been prepared on the occasion of the Gandhi Centenary;

(b) if so, whether some special programmes have been chalked out in respect of Harijans also; and

(c) whether some voluntary organisations have also been called upon to extent their co-operation in this regard ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt) Phulrenu Guha) : (a) No Special Schemes have been prepared on the occasion of Gandhi Centenary.

(b) and (c). Do not arise.

Sabotage and Looting on Railways in West-Bengal

4168. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether any political parties were involved in the incidents of sabotage and looting on Railways in West Bengal during the last six months;

(b) whether any additional special measure are being adopted to prevent such incidents; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) No.

(b) and (c). Some important trains are being escorted during the night and R. P. F. staff of the Special Intelligence Branch have also been drafted to assist the State Policy for collecting intelligence. Liaison is being maintained with the Police at all levels for exchange of intelligence/information on such matters.

Provision of Wireless Sets to Railway Guards and on Railway Station for Checking Railway Accidents

4169. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government propose to provide wireless sets to Railway Guards and also on the Railway Stations with a view to check the Railway accidents; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) No, there is no proposal at present.

(b) Does not arise.

Scholarships to Adivasis

4170. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state the amount of funds provided by the Government of India to each State during the current financial year for the grant of scholarships to those Adivasi Students who are receiving education in colleges in various States ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : The information is giving in the statement attached.

Statement

	Name of State	Allocation made 1969-70 (Rs. in lakhs)
1.	Andhra Pradesh	0.75
2.	Assam	5.50
3.	Bihar	7.00
4.	Gujarat	3.00
5.	Kerala	0.50
6.	Madhya Pradesh	2.50
7.	Maharashtra	1.25
8.	Mysore	0.25
9.	Orissa	1.00
10.	Rajasthan	0.75
11.	Tamil Nadu	0.25
12.	Uttar Pradesh	1.25
13.	West Bengal	0.75
14.	Nagaland	0.25
	Total	25.00

N. B. These allocations for 1969-70 are over and above the level of expenditure reached at the end of 1968-69 which has to be met by the State Governments from their Non-Plan funds.

मोटर गाड़ी निर्माण का अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाना

4171. श्री वी० नरसिम्हा राव : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स स्टैण्डर्ड मोटर्ज ने यह घोषणा की है कि यदि मोटर गाड़ी निर्माण को अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाता है तो सरकार को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 18 (छ) के अन्तर्गत एक उचित मूल्य निश्चित करना होगा; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) . ज्ञात नहीं, माननीय सदस्य का आशय किस विशेष घोषणा से है। फिर भी, सभी तीन कार निर्माता प्रबल प्रयास करते रहे हैं कि यदि उनकी कारों का विक्रय मूल्य उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18–जी के अन्तर्गत निर्धारित किया जाता है। ये मूल्य उचित होने चाहिए।

देश में निर्मित हो रही तीनों प्रकार की कारों का कारखाने से निकलते समय का खुदरा विक्रय मूल्य पहले ही उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18–जी के अन्तर्गत 21 सितम्बर, 1969 से अधिसूचित कर दिया गया है।

विदेशी पर्यटकों को "यथा इच्छा यात्रा करें, टिकटों का जारी किया जाना

4172. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निश्चय किया गया है कि विदेशी पर्यटकों को "यथा इच्छा यात्रा करें" टिकिट अगस्त, 1970 तक जारी किये जाते रहेंगे;

(ख) अब तक ऐसे टिकिटों की बिक्री से कुल कितनी राशि एकत्र की गई;

(ग) क्या भारतीय पर्यटकों को भी रेलों के सभी दर्जों के ऐसे टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) 1968–69 में, 1,01,974 रुपये।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह रियायत विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दी गई है, जिसके परिणाम-स्वरूप विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। यह भी आशा की जाती है कि इस रियायत के फलस्वरूप गाड़ियों में वातानुकूल स्थान का भी पूरा-पूरा उपयोग हो सकेगा।

गाड़ियों में वर्तमान भीड़ भाड़ के कारण और रेलों की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए भी, भारतीय पर्यटकों को यह रियायत देना सभव नहीं है।

रिपब्लिकन पार्टी आफ इण्डिया की मांगों पर निर्णय

4173. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री 13 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9548 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रिपब्लिकन पार्टी आफ इण्डिया के शिष्ट मंडल द्वारा प्रस्तुत मांगों पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फुलरेणु गुह) : (क) तथा (ख) . यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आवास योजनाएं

4174. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969–70 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के रहन सहन की स्थिति को सुधारने सम्बन्धी योजना तथा सामान्य आवास योजनाओं पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है तथा इस अवधि में और आगे कितना धन व्यय करने का विचार है; और

(ख) तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधियों में इन योजनाओं पर कितना धन खर्च करने की व्यवस्था की गई;

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फुलरेणु गुह) : (क)

अब तक खर्च की गई राशि (रुपये लाख की राशियों में)		1969–70 के लिए परिव्यय केन्द्रीय क्षेत्र
अनुसूचित जातियां	1342.70	अनुसूचित जातियां—54.55 लाख रुपये (मेहतरों तथा संयार्जकों के काम की परिस्थितियों में सुधार के लिए व्यवस्था शामिल)
अनुसूचित आदिम जातियां	429.92	अनुसूचित आदिम जातियां—कोई योजना नहीं है।
		राज्य क्षेत्र
		क्षेत्राधीन ब्योरे का निश्चय राज्य सरकारों ने करना है।

(ख)

तृतीय योजना (रुपये लाख की राशियों में)		चतुर्थ योजना केन्द्रीय क्षेत्र
अनुसूचित जतियां	533.78	अनुसूचित जातियां 300 लाख रुपये (मेहतरों तथा संयार्जकों के काम की परिस्थितियों में सुधार के लिए व्यवस्था शामिल)
अनुसूचित आदिम जातियां	76.64	अनुसूचित आदिम जातियां—कोई योजना नहीं है।
		राज्य क्षेत्र
		क्षेत्राधीन ब्योरे का निश्चय राज्य सरकारों ने करना है।

Increase in amount of Scholarships to Scheduled Caste/Scheduled Tribe Students

4175. Shri Deorao Patil : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision on the proposal to increase the amount of scholarships to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Students; and

(b) if so, the additional amount to be spent on it every year ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt) Phulrenu Guha) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Withdrawal of Privilege from Scheduled Tribes After Conversion

4176. Shri Deorao Patil : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have considered the suggestion to deprive a Scheduled Tribe person, who changes his religion, of the special rights granted to the Scheduled Tribe persons; and

(b) if so, the decisions taken in regard thereto ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) and (b) . Attention is invited to the Report of the Joint Committee on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 1967.

Enquiry Office at Fatehpur Junction (Northern Railway)

4177. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the date on which the enquiry office was opened at Fatehpur Junction on the Northern Railway;

(b) whether an additional clerk has been appointed for the job;

(c) if not, the name of the official performing the duties of an Enquiry Clerk;

(d) whether these new duties are being performed satisfactory in addition to those already assigned; and

(e) if not, whether the Railway Administration would appoint a separate clerk immediately and would make similar arrangements at other stations, as existing at Fatehpur ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) No Enquiry Office is at present functioning at Fatehpur Railway station.

(b) to (e) . Do not arise.

Representation from Employees of Railway Stations in Kasganj Section (North Eastern Railway)

4178 Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of Railway Stations in Kashganj Section under the North-Eastern Railway have made representation to the District Magistrates and police Superintendents of Farukhabad, Kanpur and Etah that their life and property are unsafe;

(b) if so, the action taken so far or being taken by his Ministry for their security;

(c) whether his Ministry has written to the State Government in this regard; and

(d) if so, the details thereof and the nature of the reply received from the State Government ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Yes.

(b). (c) and (d) . The matter was actively pursued with the State Police and they have taken necessary preventive measures in that all night passenger trains between Farukhabad-Kasganj are being escorted. A Special Joint Squad consisting of G.R.P./R.P.F. staff has been formed, posted at Farukhabad and supplied with a road motor vehicle. for making surprise checks of escorted trains during night and unescorted trains during day The goods trains running on this sector are also being escorted jointly by G. R. P. and R. P. F. staff.

Conversion of North Eastern Railway into Broad Gauge

4179. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government have prepared a scheme to convert lines on the North Eastern Railway into broad gauge lines;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Elgin bri lge on Ghagra river on the Barabanki-Assam line on the North Eastern Railway will have to be widened or will need considerable alteration and, if so, the expenditure to be incurred on widening or alteration and on the construction of the bridge; and

(d) whether a scheme to construct a new bridge is being considered in case the difference between the expenditure on widening and alteration and that on new bridge is not considerable and whether talks are being held with the Transport Ministry for converting the old bridge into a road bridge ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) and (b) . Conversion of the following metre gauge sections of the North Eastern Railway into broad gauge is being considered at present :

(i) Varanasi- Bhatni- Gorakhpur.

(ii) Barabanki- Gonda- Gorakhpur.

(iii) Bhatni- Barauni- Katihar.

(iv) Samastipur- Raxaul via Muzaffarpur and Darbhanga. Engineering and Traffic Surveys in respect of Varanasi- Bhatni- Gorakhpur and Barabanki- Gonda- Gorakhpur sections have been completed and the survey reports are under examination of the Railway Board. Surveys for the other sections are still in progress. Actual conversion of these sections is dependent upon the results of the above mentioned surveys, and the priority these schemes will merit among other similar proposals under consideration, subject to availability of adequate funds.

(c) and (d) : The question of widening the Elgin bridge by adopting new girders or strengthening the existing girders is under consideration of the North Eastern Rail-

way in consultation with the Research, Designs and Standards Organisation of the Railway Board. A final decision will be taken before the conversion work actually commences when the exact expenditure to be incurred will be known. The question of converting the old bridge into a road bridge will arise only after a final decision is taken with regard to the regirdering or strengthening of this bridge.

मन्सी-सहरसा-बनमांखी-कटिहार शाखा लाइन पर गाड़ियों का देरी से चलना

4180. **श्री बि० प्र० मंडल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मन्सी–सहरसा–बानमंखी–कटिहार शाखा के बीच लाइन पर रेल गाड़ियां हमेशा देरी से चलती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सैक्शन पर बिना टिकिट यात्रा करने वालों की संख्या बहुत अधिक है, जैसा कि एक–आध बार की गई मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच से पता चला है;

(ग) क्या उनका विचार इस सैक्शन की स्थिति में सुधार करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : जी नहीं।

(ख), (ग) और (घ) . उत्तर बिहार क्षेत्र, जिसमें मानसी–सहरसा–बनमेंखी-कटिहार खण्ड भी शामिल हैं, में बिना टिकिट यात्रा की घटनाएं कुछ बढ़ गई हैं, जिन पर पहले से ही ध्यान दिया जा रहा है और इस बुराई का मुकाबला करने के उद्देश्य से नियमित जांच पड़-ताल करने के लिए एक विशेष संगठन का निर्माण किया गया है ।

बरौनी जंकशन से बनमांखी के लिए लगने वाले डिब्बे का बन्द किया जाना

4181. **श्री बि० प्र० मंडल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम तथा तृतीय श्रेणी का एक मिला जुला डिब्बा जो पहले बरौनी जंकशन पर बनमांखी के लिए मानसी सहरसा ब्रांच लाइन पर जोड़ा जाता था, बन्द कर दिया गया है जबकि सुपौल के लिये डिब्बा अब भी जोड़ा जाता है; और

(ख) यात्रा करने वाली जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस सम्बन्ध में विचार करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां, 16–5–69 से बनमांखी और बरौनी के बीच 421 अप/422 डाउन कोसी तेज सवारी गाड़ी चलाने के फलस्वरूप इन स्टेशनों के बीच 409/35 अप और 36/410 डाउन सवारी गाड़ियों में लगने वाला तीसरे दर्जे का सीधा सवारी डिब्बा उसी तारीख से हटा लिया गया है।

(ख) बनमांखी और बरौनी के बीच सीधी जाने वाली गाड़ी की व्यवस्था हो जाने के कारण अब इस मार्ग पर यात्रियों को किसी प्रकार की कठिनाई होने का प्रश्न ही नहीं हैं ।

खेतड़ी में रेलवे साइडिंग का निर्माण

4182. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी परियोजना की सुविधा के लिए खेतड़ी में रेलवे साइडिंग के निर्माण का प्रस्ताव किस स्थिति में है;

(ख) इस पर कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) उस पर अनुमानत: कितना धन व्यय होगा ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). प्रस्तावित लाइन को प्रभार्य दूरी पर अधिक भाड़ा लगाकर या इसके विकल्प के रूप में इसे परियोजना प्राधिकारियों के खर्च पर बनवा कर इस लाइन को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के प्रश्न पर रेलवे बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही कोई निर्णय किये जाने की सम्भावना है।

(ग) लगभग 1.76 करोड़ रुपये।

Industrial Development of Garhwal

4183. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the youths of Garhwal go to the Centre or other States for service after completing their education;

(b) whether it is also a fact that there are no industries in Garhwal where the youths of the area could be employed;

(c) if so, whether Government propose to set up any industry in Garhwal with a view to develop it industrially; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (d). Information is not available as to whether the youths of Garhwal go to the Centre or other States for service after completing their education. No central industrial project has so far been set up in Garhwal nor any such project is proposed to be set up there during the Fourth Five Year Plan. In the State Plan as well as under the village and small scale industries schemes, no specific proposals exist for setting up large industrial projects or small industries in Garhwal during the Fourth Plan. A few schemes for village and small industries included in the States' Plan (including that of U. P.), make provision for assistance all over the States are in the form of loans under the State Aid to Industries Act, loans for share capital of industrial cooperatives, supply of improved appliances, supply of machines on hire-purchase terms etc.

In deciding the locations of public sector project various techno-economic considerations including the relative industrial backwardness of different regions and States are taken into account. So far as the setting up of industries in Garhwal in the private sector is concerned, this is primarily left to the initiative of private entrepreneurs.

Running of a Train from Delhi to Kotdwara or Delhi to Rishikesh (Northern Railway)

4184. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have formulated a scheme to run many new trains during the current year;

(b) if so, whether there is any proposal to run a train from Delhi to Kotdwara or from Delhi to Rishikesh on the Northern Railway;

(c) if not, the reasons therefor and, if so, the date from which the above train would be introduced;

(d) whether it is also a fact that the trains already running between Delhi and Rishikesh/Kotdwara are overcrowded; and

(e) if so, the action being contemplated by Government to remedy the situation ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Introduction of additional trains is a continuous process having regard to justification therefor and operational feasibility thereof.

(b) No.

(c) Lack of traffic justification.

(d) and (e). No direct train is running at present between Delhi and Kotdwara/ Rishikesh. Three through service coaches between Delhi and Kotdwara and one through coach between Delhi and Rishikesh are at present running and these facilities have been found to cater satisfactorily to the present level of through traffic between these points.

Survey of Banaras-Chapra Broad-Gauge Line.

4185. Shri Chandrika Prasad: Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in a public meeting in Banaras, the former Railway Minister had stated that a survey of Banaras-Chapra Broad-gauge line would be conducted; and

(b) if so, the progress so for made in this regard ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) No record of any such statement is a available.

(b) There is no justification for conversion of the direct Varanasi- Chapra metre gauge section via Phephna into broad gauge on financial and traffic considerations at present. However, the proposal for conversion of the Varanasi-Bhatni-metre gauge section via Aunrihar, and Bhatni-Chupra section via Siwan is separately under consideration as part of certain conversion scheme on the North Eastern Railway.

रूरकेला इस्पात कारखाने में प्रबंधक–श्रमिक सम्बन्ध

4186. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह पता है कि राउरकेला इस्पात कारखाने में इस समय विद्यमान अपेक्षाकृत अच्छे प्रबंधक श्रमिक संघ राजनैतिक हितों की चालों के कारण जारी रहने की सम्भावना नहीं है क्योंकि वे श्रमिकों को ऐसे मामलों पर उकसाने पर तुले हुए हैं जिनका इस्पात संयंत्र के सुचारु रूप से कार्य करने में कोई सम्बन्ध नहीं है;

(ख) क्या उन्हें यह भी मालूम है कि पुलिस का संरक्षण न होने के कारण 11 अगस्त, 1969 को तालचेर तथा बिमलगढ़ के बीच रेलवे लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में राउरकेला बन्द का आयोजन करने वाले व्यक्तियों ने 'सी' पारी के कर्मचारियों को, कारखाने के अन्दर नहीं जाने दिया, यद्यपि वे काम करने के लिये तैयार थे; और

(ग) क्या उन्होंने भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिये कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद पन्त) : (क) और (ख). यह सत्य है कि तालचेर-बिमलगढ़ के बीच रेलवे लाइन के निर्माण के लिए किये गये आन्दोलन के सम्बन्ध में 19 अगस्त, 1969 को (न कि 11 अगस्त, 1969 को) राउरकेला इस्पात कारखाने के 'सी' पारी के कर्मचारियों को कारखाने के अन्दर नहीं जाने दिया गया था। इस आन्दोलन के कारण राउरकेला में हुआ उपद्रव एक लित घटना थी और तब से ऐसी घटना नहीं हुई है। इस कारण से श्रमिक सम्बन्धों में खराबी आने का सरकार कोई कारण नहीं समझती है।

(ग) कानून और व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार निश्चय ही ऐसी घटनाओं के इस्पात नगरी में पुनः न होने देने के लिए उपाय करेगी।

भिलाई इस्पात कारखाने को हानि

4187. श्री वीरेंद्र कुमार शाह : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात कारखाने में श्रमिक असंतोष के कारण मई-सितम्बर, 1969 की अवधि में 2.5 करोड़ रुपये की हानि हुई है;

(ख) उपर्युक्त अवधि में श्रमिकों के असंतोष के क्या कारण थे तथा सरकार ने उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है कि कारखाने का उत्पादन 1969-70 के लिये निर्धारित लक्ष्यों से कम न हो ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) मई-सितम्बर, 1969 की अवधि में श्रमिक अशांति के कारण कारखाने के उत्पादन में लगभग एक करोड़ रुपये की हानि हुई।

(ख) अगस्त, 1969 में कुछ विभागों में काम करने वाले कामगारों ने कुछ मांगें रखी थीं जो स्वीकार नहीं की जा सकीं और वे मन्द गति से काम करना, नियम के अनुसार काम

न करना, सुयोजित अनुपस्थिति और स्थानापन्न उन्नति अस्वीकार करना तथा समयोपरि कार्य न करने आदि ढंगों का प्रयोग करने लगे। प्रबंधकों ने स्थिति से निपटने के लिये आवश्यक उपाय किए जिससे स्थिति अब सामान्य है।

(ग) प्रबंधकों द्वारा कारखाने का उत्पादन 1969-70 के लक्ष्य के अनुसार ही हो, इसके लिए हर सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं। उष्मसह पदार्थों की देशीय साधनों से उपलब्धि और रेल-इंजनों आदि की कमी जैसी कुछ कठिनाइयों से, जिनसे उत्पादन रुक जाने का डर होता है, निपटने के लिए संभावित उपाय अपनाये जा रहे हैं।

बोकारो इस्पात कारखाने को अयस्क कणों की सप्लाई

4188. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम इस स्थिति में नहीं है कि वह बोकारो इस्पात कारखाने द्वारा अपेक्षित किस्म के लौह अयस्क का चूरा सप्लाई कर सके;

(ख) क्या यह भी सच है कि बोकारो के धातु कार्मिक कोयले की आवश्यकताओं की पूरी तरह पूतिदुग्दा और कारगली के कोयला साफ करने के कारखानों से नहीं हो सकेगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि चूने के पत्थर के सम्भरण की समस्या भी उत्पन्न होगी क्योंकि भवनाथपुर के चूने के पत्थर के निक्षेपों का विकास नहीं हो पाया; और

(घ) यदि उपरोक्त (क) से (ग) तक के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो बोकारो इस्पात कारखाने में उत्पादन होने पर उसे कच्चे माल के सम्भरण में कठिनाइयां न हों, इसके लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने सेल्युमिना की मात्रा में मामूली हेर-फेर को छोड़कर बोकारो स्टील लि. की लौह-खनिज के चूरे की आवश्यकता को पूरा करने का जिम्मा लिया है।

(ख) एक विशेषज्ञ समिति ने बोकारो के लिए कोयले का उपयुक्त सम्मिश्रण तैयार करने का सुझाव दिया है जो सरकार के विचाराधीन है।

(ग) भवनाथपुर में चूना पत्थर के खदान का विकास किया जा रहा है तथा चूना पत्थर की आपूर्ति में कोई कठिनाई आने की आशंका नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय रेलों की आय में वृद्धि

4189. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों की आय अब बहुत बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो जन साधारण के लिये उपलब्ध की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) जी हां।

(ख) अगले कुछ वर्षों में कोई नई किस्म की सुविधाओं की व्यवस्था करने की योजना नहीं बनायी गयी है। फिर भी, जहां कहीं भी वर्तमान सुविधाओं में कमी होगी वहां उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत उसे यथा सम्भव दूर किया जायेगा।

कलकत्ता में बिना टिकट यात्रा

4190. श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले "स्टेट्समैन" दिनांक 9 सितम्बर, 1969 में छपे निम्नलिखित समाचार की ओर दिलाया गया है:

"टिकटलैस इन्कलाब"

हावड़ा–सितम्बर 8 रेल कर्मचारियों को हावड़ा स्टेशन पर एक नये प्रकार के बिना टिकट के यात्रियों का सामना करना पड़ रहा है। ये यात्री हजारों की संख्या में मैदान में प्रदर्शनों में भाग लेने के लिये आते हैं। एक रेलवे अधिकारी के अनुसार यदि उनसे गेट पर टिकट मांगा जाता है तो वे सब मिलकर 'इन्कलाब जिन्दाबाद' के नारे लगाते हैं और फिर वे जबरदस्ती बाहर निकल आते हैं; उस अधिकारी ने कहा कि वे लोग इतनी अधिक संख्या में होते हैं कि इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये वर्तमान कर्मचारी बिल्कुल अपर्याप्त हैं। ऐसी स्थिति में केवल उच्च अधिकारियों को सूचना ही दी जा सकती है; और

(ख) "इन्कलाब जिन्दाबाद" का नारा लगाने वालों की बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) जी हां।

(ख) सरकारी रेलवे पुलिस के सहयोग से टिकट जांच व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाता है।

कलकत्ता के चारों ओर सर्कुलर रेलवे

4191. श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :
श्रीमती इलापाल चौधरी :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के चारों ओर सर्कुलर रेलवे के निर्माण कार्य में कोई प्रगति हुई है;

(ख) इसके कब तक पूरा होने की आशा है; और

(ग) क्या सर्कुलर रेलवे के साथ–साथ भूमिगत और ऊपरी रेलवे भी चालू करने का विचार है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) दमदम से प्रिंसेप घाट तक उपनगरीय विसर्जन लाइन के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण के लिए

क्षेत्र-कार्य कलकत्ता में मुख्य प्रशासी अधिकारी (रेलवे) की मातहत गठित महानगरीय रेल परिवहन संगठन द्वारा शुरू कर दिया गया है।

(ख) दमदम से प्रिंसेप घाट तक उपनगरीय त्रिसर्जन लाइन के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और प्राक्कलन रिपोर्ट और अभिकल्पों की तैयारी लगभग 18 महीनों में अर्थात्, अप्रैल, 1971 तक पूरी हो जाने की आशा है। इसके बाद, दमदम से प्रिंसेप घाट तक उपनगरीय त्रिसर्जन लाइन का निर्माण शुरू किया जा सकता है। इस निर्माण कार्य के पूरा होने की तारीख बताना अभी सम्भव न होगा।

(ग) व्यापक द्रुत परिवहन प्रणालियों जिसके अन्तर्गत भूमिगत और/या ऊपरी रेल प्रणालियां भी आती हैं, के लिए कलकत्ता के सम्बन्ध में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन का काम शुरू किया जा रहा है। महानगरीय परिवहन के लिए भूमिगत अथवा ऊपरी रेल प्रणालियों की व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्णय इन्हीं अध्ययनों के परिणाम पर निर्भर करेंगे।

बेकार माल डिब्बों का उपयोग

4192. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिदिन औसतन रेलवे के 10,000 माल डिब्बे बेकार रहते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष ब्राड गेज तथा मीटर गेज पर माल डिब्बों की कितनी मांग पंजीकृत की गयी;

(ग) माल डिब्बे बेकार पड़े रहने के कारण रेलवे को कितनी हानि हुई है; और

(घ) मन्दी के दिनों में भाड़े की दरों में रियायत देकर इन बेकार माल डिब्बों का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) मन्द मौसम के दौरान मांग कम होने के कारण अगस्त और सितम्बर, 1969 में लगभग 7,500 मीटर लाइन माल डिब्बे (चौपहिये) और 2,500 बड़ी लाइन (चौपहिये) बेकार पड़े रहे। ये फालतू माल डिब्बे धीरे-धीरे अक्तूबर से आगे आने वाले यातायात से खपाये गये और इस समय लगभग 1100 मीटर लाइन और 700 बड़ी लाइन माल डिब्बे (अधिकांशतः विशेष किस्म के स्टाक) खाली हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में लादे गये माल डिब्बों की दैनिक औसत संख्या और महीने के अन्त में बकाया मांग पत्रों का उल्लेख संलग्न विवरण में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 2393/69]

(ग) चूंकि इन माल डिब्बों के लिए कोई मांग नहीं थी, अर्जक क्षमता में कोई हानि नहीं हुई। चूंकि व्यस्त अवधि के दौरान, इन माल डिब्बों का पूरा उपयोग किया गया और आगे भी व्यस्त अवधियों में उनका पूरा उपयोग होगा, इन थोड़े से माल डिब्बों के अस्थायी रूप से सक्रिय अवधि के लिए फालतू होने से हानि का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(ब) चूंकि खाली पड़े रहे माल डिब्बों की संख्या रेलवे के कुल माल डिब्बों की संख्या का एक अल्पांश (मुश्किल से 2 प्रतिशत) है और वे केवल सीमित अवधि के लिए खाली थे, अतः रियायती दरें आवश्यक नहीं समझी गयीं खासकर इसलिए कि खाली पड़े रहे स्टाक का अधिकांश इस्पात कारखानों से और वहां तक के यातायात के परिवहन के लिए था। यह यातायात उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है, अतः रियायती दरों से कोई लाभ नहीं होता।

गुना-मक्सी रेलवे परियोजना

4193. श्री बाबू राव पटेल :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुना-मक्सी रेलवे परियोजना किस तिथि को प्रारम्भ की गई थी तथा इसके लिये मूलतः कितनी धन राशि मन्जूर की गई थी;

(ख) कितनी परियोजना पूरी हो चुकी है तथा इस पर अब तक कितनी धन राशि व्यय की गई है;

(ग) परियोजना कब तक पूर्ण हो जायेगी तथा यातायात के लिये ये रेल कब तक चालू हो जायेगी; और

(घ) परियोजना पर देरी होने के क्या कारण हैं तथा भविष्य में देरी को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) इस लाइन के निर्माण की स्वीकृति 9.60 करोड़ की अनुमानित लागत पर 2-3-1962 को दी गयी थी।

(ख) इस काम में 63.45 प्रतिशत प्रगति हुई है और इस पर अब तक 5.40 करोड़ रुपये के लगभग खर्च हो चुका है।

(ग) और (घ). इस सेक्टर में यातायात की वृद्धि में धीमी दर के कारण कुछ दिनों तक इस लाइन का काम धीमा कर दिया गया था। अभी हाल में यह विनिश्चय किया गया है कि इस लाइन का काम तेज करके इसे 1971 के अन्त तक पूरा कर दिया जाय।

डाक गाड़ियों में तीसरी श्रेणी के डिब्बे

4194. श्री ने० एस० पटेल : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) डाक गाड़ियों म तीसरी श्रेणी के डिब्बों की संख्या बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ख) क्या जी. टी. दक्षिण एक्सप्रेस, हावड़ा-कालका मेल जैसी कुछ गाड़ियां हैं जो तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिये आरामदेह नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) जहां कहीं व्यावहारिक पाया गया तथा औचित्य दिखायी पड़ा, भाप-कर्षण को डीजल-बिजली-कर्षण में बदलने के साथ-साथ सवारी ढोने वाली गाड़ियों में अन्य श्रेणियों के साथ-साथ तीसरी श्रेणी के स्थान उत्तरोतर बढ़ाये गये हैं।

(ख) 15-16 ग्रांड ट्रंक-वातानुकूल एक्सप्रेस, 21/22 दक्षिण एक्सप्रेस और 1/2 हवड़ा-कालका डाक आदि गाड़ियों में तृतीय श्रेणी का उपलब्ध स्थान सामान्यतया पर्याप्त पाया गया है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

साबरमती (पश्चिम रेलवे) के इंजीनियरिंग वर्कशाप सिगनल वर्कशाप और जनरल स्टोर्स के श्रमिकों को रोके रखना

4195. श्री विश्वम्भरन :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री नाथपाई :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में साबरमती में इंजीनियरिंग वर्कशाप, सिगनल वर्कशाप तथा जनरल स्टोर्स के 2500 से अधिक श्रमिकों को 14 अक्तूबर, 1969 को वर्कशाप के अन्दर घेरा गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन श्रमिकों को काम के समय की समाप्ति के पश्चात् भी वर्कशाप में ही रोके रखा गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(घ) क्या अपने काम के समय की समाप्ति के पश्चात् वर्कशाप के अन्दर रोके रखने के समय का कोई समयोपरि भत्ता उनको दिया गया है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) जी हां। पूरा क्षेत्र घेर लिया गया था। मजदूरों की संख्या लगभग 1600 थी।

(ख) जी हां।

(ग) हाल के उपद्रवों में एक घटना के सम्बन्ध में पुलिस और फौज के अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए।

(घ) चूंकि मजदूर किसी समयोपरि काम के लिए नहीं बल्कि कारखाना क्षेत्र में असामान्य परिस्थितियों के कारण रुके थे, इसलिए उनको समयोपरि भत्ता देने का प्रश्न नहीं उठता।

अन्य पिछड़े वर्गों को सुविधायें

4196. श्री बसवन्त : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा तथा सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को क्या सुविधायें दी गई हैं; और

(ख) क्या ये आदेश समस्त मन्त्रालयों को भेज दिये गये हैं और यदि हां, तो इन्हें किस निर्देश के अन्तर्गत भेजा गया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) पूलरेणू गुह) : (क) अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को निम्नलिखित शैक्षणिक सुविधाएं दी जाती हैं:—

(1) मैट्रिक-पूर्व तथा मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां।

(2) ट्यूशन फीसों की प्रतिपूर्ति।

(3) शैक्षणिक यात्राएं।

(4) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों को बजीफे।

(5) छात्रावास।

(6) व्यवसायिक तथा वृत्तिक छात्रवृतियां।

संविधान में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए किसी आरक्षण का उपबन्ध नहीं किया गया है।

(ख) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं की योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा बनाई तथा कार्यान्वित की जाने के कारण, इस बारे में कोई हिदायतें मन्त्रालयों को परिचालित नहीं की गई हैं।

बम्बई-पूना रेस स्पेशल रेलगाड़ी

4197. श्री बसवन्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई-पूना रेस स्पेशल रेलगाड़ी एक वर्ष में कितने दिन चलती है ;

(ख) इस रेलगाड़ी के साथ कितनी बोगियां जोड़ी जाती है तथा प्रत्येक रेलगाड़ी में विभिन्न दर्जों के टिकटों से कितने कितने यात्री जाते हैं और प्रत्येक रेलगाडी से कितनी धनराशि प्राप्त होती है ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस रेलगाड़ी के लिए पर्याप्त संख्या में यात्री नहीं मिलते ; और यदि हां, तो रेस स्पेशल रेलगाड़ी को समाप्त करके इससे थोड़े समय पहले जाने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ी के साथ अतिरिक्त बोगियां न जोड़ी जाने के क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) घुड़दौड़ के मौसम में प्रति वर्ष लगभग 15 से 16 गाड़ियां दोनों ओर चलायी जाती हैं।

(ख) प्रत्येक रेस स्पेशल गाड़ी में आम तौर पर भोजन यान सहित 12 बोगियां होती हैं जिनमें पहले दर्जे की 180 और तीसरी दर्जे की 440 सीटों की व्यवस्था रहती है। प्रत्येक स्पेशल गाड़ी में भिन्न भिन्न दर्जों के टिकटों के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों की

संख्या और प्रत्येक स्पेशल गाड़ी से होने वाली आमदनी का एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2394/69]

(ग) अतिरिक्त भीड़ के कारण इन रेस स्पेशल गाड़ियों के चलाये जाने का औचित्य है। इसके अलावा 307 डाउन दादर-पूना एक्सप्रेस गाड़ी जो रेस स्पेशल गाड़ी से पहले चलती है, अपने पूरे भार के साथ चलती है जिसके कारण अतिरिक्त बोगियां लगाये जाने की गुंजाइश नहीं रहती।

पश्चिम रेलवे में मुख्यालय और बम्बई मंडल कार्यालय में तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारी

4198. **श्री बसवन्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी श्रेणी तथा चौथी श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है जो 12 से 15 वर्ष से उसी पद पर काम कर रहे हैं ; और प्रतिशतता के आधार पर अन्तः रेलवे अनुपात क्या है ; तथा पश्चिम रेलवे में प्रत्येक मंडल का अनुपात क्या है और बम्बई डिवीजन और पश्चिम रेलवे मुख्यालय में ऐसे कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है ; और

(ख) पश्चिम रेलवे में विशेषकर बम्बई डिवीजन और पश्चिम रेलवे के मुख्यालय में ही विद्यमान इन ऊंची प्रतिशतता को समाप्त करने के लिये क्या उपचारी कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) क और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

महाराष्ट्र राज्य नमक सलाहकार बोर्ड

4199. **श्री बसवन्त :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य नमक सलाहकार बोर्ड में किसी भी संसद् सदस्य को नामजद नहीं किया गया है ;

(ख) जिस भूतपूर्व संसद् सदस्य को नामजद किया गया उसका नाम क्या है तथा उन्हें नामजद करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) भूतपूर्व संसद् सदस्य श्री एन० एम० कजरोलकर को नमक उद्योग में उनकी विशेष रुचि को ध्यान में रखकर ही नामित किया गया है।

Report of Committee on Distribution of Iron and Steel

4200. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) whether a three-Member Committee set up by his Ministry in regard to the distribution of Iron and Steel has submitted its report;

(b) if so, whether any recommendation has also been made in the report for price-rise and, if so, the full details thereof; and

(c) the likely effect of price-rise on the prices of other commodities ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) Reference presumably is to the Departmental Study Group set up by the Ministry to Study the system of distribution of steel. The group has not submitted its report yet.

(b) and (c) : This group has not been asked to report on steel prices.

डा० तेजा के प्रत्यर्पण पर खर्च

4201. श्री बाबूराव पटेल : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डा० तेजा तथा उनकी पत्नी को देश लौटाने के लिये किये गये प्रयत्नों पर अब तक कितना धन खर्च किया गया है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : डा० तेजा और श्रीमती तेजा के प्रत्यर्पण की कार्रवाही पर भारत सरकार ने अभी तक 4,89,144.00 रुपए खर्च किया है । जहां तक प्रत्यर्पण के मामले की वर्तमान स्थिति का संबंध है, 3 दिसम्बर 1969 को लोकसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2413 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

Maharashtra Regiment

4202. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the existing ratio of various communities among the Jawan in the Maharashtra Regiment; and

(b) whether Harijans can be recruited to different Regiments ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) There is no Maharashtra Regiment in the Indian Army. There is, however, a regiment by name Maratha light Infantry which is open to Marathas regardless of caste or creed.

(b) Yes, Sir.

Development of Handicrafts Industry in Madhya Pradesh

4203. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal for the development of handicrafts industry in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether the Government of Madhya Pradesh have forwarded anv proposals for the development of handicrafts industry in the state during the Fourth Five Year Plan ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (d). The Government of Madhya Pradesh have proposed the following schemes for the development of handicrafts under the Fourth Five Year Plan which are under examination :-

(i) Training of craftsmen ;

(ii) Subsidy for supply of improved tools and equipment to trainees and craftsmen on subsidised basis ;

(iii) Subsidy to handicrafts co-operative societies for employment of trained staff ;

(iv) Scheme for seminars, exhibitions including handicrafts week ;

(v) Establishment of Central Handicrafts Design Centre including Museum and Library at Bhopal ;

(vi) Model Production Centre ;

(vii) Quality marketing in handicrafts ;

(viii) Establishment of handicrafts empo.ium especially for export at Delhi ;

(ix) Building and decoration of Emporia at Tourist Centres and important towns ;

(x) Construction of building for emporium at Mandi ; and

(xi) Subsidy to Madhya Pradesh Laghu-Udyog Nigam for marketing of handicrafts.

Closure of Textile Mills in Madhya Pradesh

4204. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the number of cotton textile mill lying closed at present in Madhya Pradesh ;

(b) the reasons therefor ;

(c) whether Government propose to re-start any of these mills ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) As at the end of October, 1969, no cotton textile mills was lying closed in Madhya Pradesh.

(b) to (d). Do not arise.

Welfare Centres for Disabled Soldiers in Madhya Pradesh

4205. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether anv Welfare Centres have been set up in Madhya Pradesh for disabled soldiers ; and

(b) if so, the locations and functions thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

बर्मा के पृथक-कारी राज्य क्षेत्र में एक भूमिगत नागा नेता का "राजदूत" के रूप में नियुक्त किया जाना

4206. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उच्च भूमिगत नागा नेता जो एक विद्रोही दल को शस्त्र प्रशिक्षण के लिए चीन ले गया था वर्मा के पृथककारी राज्य क्षेत्र में अब राजदूत है ?

(ख) यदि हां, तो भूमिगत नागा नेता का नाम क्या है ;

(ग) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या वर्मा सरकार को इस सम्बन्ध में सूचित कर दिया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप विदेश मंत्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) से (घ) कुछ महीने पहले सरकार को एक अपुष्ट समाचार मिला था कि छिपे नागाओं के चीन आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्होंने टी० पी० वेणु नामक अपने एक साथी को उत्तरी बर्मा में बर्मी विद्रोहियों के साथ तैनात कर दिया है। बर्मी प्राधिकारियों को इस समाचार से अवगत नहीं कराया गया था क्योंकि इस समाचार की पुष्टि नहीं हुई थी।

भारत तथा पश्चिमी जर्मनी के बीच बीसा विनियम

4207. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या भारत और पश्चिम जर्मनी के बीच पर्यटन को बढ़ाने के लिए बीसा विनियम में नर्मी की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो की गई नर्मी की मोटी-मोटी रूपरेखा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1 नवम्बर, 1969 से, जर्मन संघ गणराज्य के राष्ट्रिकों को, नब्बे दिन तक के लिए, वीजा की अपेक्षाओं से मुक्त कर दिया गया है बशर्ते कि वे नौकरी न करें, या किसी व्यापार में न लगें या कोई वैतनिक अथवा अवैतनिक धन्धा न करें।

जो भारतीय राष्ट्रिक केवल तीन महीनों के लिये जर्मन संघ गणराज्य में जाते हैं, उन्हें भी वीजा प्राप्त करने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया है।

केलों का निर्यात

4208. श्री बाबूराव पटेल : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66, 1966–67 और 1967–68 में प्रतिवर्ष कितने मूल्यों के केलों का निर्यात किया गया ;

(ख) वर्ष 1967–68 में केलों के निर्यात में कमी हो जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) केला तथा फल विकास समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उनकी मासिक उपलब्धियां कितनी हैं ;

(घ) वर्ष 1963 में भेजे गये केला शिष्टमंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं, उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया, उनकी यात्रा पर कितना धन खर्च किया गया तथा उसके क्या परिणाम निकले ;

(ङ) कौन कौन से देश भारत से केले खरीदते हैं तथा वर्ष 1965-66, 1966-67 और 1967-68 में उन्होंने कितने कितने मूल्य के केले खरीदे ; और

(च) इटली के जिस केला विशेषज्ञ को आमन्त्रित किया गया है उसका नाम क्या है तथा उसे कितना धन दिया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ङ). 1965-66, 1966-67 और 1967-68 के गत तीन वर्षों में भारत से देशवार तथा मूल्यवार केलों के निर्यात का विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2395/69**]

(ख) 1967–68 में निर्यात में गिरावट का कारण स्वेज नहर के बन्द हो जाने के फलस्रूप सोवियत संघ को निर्यात का रुक जाना था।

(ग) केला तथा फल विकास समिति के सदस्यों के नामों को दर्शाने वाला एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। उसके सदस्यों को कोई परिलब्धि नहीं दी जाती।

(घ) 1963 में भेजे गये केला शिष्टमंडल के निम्नलिखित सदस्य थे :

1.	श्री बी० रामकृष्ण, अवैतनिक सलाहकार, निर्यात संवर्धन, मद्रास।	नेता
2.	श्री एम० सी० एम० शिराज़ी दी महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लि० बम्बई।	सदस्य
3.	श्री छगनलाल राम भाई पटेल, सरदार बगायत सहकारी मंडल लि०, बारदोली	सदस्य
4.	श्री यू० नरसिंह राव, कृषि आयुक्त, आई० सी० ए० आर०, नई दिल्ली।	सदस्य
5.	श्री बेला राम, अवर सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, नई दिल्ली।	सदस्य

शिष्टमंडल ने इरान, ईराक, सीरिया, लेबनान, बैल्जियल, प० जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीटजरलैंड और इटली का दौरा किया और शिष्टमंडल पर 12945 रु० 76 पैसे की कुल

लागत व्यय की गई। यह खोज संबंधी यात्रा थी। शिष्टमंडल द्वारा प्राप्त हुई जानकारी से हम इटली, सोवियत संघ तथा जापान जैसे दूर के गन्तव्यों को परीक्षण के तौर पर माल भेजने में साथी हुए।

विदेशों के साथ राजनयिक संबंध तथा उसके अन्तर्गत व्यय

4209. श्री बाबूराव पटेल : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने कितने देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किये हैं और उनको कायम रखने में गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कितना वार्षिक व्यय किया गया है ;

(ख) किन-किन देशों के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किये गये हैं और ऐसा न करने के कारण क्या हैं ; और

(ग) किन देशों के साथ हाल ही में राजनयिक संबंध तोड़े गये हैं और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप विदेश मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 109 (इसमें वे देश भी शामिल हैं, जहां निवासी राजदूत नहीं हैं और जहां पडौसी देशों में हमारे राजदूतों की साथ ही साथ प्रत्यायित किया जाता है।)

विदेशों में, हमारे राजनयिक मिशनों के रख रखाव पर, जिनमें आयोग, प्रधान कौंसलावास, कौंसलावास आदि भी शामिल हैं, जो सालाना खर्च बैठता है, उसका पिछले तीन वर्षों का विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2396/69]

(ख) अभी जिन स्वतन्त्र देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंध नहीं हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं ; अल्बानिया, बोट्सवाना, छाड, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वाडोर, एल सलवाडोर, गुआतेमाला, हैती, होंडुरस, आइलैंड, इजराइल, लिसोथे, नौरू, निकारागुआ, नाइजर, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट सामाओं, स्वाजीलैंड और इक्वेटोरियल गिनी।

इन देशों के साथ राजनयिक संबंध न होने के कारण, संक्षेप में, इस प्रकार हैं :

अल्बानिया : भारत के प्रति उसके अमैत्रीपूर्ण रवैये को देखते हुए, राजनयिक संबंध कुछ समय के लिए स्थगित रखे गये हैं।

इजराइल : हालांकि भारत इजराइल को मान्यता देता है, फिर भी भारत के सम्पूर्ण राष्ट्रहित में, उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए गए हैं।

पुर्तगाल : उसकी दमनकारी औपनिवेशिक नीतियों के विरोध में, उसके साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए गए हैं।

दक्षिण अफ्रीका : उस देश की जातीय पृथग्वासन नीति के विरोध में उसके साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए गए हैं।

कोट्सवाना, छाड, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वाडोर, एल सलेवाडोर, गुआतेमाला हैती होंडुरस, आइसलैंड लोसोथो, नौरू, निकरागुआ, नाइजर, वेस्ट सामोआं, स्वाजीलैंड और

इक्वेटोरियल गिनी : वित्तीय कठिनाई के कारण इन देशों के साथ अभी तक राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए गए हैं।

(ग) कुछ नहीं।

पुस्तकों तथा सावधिक पत्र पत्रिकाओं का आयात और निर्यात

4210. श्री बाबूराव पटेल : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968–69 में किन-किन देशों से कितने कितने मूल्य की तथा कितनी कितनी विदेशी पुस्तकों तथा सावधिक पत्र-पत्रिकाओं का आयात किया गया है ;

(ख) प्रतिवर्ष किन-किन देशों को, कितने मूल्य की तथा कितनी भारतीय पुस्तकों और सावधिक पत्र-पत्रिकाओं का निर्यात किया जाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रतिवर्ष बहुत सारे अश्लील साहित्य का आयात किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस आयात को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) 1968–69 की अवधि में पुस्तकों तथा आवधिक पत्र-पत्रिकाओं के देशवार आयात को दर्शाने वाला एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है।

(ख) 1967–68, 1968–69 तथा 1969–70 (अगस्त, 1969 तक) की अवधि में पुस्तकों, आवधिक पत्र-पत्रिकाओं के देशवार निर्यात को दर्शाने वाला एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2397/69]**

(ग) और (घ). आयात नीति (लाल पुस्तक) में यह दिया गया है कि पुस्तकों के लिये दिये गये लाइसेंसों के आधार पर अवांछनीय प्रकार की पुस्तकों, हास्य पुस्तकों, कथा साहित्य तथा पत्रिकाओं के आयात की अनुमति नहीं होगी। लाल पुस्तक में ऐसी पत्रिकाओं तथा मैगजीनों की भी सूची दी गई है जिनका आयात विशेष रूप से नामंजूर किया गया है। यह सरकार के ध्यान में आया था कि अवांछनीय प्रकार की पुस्तकों का कुछ आयात अभी भी हो रहा है। अतः 1968 में नियम तथा प्रक्रिया सम्बन्धी आयात व्यापार नियंत्रण हस्तपुस्तिका में ऐसी व्यवस्था की गई कि सीमाशुल्क प्राधिकारी ऐसे मामलों में भी अवांछनीय प्रकार की पुस्तकों की अनुमति नहीं देंगे जहां आयात लाइसेंसों के बिना नीति के अन्तर्गत पुस्तकों के आयात करने की अनुमति है। साथ ही लाल पुस्तक में एक और व्यवस्था भी गई कि पुस्तकों के लिए लाइसेंसों के आधार पर पत्रिकाओं तथा मैगजीनों के आयात की अनुमति नहीं दी जायेगी बशर्ते कि ये लाइसेंस उनके आयात के लिए विशेष रूप से अनुमोदित किए गए हों। ऐसे अनुमोदनों के लिए अनुरोधों पर विचार करते हुए आयात किए जाने वाले अवांछनीय प्रकार की पत्रिकाओं तथा मैगजीनों को शामिल नहीं किया जाता। रोक लगी हुई पत्रिकाओं तथा मैगजीनों की सूची की सीमाशुल्क प्राधिकारियों के परामर्श से प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है ताकि उसमें जितनी संभव हो उतनी ही प्रकार की अवांछनीय प्रकार की पुस्तकों को शामिल किया जा सके।

गुजरात में भूमिहीन सैनिक

4211 श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में गुजरात में कितने भूमि हीन सैनिकों को भूमि नियत की गई है ; और

(ख) भूमि नियत करने के कितने आवेदन पत्र अभी तक बड़ौदा और अहमदाबाद जिलों में विचाराधीन हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री म० रं० कृष्ण) : (क) तथा (ख) . गुजरात सरकार द्वारा जुलाई 1969 में दी गई सूचना के अनुसार कृषिभूमि अलाट करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के 2180 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे । इनमें से 1451 प्रार्थियों को भूमि अलाट की गई थी, 449 प्रार्थियों के मामले अस्वीकृत किए गए थे और 280 प्रार्थना पत्र अभी विचाराधीन हैं । बड़ौदा तथा अहमदाबाद जिलों के सम्बन्ध में अलग आंकड़े प्राप्य नहीं है ।

काजू उत्पादों का निर्यात

4212 श्री अदिचन : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 के पहले 11 महीनों में काजू के उत्पादों का उत्पादवार कितना निर्यात किया गया तथा वर्ष 1967 और 1968 के इन महीनों के निर्यात की तुलना में वह कैसा है तथा इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई है ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में इसके उत्पादन तथा निर्यात के उत्पादवार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जनवरी-नवंबर, 1969 के लिए सरकारी आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । जनवरी अगस्त, 1969 तथा 1968 और 1967 की उन्हीं अवधियों में काजू की गिरी तथा काजू खोल द्रव के तुलनात्मक निर्यातों को वृद्धि के प्रतिशतों सहित दर्शाने वाला एक विवरण (अंग्रजी में) सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) 1973-74 तक के लिये कच्ची गिरी का उत्पादन लक्ष्य 236000 मे० टन पर निर्धारित किया गया है । काजू खोल द्रव्य तथा निर्यात के लिये अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2398/69]**

नारियल जटा के उत्पादों का निर्यात

4213. **श्री अदिचन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 के पहिले 11 महीनों में नारियल जटा के उत्पादों का वस्तुवार कितना निर्यात किया गया तथा वर्ष 1967 और 1968 के उक्त महीनों के निर्यात की तुलना में वह कैसा है तथा इसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई है; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके उत्पादन तथा निर्यात के वस्तुवार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। निर्यात के आंकड़े अक्तूबर, 1969 तक ही उपलब्ध हैं।

(ख) नारियल जटा माल के लिये कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है। वर्ष 1973-74 तक नारियल जटा तथा नारियल जटा उत्पादों का निर्यात लक्ष्य 17 करोड़ रुपये मूल्य के 717,000 क्विन्टल का है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2399/69]**

टेलीवीजन कार्यक्रम के लिए भारत-अमरीका करार

4214. **श्री मयाबन** :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० बरुआ :

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने अमरीका के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके अंतर्गत अमरीका इस योजना के अधीन भारत को शिक्षा के लिए टेलीविजन देगा;

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत भारत को कितने टेलीविजन सेट दिये जायेंगे; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इस करार के अंतर्गत अमरीकी अन्तरिक्ष एजेंसी भारत में दो उपग्रहों की व्यवस्था करेगी जिससे बहुत कम लागत पर भारत अपने दूर दराज के गांवों में भी शिक्षा सम्बन्धी टेलीविजन कार्यक्रमों का प्रदर्शन कर सकेगा ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) (ख), (ग) तथा (घ). अमरीका की नेशनल एयरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन तथा भारत द्वारा 18 सितम्बर, 1969 को एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस ज्ञापन के अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा विषुवदवत के ऊपर चक्कर लगाने वाला एक उपग्रह (एप्लिकेशन टेकनोलोजी सेटेलाइट) सन् 197 के मध्य तक स्थापित किया जायेगा, जिसका उपयोग भारत द्वारा दूर-दराज बसने वाले गावों में भी शिक्षा सम्बन्धी टेलीविजन कार्यक्रमों का प्रसारण करने से सम्बन्धित संयुक्त परीक्षणों के लिए एक वर्ष तक किया जा सकेगा। एडमिनिस्ट्रेशन भारत को इस ज्ञापन के अंतर्गत कोई टेलीविजन नहीं देगा।

मैंगनीज का निर्यात

4215. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैंगनीज का निर्यात जो 1960 में 1.19 मिलियन टन था, 1968 में गिर कर केवल 0.47 मिलियन टन रह जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने रेल भाड़े और पत्तन शुल्क को कम कराने का प्रयास किया है क्योंकि प्रतियोगी देशों की तुलना में यहां समुद्री भाड़ा अधिक है; और

(ग) निर्यात बढ़ाने तथा लागत कम करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध प्रोत्साहनों की तुलना में मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को क्या प्रोत्साहन दिये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) मैंगनीज अयस्क के निर्यात वर्ष 1960 के 13.2 लाख मे० टन से गिर कर वर्ष 1968 में 11.9 लाख मे० टन के हुए। मैंगनीज अयस्क के भारतीय निर्यातों में निम्नलिखित कतिपय कारणों से गिरावट आई है : उपभोक्ता देशों के समीप "कैपटिव खानों" का विकास, पूर्ति के नये स्रोतों का आविर्भाव, अधिक लम्बे अन्तर्देशीय परिवहन मार्ग, अपेक्षाकृत अपर्याप्त पत्तन तथा लदान सुविधाएं तथा प्रति एकक प्राप्त होने वाले मूल्य में तीव्र गिरावट। स्वेज नहर के बन्द होने के फलस्वरूप अन्तरिम के अपेक्षाकृत लम्बे रास्ते से माल जाना एक अन्य कारण है।

निगम सतत निर्यात संवर्धन उपायों तथा विदेश स्थित अपने परंपरागत खरीदारों से अविरत संपर्क द्वारा 11 लाख मे० टन वार्षिक मैंगनीज अयस्क के निर्यात बनाये रख सका है। अयस्क के अन्तर्देशीय परिवहन के विकास हेतु समाकलित परियोजनाओं (आयोजित/हाथ में) और गहरे तल वाले पूर्णतः यंत्रीकृत पत्तनों व्यवस्था के पूरा हो जाने पर भारतीय अयस्क के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्द्धी हो जाने की सम्भावना है।

(ग) मैंगनीज अयस्क निर्यात के लागत ढांचे का, इसके पुनर्निर्माण के मार्गोपायों का पता लगाने की दृष्टि से, अध्ययन किया जा रहा है।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है। मैंगनीज अयस्क के निर्यात से सम्बन्धित कार्य करने वाले अमले को निगम के समस्त कर्मचारियों को उपलब्ध सामान्य लाभों के अलावा कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिये जाते।

कस्तुरी तथा भेड़-बकरी की चर्बी के आयात के लिये विदेशी मुद्रा

4216. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1958, 1963 और 1968 में वर्षवार कस्तुरी तथा भेड़-बकरी की चर्बी के आयात के लिये कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गयी थी;

(ख) क्या इन वस्तुओं की भारत में उपलब्धता या अनुपलब्धता के बारे में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) कस्तुरी तथा भेड़-बकरी की चर्बी के आयात के लिये विदेशी मुद्रा के आवंटन की सीमा अलग से निर्धारित नहीं है तथापि वर्ष 1958–59 में तकनीकी विकास के महा-निदेशक तथा लघु एककों को छोड़कर वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा भेड़-बकरी की चर्बी के आयात के लिये 7.5 लाख रु० की पृथक

धन-राशि आवंटित की गई थी। एक विवरण जिसमें वर्ष 1958, 1963 तथा 1968 में इन मदों के वास्तविक आयात दिखाए गये हैं, संलग्न है।

(ख) तथा (ग) स्वदेश में उपलब्ध भेड़-बकरी की चर्बी की मात्रा औद्योगिक प्रयोग की आवश्यकताओं के लिये बहुत ही कम है। कस्तुरी के सम्बन्ध में उसकी मांग तथा उसकी देश में उपलब्धि के विषय में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1968–69 में आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माताओं द्वारा प्रतिबन्धित आधार पर कस्तूरी के आयात के लिये व्यवस्था की गई थी, परन्तु इसको समाप्त कर दिया गया है क्योंकि नेपाल से इसकी पूर्ति बिना लाइसेंसों के की जा सकती है।

विवरण

1958, 1963 तथा 1968 के दौरान कस्तूरी तथा भेड़-बकरी की चर्बी का आयात

मूल्य '000 रुपयों में (अवमूल्यन पश्चात दर पर)

क्रम संख्या	विवरण	1958	1963	1968
1.	प्राकृतिक कस्तूरी	15	—	—
2.	भेड़-बकरी की चर्बी	6019	6873	47345

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अधिकारियों के द्वारा देतारी खानों तथा पारादीप परियोजना का दौरा

4217. **श्री रवि राय :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम के महाप्रबन्धक के नेतृत्व में इस निगम के अधिकारियों के एक दल ने नवम्बर 1969 के प्रथम सप्ताह में उड़ीसा में देतारी खानों तथा पारादीप परियोजना का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का प्रयोजन क्या था;

(ग) क्या उस दौरे के पश्चात् वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि देतारी लौह अयस्क की खानों में कार्य प्रायः पूर्ण हो चुका है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) जापानी इस्पात मिलों के साथ अपनी वार्ताओं के दूसरे दौर में आवश्यकता पड़ने पर निगम के प्रतिनिधि मंडल द्वारा उपयोग हेतु दायतारी खानों तथा पारादीप परियोजना में हुई प्रगति के बारे में अधुनातन जानकारी एकत्र करने के लिये अक्तूबर, 1969 के आखिरी सप्ताह में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अधिकारियों के एक दल ने पारादीप पत्तन तथा दायतारी खानों की यात्रा की।

(ग) तथा (घ) दल इस बात से असन्तुष्ट था कि दायतारी में यन्त्रीकृत खान को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की गई है और यदि प्रगति की इस रफ्तार को बनाए

रखा गया तो आगामी मानसून से पूर्व यन्त्रीकृत सुविधाओं को कार्यान्वित करना सम्भव हो जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में 1 सितम्बर, 1969 को कपड़ा मिलों में हड़ताल के कारण हानि

4218. **श्री दे० अमात :**
श्री चं० चु० देसाई :
श्री धी० ना० देव :
श्री अजमल खां :
श्री एस० पी० राममूर्ति :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 सितम्बर, 1969 को पश्चिम बंगाल में कपड़ा मिलों के अनिश्चित काल के लिये बन्द होने और हड़ताल के कारण मालिकों और प्रबन्धकों को हुई हानि का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ख) क्या सरकार ने कपड़ा मिलों के बन्द होने के कारण हुई विदेशी मुद्रा की हानि का भी अनुमान लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बहरामपुर (पश्चिमी बंगाल) में केन्द्रीय रेशम कीट पालन अनुसंधान केन्द्र

4219. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम कीट पालन अनुसंधान केन्द्र के अराजपत्रित कर्मचारियों के संगठन बहरामपुर, पश्चिम बंगाल ने सरकार को कोई ज्ञापन दिया है जिसमें रिक्त स्थानों पर नियुक्ति, मकान किराया, भत्ते, संगठन को मान्यता देने, नियमित संस्थानों में नैमित्तिक कर्मचारियों की नियुक्ति तथा कर्मचारियों के बहरामपुर से कालिम्पोंग को स्थानान्तरण के लिये तालिका की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन मांगों का ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उन पर यदि कोई कार्यवाही की है तो क्या ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) संघ ने 6 अक्तूबर, 1969 को हुई साधारण सभा की बैठक में पारित किये गये संकल्प की एक प्रति भेजी थी, जिसमें निम्नलिखित मांगें हैं:—

(1) कर्मचारी संघ को मान्यता।

(2) कर्मचारीवर्ग के अन्य सदस्यों पर से अतिरिक्त कार्यभार हटाने के उद्देश्य से रिक्त पदों का तत्काल भरा जाना।

(3) केन्द्र के निदेशक का स्थानान्तरण ।

(4) बाहर से भर्ती करने के बजाय श्रेणी 4 के रिक्त स्थानों पर नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति ।

(5) मकान किराया भत्ते का भुगतान ।

(6) श्रेणी 4 के कर्मचारी वर्ग को वर्दियों का दिया जाना ।

(7) छोटी श्रेणी 3 तथा श्रेणी 4 के कर्मचारी वर्ग का कालिम्पोंग को स्थानान्तरण न करना ।

(ग) यद्यपि संघ मान्यता प्राप्त नहीं है तथापि संघ द्वारा उठाये गये विभिन्न प्रश्नों पर विधिवत् विचार किया गया और सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की गई ।

मूंगफली के तेल का निर्यात

4221. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मूंगफली के तेल उद्योग की प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपये मूल्य के मूंगफली के तेल का निर्यात करने की अपेक्षित क्षमता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस निर्यात लक्ष्य को पूरा करने में ही मूंगफली के तेल की खपत के लिये इसकी सप्लाई में कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, और इस कारण इसके मूल्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने 20 करोड़ रुपये के उपरोक्त वार्षिक लक्ष्य को पूरा करने के लिये कोई कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो वर्ष 1970 और 1971 के लिये निर्यात के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) देश में खाद्य-तेल की कमी के फलस्वरूप घरेलू-बाजार में मूंगफली के तेल के मूल्य विश्व बाजार में मूंगफली के तेल के मूल्य की तुलना में काफी अधिक हैं । देश में खाद्य-तेलों की वर्तमान कमी आयातों द्वारा पूरी की जा रही है । इस समय प्रति वर्ष 20 करोड़ रु० तक के मूंगफली के तेल का निर्यात करने की कोई योजना नहीं, क्योंकि निर्यातों के लिये न केवल भारी उपदान देना पड़ेगा अपितु इस प्रकार उत्पन्न हुई अतिरिक्त कमी को पूरा करने के लिये और अधिक आयात करने की जरूरत पड़ेगी ।

राज्य व्यापार निगम में फालतू कर्मचारी

4222. श्री वी० ना० कक्कम : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के वर्तमान अध्यक्ष की इस धारणा के बावजूद कि निगम में फालतू अधिकारी और कर्मचारी हैं, तो भी निगम में इतने लोग उपलब्ध

होते हुए भी "तकनीकी विशेषज्ञों" के नाम से केवल ऊंचे वेतनमान वाले पदों पर भर्ती की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो नये कर्मचारी भर्ती करने का क्या औचित्य है; और

(ग) जुलाई, 1968 से भर्ती किये गये निदेशकों सहित कर्मचारियों की सूची क्या है तथा उनकी आयु, अर्हतायें व अनुभव, राज्य व्यापार निगम में वर्तमान पद, राज्य व्यापार निगम में उनसे पूर्व उनके वेतन (मूल) तथा प्रत्येक को मिलने वाले वेतन का ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) . एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी 2400/69**]

विभिन्न मंत्रालयों में सचिवों की नियुक्ति

4223. श्री लोबो प्रभु : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में सचिवों की नियुक्तियों सम्बन्धी प्रस्ताव किस प्रकार पेश किये जाते हैं;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान किन-किन मंत्रियों ने उनको भेजे गये प्रस्तावों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था;

(ग) क्या मन्त्रीमण्डल सचिवालय ऐसी अस्वीकृतियों को मंत्रीमंडल अथवा प्रधान मंत्री के विचार के लिए नहीं प्रस्तुत करता; और

(घ) क्या सरकार को मंत्रियों की व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर रहने के कारण सरकारी अधिकारियों में उत्पन्न गहरी निराशा का पता है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) मंत्रीमण्डल की नियुक्ति समिति सचिवों के पद पर नियुक्ति करती है। प्रधान मन्त्री इस समिति की अध्यक्षा हैं, जिसमें गृह मंत्री और उस मंत्रालय के कार्यभारी मंत्री भी होते हैं, जहां नियुक्ति करनी होती है। इस तरह संबद्ध मंत्री को भी नियुक्ति की पूरी जानकारी रहती है ।

सरकार के सचिवों का चुनाव उनकी योग्यता और कुल मिलाकर उनकी उपयुक्तता के आधार पर किया जाता है ।

(घ) अलग-अलग मंत्री की पसन्द पर निर्भर करने का प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार सचिवों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को खुलकर और स्वतन्त्र रूप से अपनी राय प्रकट करने और सलाह देने को बड़ा महत्व देती है। फिर भी, यह जाहिर है कि, मंत्री और सचिव के बीच संगति का होना आवश्यक है ताकि सरकार का काम सुचारु रूप से चले। और कहीं बातचीत के जरिए असंगति दूर न की जा सके, तो जरूरी तौर पर तालमेल बिठाना होता है। इसलिए, निराशा का सवाल ही पैदा नहीं होता।

हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड द्वारा यात्री विमानों का निर्माण

4224. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड ने यात्री विमानों का निर्माण न करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस निर्णय के परिणामस्वरूप देश को इन विमानों के क्रय के लिए विदेशों पर अनिश्चित काल तक निर्भर रहना पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति कब तक जारी रहेगी तथा ऐसे विमानों के निर्माण का कब निर्णय किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क), (ख) तथा (ग). एच० एस० 748 विमानों का निर्माण पहले से ही एच० ए० एल० के कानपुर डिवीजन में किया जा रहा है। किसी अन्य विमान के एच० ए० एल० द्वारा निर्माण पर विचार, इण्डियन एयर लाइन्ज द्वारा आवश्यक विमान की किस्म के सम्बन्ध में निर्णय के पश्चात ही किया जाएगा।

कच्चे काजू की आवश्यकता

4225. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अनुमानतः कुल कितने कच्चे काजू की आवश्यकता है;

(ख) कितनी आवश्यकता देश में ही किये गये उत्पादन से पूरी होती है;

(ग) गत तीन वर्षों में कितने मूल्य के काजू का आयात किया गया;

(घ) क्या देश में कच्चे काजू के उत्पादन को बढ़ाने की कोई योजना विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) 1969-70 के दौरान कच्चे काजू की गिरी के निर्यात के लिये अनुमानित आवश्यकता 2.5 लाख मे० टन है।

(ख) कच्चे काजू की गिरी का वर्तमान स्वदेशी उत्पादन अनुमानतः 1,60,000 मे० टन है जिसका एक भाग देश में ही खप जाता है।

(ग)

वर्ष	मूल्य करोड़ रु० में
1966-67	22.94
1967-68	25.08
1968-69	31.38

(घ) तथा (ङ). जी हां। स्वदेशी उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ाने, विशेषकर 1973-74 के अन्त तक 76,000 मे० टन करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों दोनों में, विकास योजनाएं आरम्भ की गई है। चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये केन्द्रीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के लिये 75 लाख रुपये की पूंजी परिव्यय निर्धारित किया गया है। राज्य क्षेत्र में काजू की खेती के अन्तर्गत 5.18 लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र लाने तथा उत्तम पौध सामग्री के वितरण का प्रस्ताव है। इसके अन्तर्गत केरल, मैसूर, गोआ, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु राज्य होंगे।

इजराइल द्वारा रॉकफास्फेट तथा पोटाश की सप्लाई

4226. **श्री ओंकार गोयल :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इजराइल भारत को रॉकफास्फेट तथा पोटाश जिनकी भारत को बहुत आवश्यकता है, अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों अथवा किसी भी अन्य साधन से उपलब्ध हो सकने वाले इनके मूल्यों से 10 प्रतिशत कम मूल्य पर बेचने का प्रयत्न करता रहा है;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम ने पिछले वर्ष बताया था कि 1968-69 में रॉक फास्फेट की आवश्यकता 800,0000 टन होगी; और

(ग) क्या सरकार इजराइल के पांच प्रस्तावों से लाभ उठाने में असफल रही ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ग). रॉक फास्फेट तथा पोटाश की पूर्ति के लिये इजरायल की फर्मों से राज्य व्यापार निगम द्वारा कुछ पेशकशें प्राप्त हुई थीं। राक फास्फेट के सम्बन्ध में विशिष्टियों, मूल्य तथा सुपुर्दगी कार्यक्रम विषयक ये पेशकशें पूर्ण नहीं थी। निगम ने तब तक अपनी सभी आवश्यकताओं के लिये खरीदारियां भी कर ली थीं।

निगम द्वारा प्राप्त पेशकशों में उद्धृत इजरायली उद्भव के पोटाश के मूल्य, निगम द्वारा अन्य स्रोतों से पहले से तय किये मूल्यों की तुलना में ऊंचे समझे गये थे।

(ख) जी हां।

आर्थिक सलाहकारों की एक उच्च शक्ति प्राप्त परिषद् की स्थापना

4227. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई धार्मिक नीतियां निर्धारित करने तथा उनकी कार्यान्विति पर गौर करने के लिए प्रधान मन्त्री सचिवालय में एक उच्च शक्ति प्राप्त आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परिषद् के सदस्यों के क्या नाम है तथा उन्हें किस आधार पर चुना गया है;

(ग) क्या इस परिषद तथा आयोजना के कार्य की परिभाषा तथा कार्यक्षेत्र के बारे में आवश्यक विवरण तैयार कर लिया गया है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या यह परिषद् वित्त मन्त्रालय के नीति-निर्धारण सम्बन्धी कार्यों पर नियन्त्रण करेगी; और

(ङ) क्या उक्त परिषद् के सदस्यों के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण, विश्वस्त समुचित तथा सामाजिक आंकड़े एकत्र करने के लिए कार्यवाही की गयी है, जिनके बिना यह परिषद् कोई लाभप्रद कार्य करने में असफल रहेगी ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ब), (ट), (ड) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते। बहरहाल, समाचार-पत्रों में जब कथित "उच्च अधिकार-प्राप्त आर्थिक सलाहकार परिषद" की स्थापना के बारे में पहली बार खबरें छपी थीं, तब प्रधान मन्त्री सचिवालय ने निम्नलिखित शब्दों में 23 सितम्बर 1969 को इसका खंडन किया था :—

"प्रधान मन्त्री सचिवालय के कथित पुनर्गठन के बारे में समय-समय पर खबरें आती रही हैं। उनमें से सब से ताजा समाचार (पृष्ठ 7—टाइम्स आफ इंडिया 23 सितम्बर 1969) में कहा गया कि प्रधान मन्त्री सचिवालय में एक अध्यक्ष के अधीन अर्थशास्त्रियों की एक परिषद् बनाने का विचार है। यह कहा गया कि यह परिषद् नीति निर्धारण और प्रस्तावों की छानबीन का कार्य करेगी, जिससे योजना आयोग के कार्य और महत्व में कमी होगी।

जिन लोगों ने इन खबरों के छपने की प्रेरणा दी है, उनके इरादों पर टिप्पणी किये बगैर, यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इस प्रकार की परिषद् स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और न किसी व्यक्ति ने ही इसका अध्यक्ष होने के लिए कहा है। प्रोफेसर गाडगिल की अध्यक्षता में और आयोग के अन्य विशिष्ट सदस्यों के साथ, योजना आयोग आर्थिक योजना के क्षेत्र में अपने निश्चित दायित्व को बराबर निभाता रहेगा।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग को भारतीय सांख्यिकी संस्था, कलकत्ता, से पृथक् करना

4229. श्री पे० कु० दास चौधरी : क्या प्रधान मन्त्री 14 मई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 1699 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की भारतीय सांख्यिकी संस्था से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग को पृथक करने तथा उसे दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय से संलग्न करने के बारे में अब तक कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जी नहीं, मामला अभी तक विचाराधीन है।

मणिपुर में विद्रोही नागाओं की घुसपैठ

4230. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री गा० बरुआ :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1969 के प्रथम सप्ताह में, 150 विद्रोही नागा नागालैंड से मणिपुर में घुस आये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या वे उस राज्य में विधि तथा व्यवस्था के लिये समस्या उत्पन्न कर रहे हैं; और

(ग) उन्हें वहां से शीघ्र हटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

प्रति रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क), (ख) तथा (ग). -सरकार को कोई जानकारी नहीं है। तदपि सुरक्षा सेनाओं द्वारा क्षेत्र में गहन गश्त जारी है।

मैसूर में नारियल जटा उद्योग का विकास

4231. श्री एम० एस० कृष्ण : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में नारियल जटा उद्योग के विकास के लिये सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है: और

(ग) नारियल जटा उद्योग के विकास के लिये इस राज्य को क्या सहायता दिये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रदत्त निधि के अतिरिक्त चतुर्थ योजना में राज्यों को प्रति वर्ष केन्द्रीय सहायता एक मुश्त ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाएगी। केन्द्रीय सहायता किसी व्यक्तिगत योजना, योजनाओं के समूह अथवा तुल्य योगदान के आधार पर किसी विकास शीर्ष से सम्बन्धित नहीं होगी। जबकि विकास के कुछ शीर्षों अथवा उप-शीर्षों के अन्तर्गत व्यय और कुछ विशिष्ट योजनाओं के लिये परिव्ययों का निर्धारण कर लिया गया है लेकिन ग्राम तथा लघु उद्योग क्षेत्र (जिस में नारियल जटा उद्योग भी शामिल है) के लिये परिव्ययों का निर्धारण नहीं किया गया है, राज्य सरकारें विकास के शीर्ष अथवा उप-शीर्ष के अन्दर ही परस्पर समायोजन कर सकती है। नारियल जटा बोर्ड यथावश्यक ऐसी तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

उत्तर भारत में परमाणु बिजलीघर

4232. श्री योगेन्द्र झा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री वासुदेवन नायर :
श्रीमती इलापाल चौधरी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना की अवधि में उत्तरी भारत में एक परमाणु बिजली घर स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और वह कहां स्थापित किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) इस बारे में ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

रूमानिया को लौह अयस्क का निर्यात

4233. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देतारी में निकलने वाले लौह अयस्क के निर्यात के सम्बन्ध में रूमानिया तथा अन्य देशों के साथ कोई करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने वर्ष 1970 में रूमानिया को 140 लाख टन लौह अयस्क की पुर्ति के लिये हाल ही में एक करार किया है। इसके अतिरिक्त रूमानिया को 220 लाख टन लौह अयस्क, जिसमें से 80 लाख टन अनिवार्य तथा 140 लाख टन ऐच्छिक है, 10 वर्ष की अवधि में (1971 से 1980 तक) पूर्ति करने के लिये एक फ्रेम कांट्रेक्ट कर लिया गया है। इस मात्रा का कम से कम 70 प्रतिशत मध्य ग्रेड का अयस्क होगा, जिसकी अधिकांश मात्रा, देतारी खानों से पाराद्वीप मार्ग द्वारा भेजी जायेगी।

15 वर्ष की अवधि में (1970 से 1984 तक) 189 लाख टन देतारी लौह अयस्क की जापानी स्टील मिल्स की पूर्ति करने के लिये एक और पेशकश भी की गई है।

कोयम्बटूर में बन्द कपड़ा मिलों को तमिलनाडु सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में लिया जाना

4234. **श्री के० रमानी :** **श्री प० गोपलान :**
श्री अ० कु० गोपालन : **श्री उमा नाथ :**
श्री पी० राममूर्ति : **श्री सी० के० चक्रपाणि :**

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तमिलनाडु सरकार को कोयम्बटूर जिले में बन्द 5 कपड़ा मिलों को अपने नियन्त्रण में लेने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने मिलों ने कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ग) उसी जिले में अन्य मिलों को पुनः चलाने में लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). कोयम्बटूर जिले की तीन कपडा मिलों का प्रबन्ध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-ए के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और तमिलनाडु कपड़ा निगम को उनका प्राधिकृत नियन्त्रण नियुक्त कर दिया गया है। इन तीन मिलों में से एक ने तो काम भी प्रारम्भ कर दिया है। तमिलनाडु कपड़ा निगम बाकी दोनों मिलों को भी पुनः चालू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

कोयम्बटूर जिले में कपड़ा मिलों का बन्द होना

4235. श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री उमानाथ :
श्री के० रमानी :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयम्बटूर जिले में बहुत सी कपड़ा मिलों के अभी तक बन्द रहने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या धागे के स्टाक की कमी के कारण से बन्द है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). समाप्त करने योग्य समझी गई दो मिलों को छोड़कर, नवम्बर, 1969 के अन्त तक कोयम्बटूर जिले में 9 सूती कपड़े की मिलें बन्द पड़ी हुई थीं। उनमें से दो स्टाक एकत्रित होने के कारण बन्द हुई थीं जबकि शेष वित्तीय कठिनाइयों तथा श्रमिक अशान्ति के कारण बन्द हुई थी।

भारत में निर्मित विमान

4236. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भगवान दास :
श्री तेनेटि विश्वनाथम :
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कितने विमान बनाये जाते हैं;

(ख) उनके निर्माण में कितने प्रतिशत आयातित पुर्जों का प्रयोग किया जाता है और उनका मूल्य कितना है;

(ग) इस कारण विदेशी फर्मों को कितनी राशि स्वामित्व आदि के रूप में दी गई है; और

(घ) भावी कार्यक्रम क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 18 वर्षों की अवधि में अब तक एच० ए० एल० विभिन्न किस्मों के एक हजार से अधिक विमानों का उत्पादन कर चुके है।

(ख) इस समय उत्पादन अधीन विमानों के लिए विदेशी मुद्रांश विमानों की लागत का लगभग 30 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक विभिन्न है।

(ग) लाइसेंस के अन्तर्गत निर्मित विमानों, एरोइंजनों फालतू पुर्जों इत्यादि के संबंध में अदा की गई रायल्टियें और लाइसेंस शुल्क 1967-68 में कुल लगभग 109.00 लाख रुपये थे और 1968-69 में लगभग 96.00 लाख रुपये।

(घ) पांच वर्षों के लिए विमानों के उत्पादन के लिए योजना बनाई गई है। अन्तर्ग्रस्त विमानों की संख्या प्रकट करना लोकहित में न होगा।

दक्षिण वियतनाम में असैनिक व्यक्तियों का वध

4237. श्री देवेन सेन :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि गत वर्ष अमरीकी सैनिकों द्वारा दक्षिण वियतनाम के एक गांव में लगभग 502 नागरिकों का जिसमें स्त्रियां बूढ़े, तथा बच्चे शामिल थे, वध किया था;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में अमरीकी सरकार को विरोध पत्र भेजा है; और

(ग) क्या सरकार इस मामले की तटस्थ व्यक्तियों के निकाय द्वारा जांच के लिये कहेगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप विदेश मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। सरकार इस प्रकार की खबरों से अवगत है।

(ख) और (ग). जी नहीं, बताया जाता है कि संयुक्त राज्य अमरीका के प्राधिकारी, इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं।

ब्रिटिश नौसेना के एक जहाज को एक रसायन से परीक्षण के तौर पर चलाना

4238. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पोलिथिलीन ओराइड नामक रसायन से ब्रिटिश नौसेना के जहाज को परीक्षण के तौर पर चलाये जाने की जानकारी है, जिससे जहाज तेज चलाया जा सकता है और जिससे साधारण जहाजों की अपेक्षा 15 प्रतिशत कम ईंधन खर्च होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस आविष्कार की तकनीकी जानकारी प्राप्त कर ली है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) पोलिथिलीन आक्साईड के एक ब्रिटिश नौसैनिक पोत द्वारा परीक्षण फेरों का सरकार को ज्ञान है कि जिसने 15 प्रतिशत कम ईंधन खर्च सहित पोत को तेज चलने में सहायता दी।

(ख) तथा (ग). देश में पालिथीलीन आक्साईड बनाने की जानकारी प्राप्य है। इसके प्रयोग में अन्तर्ग्रस्त समस्याएं अध्ययन अधीन हैं।

रांची में समुद्री जहाजों के डीजल इंजन बनाने के कारखाने का निर्माण

4239. श्री वासुदेवन नायर : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची में समुद्री जहाजों के डीजल इंजिन बनाने के कारखाने के निर्माण के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) समुद्री जहाजों के लिये पहिले डीजल इंजन के कब तक तैयार किये जाने की संभावना है ;

(ग) इस कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता कितनी होगी ; और

(घ) क्या इस कारखाने को इतने क्रयादेश मिले चुके हैं कि वह अपनी पूरी निर्धारित क्षमता के अनुसार काम कर सके ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) मुख्य फैक्टरी भवन सम्पूर्ति के निकट है। उच्च और निम्न टेन्शन तारें बिछाने और क्रेनों के निर्माण कार्य प्रगतिशील है। संयंत्र की स्थापना की जो इस समय प्राप्त किया जा रहा है, जनवरी 1970 में आरंभ होगी।

(ख) पहला इंजन 1970 के दूसरे आधे भाग में संयोजित होना प्रत्याशित है।

(ग) पूरा उत्पादन होने पर विभिन्न किस्मों के इंजनों की लक्षित क्षमता संख्या उच्च शक्ति के इंजनों के लिये 6 (छ) है, मझोले इंजनों के लिये 60 और निम्न शक्ति इंजनों के लिए 100।

(घ) अभी नहीं, परन्तु आर्डर प्राप्त करने के लिए क्रय संगठन पहले से काम कर रहा है, 17 मझोले इंजनों के लिए आर्डर और 3 उच्च शक्ति इंजनों के लिए एक आशयपत्र अब तक प्राप्त हो चुके हैं। कुछ निम्न शक्ति इंजनों के आर्डर शीघ्र प्राप्त होना प्रत्याशित है।

रूस को निर्यात के लिये रेलवे बैगनों का मूल्य

4240. श्री लोबो प्रभु : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र से रूस को सप्लाई किये जाने वाले मालडिब्बों के मूल्य क्रमश: 1,10,000 रुपये तथा 98,000 रुपये बताये है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अन्तर घाटे का द्योतक है अथवा सरकारी क्षेत्र में उत्पादन में कोई लाभ बताया है और एक ही नमूने के माल-डिब्बों के लिये एक ही मूल्य न बताये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि रूस हमारे द्वारा बताये गये मूल्य का केवल आधा मूल्य देने को तैयार है और यदि हां, तो उससे कितनी हानि होगी ; और

(घ) क्या इसके कारण और भी कोई बात लगाई गई है तथा टी० यू० सी० विमानों जैसे रूसी उत्पादों की खरीद अथवा रूस के पक्ष में मूल्यों का पुनरीक्षण ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). राज्य व्यापार निगम ने रूस को बैगनों के निर्यात के लिए केवल एक ही मूल्य उद्धत किया है।

(ग) चूंकि बातचीत अभी चल रही है इसलिए उद्धत या प्रस्तावित मूल्यों के बारे में जानकारी को प्रकट करना निगम के व्यवसायिक हित में नहीं होगा ?

(घ) जी नहीं।

कपड़ा मिलों का बन्द होना

4241. श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1969 से 21 अक्टूबर, 1969 के दौरान तथा उससे पिछले तीन वर्षों में बन्द होने वाली कपड़ा मिलों की संख्या कितनी कितनी है ;

(ख) 1 अप्रैल, 1967 से 31 अक्तूबर, 1969 के दौरान पुनः चालू होने वाली कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है ;

(ग) अभी तक कितनी तथा कौन-कौन सी कपड़ा मिलें बन्द पड़ी है ; और

(घ) सरकार ने उनको पुनः चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) . जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) 31 अक्तूबर, 1969 के अन्त में देश में 55 सूती कपड़ा मिलें बन्द पड़ी थी इन मिलों के नाम संलग्न विवरण (अंग्रेजी) में दिये गये हैं । इनमें समाप्त कर दी जाने योग्य समझी गयी मिलें शामिल नहीं हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2401/69]

(घ) इन 55 सूती कपड़ा मिलों में से छः मिलों को अलाभप्रद मान लिया गया है। छः मिलों का प्रबन्ध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत नियंत्रण में लेकर प्राधिकृत नियंत्रण के अधीन कर दिया गया है । 13 मिलों के मामले, जिनमें से उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत 8 की जांच करली गयी है, परिसमापन आदि के सम्बन्ध में उच्च न्यायालयों में लम्बित पड़े है । 4 मिलों के मामले में जांच समिति के प्रतिवेदनों पर विचार किया जा रहा है और तीन मिलों के मामलों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त की गयी जांच समिति द्वारा जांच की जा रही है, बाकी मिलों के मामले में राज्य सरकारों से परामर्श करके विचार किया जा रहा है ।

Introduction of modern communication service for purpose of waring against dangers

4242. Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Sharda Nand :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Suraj Bhan :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the time since when Government have under consideration a proposal to introduce morden communication service for the purpose of warning against dangeretc.

between the defence line on the Northern and Eastern borders of India and the air-defence radar stations; and

(b) the decision taken so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L N. Mishra) : (a) First consideration was given in 1964 to the installation of a modern Tropo Scatter Communication System.

(b) Tenders have been received from Bharat Electronics Limited and Department of Aomic Energy. These are under evaluation. tender has also been invited from the U S. Air Force. which is yet to be received. A final decision on the selection of the equipment is expected to be taken early in 1970.

Army Personnel Posted In Mountainous Areas

4243. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Defence be pleased to state the percentage of such personnel in the army who are fully equipped with light but long-range weapons and who are posted in high mountains and inaccessible terrains for the defence of the country ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L N. Mishra) : It is not in the public interest to disclose the information.

Running of an Atomic Reactor with Raw Uranium

4244. Shri Maharaj Sing Bharati : Wili the Prime Minister be pleased to state ;

(a) whether Government have decided to run an atomio reaetor with raw uraniu.n ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

खुली सामान्य लाइसेंस पद्धति के अन्तर्गत राज्य व्यापार निगम द्वारा ऊन का आयात

4245. डा० रानेन सेन : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ऊन मिल संघ ने सरकार से प्रार्थना की है कि ऊन उद्योग को खुली सामान्य लाइसेंस पद्धति के अन्तर्गत, जिसकी व्यवस्था राज्य व्यापार निगम द्वारा हो, कच्चे ऊन के आयात की अनुमति दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) विदेशी मुद्रा की कमी के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकार करना कठिन हो जायेगा । फिर भी इस प्रस्ताव पर पूरी तरह विचार किया जायेगा ।

जूट के सामान का उत्पादन

4246. **डा० रानेन सेन :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान जूट के सामान के उत्पादन में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) जूट के सामान के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) कच्चे माल की कमी, विदेशी बाजारों में पाकिस्तान के साथ प्रतिस्पर्द्धा और संश्लिष्टों के कारण ।

(ग) देश में पटसन की उपज तथा उत्पादन में वृद्धि और पटसन माल के निर्यात को बढ़ाने के लिए भी प्रत्येक सम्भव उपाय किये जा रहे हैं । कताई क्षमता बढ़ाने के लिए उद्योग से उपाय करने के लिये कहा गया है ।

भारत में "फास्ट ब्रीडर" रिएक्टर के निर्माण का प्रस्ताव

4247. **डा० रानेन सेन :** क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई "फास्ट ब्रीडर" रिएक्टरों के निर्माण की परमाणु शक्ति आयोग की एक योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) "फास्ट ब्रीडर" रिएक्टर की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(घ) इन रिएक्टरों के लाभ क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) . देश में फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों का निर्माण करने के कार्यक्रम के पहले चरण के अन्तर्गत एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को स्थापना मद्रास के समीप रिएक्टर रिसर्च सेन्टर के भाग के रूप में करने का प्रस्ताव है । सन् 1980 के बाद के दशक में बड़े आकार के जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लगाये जायेंगे उनकी स्थापना के लिए आवश्यक अनुभव इस टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त हो सकेगा ।

(ग) प्रस्तावित टेस्ट रिएक्टर की अनुमानित लागत 27.00 करोड़ रुपये है ।

(घ) फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में जितना विखंडनशील ईंधन खपता है उससे ज्यादा ईंधन इनमें पैदा हो जाता है । परिणामस्वरूप इस बात की बड़ी आशा है कि उनमें पैदा हुई परमाणु बिजली सस्ती पड़ेगी ।

स्विटजरलैंड से हालैंड तक एक गैर-सरकारी विमान में यात्रा करने वाले एक मंत्री के विरुद्ध शिकायत

4248. श्री मधु लिमये : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मंत्रिमंडल के एक मंत्री के विरुद्ध शिकायत मिली है, जिन्होंने फिलिप्स कम्पनी के एक गैर-सरकारी विमान में स्विटजरलैंड से हालैंड तक यात्रा की थी ;

(ख) क्या इस यात्रा के अभिप्राय तथा इस कम्पनी और इस मंत्री के मध्य संबंधों के बारे में भी जांच की गई थी ;

(ग) इस मंत्री का नाम तथा पद नाम क्या है ;

(घ) क्या उन्हें इस कम्पनी से कोई उपहार प्राप्त हुआ था ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ङ) . संभवतः यह प्रसंग विदेश व्यापार मंत्री की नीदरलैंड में इन्डहोवन की यात्रा के बारे में है । मंत्री महोदय का कहना है कि जब उनकी बेल्जियम-यात्रा के कार्यक्रम का पता चला तो मैसर्स फिलिप्स ने उन्हें पूर्व निमंत्रण के आधार पर आमंत्रित किया कि वे इन्डहोवन में उनका मुख्य कार्यालय देखने आएं । मैसर्स फिलिप्स (इन्डहोवन) इलेक्ट्रानिक्स और दूर-संचार के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों में से एक है और भारत में उत्पादन और निर्यात में उनका बहुत बड़ा हित है । उनके प्रतिनिधि को कहा गया था कि वह ब्रसेल्स में भारतीय राजदूत से संपर्क स्थापित करे ताकि इन्डहोवन की ढाई घंटे की यात्रा का प्रबंध हो सके । मंत्री महोदय नियमित अनुसूचित उड़ान से एम्सटरडम तक गए, लेकिन चूंकि इन्डहोवन तक कोई अनुसूचित हवाई सेवा नहीं है, इसलिए मंत्री महोदय ने बेल्जियम-स्थित भारतीय राजदूत से सलाह करके एम्सटरडम से इन्डहोवन तक और वहां से ब्रसेल्स तक छोटी उड़ानों के लिए फिलिप्स की हवाई सेवा का उपयोग किया ।

मैसर्स फिलिप्स ने मंत्री महोदय को एक छोटा-सा ट्रांजिस्टर रिकार्डर भेंट किया था । वह कीमत जांचने के लिए सरकार के तोशाखाने में भेज दिया गया है ताकि संबद्ध नियम के अनुसार उसका निबटारा किया जा सके ।

Proposal for Grant of Pension to Ex-Ina Soldiers

4249. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister fo Defence be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal to grant pension to the soldiers of Azad Hind Fauj on the lines of state Governments; and

(b) if so, the time by which the adove proposal will be implemented and the basis on which it will be done ?

The Minister of state in the Ministery of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b) . There is no proposal to grant pension to soldiers of the Ina, over and above the benefits already given by the Central Goverament in respect of their service in the Indian Army.

विकासशील देशों के लिये अधिमान व्यापार योजना के बारे में अमरीका और यूरोपीय साझा बाजार के बीच मतभेद के कारण हानि

4250. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री मयावन :
श्री रा० बरुआ :
श्री दंडपाणि :
श्री जि० ब० सिंह :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों के लिये अधिमान व्यापार योजना के मामले में अमरीका और यूरोपीय साझा बाजार के बीच जो मतभेद पैदा होता जा रहा है, उससे सबसे अधिक नुकसान एसियाई देशों का होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सबसे अधिक नुकसान भारत को होगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिये भारत का विचार एसियाई देशों का सम्मेलन बुलाने का है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). अधिमानों पर विशेष समिति में हुए करार के अनुसार, औद्योगिक रूप से उन्नत देशों ने अंकटाड सचिवालय को अपने प्रलेख प्रस्तुत किये है जिनमें प्रस्ताव निहित हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि वे अभी भी आपस में परामर्श कर रहे है जिनको ध्यान में रखते हुए उनके प्रस्तावों में संशोधन किया जा सकता है। अमरीका तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा किए गए प्रस्तावों द्वारा विकासशील देशों के लिए जो कठिनाइयां आयेंगी उन पर 77 देशों के समूह में एशिया, अफ्रीका तथा लातीनी अमरीका के विकासशील देशों के मध्य और साथ ही विकसित तथा विकासशील देशों के बीच परामर्शों के दौरान विचार किये जाने की सम्भावना है, जिनकी अधिमानों की विशेष समिति में 1970 के प्रारम्भ में शुरू होने की सम्भावना है।

तिब्बतियों का भारत में प्रवेश

4251. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री मयावन :
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री दंडपाणि :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो तीन महीनों में बड़ी संख्या में तिब्बती भारत आये है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने तिब्बती भारत आये हैं ; और

(ग) उनको क्या सुविधायें दी गई हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सितम्बर से नवम्बर 1969 तक की अवधि में 127 तिब्बती भारत चले आए।

(ग) इस मामले में जो हमारी नीति है, उसके अनुसार, जो लोग, प्रारंभिक रूप से पूछताछ करने के बाद, सही माने में शरणार्थी पाये गए, उन्हें भारत के विभिन्न पुनर्वास केन्द्रों में भेज दिया गया।

पाकिस्तानी नौसेना के लिये रूसी साज सामान

4252. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री मयावन :
श्री रा० बरुआ :
श्री दण्डपाणि :
श्री जि० ब० सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ सरकार ने पाकिस्तान को अपनी नौसेना को सुदृढ़ करने के लिये साज सामान सप्लाई किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस बारे में सोवियत संघ से विरोध प्रगट किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या हमारी कमजोर नौसेना को देखते हुए पाकिस्तानी नौसेना का सुदृढ़ होना भारत के लिये खतरा उत्पन्न नहीं करेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) इस विषय में कोई प्रामाणिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) तथा (ग) . प्रश्न नहीं उठते।

भारत के लिए रूसी "स्ट्राइक" नौकायें

4253. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री मयावन :
श्री रा० बरुआ :
श्री दण्डपाणि :
श्री जि० ब० सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की तटीय प्रतिरक्षा को दृढ़ बनाने के लिए भारत ने रूस से "स्ट्राइक" नौकाओं की सप्लाई करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो रूस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) कुल कितनी नौकाओं के लिए कहा गया है और रूस द्वारा कितनी नौकायें देने की सहमति प्रकट की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) . अन्य देशों को रक्षा साजसामान के अधिग्रहण से की गई प्रार्थनाओं का स्वरूप या उनके प्रतिकारों को प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

कश्मीर के प्रश्न पर आत्म निश्चय के बारे में उत्तरी वियतनाम द्वारा कथित समर्थन

4254. **श्री बलराज मधोक :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प० ला० बारुपाल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी वियतनाम सरकार ने कश्मीर के प्रश्न पर आत्म निर्णय के बारे में पाकिस्तान के दृष्टिकोण का एक बार फिर समर्थन किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हनोई को कोई विरोध-पत्र भेजा है अथवा वह हनोई सरकार के इस कार्य पर अपनी निराशा व्यक्त करने के लिये कोई अन्य कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) . इस संबंध में विदेश मन्त्री ने 4 दिसम्बर, 1969 को राज्य सभा में एक वक्तव्य दिया था । इस वक्तव्य की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2402/69]**

B.B.C. Television showing Indian Scenes of Poverty

4255. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that tragic scenes depicting India's poverty starvation, diseases and slums are shown on the Television in England by the B. B. C.;

(b) whether Government have framed certain rules for those foreigner who come to India for Film-shooting or whether the foreigners are permitted to take such photographs of their free will; and

(c) if no rules have been framed, the reason therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) B. B. C. Television documentaries regarding India's problems have recently attempted to show the size of the problems of India's development, with an accent on the difficulties faced by India.

(b) Yes, Sir, but these apply only to TV and film teams coming to India specifically for making documentary or feature films.

(c) Does not arise.

International Cooperation Conference in Nepal

4256. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the details of the conclusions arrived at in the International Conference held in Nepal; and

(b) the reaction of Government towards the prescribed subject 'role of cooperation' discussed in this conference which had been held under the suspices of the Nepal and Afro-Asian Rural Works Organisation ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The International Conference on Cooperative movement in Nepal arrived at the conclusion that the problem of financing agriculture should be taken up immediately under the cooperative system and the growth of cooperative sociaties should be adequately encouraged. It also expressed satisfaction at the withdrawal of legal recognition to traditional private money lenders by many countries in Asia and Africa. It appreciated HMG's small savings Schems and held the opeinison that such savings collected from the agriculturists should be diverted for development of cooperative societies. The conference felt that the measures of Land Reforms and Cooperative Development undertaken in several countries "were in the direction of economic democracy and social justice".

(b) The Conference concerned itself with the study of the cooperative movement in Nepal and Government of India have therefore no specific reaction to its conclusions. It is a matter for H. M. G. of Nepal.

राजस्थान नहर क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों के लिये भूमि

4257. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों को भूमि देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कितने भूतपूर्व सैनिकों को वहां भूमि दी गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री म० रं० कृष्ण) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में ध्यान लोकसभा में 18-12-1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 816 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

भारत द्वारा अन्य देशों से पनडुब्बियों की खरीद

4258. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी दस वर्षों में भारतीय नौसेना की शक्ति के बारे में निर्णय कर लिया है;

(ख) पनडुब्बियों की खरीद के लिये किन-किन देशों के साथ बातचीत चल रही है; और

(ग) क्या किसी पनडुब्बी में प्रक्षेपणास्त्रों की भी व्यवस्था होगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) (क) से (ग). नौसेना के लिए एक पंचवर्षीय योजना देश की चौथी पंचवर्षीय योजना के साथ चलने वाली योजना के तौर पर बनाई गई है। लम्बी अवधि की योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं।

पंचवर्षीय रक्षा योजना में पनडुब्बी कक्ष को सशक्त बनाने तथा नौसैनिक पोतों की फायर शक्ति में सुधार करने के भी उपबंध हैं। अधिक विस्तार देना लोकहित में न होगा।

पूर्ति तथा निबटान के अतिरिक्त महा-निदेशक का सेवाकाल बढ़ाना

4259. श्री भगवान दास :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री कं० हाल्दर :
श्री गणेश घोष :

क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1966 में पूर्ति तथा निबटान के अतिरिक्त महानिदेशक के सेवा-काल में 58 वर्ष की आयु के पश्चात् 2 वर्ष की वृद्धि तत्कालीन संयुक्त सचिव द्वारा दिये गये इस प्रमाणपत्र के आधार पर की गई थी कि उस अधिकारी के विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार का सामला नहीं है;

(ख) क्या यह पता लगा था कि तत्कालीन संयुक्त सचिव द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र निराधार है;

(ग) क्या उक्त संयुक्त सचिव ने गलत ब्यानी पर खेद प्रकट किया था; और

(घ) यदि हां, तो इन सभी बातों के होने के पश्चात् भी अतिरिक्त महा निदेशक के सेवा काल में वृद्धि क्यों की गई थी; तथा इन अधिकारियों के विरुद्ध यदि कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है तो क्या की गई है ?

पूर्ति मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) पूर्ति और निपटान के अतिरिक्त महानिदेशक के सेवा-काल में 58 वर्ष की आयु के पश्चात् 5 जनवरी, 1966 से 2 वर्ष की वृद्धि की गई थी। भ्रष्टाचार के मामलों से मुक्त होने का प्रमाण उपलब्ध था और इस सम्बन्ध में किसी संयुक्त सचिव द्वारा कोई गलत ब्यानी नहीं की गयी थी।

(ख), (ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पुराने क्रूजरों और विध्वंसक जहाजों को बदलना

4260. **श्री रवि राय** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय विश्व युद्धकाल के कुछ पुराने क्रूजर और विध्वंसक जहाज अब भी काम में आ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इनको कब तक बदलने का है और उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) नौसेना में प्रतिबदलों और उसे सशक्त बनाने के लिए नौसैनिक पोतों के निर्माण तथा अधिग्रहण का एक कार्यक्रम कुछ समय से चल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत में निर्माण किया गया पहला लीएंडर किस्म का फ्रिगेट 23 अक्टूबर, 1968 में जलावतरित किया गया था, और ऐसे अधिक फ्रिगेटों का निर्माण प्रायोजित किया गया है।

नेशनल लिबरेशन फ्रंट, दक्षिण वियतनाम के प्रतिनिधि-मंडल द्वारा भारत का दौरा

4261. श्री रवि राय : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वे होची-मिन्ह की अन्त्येष्टि के सम्बन्ध में अपनी हनोई यात्रा के समय दक्षिणी वियतनाम की अस्थाई सरकार के विदेश मंत्री मेडेम बिन से मिले थे;

(ख) क्या वे इस बात से सहमत हुए थे कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट का एक प्रतिनिधि-मंडल भारत आना चाहिये; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार और एन.एल.एफ. के कुछ सदस्य इस समय अफ्रो-एशियाई एकता संगठन तथा भारतीय शांति परिषद् के निमंत्रण पर भारत आए हुए हैं।

निर्यात व्यापार सम्वर्धन के लिए योजना

4262. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1967-68 और 1968-69 में निर्यात व्यापार के सवंर्धन के लिये कोई विशेष उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि में निर्यात के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). वर्ष 1967-68 और 1968-69 में सरकार ने निर्यातों को बढ़ाने के लिए जो अनेक उपाय किए थे वे अनुबन्ध (अंग्रेजी) में दिए गए थे।

(ग) वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

आसाम और नागालैंड में सीमावर्ती सड़कों का निर्माण

4263. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 और 1968-69 में आसाम और नागालैंड में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) उक्त अवधि में इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि नियत की गई थी;

(ग) वर्ष 1968-69 की समाप्ति तक कितने मील लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया; और

(घ) इन राज्यों में इस प्रयोजन के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 1967–68 और 1968–69 के दौरान (मिजो पहाड़ीमाला सहित) असम और नागालैंड में सीमा सड़कों के निर्माण के नियत किए गए लक्ष्य इस प्रकार थे :—

	नियत किए गए लक्ष्य	
	1967–68	1968–69
असम	(किलोमीटरों में)	
नई सड़कों की तलकटाई	138	130
वर्तमान सड़कों में सुधार	90	149
नागालैंड		—
नई सड़कों की तलकटाई	72	93

(ख) 1967–68 और 1968–69 के दौरान आसाम और नागालैंड में सभी निर्माण कार्यों के लिए आवंटित निधिएं नीचे दी गई हैं :—

	1967–68	1968–69
	(लाख रुपयों में)	
असम	661.44	736.52
नागालैंड	217.59	294.27

(ग) 31-3-1969 तक अन्तिम ब्यौरों के अनुसार तलकटाई और अनुमोदित सड़कों की कुल लम्बाइ इस प्रकार हैं :—

	असम	नागालैंड
	(किलोमीटरों में)	
अन्तिम ब्यौरे के अनुसार अर्थात् 20 फुट चौड़ाई की सड़कों की तलकटाई ।	439	298
वर्तमान सड़कों का सुधार	839	—

(घ) सीमा सड़क विकास बोर्ड का कार्यक्रम पचवर्षीय योजनाओं के कार्यक्षेत्र से अलग है ।

पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार

4264. श्री गाडलिंगन गौड : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेडियो पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के समाचार-पत्र भारत विरोधी प्रचार करते आ रहे हैं तथा हाल में उसमें अब और वृद्धि कर दी गई है;

(ख) क्या यह प्रचार ताशकंद करार के नियमों के विपरीत है;

(ग) क्या सरकार पाकिस्तान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करती आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो ताशकंद करार से लेकर अब तक इस संबंध में कितने पत्र भेजे गये हैं तथा पाकिस्तान सरकार का इस पर आम रवैया क्या रहा है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप विदेश मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पाकिस्तान के रेडियो से और उसके अखबारों में भारत विरोधी प्रचार जारी है।

(ख) और (ग). जी हां।

(घ) ठीक ठीक आंकड़े तत्काल सुलभ नहीं हैं, किन्तु वास्तव में काफी अधिक संख्या है। पाकिस्तान के रेडियो से और अखबारों में जो भारत विरोधी प्रचार होता है, उस पर पाकिस्तान सरकार ने अभी तक रोक नहीं लगाई है।

ब्रिटेन को भारतीय कपड़े के निर्यात में कमी

4265. **श्री हंश नारायण सिंह :**
श्री बुगल मंडल :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष ब्रिटेन का समुद्रपार से कपड़े के सबसे बड़े सप्लायर के रूप में हांगकांग ने भारत का स्थान ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों देशों ने कितने मूल्य का निर्यात किया; और

(ग) हांगकांग के भारत से आगे निकल जाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). 1969 के प्रथम 9 महीनों मे ब्रिटेन को हांगकांग से सूती वस्त्रों के निर्यात उस देश को भारत से हुए निर्यातों की तुलना में मूल्य के रूप में अधिक हैं परन्तु परिमाण के रूप में कम हैं। सांख्यिकी आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

जनवरी–सितम्बर, 69 की अवधि में ब्रिटेन को सूती कपड़ों के निर्यात—

	परि० (हजार वर्ग गज)	मूल्य (हजार पौंड)
भारत से	86,681	7,164
हांगकांग से	73,049	8,684

(ग) हांगकांग ब्रिटेन को भारत की अपेक्षा अधिक प्रतियोगी मूल्यों पर तैयार वस्त्र भेज सका।

जनेवा में "अंकटाड" के निदेशकों के नवें सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि

4266. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनेवा में 'अंकटाड' निदेशकों के नवें सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों के नाम क्या हैं;

(ख) सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये जिनसे विकासशील देशों को लाभ होगा; और

(ग) क्या भारत को कोई विशेष तथा महत्वपूर्ण लाभ होने वाला है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जनेवा में 'अंकटाड' निदेशकों की कोई बैठक नहीं हुई। सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत 'अंकटाड' के व्यापार तथा विकास बोर्ड के नवें अधिवेशन की ओर है। बोर्ड के इस अधिवेशन के भारतीय प्रतिनिधि राजदूत टी० स्वामीनाथन, अंकटाड में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। उनकी सहायता के लिए अन्य अधिकारी थे।

व्यापार तथा विकास बोर्ड के नवें अधिवेशन ने अभी अपना कार्य पूरा नहीं किया है। फरवरी, 1970 में फिर से एक अधिवेशन होगा जिसमें इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार किया जायेगा जैसे कि :—

(क) द्वितीय विकास दशाब्दी में अंकटाड का योगदान, (ख) विकसित देशों से विकासशील देशों को वित्तीय संसाधनों का अन्तरण और (ग) अधिमानों की सामान्य योजना पर की गई प्रगति। बोर्ड नौवहन तथा वस्तुओं सम्बन्धी समितियों द्वारा किए जा रहे कार्य पर भी विचार करेगा।

(ख) 26 अगस्त, से 15 सितम्बर, 1969 तक हुए नवें अधिवेशन में बोर्ड ने, अन्य बातों के साथ-साथ, एक संकल्प अपनाया, जिसमें विकासशील देशों के हित में अपारस्परिक तथा अभेदपूलक अधिमानों की योजना पर विचार करने हेतु स्थापित की गई अधिमानों सम्बन्धी विशेष समिति से, 1970 के आरम्भ में होने वाले बोर्ड के विशेष अधिवेशन में अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था। एक अन्य संकल्प द्वारा बोर्ड ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) से आग्रह किया कि वह निर्यात संवर्द्धन क्षेत्रों में सहायता के लिए अनुरोध पर विशेष ध्यान दें और आर्थिक तथा सामाजिक परिषद से अनुरोध किया कि संयुक्त राष्ट्र के निर्यात संवर्द्धन कार्यक्रम में विशिष्ट अभिकरणों तथा अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों के सक्रिय रूप से भाग लेने को बढ़ावा दें। बोर्ड ने अनुपूरक वित्तपोषण पर अन्तः सरकारी दल की सिफारिश का भी अनुमोदन किया और विश्व बैंक से अनुरोध किया कि वह एक ऐसी विवेकाधिकार प्रकार की योजना स्थापित करने की सम्भाव्यताओं का पता लगाए जिसका उद्देश्य निर्यात में गिरावट के कारण विकासशील देशों की विकास योजनाओं के विघटन को रोकना होगा और बोर्ड ने अदृश्य मदों व व्यापार से सम्बन्धित वित्तपोषण की समिति का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करने का भी विनिश्चय किया कि वह समुद्री बीमा अध्ययन को उच्च प्राथमिकता दे जिसमें विकासशील देशों के भुगतान संतुलन पर इसके प्रभाव का विशेष ध्यान रखा जाए। बोर्ड ने नौवहन तथा वस्तुओं सम्बन्धी अपनी समितियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में किए जा रहे कार्य की ओर भी ध्यान दिया।

बर्मा को पटरियों तथा रेलवे उपकरणों का निर्यात

4267. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा रेलवे संघ ने पटरियों तथा अन्य रेलवे उपकरणों की सप्लाई के लिये कुछ भारतीय फर्मों के साथ करार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो करारों का ब्योरा क्या है और वे भारतीय फर्में कौन सी हैं; और

(ग) कितना माल जहाज द्वारा भेजा जा चुका है और शेष माल कब सप्लाई किये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौ री राम सेवक) : (क) से (ग), बर्मा के विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण हो चुका है और आयात निविदायों के माध्यम से किये जाते हैं। सरकार साधारणतया भारत में निर्यातकों के व्यक्तिगत वाणिज्यिक सौदों के बारे में पृथक-पृथक जानकारी नहीं रखती। तथापि, वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी विभाग, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित विवरण के आधार पर गत दो वर्षों के दौरान बर्मा को निर्यात की गई पटरियों तथा कुछ प्रकार के रेलवे उपकरणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(मूल्य लाख रु० में)

मद का नाम	1967-68	1968-69
रेल पटरियां	कुछ नहीं	49.82
स्लीपर तथा अन्य ट्रैक सामग्री	0.90	3.50
रेल तथा ट्राम सवारी कारें जिनमें यन्त्र चालित वाहन शामिल नहीं हैं	कुछ नहीं	20.00
रेलवे कोच वर्क	10.00	52.83
रेल पुर्जे-अन्य	2.91	3.53

फरक्का बांध के बारे में बातचीत

4268. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध के बारे में पाकिस्तान के साथ हुई पिछली वार्ता के बाद उनसे कोई बातचीत अथवा पत्र व्यवहार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान के साथ इस बारे में समझौता होने की कुछ और सम्भावनायें हैं और क्या विशेषज्ञों की और कोई वार्ता होने की सम्भावना है;

(ग) बातचीत की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या कोई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस मामले में और आगे बातचीत जारी रखने का कोई लाभ है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार का विश्वास है कि इसकी सम्भावनाएं विद्यमान हैं और पूर्वी नदियों के बारे में सचिव के स्तर पर आगे बातचीत का इरादा है।

(ग) भारत की कुछ परियोजनाओं के बारे में और पूर्व पाकिस्तान की कुछ परियोजनाओं के बारे में तकनीकी सूचना के परस्पर आदान-प्रदान में कुछ प्रगति हुई है। पाकिस्तान अपनी परियोजनाओं में चूंकि बराबर ही कुछ-न-कुछ फेर-बदल करता रहता है, इसलिए अब भी महत्वपूर्ण खाइयां बनी हुई हैं, जिन्हें पाटने की जरूरत है। सरकार समझती है कि यह बातचीत दोनों पक्षों के लिए लाभदायक रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चौथी योजना में परमाणु शक्ति का उत्पादन

4269. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में परमाणु शक्ति के उत्पादन के लिये धन के नियतन के बारे में पुनर्विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित नियतन क्या है और अणु शक्ति विभाग के लिये अपना कार्यक्रम चालू रखना कहां तक सम्भव हो सकेगा ;

(ग) क्या योजना आयोग ने आर्थिक पहलू और अन्य बातों का कोई अध्ययन प्रारम्भ किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है और यदि यह पूरा हो गया है, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) . पूरी पंचवर्षीय योजना के लिए फिर से साधनों का निर्धारण किया जा रहा है। साधनों के निर्धारण के बाद, विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च के लिये नियत की गई धन-राशि का पुनरीक्षण करने के बारे में विचार किया जायेगा।

(ग) तथा (घ) . परमाणु बिजली के सस्तेपन तथा इससे सम्बन्धित अन्य पहलुओं के बारे में योजना आयोग शीघ्र ही परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ बातचीत करना चाहता है।

इटली के साथ व्यापार करार

4270. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने इटली का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त दौरे का क्या प्रयोजन था और क्या उक्त देश के साथ व्यापार करार पर हस्ताक्षर करने का उनका कोई इरादा था ;

(ग) क्या उनके और इटली सरकार के बीच एक पारस्परिक समझौता हुआ था और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या व्यापार करार पर हस्ताक्षर करने की कोई सम्भावना है और यदि हां, तो अब तक उस पर हस्ताक्षर न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ) . जी नहीं । 1959 के भारत इटली व्यापार करार के अन्तर्गत स्थापित भारत–इटली संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए, इस मंत्रालय का एक अधिकारी अक्तूबर, 1969 में इटली गया था । बैठक के सम्स्त कार्यवृत की एक प्रतिलिपि (अंग्रेजी मे) संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2403/69**]

हथकरघा उद्योग पर व्यय

4271. श्री एस० के० सम्बन्धन : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा उद्योग पर कितनी राशि खर्च की गई ;

(ख) उक्त राशि को खर्च करने का आधार अथवा कसौटी क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस उद्योग पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या के आधार पर इस सम्बन्ध में पुनरीक्षण करने का है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप–मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) 1968–69 में केन्द्रीय सरकार ने हथकरघा उद्योग पर 208.565 लाख रुपये व्यय किये ।

(ख) केन्द्रीय सरकार हथकरघा उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकारों को उनके द्वारा किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर सहायता की मंजूरी देती है । इस व्यय का 75 प्रतिशत राज्य सरकारों को दिया जाता है जिसमें 25 प्रतिशत ऋण के रूप में और 50 प्रतिशत अनुदानों के रूप में ।

(ग) जी नहीं

अग्रिम आयात लाइसेंसों का दिया जाना

4272. श्री एस० के० सम्बन्धन : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1–4–69 से अब तक निर्मिति वस्तुओं के सम्भावित निर्यात के बदले में कितने अग्रिम आयात लाइसेंस दिये गये ;

(ख) ऐसे अग्रिम लाइसेंसों के लिए कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने रद्द किये गये ; और

(ग) आवेदन-पत्रों के रद्द किये जाने के कारण क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा अग्रिम लाइसेंसों के लिए 86 आवेदन पत्र अनुमोदित किये गये हैं और संबद्ध पत्तन लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को अग्रिम लाइसेंस मंजूर करने के लिए हिदायतें दे दी गई है।

(ख) 1 अप्रैल, 1969 से अग्रिम लाइसेंसों के लिए लगभग 220 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। उनमें से, 91 आवेदन पत्र या तो अन्तिम रूप में या अस्थायी रूप में रद्द कर दिये गये थे। शेष आवेदन-पत्र पत्तन लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से सूचना अथवा अन्य संबद्ध विभागों से बलीयरेंस की प्राप्ति नहीं हुई है।

(ग) अग्रिम लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्रों की अस्वीकृति मुख्यत: निम्नलिखित एक अथवा एकाधिक कारणों पर आधारित है।

(1) आवेदन पंजीकृत निर्यातक नहीं हैं ;

(2) निर्यात किए जाने वाला उत्पादन पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के लिय पात्र नहीं;

(3) जिन मदों के लिए आवेदन किया गया है वे संबद्ध तकनीकी विभागों द्वारा स्वदेशी तथा आवश्यकता की दृष्टि से क्लीयर नहीं है ;

(4) निर्यात क्रयादेश जिसे पूरा करने के लिए अग्रिम आयात लाइसेंस मांगा गया है, के साथ अपरिवर्तनीय साखपत्र अथवा भुगतान का अन्य स्वीकार्य ढंग नहीं है ;

(5) प्रायोजन प्राधिकारी तथा समिति अनुभव करती है कि आवेदन को विगत निर्यात निष्पादन अथवा उनकी निर्माण क्षमता अथवा पूर्ववृत्तों से एक अग्रिम लाइसेंस प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं होता ;

(6) समिति को निर्यात क्रयादेश की प्रामाणिकता अथवा विदेशी खरीददार की स्थिति के सम्बन्ध में शंका है ;

(7) निर्यात क्रयादेश को पूरा करना लाभ, विदेशी मुद्रा उपार्जन आदि के रूप में संतोषजनक नहीं समझा जाता।

अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का हथकरघा निर्यात संवर्धन के साथ विलय

4273. श्री एस० के० सम्बन्धन : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड और हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद् के विलय के प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) कब इसे अन्तिम रूप दिये जाने और कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड तथा हथकरघा निर्यात संवर्द्धन परिषद् को मिलाने का इस समय कोई विचार नहीं है।

Children Hospital in Kabul

4274 Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether any progress has been made in respect of the Children Hospital which was to be consrtcuted in Kabul in collaboration with India; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) (a) and (b). The construction of the 100 bed children's hospital is going on steadily and it is expected to be commissioned, on schedule, in the first week of December, 1970.

केरल में राकेट केन्द्र

4275. श्री अद्वाकर सूपकार : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के राकेट केन्द्र से कितने राकेटों को सफलतापूर्वक छोड़ा गया है ;

(ख) ड्रैंगन राकेट के निर्माण की लागत कितनी है ; और

(ग) राकेट में कितने प्रतिशत पुर्जे आयातित होते है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 69

(ख) तथा (ग). ड्रैंगन राकेटों का उत्पादन भारत में नही किया जा रहा है। सितम्बर, 1969 में थुम्बा से जो राकेट छोड़ा गया था वह फ्रांस ने एक पारस्परिक सहयोग व्यवास्था के अन्तर्गत मुफ्त दिया था।

कलकत्ता मैदान का नया नाम रखना

4276. श्री समर गुह : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री से कलकत्ता मैदान (शहीद मीनार मैदान) का नाम बदल कर नेता जी मैदान रखने के बारे में कोई ज्ञापन या अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) ऐसा कोई स्मरणपत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता, परन्तु स्थिति का पुष्टिकरण किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नही उठता।

राज्यों में राष्ट्रीय छात्रसेन दल का प्रशिक्षण कार्यक्रम पुन: आरम्भ करना

4277. श्री बे० कु० दास चौधरी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों में राष्ट्रीय छात्रसेना दल प्रशिक्षण कार्यक्रम को फिर से चालु करने के राज्य सरकार के सूत्र को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री म० रं० कृष्ण) : (क) तथा (ख) . सूचना शायद तामिलनाडु मे एन० सी० सी० को फिर से शुरू करने के संबंध में मांगी गई है । जैसा कि लो० सभा में 26 नवम्बर 1969 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1549 के उत्तर में बताया गया है तामिलनाडु में एन० सी० सी० को पुन: चालू करने के लिए निम्न फार्मूला स्वीकार किया गया है :—

1. (1) छात्र अंग्रेजी के कमान शब्दों द्वारा प्रशिक्षित किए जाएंगे ;
   (2) हिन्दी के समतुल्य शब्द सिखाए जाएंगे ताकि छात्र दोनों भाषाओं में किसी भी परेड में दक्षतापूर्वक भाग ले सकें ।
2. एन० सी० सी० में स्वैच्छिक आधार पर भाग लिया जाएगा ।

कोसीगिन-चाऊ के बीच बैठक

4278. श्री बे० कु० दास चौधरी : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत सितम्बर, 1969 में रूस के विदेश मंत्री तथा भारत के विदेश मंत्री के बीच मास्को में हुइ वार्ता के दौरान पेकिंग में हुई कोसीगिन–चाऊ बैठक के बारे में कोई उल्लेख किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) . यह बातचीत गोपनीय प्रकृति की थी और इस प्रकार की बातचीत को बतलाने की प्रथा नहीं है ।

रूमानियां के साथ व्यापार वार्ता

4279. श्री बे० कु० दास चौधरी : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा रूमानिया के बीच वर्ष 1969 के अक्तूबर में व्यापार वार्ता हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसमें क्या निर्णय किये गये ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) . जी हां । अक्टूबर, 1969 में रूमानिया के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई व्यापार वार्ताओं के फल-

स्वरूप 14 अक्टूबर, 1969 को एक संलेख पर हस्ताक्षर किए गए। संलेख की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध करा दी गई है।

जंगली जीवों के निर्यात पर प्रतिबन्ध

4280. श्री यशपाल सिंह : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार जंगली जीवों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय की घोषणा कब की जायेगी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) . इस प्रकार पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि जंगली जीवों को बिलकुल नष्ट होने से बचाने के लिए, उनकी कई किस्मों के निर्यात पर पहले से ही रोक लगा दी गई है। देश में उपलब्ध जंगली जीवों की किस्मों के सम्बन्ध में निर्यात अनुमति सीमित आधार पर दी जा रही है; जिसकी उच्चतम सीमा अथवा अन्य शर्तें समय-समय पर निर्धारित की जाती है। एक सूची, जिसमें निर्यात के लिए प्रतिबन्धित मदें तथा सीमित आधार पर निर्यात के लिए अनुमति प्राप्त मदें दिखाई गई हैं, क्रमशः निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 1 के भाग 1 तथा भाग 2 में दी गई है। अन्य किस्मों, जोकि उपयुक्त आदेश मे शामिल नहीं है, के निर्यात की अनुमति लाइसेंस लेने की औपचारिकताओं के बिना ही दी जाती है।

उड़ीसा से निर्यात की सम्भावनाएं

4281. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा से निर्यात सम्भावनाओं का अध्ययन करने हेतु कुछ अधिकारी भेजे थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) . जी, नहीं। उड़ीसा राज्य सरकार के कहने पर, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने उस राज्य का एक निर्यात क्षमता सम्बन्धी सर्वेक्षण किया जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट वित्त वर्ष के अन्त तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है।

Export of Kowi and Fish

4282. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Kowi and fish procured from Kerala State are exported every year;

(b) if so, the income earned from their export during 1967-68 together with the names of countries to which they were exported; and

(c) the amount given to the Kerala State out of that income during the last three years, year-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b) The term 'Kowi' is not identifiable but the export of marine products on the basis of shipments made ex-Cochin and Calicut Ports during the year 1967-68 has been of the order of Rs 16.75 crores and the bulk of export has been to U. S. A., Japan, France, Australia, Belgium, Italy, West Germany, East Germany, Netherlands, U. K., Switzerland, Denmark, Sweden, Canada, Hongkong and Kuwait.

(c) Central assistance to States is given on various other considerations and it not linked with the foreign exchange earned by them.

Disparity in Pay of Indian Employees in Nepal

4283. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the workers working in the East-West Highway under the Indian Co-operation Mission in Nepal are getting salaries and other facilities as per the instruction contained in Ministry of External Affairs Circular No F. 1(2)-FD (EAI)/61/1/99, dated the 29th June, 1969;

(b) whether it is also a fact that the workers of Chatra Canal Project under the said Mission are being denied the above facilities; and

(c) if so, the reasons therefor and the time by which Government propose to end this discrimination ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The salaries and allowances of India-based personnel working on the East-West Highway in Nepal are governed by the Ministry of External Affairs letter No. F. 5/2/61-NA, dated 19. 8. 1953 as amended from time to time.

(b) and (c) The personnel engaged on the Chatra Canal Project belong to the Government of Bihar who are executing this Project. Their pay and allowances are fixed by the State Government.

Threat to Pak. Minorities near Rajasthan Border

4284. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shri Chand Goyal :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Hindus living in Pakistan territory near Rajasthan border are being tortured;

(b) whether it is also a fact that they are being asked to leave the terriotory or change their religion;

(c) whether it is further a fact that incidents of assaulting them and looting their property have increased; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) (b) and (c) . Thirty Hindu families of Mirpur Khas, were served showcause notices to prove their nationality and also to show cause why action should not be taken against them for illegally staying in Pakistan. There are no other recent reports of Hindus in West Pakistan being presecuted.

(b) The Government is aware that the minorities in Pakistan live under a sense of insecurity and attention of the Pakistan Government has been repeatedly drawn by us towards its obligation to the minorities.

कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए राज्यों द्वारा सेना की सहायता मांगना

4285. श्री मंगलाथुमाडोम : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में राज्यों में कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए असैनिक प्राधिकारियों की सहायता करने को कितनी बार सेना बुलाई गई थी; और

(ख) क्या राज्य सरकारों को इस बारे में कहा गया है कि ऐसे अवसरों पर सेना की मांग करने के लिए कोई निश्चित समय निर्धारित किया जाना चाहिए ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) दस ।

(ख) अमन अमान बहाल करने के लिए सशस्त्र सेनाओं द्वारा सहायता के लिए प्रार्थना असैनिक प्राधिकरणों द्वारा उनकी स्थिति के निर्धारण के आधार पर की जानी होती है। इसके लिए प्रक्रिया, क्रिमिनल प्रोसीजर के कोड की धाराओं 129 से 131 में दी गई है।

पूर्व यूरोप के देशों में चमड़े और खालों की मांग

4286. श्री मंगलाथुमडोम : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि पूर्व यूरोप के देशों में हमारे देश के चमड़े और खालों की बहुत मांग है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय द्वारा किसी चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् की स्थापना की गई है; और

(ग) यदि हां, तो चमड़े और खालों के निर्यात के संवर्धन के लिए परिषद् ने अब तक क्या कार्य किया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) प्रदर्शनियों तथा मेलों में भाग लेने के अतिरिक्त, परिषद ने विदेशी बाजारों के स्थलीय अध्ययन हेतु बिक्री-सह-अध्ययन दल भेजे और शोधित खालों तथा चर्म का, जिसमें पूर्वी भारत का शोधित चमड़ा भी शामिल था, बाहर के देशों में प्रचार किया।

Soviet maps showing Indian Territory as a part of other Countries

4287. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during his visit to U. S. S. R. in September, 1969, he had drawn the attention of the Government of U.S.S.R. to various Russian maps in which large part of Indian territory has been shown as part of other countries;

(b) if so, the reaction of U.S.S-R. Government thereto;

(c) the dates on which the first and the last requests were made in this regard

(d) whether the Russian maps have since been amended accordingly; and

(e) if not, the further action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) . The talks were of a confidential nature and it is not the practice to disclose the details of such talks.

(c) The attention of the Soviet Government has been drawn to the discrepancies in the maps showing the Sino-Indian border from April. 1956 to the present time.

(d) No, Sir.

(e) The matter is constaintly engaging Government's attention and we continue to press our point of view with the Soviet authorities.

Export of Ferrous Scrap

4288. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that inspite of the increase in demand and price of ferrous scrap in the International market, India is not likely to export more than 3.75 lakh tones of ferrous scraps during the current year as against the export of 5 lakh tons last year and about 6 lakh tons in 1967; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b) Exports of ferrous scrap during the last 3 years are as follows:—

	Tonnes	Value (Rs. Crores)
1967–68	5,36,461	Rs. 10,94 crores
1968–69	4,88,594	Rs. 8.24 crores
1969–70 (Apr.-Sept.)	2,09,703	Rs. 4.00 crores

It is estimated, exports for the whole of the current year would be approximately 4,70,000 tonnes valued at about Rs. 9/· crores.

Export of ferrous scrap is controlled and canalised through Metal Scrap Trade Corporation. According to the current policy exports of only those varieties and to the extents as are surplus to our requirements, are permitted for export. Slight fall in exports, therefore, is attributed to increase in domestic demand.

विदेशों में व्यापार प्रतिनिधि

4289. **श्री अनिरुद्धन :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने देशों में हमारे प्रतिनिधि व्यापार सलाहकार उच्चायोग उन देशों के साथ हमारे व्यापार सम्बन्ध सुदृढ़ करने के लिए राजकीय व्यापार निगम की ओर से कार्य करते हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : भारतीय व्यापार प्रतिनिधि/सलाहकार/उच्च-आयुक्त किसी भी परराष्ट्रीय देश में राज्य व्यापार निगम की ओर से कार्य नहीं करते हैं। परन्तु वे अपने अपने अधिकार-क्षेत्र में विदेशों के साथ व्यापार संवर्धन के लिए राज्य व्यापार निगम को आवश्यक सहायता देते हैं ,

संसद सदस्यों के सद्भावना शिष्टमंडलों की विदेश यात्रा

4290. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बलराज मधोक :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आगामी अन्तर सत्रावधि के दौरान कुछ देशों को सद्भावना शिष्ट मंडलों के रूप में संसद् सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल भेजने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ये प्रतिनिधि मंडल किन देशों को भेजे जाने की सम्भावना है; और

(ग) इन प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार करीब सात-सात संसद सदस्यों के छः प्रतिनिधिमण्डल भेजने का विचार कर रही है।

(ख) ये प्रतिनिधि मंडल सम्भवतः निम्नलिखित देशों को भेजे जाएंगे :—

(1) मारिशस–मदगास्कर–जंबिया–मलावी–तंजानिया।
(2) बर्मा–थाईलैंड–मलयेशिया–सिंगापुर–इंडोनेशिया–श्रीलंका ।
(3) सऊदी अरब–सीरिया–लेबनान–इराक–तुर्की ।
(4) संयुक्त अरब गणराज्य–लीबिया–तूनीसिया–अल्जीरिया–साइप्रस ।
(5) उगांडा–कीनिया–इथोपिया–सोमालिया–सूडान ।
(6) अफगानिस्तान–ईरान–कुवैत–दक्षिण यमन–बहरिन ।

(ग) पहले की तरह ही कोशिश की जाएगी कि ये प्रतिनिधिमंडल यथासम्भव प्रतिनिधिक हों ।

अमरीकी मन्डी में कालीनों के नीचे बिछाई जाने वाली पटसन की पट्टी की मांग में कमी

4291. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी बाजार में कालीनों के नीचे बिछाई जाने वाली पटसन की पट्टी की मांग हाल में कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उत्पादन, निर्यात पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है और भारतीय पटसन उद्योग को कितना लाभ मिल जाता है;

(घ) पारियों के बन्द होने के कारण कितने मजदूरों की जबरी छुट्टी होने अथवा छंटनी किये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) संकट का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) . पटसन कालीन अस्तर के निर्यातों की संविदाओं के पंजीकारण की प्रवृत्ति से यह संकेत मिलता है कि मांग में कुछ शिथिलता सम्भवतः अलाभकर मूल्यों के कारण हुई है ।

(ग) से (ङ) निर्यातों की समीक्षा किये जाने पर, 10 दिसम्बर 1969 से पटसन कालीन अन्तर पर निर्यात शुल्क 600 रुपये प्रति मे० टन से घटाकर 300 रुपये प्रति मे० टन कर दिया गया है । उद्योग ने भी मूल्यों को 300 रुपये प्रति मे० टन और कम कर दिया है । इसके परिणामस्वरूप मांग बढ़ने की सम्भावना है । पटसन की मिलों में मजदूरों की जबरी छुट्टी अथवा छंटनी किये जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

इजरायल को इस्पात का निर्यात

4292. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजरायल भारत से इस्पात का आयात करने का प्रयास कर रहा था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उसकी मांग को पूरा न करने के क्या कारण है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) इस सम्बन्ध में सरकार को कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है।

(ख) इजरायल के साथ व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा इजरायल को इस्पात के निर्यात हेतु प्राप्त की गई किसी भी आफर को उन्हीं के द्वारा सामान्य वाणिज्यिक प्रचलन के अनुसार निपटाया जाएगा ।

भारतीय कस्बों में चीनी वस्तुओं के स्रोत

4293. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से भारतीय कस्बों में चीनी वस्तुएं खुले आम बेची जा रही हैं; और

(ख) क्या ये वस्तुएं चीनी दूतावास के माध्यम से आ रही हैं अथवा किसी अन्य माध्यम से ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) . सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ चीनी वस्तुएं कुछ भारतीय कस्बों में बेची जा रही हैं। तथापि, सरकार को इन वस्तुओं के आने के स्रोत के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है।

भारतीयों पर धन भेजने पर रोक

4294. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीका तथा एशिया के कुछ देशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को व्यापार करने में कठिनाइयां हो रही हैं;

(ख) क्या कुछ देशों ने भारतीयों द्वारा अपनी आय को भारत भेजने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) पूर्व और मध्य अफ्रीका के कुछ देशों ने वाणिज्य और नियोजन का "अफ्रीकीकरण" करने के लिए वैधानिक और अन्य उपाय किए हैं जिससे उन देशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों तथा दूसरे देशों के राष्ट्रिकों पर प्रभाव पड़ा है।

(ख) इनमें से कुछ देशों ने विदेशी मुद्रा सम्बन्धी ऐसे विशेष विनियम बनाए हैं जिनके अनुसार कोई विदेशी किसी दूसरे देश को धन नहीं भेज सकता।

(ग) जब कभी आवश्यक होता है, निहित राजनीतिक, आर्थिक, मानवीय और कानूनी पक्षों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार उनकी ओर से हस्तक्षेप करती है, ताकि इस बात का सुनिश्चय हो जाए कि उनके साथ उचित व्यवहार हो और उनके साथ भेदभाव न बरता जाए।

पाकिस्तान द्वारा सहजधारी सिखों को ननकाना साहिब जाने की अनुमति न दी जानी

4295. श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री न० रा० देवधरे :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प० ला० बारुपाल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने गुरु नानक की पांचवी जन्म शताब्दी के अवसर पर 'सहजधारी' सिखों को ननकाना साहिब जाने की अनुमति देने की भारत सरकार की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) क्या उसने 'निरंकारी' सिखों से प्राप्त बीजों की समय सीमा बढ़ाने के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में भारत द्वारा की गई प्रार्थना को भी अस्वीकार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) सरकार पाकिस्तान सरकार के इस रवैये पर खेद प्रकट करती है, जो इस मामले पर हुए 1953 और 1955 के भारत-पाक समझौते का उल्लंघन है।

संसद सदस्यों की विदेशी यात्राएं

4296. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) संसद् की गत अन्तरसत्रावधि में कितने और कौन-कौन से संसद् सदस्यों ने किन-किन देशों का दौरा किया और उनके दौरे के प्रयोजन क्या थे; और

(ख) उनमें से प्रत्येक सदस्य को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) और (ख). आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

फास्फेट का आयात

4297. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरब-इज़राइल और स्वेज़ नहर के बन्द हो जाने के पश्चात् भारत अपेक्षित मात्रा में फास्फेट आयात करने में कठिनाई अनुभव कर रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि यदि भारत हाल के रबात सम्मेलन के परिणामस्वरूप दो अरब राष्ट्रों अर्थात् जार्डन और मोराक्को के साथ अपने फास्फेट करार को समाप्त कर देता है, तो कठिनाइयां और बढ़ सकती हैं;

(ग) क्या भारत को फास्फेट की सप्लाई के ये दोनों देश ही मुख्य साधन रहे हैं;

(घ) देश में इसके संसाधनों का पता लगाने के लिए अब तक क्या प्रयत्न किये गये हैं, और उनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) इसकी आवश्यकता पूरी करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). जी नहीं।

(ग) गत कुछ वर्षों में जोर्डन हमारा प्रमुख संभरक रहा है। मोराक्को से आयात पर्याप्त नहीं है।

(घ) स्वदेशी निक्षेपों का देश के कुछ भागों में पता लगाया गया है। नवम्बर के अंत तक उत्पादन लगभग 6000 मे० टन प्रतिदिन है और आशा है कि आगामी वर्ष के मध्य तक बढ़कर यह 2000 मे० टन प्रतिदिन हो जायेगा। ऐसा अनुमान है कि 1972-73 तक उत्पादन 1,000,000 मे० टन हो जायेगा।

(ङ) विदेशों से राक फास्फेट की सप्लाई के लिए पहिले ही सम्पन्न की गई संविदाएं, चालू वर्ष के लिए हमारी सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माल के प्राप्त करने में किसी कठिनाई की संभावना नहीं है।

पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में चीन की सहायता से सड़क का निर्माण

4298. **श्री बेगोशंकर शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में चीन की सहायता से सड़क निर्माण करने की पाकिस्तान की कार्यवाही का भारत ने विरोध किया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या दोनों देशों के बीच इस बारे में हुए पत्र-व्यवहार की एक प्रति सरकार सभा पटल पर रखेगी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) और (घ). हमारे विरोध-पत्र, पाकिस्तान के उत्तर और हमारे प्रत्युत्तर की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2405/69**]

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कच्चे पटसन की खरीद

4299. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल्य के स्तर को बनाये रखने के लिये इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन ने जूट बफर स्टाक एसोसिएशन के माध्यम से कच्चा पटसन खरीदने की इण्डियन जूट मिल्ज़ एसोसिएशन की योजना को समाप्त कर राज्य व्यापार निगम के द्वारा कच्चे पटसन की खरीद की व्यवस्था करने के सरकार के निर्णय पर हाल ही में रोष व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर यह निर्णय करने से पहले इण्डियन जूट मिल्ज़ एसोसिएशन के साथ परामर्श किया था ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन ने, इस वर्ष से राज्य व्यापार निगम को ही पटसन मूल्य समर्थन का कार्य चालन सौंपने से सम्बन्धित सरकार के विनिश्चय के विरुद्ध अभ्यावेदन दिये हैं।

(ख) तथा (ग) जी नहीं।

प्रशुल्क आयोग द्वारा पटसन की वस्तुओं के मूल्य ढांचे की जांच

4301. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि सरकार ने पटसन की वस्तुओं की कुछ किस्मों के मूल्य ढांचे की परीक्षा जांच करने के लिए प्रशुल्क आयोग को कहा है;

(ख) तो क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है, और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो आयोग कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). आयोग ने पटसन कालीन अस्तर कपड़ा सम्बन्धी अपना प्रारम्भिक प्रतिवेदन दे दिया है और इस पर विचार हो रहा है। आयोग द्वारा कालीन अस्तर तथा पटसन के अन्य माल पर अपना संपूर्ण प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

सूडान को भारतीय माल डिब्बों की बिक्री और अन्य देशों के साथ सहयोग

4302. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूडान तथा नाइजीरिया, जाम्बिया और घाना जैसे कई अन्य देशों को भारतीय माल डिब्बे बेचने के सम्बन्ध में तथा उनके साथ सहयोग करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उपरोक्त देशों के साथ सहयोग का स्वरूप क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). राज्य व्यापार निगम को 120 माल डिब्बे सूडान भेजने के लिए एक क्रयादेश प्राप्त हुआ है। इस आदेश के निष्पादन में किसी प्रकार का विदेशी सहयोग शामिल नहीं है। नाइजीरिया, जाम्बिया तथा घाना से अभी तक कोई क्रयादेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

बागान उद्योग

4303. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहली पंचवर्षीय योजना के समय से बागान उद्योग में स्वामित्व के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इसे रोकने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इसमें कितनी सफलता मिली हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में इनकी स्थिति तुलना में इस समय कितने एकड़ बागान भूमि भारतीयों के अधिकार में है और कितने एकड़ भूमि गैर-भारतीयों के अधिकार में है, भारतीय तथा गैर-भारतीय लोगों के स्वामित्व में बागानों में कितनी-कितनी पूंजी लगी हुई है, दोनों में कितने-कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है, भारतीय तथा गैर-भारतीय बागान मालिकों द्वारा कितना-कितना लाभ कमाया गया है, दोनों श्रेणियों के मालिकों के अधीन कितनी-कितनी चाय पैदा होती है, दोनों द्वारा पृथक्-पृथक् कितनी चाय का निर्यात किया जाता है और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है ।

साम्यवादी चीन के साथ व्यापारिक सम्बन्ध

4304. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि भारत का अब भी साम्यवादी चीन के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). 31 दिसम्बर, 1959 को भारत तथा चीन के बीच व्यापार करार की समाप्ति के बाद दोनों देशों के मध्य व्यापार उत्तरोत्तर घटता गया और अब वह शून्य है ।

फारमोसा के साथ व्यापार सम्बन्ध

4305. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के फारमोसा के साथ व्यापार सम्बन्ध है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो व्यापार सम्बन्ध कब समाप्त हो गये थे ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). भारत ने तैवान की हकूमत को मान्यता प्रदान नहीं की है । फिर भी जहां तक व्यापार का सम्बन्ध है भारत और तैवान की पार्टियों के बीच व्यापार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

Number of Employees in Ordnance Factories

4306. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3412 on the 13th August, 1969 regarding total number of employees in Ordnance Factories and state :

(a) whether the requisite information asked for has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the time by which it is likely to be laid on the Table ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) **Yes.**

(b) The number of employees whose services were terminated during the last two years on account of their wrongful activities is as follows :--

Officers	...	Nil
Other Employees	...	
Civil		685
Military		Nil

(c) Does not arise.

केन्द्रीय रेशम कीट पालन अनुसंधान केन्द्र बरहामपुर के निदेशक के विरुद्ध आरोप

4307. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम कीट पालन अनुसंधान केन्द्र, बरहामपुर (पश्चिम बंगाल) के अराजपत्रित कर्मचारियों के संघ ने सरकार को एक ज्ञापन पत्र दिया है जिसमें उक्त अनुसंधान केन्द्र के वर्तमान अनुसंधान निदेशक के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). अनुसंधान केन्द्र के प्रशासनिक मामलों से सम्बन्धित शिकायतों, कठिनाइयों को व्यक्त करने वाले, संघ द्वारा पारित एक संकल्प की एक प्रतिलिपि वैदेशिक व्यापार मंत्रालय को भेजी गई थी। संघ को मान्यता प्राप्त नहीं है और यद्यपि सरकार द्वारा मान्यता न प्राप्त संघों के प्रस्तावों पर कार्यवाही नहीं की जाती। फिर भी लोक हित को देखते हुए इस केन्द्र के निदेशक का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

जापान को लौह अयस्क के निर्यात के लिये दीर्घकालीन करार

4308. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत द्वारा जापान को 1256 लाख टन लौह अयस्क का निर्यात करने के लिये, उसके साथ एक दीर्घकालीन करार किये जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी वस्तु का मूल्य ढांचा विशेष रूप से लौह अयस्क और इस्पात जैसी युद्ध के महत्व की वस्तुओं का मूल्य ढांचा, उक्त करार के लागू रहने की कई वर्षों की सम्भावित अवधि में स्थिर नहीं रह सकता, हमारे हितों के संरक्षण के लिये पर्याप्त सावधानी बरती गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ), खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा जापानी इस्पात मिलों को 15 वर्ष की अवधि (1970 से 1984 तक) में लगभग 21.5 करोड़ टन लौह अयस्क की पूर्ति की पेशकश की गयी है। उपरोक्त पेशकश में विश्व बाजार के मूल्यों के चालू रुख तथा सम्भावित परिवर्तनों का ध्यान रखते हुए पहले 10 वर्षों के दौरान सम्भरण हेतु निर्धारित मूल्य उद्धत किये गये हैं।

कीनियाई भारतियों को बसाने सम्बन्धी भारत ब्रिटिश करार के उपबन्ध

4309. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उस भारत-ब्रिटिश करार की मुख्य बातें क्या हैं जिसके अन्तर्गत कीनिया से निकाले गये भारतीय स्थायी तौर पर बसने के लिये भारत आ सकते हैं जबकि उनमें से कुछ को ब्रिटेन में जाने का अधिकार है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : भारतीय मूल के ब्रिटिश पासपोर्टधारी जिन व्यक्तियों को कीनिया छोड़ने पर मजबूर किया गया था और जो भारत आना चाहते थे, उनके बारे में भारत और ब्रिटेन के बीच हुए प्रबन्धों की मुख्य-मुख्य बातें उस प्रेस विज्ञप्ति में बताई गई है जो 7 अगस्त 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 379 के उत्तर में सदन की मेज़ पर रखी गई थी।

लातीनी अमरीकी देशों से आयात तथा उनको निर्यात

4310. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक लातीनी अमरीकी देश से भारत में किन-किन मदों का आयात किया गया और भारत से प्रत्येक लातीनी अमरीकी देश का किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया गया ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें विगत तीन वर्षों में लातीनी अमरीकी देशों से किये गये आयात तथा उन देशों को हुए निर्यात दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया : देखिये संख्या एल० टी० 2406/69**]

बड़े विमानों को ठहराने के उद्देश्य से बम्बई में विमान शाला (हैंगर) का निर्माण

4311. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े विमानों को ठहराने के उद्देश्य से बम्बई में जो विमान शाला बनाई जा रही है उसके निर्माण-कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) वह कब तक पूरी हो जाएगी तथा उस पर कितनी लागत लगेगी ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) विमानशाला का निर्माण 10-11-1969 को आरम्भ कर दिया गया था और बुनियाद पर कार्य अब प्रगतिशील है।

(ख) विमानशाला का निर्माण मध्य नवम्बर 1970 तक सम्पूर्ण होना प्रत्याशित है। इसकी लागत लगभग 55 लाख रुपये है।

Merger of Gujar dominated areas of Pakistan with India

4312. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a demand for merger of Gujar-dominated areas of Pakistan with India has been made to Government ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) Governments reactions thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government are not aware of any such demand.

(b) and (c) . Do not arise.

हंगरी को माल डिब्बों की सप्लाई

4313. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छः महीनों से अधिक समय पहले हुए संलेख के अनुसरण में हंगरी को सप्लाई किये जाने वाले रेलवे माल डिब्बों के मूल्य को लेकर उस देश के साथ बातचीत में गतिरोध उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह गतिरोध का वास्तविक स्वरूप क्या है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस गतिरोध को दूर करने तथा संलेख के अनुसार, माल डिब्बों की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) . प्रश्न नहीं उठते।

टेलीविजन सैटों का निर्माण

4314. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री क० लकप्पा :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिये कितने लाइसेंस दिये गये हैं और विभिन्न परियोजनाएं इस समय किन अवस्थाओं में हैं ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक गैर-सरकारी क्षेत्र में वार्षिक उत्पादन कितना हो जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या यह सच है कि टेलीविजन सेटों के मूल्य पहले से ही अधिक है और यदि हां, तो विभिन्न उपक्रमों द्वारा टेलीविजन सेटों के मूल्य कम करने और उन्हें पूर्णतया देशीय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) (10000 टी० वी० वार्षिक के लिए) 4 संगठित क्षेत्र में दो और छोटे पैमाने की फर्मों की दो कन्जेर्टिया (प्रत्येक 5000 टी० वी० सेटों के लिए फर्में . 30000 टी० वी० सेट वार्षिक निर्माण के लिए क्षमता स्थापित कर रही है। संगठित क्षेत्र में एक फर्म जनवरी 1969 से 1000 से अधिक सेट पहले से निर्माण कर चुकी है, और इसी क्षेत्र में एक फर्म, आशा है अगले वर्ष के शुरू में उत्पादन शुरू कर देगी। दो कन्जोर्टिया आवश्यक साज सामान आयात कर रही है, और यह आशा है कि अगले वर्ष के मध्य में उत्पादन शुरू कर देंगी।

(ख) नए टी० वी० स्थानों की स्थापना के कार्यक्रम को सामने रखते हुए, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान टी० वी० सेटों की मांग एक मार्केट सर्वेक्षण के माध्यम से निर्धारित की जा रही है, और प्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षमता स्थापित की जाएगी।

(ग) भारतीय टी० वी० सेटों की कीमतें आयात सेटों की कीमतों से अनुकूलता पूर्वक लगा सकती हैं। इलेक्ट्रानिकी संघटकों का सहज उत्पादन और टी० वी० सेटों का उत्पादन कीमतों को क्रमशः नीचे लाएगें। संघटकों का उत्पादन स्थापित करने के लिए कि जो इस समय आयात किये जाते हैं, कार्य हस्तगत है।

प्रादेशिक सेना

4315. श्री यशपाल सिंह : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक सेना को अधिक आकर्षक बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ; और

(ग) निर्णय की घोषणा कब तक हो जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क), (ख) तथा (ग). प्रादेशिक सेना में सेवा की वर्तमान शर्तों और स्थितियों के पुनरीक्षण तथा पुनर्निर्धारण के लिए और प्रादेशिक सेना को एक अधिक प्रभावशील सेना बनाने के लिए, सुझाव देने के लिए, सरकार ने एक सेवक कमेटी स्थापित करने का निर्णय किया है। यह बता पाना, समय से पहले की बात है, कि सिफारिशों के आधार पर, किस समय तक निर्णय लिए जाएंगे।

Messages sent in Hindi by Ambassadors

4316. Shri Yashpal Singh :
Shri P. L. Barupal :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the percentage of message sent in Hindi by the Indian Ambassadors in foreign countries to India ;

(b) whether it is a fact that adequate number of employees have been posted and adequate arrangements have been made in Indian Embassies abroad for doing correspondence in Hindi ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a), to (b) . Information is being collected and will be placed on the Table of the House when available.

विदेशों में स्थित दूतावासों द्वारा कर्मचारियों की मांग का अनुमान

4317. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास अपने सामयिक पत्राचार में उन देशों में उपलब्ध रोजगार तथा आर्थिक अवसरों के बारे में खबरें देते हैं ;

(ख) क्या उन्होंने विकासशील देशों में इंजीनियरों, डाक्टरों तथा अध्यापकों की मांग का पता लगाया है और इस बारे में उन्होंने भारत में प्रचार किया है ; और

(ग) हमारे दूतावासों द्वारा भारत के लोगों के लिए क्या विशेष सेवाएं की जाती हैं ; और

(घ) क्या आर्थिक अवसर बढ़ाने के लिये उनके कार्य को कोई मान्यता दी जाती है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) विदेश-स्थित हमारे मिशनों से विदेशी सरकारें जब भी इस तरह का विशेष-अनुरोध करती है तो ये मिशन उन्हें विदेश मंत्रालय को भेज देते हैं और विदेश मंत्रालय विदेश में रोजगार के अवसरों को प्रचारित करने के लिये आवश्यक कदम उठाता है ।

(ग) विदेशों में जो भारतीय नागरिक अपने-अपने निवास के देशों में कामकाज चाहते है उन्हें कामकाज दिलाने में भारतीय मिशन हर तरह की मुनासिब सहायता प्रदान करता है ।

(घ) किसी खास काम को अगर सरकार मान्यता देना चाहती है तो वह सम्बद्ध मिशन को इस बारे में सूचित कर देती है ।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा तैयार किये गये राष्ट्रीय आय सम्बन्धी मार्गदर्शक प्राक्कलन

4318. **श्री अदिचन** :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन द्वारा एकत्रित मार्गदर्शी प्राक्कलन से पता चलता है कि 1968–69 में राष्ट्रीय आय में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि कृषि से भिन्न उद्योगों में वृद्धि 4.4 प्रतिशत रही और कृषि क्षेत्र की उस वर्ष की आय में 1.1 प्रतिशत की कमी आई ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) कृषि क्षेत्र में चहुंमुखी प्रयत्न करने के बावजूद भी उत्पादन घटने के क्या कारण हैं; क्या यह कमी मुख्यत: मत्स्य उद्योग, वनों एवं पशुपालन क्षेत्रों में उत्पादन में कमी के कारण हुई ; और

(घ) कृषि क्षेत्र के, विशेषत: मत्स्य, पशुपालन एवं वनों के उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) यह समझा गया है कि माननीय सदस्य केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिनांक 7 नवम्बर, 1969 को जारी किये गये राष्ट्रीय आय के 'शीघ्र प्राक्कलनों (Quick Extimetes) के बारे प्रश्न पूछ रहे हैं। यदि हां, तो प्रश्न के इस भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) सम्बन्धित जानकारी देने वाला विवरण संख्या 1 संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2404/69]**

वर्ष 1967–68 की तुलना में वर्ष 1968–69 के दौरान कृषि क्षेत्र के कुल राष्ट्रीय उत्पादन के लिए योगदान में कमी होने का मुख्य कारण बाजरा, मक्की, जुवार, रागी, चने आदि घटिया अनाजों के योगदान में कमी का होना है। मूंगफली जूट तथा सूखी मिर्चों के बारे में भी वर्ष 1968–69 में उत्पादन कम हुआ है।

कुल राष्ट्रीय उत्पादन में पशु पालन, वन-विज्ञान तथा मत्स्यपालन क्षेत्रों का योगदान भी वर्ष 1967–68 की तुलना में वर्ष 1968–69 के दौरान बढ़ा है।

(घ) खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये भी कृषि विकास के नये कार्यक्रम के आधीन कारगर उपाय किये जा रहे हैं। नये कार्यक्रम के मुख्य तत्व है; अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की खेती; अनेक फसलें उगाने तथा सिंचाई साधनों का विकास; उर्वरकों, कीटिनाशकों तथा विकसित बीजों जैसे पदार्थों की नियमित सप्लाई का आश्वासन दिया जाना। अनुसन्धान का विस्तार कृषकों के प्रशिक्षण तथा शिक्षा स्थापना हेतु कर्जों की सप्लाई में वृद्धि तथा बिक्री एवम् भण्डारकरण आदि के द्वारा विकास के लिए अंवस्थापन (infrastruetures) को विकसित करने के उपाय भी किये जा रहे हैं। व्यापारिक फसलों के अधिक उत्पादन के लिये तथा पैकेज प्रोग्राम वाली सघन खेती परियोजनाओं के लिये राज्य योजनाओं तथा केन्द्र द्वारा संचालित परियोजनाओं के अधीन प्रयत्न किये जा रहे हैं। कृषि उत्पादन को बढ़ाने सम्बन्धी प्रयासों के अतिरिक्त मत्स्यपालन पशुपालन तथा वन विज्ञान क्षेत्रों को उत्पादन बढ़ाने हेतु भी विवरण संख्या II में वर्णित अनेक उपाय किये जा रहे हैं।'

कच्चे माल की कमी

4319 श्री यशपाल सिंह : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे माल की कमी के कारण निर्यात में बाधा पड़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बाधा को दूर करने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). निर्यातों पर प्रभाव डालने वाले कुछ औद्योगिक कच्चे मालों की कमी रही है, जिनमें से इंजीनियरी माल के निर्यात करने वाले निर्माताओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण इस्पात है। ऐसे निर्माताओं के लिए इस्पात की पूर्ति के लिए प्राथमिकता प्रणाली को सुप्रवाही बनाकर स्थिति को सुधारने के लिए हाल ही में कदम उठाए गए हैं और स्थिति सुधर गई है। निर्यात उत्पादन के लिये इस्पात की कुछ दुर्लभ किस्मों के आयात के लिए भी प्रबन्ध किये गये हैं।

रेलवे के माल डिब्बों का निर्यात

4320 **श्री अदिचन :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी जर्मनी तथा अन्य पूर्व यूरोपीय देशों ने भारत से रेलवे माल डिब्बों का आयात करने में रुचि प्रदर्शित की है ;

(ख) यदि हां, तो इन देशों में से प्रत्येक देश द्वारा माल डिब्बों का आयात करने के लिये कितने क्रयादेश भेजे गये हैं या भेजे जाने की आशा है ; और

(ग) प्रत्येक देश द्वारा आयात किये जाने वाले माल डिब्बों का मूल्य कितना है और उनका विशिष्ट ब्योरा क्या है और क्या उनके मूल्य का भुगतान रुपयों में किया जायेगा अथवा किसी अन्य रूप में ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). राज्य व्यापार निगम ने हंगरी को 1,000 यू० आई० सी० टाइल माल डिब्बों के तथा पोलैंड को 500 फोर ह्वीलर छत वाले रेल माल डिब्बों, यू० आई० सी० अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्ट, के संभरण हेतु संविदानों पर हस्ताक्षर किये हैं। भुगतान भारतीय रुपयों में प्राप्त होगा।

चूंकि अनेक देशों को राज्य व्यापार निगम ही रेलवे माल डिब्बों का निर्यात कर रहा है। अतः किसी संविदा विशेष के अन्तर्गत माल डिब्बों के मूल्य बताना उनके व्यवसायिक हित में नहीं होगा।

हथकरघे की बनी वस्तुओं के निर्यात के लिये लाइसेंस जारी करना

4321. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों तथा व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1968–69 में हथकरघों की बनी वस्तुएं निर्यात करने के लाइसेंस जारी किये गये थे ; और

(ख) उन कम्पनियों तथा व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें हथकरघे की बनी वस्तुएं निर्यात करने के लिये लाइसेंस नहीं दिये गये थे और उन्हें लाइसेंस न दिये जाने के कारण क्या थे ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). ब्लीडिंग मद्रास कपड़े को छोड़ कर हथकरघा वस्त्रों के निर्यातों पर कोई निर्यात प्रतिबन्ध नहीं है। ऐसी कम्पनियाँ और व्यक्तियों के नामों के सम्बन्ध में जिन्हें वर्ष 1968–69 में ब्लीडिंग मद्रास कपड़े के सम्बन्ध में लाइसेंस दिये गये थे अथवा लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया गया था, जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम की छटी वर्ष-गांठ के सम्बन्ध में विशेषांक प्रकाशित करना

4322. **श्री न० कु० सोमानी :**
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री रा० की० अमीन :
श्री पीलु मोडी :

क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम की छटी वर्ष गांठ के अवसर पर सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों के विशेषांक प्रकाशित थे ; और

(ख) यदि हां, तो विशेषांक प्रकाशित करने पर कुल कितना खर्च हुआ ; और क्या यह मंत्रालय की पूर्व अनुमति लेकर किया गया था, या स्वयं खनिज तथा धातु व्यापार निगम की प्रेरणा पर ऐसा किया गया था ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) सात समाचार पत्रों द्वारा विशेष परिशिष्ट प्रकाशित किये गये थे।

(ख) इन परिशिष्टों पर सरकार ने कोई खर्चा नहीं किया और अपने विज्ञापनों के अलावा न ही खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा कोई व्यय किया गया। ऐसे मामलों में सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है, क्योंकि खनिज तथा धातु व्यापार निगम एक स्वायत्त निकाय है।

पश्चिमी कमाऊं के छावनी क्षेत्रों में पंजाब किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होना

4323. **श्री हेमराज** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब किराया नियंत्रण अधिनियम पश्चिमी कमाऊं के छावनी क्षेत्रों में भी लागू होता है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसे पश्चिमी कमाऊं के छावनी क्षेत्रों में भी लागू करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). पूर्वी पंजाब नगर किराया सीमन अधिनियम 1949 उपयुक्त संशोधनों सहित पंजाब और हरियाणा राज्यों में लागू कर दिया गया है और उसी प्रकार उसे हिमाचल प्रदेश की छावनियां में लागू करना प्रस्तावित है।

दिल्ली किराया (नियन्त्रण अधिनियम 1958 दिल्ली छावनी क्षेत्र में लागू है, और पूर्वी पंजाब नागर किराया सीमन अधिनियम 1949 को उस पर लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

जहां तक जम्मू और कश्मीर की छावनियों का सम्बन्ध है पूर्वी पंजाब नागर किराया सीमन अधिनियम 1949 उन पर लागू नहीं होता, और स्थिति विचाराधीन है।

नाभिकीय ऊर्जा का व्यावहारिक उपयोग

4324. श्री अर्जुनसिंह भदौरिया : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अब तक नाभिकीय ऊर्जा के कौन कौन से व्यावहारिक उपयोग किये गये हैं ; और

(ख) उनसे क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना से युक्त एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(1) भारत में आजकल परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली तथा रेडियो आइसटोपी, जिनका इस्तेमाल खेती-बाड़ी, जीव विज्ञान, आयुविज्ञान तथा उद्योग धन्धों मे बड़े पैमाने पर किया जाता है, के उत्पादन के लिये किया जा रहा है।

(2) महाराष्ट्र में तारापुर में स्थित भारत के पहले परमाणु बिजलीघर में बिजली का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन 3 अक्तूबर, 1969 से शुरू हुआ तथा यह बिजलीघर अब महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को बिजली सप्लाई कर रहा है। यह आशा की जाती है कि राजस्थान में राणा प्रताप सागर के समीप बनाये जा रहे राजस्थान परमाणु बिजलीघर के 200-200 मैगावाट क्षमता के दो यूनिटों में से पहला यूनिट सन् 1971 के आरम्भ में तथा दूसरा सन् 1973 में चालू हो जायेगा। यह भी आशा की जाती है कि तामिलनाडु में कलपक्कम में बनाये जा रहे मद्रास परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट वर्ष 1973–74 के दौरान चालू हो जायेगा।

(3) बहुतसी किस्मों के रेडियो आइसोटोपों तथा उनका सुरक्षित रूप से उपयोग करने में सहायक उपकरणों का उत्पादन करने के अलावा भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र खेती वाड़ी, जीव-विज्ञान, आयुविज्ञान, उद्योग धन्धों आदि में परमाणु ऊर्जा का व्यावहारिक उपयोग करने के अग्रगामी कार्यक्रम के अनुसार काम कर रहा है।

(4) केन्द्र के जीव-विज्ञान प्रभाग ने धान तथा मूंगफली के आशाप्रद उत्परिवर्ती तैयार किए हैं, जिन्हें खेतों में रोपकर परीक्षण किये जा रहे हैं। विनाश-

शील खाद्यपदार्थों को विकीरण की सहायता से परिरक्षित करने के तरीकों का पता लगाने का काम भी इस प्रभाग द्वारा किया जा रहा है। जिन अन्य क्षेत्रों में किये गये परीक्षणों के आशाप्रद परिणाम निकले हैं, वे हैं (1) गोदामों में रखे गए खाद्यान्नों को खराब होने से रोकना (2) जमा किए गए आलू तथा प्याज में कोपलो के फूटने को रोकना (3) आम जैसे फलों की पकने की अवधि को लम्बा करना (4) बम्बिल, झींगा, पम्फ्रेट जैसी मछलियों जैसे समुद्री खाद्य पदार्थों का ज्यादा देर तक ताजा बनाये रखना।

(5) आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में रेडियो आइसोटोपों का उपयोग रोगों का निदान तथा उपचार करने के लिये किया जाता है। विकिरण-चिकित्सा विज्ञान में विकिरण स्रोतों का महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न प्रकार के केन्सर के उपचार में फास्फोरस 32, आयोडीन 131 जैसे आइसोटोपों का बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग करने के काम को भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र ने टाटा स्मारक अस्पताल, बम्बई के सहयोग से बढ़ावा दिया है।

(6) उद्योग धन्धों में परीक्षण, जांच, परिमापन एवं नियंत्रण जैसे कार्यों के लिये विकिरण स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है। बांधों में पानी के रिसाव का पता लगाने, टेलीफोन के भूमिगत तारों की जांच करने, बन्दरगाहों में गाद के बहाव का पता लगाने जैसे कार्यों के लिए भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र ने विभिन्न संगठनों के अनुरोध पर रेडियो ट्रेसर पदार्थों की सहायता से अनेक अध्ययन किए हैं। झलाई, ढलाई आदि की जांच के लिए केन्द्र ने एक ऐसे रेडियोग्राफिक कैमरे का निर्माण किया है जो विविध विकिरण स्रोतों से युक्त है।

चलचित्र का निर्यात

4325. श्री अर्जुनसिंह भदौरिया : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय चलचित्र निर्यात आयोग के अध्यक्ष के इस आशय के सुझाव की ओर गया है कि सरकार को चलचित्रों का निर्यात बढ़ाने के लिये विदेशों में अपने छविगृह रखने चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतीक्रिया है ?

वैदशिक व्यापार मंत्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में भारतीय चलचित्र निर्यात निगम से एक प्रस्ताव प्रतिक्षित है।

हाइड्रोसल्फाइट सोड़े का उत्पादन

4326. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री उन समवायों के नाम बताने की कृपा करेंगे जो देश में हाइड्रोसल्फाइट सोडे का उत्पादन करती हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : निम्नलिखित कंपनियां हाइड्रोसल्फाइट सोडों का उत्पादन करती हैं:—

(1) जे० के० कैमिकल्स लिमिटेड, बम्बई ।

(2) ट्राकनकोर कोचीन कैमिकल्स लिमिटेड, उद्योग मंडल ।

(3) इंडियन इलैक्ट्रो कैमिकल्स लिमिटेड, बम्बई ।

राज्य व्यापार निगम के कार्यकलापों का विस्तार

4327. श्री रामावतार शर्मा : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने कृपा **की करेंगे कि** :

(क) सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है जिसके अंतर्गत राज्य व्यापार निगम के अधीन आयत–निर्यात की अधिक वस्तुएं लाने का विचार हो ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी वस्तुओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) अधिक से अधिक वस्तुओं को राज्य के एकधिकार में लाने का क्या कारण है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप–मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) . देश के आयात तथा निर्यात व्यापार में राज्य व्यापार अधिकरणों के कार्यों को उत्तरोत्तर बढ़ाना सरकार की नीति है । राज्य व्यापार के उपयुक्त समझी जाने वाली कई वस्तुओं का व्यापार समय समय पर राज्य अधिकरणों के माध्यम से कराया जाता है । आयातों के माध्यमीकरण का उद्देश्य, विपुल खरीददारी तथा अधिक जहाज लदानों और उनके समयोचित आधार तथा उचित मूल्यों पर वितरण करने की व्यवस्था करके, विदेशी मुद्रा के व्यय में मितव्ययिताएं लाना है । निर्यातों के माध्यमीकरण का उद्देश्य, आंतरिक प्रतिस्पर्धा से बचना और मूल्यों को निम्नस्तर से रोकने और देश से निर्यात किये गये मालों के लिये अधिकतम विदेशी मुद्रा कमाना है ।

असैनिक क्षेत्र में नियोजित वायु सेना के सेवा निवृत्त अधिकारी

4328. श्री रणजीत सिंह : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वायु सेना के कितने सेवा निवृत्त अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी विमानों की उड़ान तथा विमानों की देख-भाल से संबंधित कार्य असैनिक क्षेत्र में कर रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : वायुसेना मुख्यालयों तथा मुख्य निदेशक पुनरावास के पास प्राप्य सूचना के अनुसार अब तक वायु सेना के 48 सेना निवृत्त अफसरों ने असैनिक क्षेत्र में विमानों की उड़ान और रखरखाव से संबंधित कार्यों पर नियुक्ति के लिए अनुमति प्राप्त की है या नियुक्ति हस्तगत की है । चूंकि सेवानिवृत वैमानिकों के लिए रोजगार के संबंध में सरकार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं, उनके संबंध में सूचना प्राप्य नहीं है ।

भूमि से वायु में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र का निर्माण

4329. **श्री रणजीत सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि से वायु में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण के लिए किसी विदेशी फर्म के साथ सरकार ने समझौता किया है ; और

(ख) इस समय हमारे पास जो प्रक्षेपास्त्र व्यवस्था है उसकी क्षमता कितनी है, अर्थात इससे कितनी दूर और कितनी ऊंचाई तक मार की जा सकती है तथा खोजने और रोकने में कम से कम कितना समय लगता है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) सूचना विमुक्त करना लोकहित में नहीं होगा ।

पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के आने में वृद्धि

4330. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ऐसे आंकड़े हैं जिनसे यह पता चले कि पाकिस्तान के दोनों भागों में अलग-अलग गत तीन वर्षों में किस प्रकार अल्पसंख्यक लोगों की संख्या धीरे धीरे घटती गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इसी अवधि में पाकिस्तान के दोनों भागों से आने वाले अल्पसंख्यकों की संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या इसी अवधि में उन पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहते रहे हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) . जी नहीं । लेकिन पाकिस्तान सरकार ने 1951 और 1961 की जनगणना के जो आंकड़े प्रकाशित किए थ उनके अनुसार पाकिस्तान की आबादी में गैर-मुसलमानों की आबादी 14.1 से घटाकर 11.9 प्रतिशत पर आ गई । इसका प्रमुख कारण यह है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को मुसीबतों और अभावों का सामना करना पड़ता है जिसकी बजह से वे पाकिस्तान छोड़ छोड़कर भागते हैं ।

(ग) ऐसी कोई एकसार वृद्धि नहीं हुई है ; इसमें कम-बेशी होती रही है ।

(घ) यह सूचना तत्काल सुलभ नहीं है । इसे राज्य सरकारों, संघ प्रदेशों से इकट्ठा करना होगा और इकट्ठी हो जाने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

Mode of Distribution of Items imported from East European Countries

4331. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether sale and distribution of the European Ceuntries is done by the State Trading Corporation or by the private agencies ;

(b) if it is being done by the private agencies, the reasons therefor ;

(c) whether Government have taken any steps for trade with at least East European Countries through the State Trading Corporation ; and

(d) if so, the nature of steps taken and the results achieved so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (d) . Imports are effected boty by the STC as well as other authorised importers The State Trading Corporation is concerned with the purchase and distribution of such comodities the import of which is either canalised through it or which it may undertake under arrangements with its business associates.

It is the policy of the Government to progressively increase the role of State Trading agencies in the import.

न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर

4332. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर, जो अब भारतीय सूती वस्त्र निगम के प्रबंधाधीन हैं,पुनः चालू हो गयी है ;

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त मिल को शीघ्र चालू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) . सरकार ने न्यू विक्टोरिया मिल्स कं० लि०, कानपुर के प्रबंध को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 ए के अंतर्गत अपने नियंत्रण में ले लिया है। मिल ने अभी कार्य प्रारंभ नहीं किया है क्योंकि नकद उधार तथा अन्य साधन अभी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, हाल में मशीनों को जांच के तौर पर चालू कर दिया गया है और एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा विचार किये जा रहे नकद उधार तथा अन्य साधनों के निर्णय हो जाने पर यह मिल सामान्य रूप से कार्य प्रारंभ कर देगी।

Issue of Credentials to Private Social workers

4333. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have been, at times, issuing credential documents even to private social workers going to foreign countries ; and

(b) if so, the names of persons to whom such credentials were issued during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir.

(b) The question does not arise.

कपास के लिये ऋण देने पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध

4334. श्री देवराव पाटिल : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भारत के रिजर्व बैंक ने कपास खरीदने के लिये ऋण देने पर प्रतिबन्ध लगा दिये है, जब कि कपास-उत्पादक खुले बाजारों में अपना कपास बेच रहे हैं;

(ख) क्या इससे कपास के मूल्यों में गिरावट आई है;

(ग) क्या सरकार को शेतकारी सभा अमरावती (महाराष्ट्र) से कोई ज्ञापन अथवा तार मिला है जिससे सरकार से उक्त प्रतिबन्ध हटाने के लिये निवेदन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) कपास के लिये विद्यमान ऋण स्तर मई, 1969 से चालू है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण स्तरों में कोई परिवर्तन नहीं किये गये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ). कपास के लिये चालू ऋण स्तरों के विरुद्ध शेतकारी सभा अमरावती (महाराष्ट्र) से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और मामला विचाराधीन है।

इंजीनियरिंग निर्यात सम्बर्धन परिषद् में इस्पात सप्लाई सैल

4335. श्री इसहाक सामभली : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इंजीनियरिंग निर्यात सम्बर्द्धन परिषद् को एक इस्पात सप्लाई सैल स्थापित करने की सलाह दी है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव रखने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). इंजीनियरिंग निर्यात सम्बर्द्धन परिषद् को अनौपचारिक रूप से सुझाव दिया गया है कि वह एक इस्पात सप्लाई सैल स्थापित करे। इसके द्वारा इस्पात उत्पादकों तथा इंजीनियरिंग सामान के निर्माताओं जिन्हें अपने माल के सप्लाई-प्रबन्धों में कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं, के मध्य प्रभावपूर्ण सम्पर्क रखा जा सकेगा।

सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालय में कर्मचारियों की संख्या

4337. श्री अ० सि० सहगल : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालय में कुल कितने निम्न श्रेणी के लिपिक, उच्च श्रेणी के लिपिक, सहायक, अधीक्षक तथा सिविलियन स्टाफ अधिकारी हैं;

(ख) जिस सिविलियन स्टाफ अधिकारी की सबसे ज्यादा पदोन्नति हुई है, वह कब भर्ती हुआ था और उसने निम्न श्रेणी के लिपिक, उच्च श्रेणी के लिपिक, सहायक तथा अधीक्षक के पद पर कितने कितने वर्ष काम किया था; और

(ग) कितने कितने निम्न श्रेणी के लिपिकों, उच्च श्रेणी के लिपिकों, सहायकों तथा अधीक्षकों ने अपने अपने ग्रेड में 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष तथा 25 वर्ष तक सेवा की ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क)

एल० डी० सी०	2459
यू० डी० सी०	1770
सहायक	1484
सुपरिन्टेंडेंट	652

असैनिक कर्मचारीगण अफसर 304—

(ख) भर्ती की तिथि 10–3–1940

एल० डी० सी० के तौर पर की गई–सेवा	3 वर्ष
यू० डी० सी० के तौर पर की गई सेवा	5 वर्ष
सहायक के तौर पर की गई सेवा	5 वर्ष

और (1–7–59 से पहले अब से पहले के असिस्टेंट इंचार्ज ग्रेड में सेवा सहित)

सुपरिन्टेंडेंट के तौर पर की गई सेवा	15 वर्ष

(ग) (1) 10, 15, 20 और 25 वर्षों की सेवा सहित एल० डी० सीज० की संख्या उस ग्रेड में है क्रमशः 3, शून्य, 1 तथा शून्य।

(2) 10 वर्षों की सेवा सहित यू० डी० सीज० की संख्या उस ग्रेड में है 4 और 15, 20 तथा 25 वर्षों की सेवा सहित उस ग्रेड में संख्या है शून्य।

(3) 10 और 15 वर्षों की सेवा सहित सहायकों की संख्या उस ग्रेड में है क्रमशः 134 और 1 तथा 20 और 25 वर्षों की सेवा सहित उस ग्रेड में संख्या है शून्य।

(4) (1–7–1959 से पहले, अब से पहले के असिस्टेंट इंचार्ज ग्रेड में सेवा सहित) 10,15,20 और 25 वर्षों की सेवा समेत सुपरिन्टेंडेंटों की संख्या है क्रमशः 177,46,7 और 2।

Emergency Commissioned Officers released from Army

4338. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of Diffence be pleased to state :

(a) the number of youngmen recruited to the Emergency Commission during the conflict with China in 1962;

(b) the number of those, out of them, killed in the war-field during the conflicts in 1962 and 1965;

(c) whether it is a fact that they have now been removed from the army;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) the number of officers out of those released from army who have been appointed elsewhere and the number of those who are still unemployed ?

The Minister of State in the Ministry of Diffence (Shri L. N. Mishra) : (a) 9088 persons were granted Emergency Commission after the conflict with China in 1962.

(b) 152.

(c) and (d) 3715 FCOs have been granted permanent commission or have been graded fit therefor. The Emergency Commissioned Officers who did not opt for Permanent Commission and those who did not qualify for Permanent Commission were realised are being realiased in a phased programme.

(e) Out of Emergency Commissioned Officers released, 2301 were rehabilitated till 31.10.1969. According to figures available, 1438 may need rehabilitation, but it is possible that some of them may have become gainfully employed through their own efforts.

Gift of Elephants to Uruguay

4339. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that baby elephants which Government had decided to give as gift to the Government of Brazil were given by them to Government of Uruguay consequent on which war-like tension has been created between the two countries;

(b) if so, the reason for which Government changed their earlier decision;

(c) whether the relations of India with Brazil are likely to be affected adversely by the said incident; and

(d) if so, the steps taken by Government to remedy the situation ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) . As a result of the quarantine Health Regulations in Brazil the baby elephants to be presented to that country had to be off-loaded in Uruguay. In consultation with the concerned Governments it is proposed for practical considerations that these elephants be retained in Uruguay and another gift be made to Brazil, The Government of Brazil has agreed to this arrangement. At no stage was there war-like tension between Brazil and Uruguay on this issue.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Jobs for Indian Doctors in U.K. and U.S.A.

4340. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indian Doctors and Engineers and other Indian citizens who have gone to various foreign countries and are working there in any capacity;

(b) whether Government have requested the Government of U S.A. and U.K. that keeping in view the shortage of Doctors in a developing country like India they should not give jobs to the Indian doctors in their countries;

(c) if so, the reply received thereto; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a), (b), (c. and (d) . The information is being collected and will be furnished to the House as soon as it becomes available.

Utilisation of Minerals in Sea Bed

4341. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the reports that the reserves of minerals and oil are larger in the Pacific Ocean and Indian Ocean than under the earth;

(b) if so, whether Government propose to move any Resolution in U. N. O. in regard to the equal rights and utilisation of the said huge minerals resources by all the developed and undeveloped countries; and

(c) if so, the details therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No firm estimates are available regarding the reserves of minerals and oil under the sea bed and ocean floor, including in the Pacific and Indian Ocean. However, it is generally believed that such reserves are considerably larger than those under the land su face,

(b) and (c). The Indian Delegations to the UN was the first to draft a Declrations on principles governig the exploration and use of the sea bed. At this session of the General Assembly. India along with some other developing countries tabled a draft Resolution asking the Secretary-General to examine whether an international mechinery could be set up to control all activities relating to the exploration and exploration of ocean floor and sea bed for the benefit of mankind as a whole, taking into account the special interest and needs of the developing. countries The resolution requests that the Secretary-General's report be considered by the Committee on the peaceful uses of the sea bed and ocean floor beyond the limits of the national jurisdiction, during its session next year.

सरकार द्वारा कपास की खरीद

4342. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री 3 दिसम्बर, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 370 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपास की कुछ मात्रा की खरीद की है जो वर्ष 1967–68 और 1968–69 में न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर बिक्री के लिये प्रस्तुत की गई थी;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकार द्वारा समर्थन मूल्यों पर खरीद के लिये कपास की कोई मात्रा प्रस्तुत नहीं की गई थी।

उड़ीसा में पटसन मिल स्थापित करने के लिये अभ्यावेदन

4343. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में एक पटसन मिल स्थापित किये जाने के बारे में लाइसेंस देने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या किसी सहकारी समिति ने इस परियोजना के लिये धन जुटाने का उत्तरदायित्व लेने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) क्या सरकार ने पटसन मिल के निर्माण कार्य को उड़ीसा राज्य की पंचवर्षीय योजना और केन्द्रीय योजना में सम्मिलित किया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) . जी नहीं।

रूस को रेलवे बैगनों की सप्लाई में रेलवे बैगन निर्माताओं को हानि

4344. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस सरकार के साथ हुए करार के अंतर्गत सरकार ने 54,000 बैगनों के निर्माण और सप्लाई की व्यवस्था की है जिसके अंतर्गत इन वैगनों की प्रथम किश्त वर्ष 1970–71 में भेजी जाने की आशा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त वैगनों का सौदा उनके द्वारा बहुत कम मूल्य देने पर जोर दिये जाने और उनके विमानों को, जो हमारे लिये अनुपयुक्त हैं, खरीदने पर मजबूर करने के कारण समाप्त हो गया है;

(ग) यदि हां, तो अमृतसर तथा अन्य स्थानों पर रूस से विधिवत सौदा करने से बहुत पूर्व वैगनों के निर्माण के कारण कितनी हानि हुई; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की हानि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) राज्य व्यापार निगम तथा सोवियत संघ के मशीनों-इम्पार्ट के साथ 13 मार्च, 1968 को एक नयाचार पर हस्ताक्षर किये गये जिसमें 1969–77 की अवधि में भारत से सोवियत संघ को सोवियत विशिष्टयों के अनुसार बनाये गये 54,000 वैगनों की सप्लाई की व्यवस्था थी और 15 सितम्बर, 1968 को राज्य व्यापार निगम द्वारा एक वाणिज्यिक ऑफर की गई थी।

(ख) मूल्य पर असहमति के कारण वैगन सम्बन्धी वार्ताओं में गतिरोध है। वैगन सम्बन्धी वार्ताओं के दौरान सोवियत संघ से विमानों की खरीद पर कभी बातचीत नहीं की गई।

(ग) तथा (घ) . सोवियत संघ को संभरण के लिये वैगनों का निर्माण शुरु नहीं हुआ है, अतः ऐसे वैगनों के निर्माण से कोई हानि नहीं हुई है।

Medical and other facilities for Civilian Employees who meet with accidents while on Duty

4345. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in case the civilian employees (Class III and Class IV) under his Ministry meet with an accident, while on duty, Government provide medical and leave facilities to them;

(b) if not, the reasons therefor and whether Government propose to make such facilities available to them in future; and

(c) the number of such accidents occurred in E. M. E. ordnance and Supply Depot of Pathankot during the last two years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defenee (Shri M. R. Krishna) : (a) **Yes, Sir.**

(b) Does not arise.

(c) 22 cases of minor injuries during 1967-68 and 1968-69.

आयातित रुई के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

4346. श्री एस० आर० दामानी : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिलों के द्वारा देशी रुई के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग से रुई की भारी वार्षिक आयात देयक में कमी करने में सहायता मिलेगी और इससे रुई की मांग बढ़ जायेगी जिससे कृषक को अपेक्षित गुण-प्रकार की रुई का और अधिक उत्पादन करने में प्रोत्साहन मिलेगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी क्या विशिष्ट कार्यवाही की है कि ये मिल आयात की हुई रुई का प्रयोग न करें ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) कपड़ा उद्योग को रुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये स्वदेशी रुई की उपलब्धि में कमी की सीमा तक ही रुई के आयात की अनुमति दी जाती है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ऐसे आयात से रुई उत्पादकों को हानि न पहुंचे और रुई के स्वदेशी उत्पादन का पूर्ण उपयोग हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटेन को सूती कपड़े का निर्यात

4347. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष दिसम्बर, के प्रथम सप्ताह में, नई दिल्ली में आये एक दो सदस्यीय ब्रिटिश शिष्ट मण्डल के साथ ब्रिटेन को सूती कपड़े के निर्यात के बारे में बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला; और

(ग) क्या बातचीत के दौरान जनवरी, 1972 से राष्ट्रमण्डलीय देशों से सूती माल पर 15 प्रतिशत प्रशुल्क लगाने के प्रस्ताव के पुनरीक्षण के बारे में बल दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में शिष्टमण्डल की क्या प्रतिक्रिया थी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) राष्ट्रमण्डलीय अधिमान क्षेत्र से सूती वस्त्रों के आयात के सम्बन्ध में 22 जुलाई, 1969 को ब्रिटिश सरकार

की घोषणा से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर 1 से 5 दिसम्बर, 1969 तक भारतीय तथा ब्रिटिश अधिकारियों से बातचीत की। ब्रिटिश शिष्टमण्डल में चार सदस्य शामिल थे जिनमें से ब्रिटेन से दो सदस्य इन वार्ताओं के लिये आए।

(ख) से (घ) 1 जनवरी, 1972 से राष्ट्रमण्डलीय अधिमान क्षेत्र से किये जाने वाले आयातों पर नये प्रशुल्क लगाने के ब्रिटिश प्रस्ताव के प्रति भारत सरकार के विरोध का भारतीय अधिकारियों ने दृढ़ता से प्रतिनिधित्व किया और बातचीत के पश्चात् दोनों पक्ष अन्तिम रूप से इस बात के लिये सहमत हो गये कि तकनीकी प्रश्नों पर शीघ्र ही बातचीत की जाए और उसके शीघ्र बाद परस्पर स्वीकार्य हल पाने के उद्देश्य से दोनों सरकारों के बीच वार्ताएं होंगी।

चीन की सेना में गोरखों की भर्ती

4348. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चीन, नेपाल तथा भारत-नेपाल सीमा से गोरखों को सेना में भर्ती करने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

(ख) क्या इस समाचार की सत्यता जानने के लिये कोई सरकारी जांच कराई गई है;

(ग) क्या नेपाल सरकार से इस तथ्य के बारे में पूछा गया है और यदि हां तो, इसका क्या परिणाम रहा है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं। माननीय सदस्य का ध्यान अतारांकित प्रश्न संख्या 605 और 620 की ओर आकर्षित किया गया है। जिनके उत्तर क्रमश: 1 अगस्त 1968 और 31 जुलाई 1969 को राज्यसभा में दिए गए थे।

(ख), (ग) और (घ) . प्रश्न नहीं उठते।

केबलों का निर्यात

4349. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एल्युमीनियम की भारी कमी और उसके बहुत ऊंचे भावों के कारण केबल तार उद्योग में नया संकट पैदा हो गया है और केबलों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य के केबलों के निर्यात के क्रयादेशों को पूरा किया जाना शेष है; और

(ग) केबलों के निर्यात सम्बन्धी करारों को पूरा करने के लिये उद्योग को सहायता देने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ग) . देश में अब अनुभव की जा रही एल्युमीनियम की मार्जिनल कमी से निर्यात के क्रयादेशों को पूरा

करने के लिये, एल्युमीनियम केबलों के उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है क्योंकि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने मुख्यतः इसी प्रयोजन के लिये 11,000 मे० टन ई० सी० ग्रेड एल्युमीनियम आवंटित तथा वितरित किया था।

(ग) 1969–70 से 1970–71 तक पूरा करने के लिये तारों, केबलों तथा संवाहकों के प्रमाणीकृत निर्यात क्रयादेश 16.74 करोड़ रु. के हैं। सम्पूर्ण चालू वर्ष के लिये वचनबद्ध 9.51 करोड़ रु. के क्रयादेशों में से सितम्बर, 1969 तक 4.72 करोड़ रु. के मूल्य के क्रयादेश पहले ही पूरे कर दिये गये हैं।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा कोयला खरीदा जाना

4350. **श्री पी० विश्वम्भरण :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अक्तूबर, 1968 के बाद कोयला खरीदने के लिये टेंडर आमन्त्रित किये हैं;

(ख) क्या टेंडर की एक शर्त यह थी कि इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाय कि सम्बन्धित कोयला खानों द्वारा कोयला उद्योग मजूरी बोर्ड की सिफारिशें पूर्ण रूप से क्रियान्वित की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या निगम ने उपर्युक्त प्रमाण-पत्र के बिना कोई टेंडर स्वीकार किया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) . प्रश्न नहीं उठते।

अतारांकित प्रश्न संख्या 8182 के उत्तर में शुद्धि

Correction of answer to Unstarred Question No. 8182.

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : 30 अप्रैल 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8182 के उत्तर के स्पष्टीकरण के लिए मैं यह अवसर ग्रहण करता हूं। प्रश्न था कि आया निकोबार द्वीप समूह में यू. के. की रायल एयर फोर्स को कुछ रियायतें दी गई है। दिया गया उत्तर नकारात्मक था। चूंकि आर. ए. एफ. को कई सुविधाएं दी गई थीं कि जिन्हें रियायतें नहीं कहा जा सकता, किसी प्रकार की मिथ्या धारणा को दूर करने के लिए मैं स्थिति को पूर्णरूपेण स्पष्ट करना चाहूंगा।

2. मार्ग निदेशन सहायता पुनः ईंधन ग्रहण करने सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्य करने के निमित्त सीमित कार्य के लिए वृहत निकोबार द्वीप समूह की हवाई पट्टी पर आर. ए. एफ. को 1947 से 1966 तक एक पाड़ स्थान की अनुमति दी गई थी। यह सुविधाएं, विदेश में कई स्थानों पर आर. ए. एफ. हवाई अड्डों में हमें प्राप्त सुविधाओं को सामने रखते, परस्पर आधार पर दी गई थीं।

ध्यान दिलाने वाली सूचना क बारे में
RE: CALLING ALTENTION NOTICE

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव पर विचार होगा।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : श्रीमान उसको लेने से पूर्व मेरा उससे निवेदन है कि हमने अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए सूचनाएं दी थीं परन्तु उन प्रश्नों को यहां पर उठाने की अनुमति नहीं दी गई है। देश की सुरक्षा खतरे में है।

अध्यक्ष महोदय : शांति ! शांति !!

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने रवीन्द्र सरोवर की घटना के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी। आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। पश्चिम बंगाल के युवकों ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पटना विश्वविद्यालय में अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल का समाचार

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Sir, I call the attention of the Minister of Education and Youth Services to the following matter of urgent public importance and I request that he make a statement thereon:

'Reported taken strike by teachers and other staff of Patna University.'

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : पटना विश्वविद्यालय के कुलपति से टेलीफोन द्वारा पूछताछ करने से यह प्रकट हुआ है कि विश्वविद्यालय के विभागों और संघटक कालिजों के अध्यापकों और संघटक कालिजों के गैर-अध्यापन स्टाफ ने 16 दिसम्बर, 1969 को सांकेतिक हड़ताल की थी, इसमें करीब 700 अध्यापक और 750 गैर अध्यापन कर्मचारी शामिल थे। हड़ताल का तत्कालिक कारण वेतन के साथ मकान किराये भत्ते की अदायगी न होना था। विश्वविद्यालय ने केवल 1969 के सितम्बर और अक्टूबर महीनों का मकान किराया भत्ता दिया है। उपायों और साधनों की कठिन स्थिति के कारण, विश्वविद्यालय के लिए मई से अगस्त, 1969 और नवम्बर, 1969 के बकाया मकान किराया भत्ते की अदायगी करना संभव नहीं हुआ है।

अप्रैल 1969 में, राज्य सरकार, मई, 1969 से मकान किराया भत्ते की अदायगी के लिए सहमत हो गयी थी। राज्य सरकार ने यह सुझाव दिया था कि होने वाले खर्चे में विश्व-

विद्यालय को आधे के आधार पर हिस्सा बंटाना चाहिए। विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों ने इस पर विचार किया था और इस संबंध में कोई अंशदान देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी और यह प्रस्ताव किया था कि कुल खर्चा राज्य सरकार वहन करे। राज्य सरकार मामले की जांच कर रही है। मामलों की व्यवस्था के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अध्यापकों/कर्मचारियों की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल 18 दिसम्बर, 1969 को राज्यपाल के सलाहकार श्री पी० के० जे० मेनन के साथ बैठक कर रहा है। कुलपति और विश्वविद्यालय सिंडीकेट के सदस्य भी बैठक में उपस्थित होंगे। मुझे आशा है कि इस बैठक में समस्या का संतोषजनक समाधान मिल जाएगा।

Shri Ramavatar Shastri : The non-payment of House Rent Allowance was one reason for the token strike I have received a telegram from the President of the Patna University Teachers' Association which is as follows :

"Patna university teachers and other employees on token strike on 16th because of serious financial crisis penalysing academic life in the university and to protect against the Government' reluctance to honour its commitments. Request raises issue in Parliament."

So it is a very serious matter. It is not only a question of payment of house rent allowance to the teachers. The University is facing a serious financial crisis. Twelve thousand students are studying there and it is one of the oldest universities in India.

The financial position of the university is so bad that even the water and gas facilities are not available in the science laboratory. The condition of the library is also bad The Harijan and Adivasi students are not getting the seats in the university according to the reserved quota. The revat of the University has demanded that the Central Government should take over this University. I want to know whether the Central Government is going to take over this University or not ? Secondly if the Government is not prepared to take over this University, whether the Government will give some special grant to it so that it could improve its financial position ?

Thirdly I want to know whether Governmrnt is prepared to appoint a Committee to look into the charges of corruption ?

Fourthly may I know whether Government is prepared to see that Harijan and Adivasi students will get the full seats reserved for them in the University.

Finally I want to know whether Government is prepared to fulfil the demands of the teachers and other employees ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : पटना विश्वविद्यालय के अधिकारियों से हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह हड़ताल मुख्य रूप से मकान किराया भत्ते का भुगतान न किये जाने के कारण हुई थी। अन्य मांगों के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। मैं इनके बारे में विश्वविद्यालय के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करूंगा। मुख्य समस्या वित्त की ही है। विश्वविद्यालय को पिछले कुछ वर्षों से राज्य सरकार से 42 लाख रुपये का

अनुदान प्राप्त हो रहा है। विकास प्रयोजनों हेतु इसको विश्वविद्यालय अनुपात आयोग से धन मिलता है और रखरखाव हेतु राज्य सरकार से अनुदान मिलता है। इस मामले को राज्य स्तर पर ही उठाया जाना चाहिए। जहां तक इस विश्वविद्यालय को केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लिए जाने का प्रश्न है, मैं इस मामले को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपने को तैयार हूँ, क्योंकि ऐसे मामलों पर हम उनसे ही परामर्श लेते हैं। इस समय मैं इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दे सकता।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar): I want to know whether the Government will issue directions to the State Government to fulfil the demand of the teachers of the Patna University and other Colleges in Bihar as far as possible ?

The University Grants Commission had made suggestions two and a half years ago for the reorganisation of the Darbhanga Sanskrit University. Nothing has been done in this regard so far. I want to know whether the hon. Minister will issue directions to settle such matters at the State level and whether the suggestions made by the University Grants Commission in regard to the Darbhanga Sanskrit University will be accepted ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पटना विश्वविद्यालय के मामले की जांच करना चाहता था, परन्तु राज्य सरकार ने बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के मामलों की जांच के लिए एक आयोग स्थापित कर दिया था। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पटना विश्वविद्यालय को अपनी टिप्पणियां उस आयोग को भेजने के लिए कहा था। यह मामला अभी भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं नहीं जानता कि क्या मैं ऐसे आदेश दे सकता हूँ। मैं देखूंगा कि मैं इस मामले में क्या कर सकता हूं।

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : May I know whether the Government of Bihar have sought any help from the Central Government to fulfil the commitment they have made last year to the teachers ? Secondly I want to know that under what conditions Patna University can be converted into a Central University ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे याद नहीं कि मुझे कोई ऐसा पत्र बिहार सरकार से प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने वित्तीय सहायता के लिए कहा हो। न ही मुझे पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के बारे में कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है।

विरोधी दल का नेता

LEADER OF THE OPPOSITION.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने हमारे उन पत्रों के बारे में कोई निर्णय किया है जिनमें हमने डा० राम सुभग सिंह को विरोधी दल का नेता बनाने का सुझाव दिया था।

Shri Rabi Ray (Puri) : Sir, I wrote a letter to you on the 17th of the last month in which I had suggested that Dr. Ram Subhag Singh, who have support of more than 50 members, May be declared as the leader of the opposition. I would even now request you to declare him leader of the opposition.

अध्यक्ष महोदय : यदि डा० राम सुभग सिंह को विरोधी दल का नेता स्वीकार कर लिया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। श्री राममूर्ति ने मुझसे मिलने के लिए दस बजे का समय निश्चित किया था, परन्तु न तो वह आये और न ही उन्होंने अपने न आने की सूचना ही दी।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वह हम सबकी ओर से नहीं बोल सकेंगे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : हमें इस बात पर प्रसन्नता है कि अब लोकसभा में विरोधी दल का एक मान्यता प्राप्त नेता है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : संसद् के लिए आज एक खुशी का दिन है।

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं डा० राम सुभग सिंह को बधाई देती हूँ तथा उनसे तथा अन्य विरोधी दलों के नेताओं से सहयोग की आशा करती हूँ।

श्री हेमबरुआ (मंगलदायी) : हमने त्रिवेन्द्रम में रूसी सांस्कृतिक केन्द्र की इमारत को जिसको बिना सरकार की जानकारी के बनाया जा रहा था, गिराने के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

श्री पी० राममूर्ति : यह ठीक है कि आपसे मिलने के लिए दस बज कर पन्द्रह मिनट का समय निश्चित किया गया था, परन्तु कुछ कारणोंवश मुझे अस्पताल में रुकना पड़ा और मैं आपसे निश्चित समय पर नहीं मिल सका। मुझे आशा नहीं थी कि आप इसको इतना गम्भीर रूप देंगे और सभा में इसको उठायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने इसको गम्भीर रूप में लिया है तो मुझे खेद है। वास्तव में मेरे पास समय बहुत कम होता है। अनेक प्रस्ताव पड़े होते हैं जिन पर निर्णय लेना होता है। आज मैं सुबह जल्दी आ गया था क्योंकि मुझे पता था कि श्री राममूर्ति ने मुझसे मिलने आना है। इसके लिए मुझे एक कार्यक्रम भी रद्द करना पड़ा। परन्तु वह आये नहीं और मैं उनकी प्रतीक्षा ही करता रहा। वह अपने न आने के बारे में सूचना ही दे सकते थे।

विशेषाधिकार के प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

पुलिस के सब-इन्सपेक्टर, महिषि (बिहार), शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री के विरुद्ध

Mr. Speaker : The hon. Member, Shri Tula Ram has sent me a long letter in which he had stated that he was arrested and humiliated by the police.

Shri Rabi Ray (Puri) . This should be referred to the Privilege Committee.

Mr. Speaker : I have sent it to the hon. Home Minister.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I appreciate your decision of declaring Dr. Ram Subhag S ngh as Leader of the Opposition. I assure him that I will give him full support and cooperation.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I rise on a point of order in respect of your ruling. You call us by the name of Opposition Congress. But what is the name of those who rebelled ?

Mr. Speaker : I am surprise, why you are so impatient.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : माननीय सदस्य श्री शिवप्पा, श्री सोंधी आदि के विशेषाधिकार के प्रस्ताव के सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

Shri Madhu Limaye : Please let us know the point under discussion at the moment.

अध्यक्ष महोदय : इन माननीय सदस्यों ने डा० वी० के० आर० वी० राव द्वारा दिये गये वक्तव्य के विरुद्ध यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखा है, दोनों वक्तव्यों में अन्तर हैं। उसके बारे में कोई कहते हैं कि उन्हें पत्र मिला है। उनका कहना है कि उन्हें पत्र नहीं मिला। विशेषाधिकार प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

श्री एन० शिवप्पा (हसन) : हम विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी इसकी अनुमति नहीं दी है। मैं श्री कंवरलाल गुप्त की बात सुनना चाहता हूँ।

श्री सेझियान : नियम 222 के अन्तर्गत विशेषाधिकार प्रश्न अध्यक्ष पीठ की अनुमति से ही लिया जा सकता है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इस पर विशेषाधिकार समिति विचार करेगी या सारी सभा इस पर विचार करेगी। यदि इस पर सारी सभा विचार करती है तो सारी सभा ही विशेषाधिकार समिति बन जाती है तथा सभी को इन मामलों को जानने का अधिकार है। अतः जो भी तरीका आप अपनाएं वह मान लिया जायेगा। इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने की स्थिति में विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन आने पर हम उस पर विचार कर सकते हैं। इस समय हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। यदि यह मामला विशेषाधिकार समिति को नहीं सौंपा जाता तो यह सभा स्वयं ही विशेषाधिकार समिति बन जाती है। उस स्थिति में सभा के सामने सभी तथ्य रखे जाने चाहिए।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : माननीय सदस्य श्री सेझियान द्वारा उठाया गया प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी हमारे सामने प्रक्रिया सम्बन्धी अनेक कठिनाइयां आती हैं। जब तक आप किसी विशेषाधिकार प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति

नहीं देंगे तब तक उस पर इस सभा में चर्चा नहीं की जा सकती। इस सम्बन्ध में एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसका हम अनुसरण करते हैं।

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : Shri Shastri has abused our party. We may be given an opportunity to speak. You are not giving us that opportunity. We will protest against it and will walk out.

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : We may be given chance to express our feelings.

Mr. Speaker : It not good. He should not have said it.

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। पिछली बार जब हम आपसे मिले थे तो आपने कहा था कि क्या डा० गिल ने मंत्री महोदय को शिकायती पत्र लिखा था। यह बात साबित की जानी चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में यह पत्र मंत्री महोदय को मिला था और उसी के आधार पर यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है। उन्होंने वह पढ़ा या नहीं इसके बारे में आपने अपने आपको सन्तुष्ट करना है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने उस पत्र के सम्बन्ध में यह कहा था कि "यह खेद की बात है; कृपया हकसर से बात करें" यदि वह कहते हैं कि यह लिखा है तो उन्होंने यह अवश्य पढ़ा होगा।

Shri Yogendra Sharma : We feel pleasure that Dr. Ram Subhag Singh has jointed the opposition group. The question is whether that party should be given recognition or not. If his party is the biggest amongst the opposition groups and it fulfills all the reqirements of an opposition group, we have no objection in giving it recognition. But both the sides of Congress are still having dispute over elction symbol as well as over the name.

Shri Shastry may recognise Dr. Ram Subhag Singh his leader but our communist party can never accpet the leadership of such a person who has reactionary ideas.

Shri Prakash Vir Shastry (Hapur) : My point has been supported by him as well as by Shri Ramamurti.

Shri S. M. Joshi : May I know your ruling on the point raised by Shri T. Ram ? He has said that he has been indecently treated. This matter should be brought before the House.

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया विशेषाधिकार का मामला हमारी राय में इतना गम्भीर है कि उसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाना चाहिए। नियम के अन्तर्गत सभा की एक बैठक में एक से अधिक विशेषाधिकार के मामले नहीं उठाये जा सकते हैं। अतः आज की बैठक में और कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : यदि ऐसा कोई नियम है तो उसे निलम्बित किया जा सकता है।

श्री पी० राममूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस नियम को निलम्बित किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : विधि मंत्री महोदय ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है । यह मामला पहले से ही मेरे विचाराधीन है न कि यह केवल आज ही प्रस्तुत किया गया है । आज मैं उनका विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर रहा हूँ, विचाराधीन प्रस्ताव के बारे में मैं आज निर्णय दूंगा ।

श्री शिव नारायण (बस्सी) : गृह कार्य मंत्री और प्रधान मंत्री यहां पर है, उन्हें बोलना चाहिये । विधि मंत्री क्यों बोले ? क्या विधिमंत्री को इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे गृह कार्य मंत्री के पास भेजा दिया था और मुझे प्रसन्नता है वह इसके लिये स्वयं सहमत हैं ।

विशेषाधिकार समिति ने दो बातों पर विचार करना है । यदि गिरफ्तारी की गई तो अध्यक्ष को तथ्य क्यों नहीं भेजे गये ? क्या हुआ और विशेष परिस्थितियां क्या थीं ? दूसरी बात यह है कि इसके गुण दोषों के आधार पर क्या कार्यवाही की जानी चाहिए ? मुझे आशा है कि सभी सदस्य इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने के लिये सहमत हैं ।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां ।

श्री सोनावने (पंढरपुर) : माननीय सदस्य को वक्तव्य देने की अनुमति दी जाये ताकि सभा को इस विषय का पता चल जाये ।

अध्यक्ष महोदय : डा० वी० के० आर० वी० राव के बारे में प्रस्ताव पर बिना लिखित प्रस्ताव के चर्चा करना बेकार है ।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैंने पहले ही प्रस्ताव भेजा है ।

श्री एन० शिवप्पा : मैंने पहले ही प्रस्ताव रखा है ।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : आप इसे ऐसे ही साधारण ढंग से निबटा देना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव की ग्राह्यता पर विचार करते समय दो बातों को ध्यान में रखना है ।

डा० वी० के० आर० वी० राव ने स्वीकार किया है कि उन्हें 24 तारीख को पत्र मिला था, मैंने उनका भाषण भी पढ़ा था । उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि निदेशक ने अग्रप्रेषण पत्र भेजा था । उसमें सी० एस० आई० ओ० का कोई उल्लेख नहीं है । उन्होंने प्रधान मन्त्री को एक पत्र भेजा था ।

श्री म० ला० सोंधी : यह महत्वपूर्ण बात है कि उस पर मंत्री महोदय की टिप्पणी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रत्येक बात देखी है ।

मैं टिप्पणी पर तब विचार करूंगा जब वह इस बात से इन्कार करें कि उन्हें पत्र मिला था। उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें पत्र मिला था और मैंने उनका भाषण देखा है। उन्हें अपने भाषण में कहा है कि उन्हें पहली बार 5 नवम्बर को पता लगा किन्तु उन्हें 25 या 26 तारीख को 24 तारीख का पत्र मिला था जिसमें डा० गिल ने प्रधान मत्री से शिकायत की थी कि पुलिस ने ज्यादती की है।

जहां तक तकनीकी पहलू का संबंध है, न तो मंत्री महोदय से प्रत्यक्षतः कोई शिकायत ही की गई थी और न ही कागजात गुम होने के सम्बन्ध में मंत्री महोदय को कोई प्रत्यक्ष सूचना दी गई थी। मंत्री महोदय के पास केवल उस पत्र की एक प्रति भेजी गई जो प्रधान मंत्री को भेजा गया था जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें तंग किया जा रहा है और उन्हें सन्देह हैं कि श्री सूद कुछ कागजात ले गये है तथा इसमें श्री सूद का हाथ है।

श्री म० ला० सोंधी : मैं यह साबित कर सकता हूँ कि इसका उल्लेख बहुत बाद में किया गया था। कोई गलत धारणा क्यों पैदा की जाती है ? वह आरम्भ से ही इससे इन्कार करते रहे और अपने पद से त्याग पत्र देने की बात करते रहे। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं सभा को गुमराह कर रहा हूं। मैं भी आप से संरक्षण चाहता हूँ। चंडीगढ़ तथा दिल्ली में जासूसों के गिरोह कार्य करे है। आपने हमें यह मामला उठाने से रोका है। यह देश की सुरक्षा का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने से पहले मुझे वास्तविक जानकारी मिलनी चाहिए और मंत्री महोदय इसके लिये सहमत हैं। विशेषाधिकार समिति तथ्यों की सत्यता के बारे में आश्वत हो जाने पर अधिक से अधिक उन्हें चेतावनी देगी या मुझ से चेतावनी देने के लिये कहेगी।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : Only warnning will not do. The hon. Minister should resign.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I rise on a point of order.

Firstly, you may give your ruling in writing on the points of order raised here.

Mr. Speaker : I may give in writing.

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister knew that he was making a wrong statement and still he made it. Shri Sondhi says that there is a note of Minister on it. Rulings have already been given on such matters. There are also rulings of the House of Commons that if a Minister deliberatly makes a wrong statement it amounts the breach of privileges. Therefore how can you say that only a warnning would be given ?

Under Rule 224 only one Question of Privilege can be raised in one sitting so that the question may be considered fully by the House. But more than one question are being raised here. Therefor some definite procedure should be laid down in this regard. I should be decided that a particular matter will be taken today so that no other matter may not be raised.

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि निर्णय लिखित रूप में दिया तो मैं किसी दूसरे दिन अपना निर्णय लिखित रूप में दूंगा।

Shri Kanwar Lal Gupta : You have called me to speak. I stood but now points of order were raised. So I may be given opportunity to express my views.

Mr. Speaker : I have not called you. I am hearing point of order.

श्री रंगा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह खेद की बात कि हमें इस बात का अवसर देने के बजाय कि हम इस बात का निर्णय करे कि इस मामले पर इस सभा में चर्चा की जाये अथवा इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये, आप हम लोगों से इस प्रकार तर्क कर रहे हैं जैसे कि हम आपके कक्ष में हो। आपने कहा है कि विशेषाधिकार समिति चेतावनी देने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकती है। मैं नहीं समझता कि यह ठीक बात है। आपको यह अधिकार है कि आप हमें बहस करने की अनुमति दे अथवा न दें और इसे ग्राह्य करें अथवा न करें। पिछले दिन आपने कहा था कि यदि सभा की यही इच्छा है, तो आप इसे सभा पर छोड़ने के लिये तैयार हैं और आप उस समय अपने कक्ष से चले गये थे। अतः आपसे अनुरोध है कि इसका निर्णय सभा पर छोड़ दिया जाये कि इस पर सभा में चर्चा की जाये या इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये।

पिछले दिन मैंने अनुरोध किया था कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये जो इसके सभी पहलुओं पर विचार करेगी। आज डा० वी० के० आर० वी० राव के वक्तव्य के सम्बन्ध में श्री सोंधी ने अनेक नई बातें बताई हैं। मन्त्री महोदय ने भी कहा है कि यदि कोई गलत बात होगी तो वह त्याग पत्र दे देंगे। अतः मेरा अनुरोध है कि विशेषाधिकार समिति इस पर ठंडे दिमाग से विचार करें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस महीने की 15 तारीख को श्री शिवप्पा, श्री कंवरलाल गुप्त और श्री म० ला० सोंधी ने यह मामला उठाया था और यहां पर एक वक्तव्य दिया गया था, मैं उस वक्तव्य के एक अंश की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं.....

श्री कंवरलाल गुप्त : माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं न कि इस मामले पर चर्चा, क्योंकि उन्होंने यह मामला नहीं उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। यह निर्णय करना मेरा काम है कि यह व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी : डा० वी० के० आर० वी० राव ने कहा था कि यदि तारीख आदि के बारे में मेरे पहले वक्तव्य से किसी के मन में कोई गलत धारणा हो गई है, तो मुझे इसका खेद है। सभा को गुमराह करने अथवा गलत बयानी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था।

यदि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाता है तो इसमें एक और महत्व पूर्ण बात को ध्यान में रखना होगा। श्री सोंधी ने कहा है कि डा० वी० के० आर० वी० राव को 5 नवम्बर को पता लगा था, डा० राव का कहना है कि उन्हें 5 दिसम्बर को पता लगा था। और डा० गिन के पत्र के अनुसार 25 नवम्बर को यह बात डा० राव के सामने आई। यदि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाता है तो इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

श्री पी० राममूर्ति : इस मामले पर विचार करके सिफारिशें करना विशेषाधिकार समिति का काम है। अध्यक्ष महोदय इसका अनुमान कैसे लगा सकते कि विशेषाधिकार समिति अधिक से अधिक चेतावनी देगी। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है।

दूसरी बात यह है कि विशेषाधिकार समिति इसी सभा की एक समिति है जो किसी प्रश्न के गुण दोषों पर विचार करके अपनी सिफारिशें करती है, यह समिति किसी की प्रताड़ना आदि नहीं करती है। समिति की सिफारिशों को देखते हुए कोई कार्यवाही करना सभा का कार्य है।

Shri Kanwar Lal Gupta : I rise on a point of order. The other day when this privilege motion was raised you said that you would not give any ruling and if a motion is tabled, it would be placed before the House. Therefore I submit that the motion given by me and also by other hon. Members may be take today of tomorrow.

श्री म० ला० सोंधी : दो माननीय सदस्यों ने मेरे सम्बन्ध में कुछ उल्लेख किया है, अतः मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आपको बाद में अवसर दिया जायेगा।

श्री रा० द्रो० भंडारे (बम्बई मध्य): सभा के अपमान के सम्बन्ध में इस प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा रहा है। किसी प्रस्ताव के गुण दोषों पर विचार करने के बाद खेद व्यक्त किया जाता है या क्षमा याचना की जाती है। मंत्री महोदय जब खेद व्यक्त कर ही चुके है तो अब इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपने के लिये क्या रह जाता है। "मे" की संसदीय प्रणाली में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं।

श्री गोविन्द मेनन : सभी सदस्य विचाराधीन प्रस्ताव के सन्दर्भ से बाहर बोल रहे हैं, मेरे पास इस प्रस्ताव के प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की एक प्रति है।

श्री कंवरलाल गुप्त : इस बात की जांच की जानी चाहिए कि मंत्री महोदय के पास प्रस्ताव की प्रति कहां से आई।

श्री गोविन्द मेनन : यह डा० राव के बारे में है। मुझे उनसे यह प्रति प्राप्त हुई है। यह कोई गोपनीय कागज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी मंत्री के विरुद्ध कोई प्रस्ताव होता है तो उनके पास प्रस्ताव की एक प्रति भेज दी जाती है। किन्तु जब तक प्रस्ताव ग्राह्य न हो जाये वह उसका उल्लेख नहीं कर सकते हैं। अतः जब तक मैं अपनी स्वीकृति न दे दूं, मैं उन्हें इसका उल्लेख करने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री गोविन्द मेनन : मैंने डा० राव का वक्तव्य सुना था। प्रश्न यह उठाया गया है कि उन्हें इस पत्र के बारे में 25 नवम्बर को पता नहीं था। उनके भाषण के अन्तिम अंश से पता चलता है कि उन्होंने पत्र देखा था। श्री सोंधी ने कहा है कि उन्होंने 25 नवम्बर को पत्र देखा है। उनका खेद व्यक्त करना उनकी सज्जनता का द्योतक है।

श्री दत्तात्रेय कुण्टे (कोलाबा) : इसमें दो बातें विचार करने की हैं। पता नहीं कि आपने अभी औपचारिक रूप से ग्रहीत किया है, अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री दत्तात्रेय कुण्टे : यदि इसे ग्रहीत नहीं किया गया है तो क्या इस अवस्था में विधि मंत्री द्वारा दिय, किसी भाषण का उल्लेख करना उचित है।

दूसरी बात यह है कि पिछली बार जब मैंने यह मामला आपके सामने उठाया था तो आपने कहा था कि आप इसे सभा पर छोड़ते है जिससे हमने यह समझा कि इस बात का निर्णय सभा करेगी कि इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये अथवा नहीं।

तीसरी बात यह है कि विधि मंत्री महोदय ने आपके द्वारा प्रस्ताव ग्रहीत किये जाने से पहले एक दस्तावेज का उल्लेख किया है। आपने अपने निर्णय में कहा है कि उन्हें इसका उल्लेख नहीं करना चाहिये। इसका उल्लेख करके उन्होंने विशेषाधिकार भंग किया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं किया।

श्री दत्तत्रेय कुण्टे : उन्हें इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए था। उन्हें सभा से क्षमा याचना करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : जब इस पर इतनी अधिक चर्चा हो गई तो मैंने कहा था कि मैं इस पर विचार करके इसे सभा के सामने रखूंगा। मैंने सभा की कार्यवाही का सारा वृतान्त पढ़ा है और इसमें विचार करने की बात यह है कि क्या मंत्री महोदय ने जानबूझ कर ऐसा किया है। उसके बावजूद भी उन्होंने सभा के सामने खेद प्रकट किया है। यदि इसके अतिरिक्त इसमें कोई और बात हो तभी इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जायेगा अन्यथा नहीं। मैं इसे सभा के सामने रखूंगा।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजकर दस मिनट (म० प०) तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned for lunch till ten minutes past Fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद सवा दो बजे (म० प०) पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Quarter past Two of the Clock.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) नियम

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947, की धारा 27 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) नियम, 1969 (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 14 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2643 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2376/69]**

नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन आदि के कार्य की समीक्षा

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रतिः—

(एक) नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2377/69]**

(2) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत मनमाड़ वस्त्र उद्योग विकास परिषद का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2378/69]**

(3) दिनांक 4 नवम्बर, 1969 के सरकारी संकल्प संख्या एफ० 9(1)/68-ओ० एण्ड एम० (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जिसमें वस्त्र आयुक्त के संगठन सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन के भाग II में की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णय दिये गए हैं **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2379/69]**

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (बिहार) 1969–70

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (BIHAR) 1969-70

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं एक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी सस्करण) प्रस्तुत करता हूं, जिसमें वर्ष 1969–70 के लिये बिहार राज्य के संबंध में अनुदान की अनुपूरक मांगे दिखाई गई हैं।

समिति के लिए निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

प्राक्कलन समिति

श्री तिरुमल राव : (काकिनाडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य सचालन सबंधी नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित ढंग में 30 अप्रैल, 1970 को समाप्त होने वाली अवधि के शेष भाग के लिए श्री जी० जी० स्वैल के स्थान पर, जिन्होंने प्राक्कलन समिति से त्यागपत्र दे दिया है, प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित ढंग में 30 अप्रैल, 1970 को समाप्त होने वाली अवधि के शेष भाग के लिए श्री जी० जी० स्वैल के स्थान पर, जिन्होंने प्राक्कलन समिति से त्याग पत्र दिया है प्राक्कलन समितिके सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक

INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Sir, I oppose this Bill because the silk industry is not being helped as it should have been helped. Though this amending Bill has been brought to develop this industry but it is not going to get due protection.

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य इन आपत्तियों को तब उठा सकते हैं जब इस पर विचार प्रारम्भ हो।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है; "कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

श्री ब० रा० भगत : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में प्रश्न
RE. CALLINC ATTENTION (QUERY)

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आज हमने राष्ट्रीय स्वस्थता दल के समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया था। अतः हम आपके माध्यम से डा० राव से प्रार्थना करते हैं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि अध्यक्ष महोदय उस मामले पर विचार कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : चूंकि उन्होंने विचार नहीं किया है, अतः हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ही विचार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में आप अध्यक्ष महोदय से मिलें।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I would like to request the hon. Minister of Education through you to give a statement regarding the strike of the students of Delhi University.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप नियमानुसार एक प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : रवीन्द्र सरोवर में हुई कथित घटनाओं के बारे में इस सभा में काफी चर्चा हो चुकी है। अब चूंकि आयोग का प्रतिवेदन आ गया है, इसलिये मैं गृह-कार्य मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि वह उसके निष्कर्षों के बारे में एक वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसके लिये नियमित रूप से नोटिस दें।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I want that a statement regarding the discussions held with the Prime Minister of Mausitius in connection with the security of Indian Ocean may be given in this House.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब मेरा साथ दें और हम कार्यवाही को आरम्भ करे क्योंकि हम पहले ही बहुत पीछे हैं।

एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा विधेयक—जारी

MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICS BILL-CONTD.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा विधेयक पर आगे चर्चा करेंगे। मन्त्री महोदय दो बजकर 50 मिनट पर उत्तर देना आरम्भ करेंगे।

श्री विक्रम चन्द महाजन (चुम्बर) : इस सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकती कि आर्थिक विषमतायें बहुत बढ़ चुकी हैं। हमें आशा थी कि वर्तमान विधेयक से इनमें कुछ कमी होगी परन्तु हमारी आशाओं पर पानी पड़ गया है।

हमें देखना चाहिये कि एकाधिकार का विकास क्यों हो रहा है। हम सबसे पहले कार उद्योग को लेते हैं। देश में कारें बनाने के तीन ही कारखानें हैं तथा इसके लिये किसी और को अनुमति नहीं दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि एकाधिकार आयोग इस सम्बन्ध में क्या कर रहा है ? सरकार को या तो इस उद्योग का राष्ट्रीकरण कर देना चाहिये था और या उसे नये लाइसेंस जारी करने चाहिये थे। यही कारण है कि धन का जमा कुछ ही लोगों के पास हो गया है।

इसके बाद हम मोटर परिवहन तथा मार्ग-परमिट व्यवस्था पर आते हैं। मैं समझता हूं कि सड़क परिवहन का भी राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमें मार्ग परमिट आदि प्रतिबन्ध नहीं लगाने चाहिये। हमने प्रतिबन्ध लगाकर कुछ क्षेत्रों का धन का जमाव बढ़ा दिया है।

अब मैं अपने राज्य का एक उदाहरण देता हूं। चावल मिलें लगाने के लिये बहुत से लोगों ने आवेदन-पत्र भेजे थे, परन्तु लाइसेंस केवल एक ही व्यक्ति को दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार से एकाधिकार आयोग इस समस्या को कैसे हल कर सकता है।

हम धन जमा होने को दो तरीकों से हटा सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि जिस क्षेत्र में ऐसा हो उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। परन्तु यदि हम किसी कारण से ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमें लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर देनी चाहिये।

इस विधेयक को पारित करने से हम नौकरशाही को बढ़ावा दे रहे हैं। एकाधिकार आयोग नौकरशाही उद्योग है।

अतः मेरा निवेदन है कि हमें सम्पूर्ण औद्योगिक नीति पर नये सिरे से विचार करना चाहिये। एकाधिकार विधेयक से हम गरीब जनता के धन को बरबाद कर रहे हैं।

श्री गणेश घोष (कलकत्ता-दक्षिण) : यह विधेयक एक मज़ाक है। अब तक तो वर्तमान सरकार पूंजीवाद तथा एकाधिकार का विकास करने के लिये अपने सभी साधन जुटाती रही है और अब वह एकाधिकार को रोकने के लिये यह विधेयक ले आई है। विश्व के सभी उन्नत देशों ने यह महसूस किया है कि पूंजीवादी प्रणाली में कानून बनाने से एकाधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता। अमरीका में 1890 में "शरमन" अधिनियम बनाया गया तथा अन्य अधिनियम भी बनाये गये परन्तु उनके बावजूद भी अमरीका में एकाधिकार खूब पनप रहा है। जब अमरीका एकाधिकार को नहीं रोक सका तो हमारी सरकार के लिये यह सोचना निरर्थक है कि वह भारत में ऐसा कर सकेगी।

यदि सरकार वास्तव में ही वही करना चाहती थी जो उसने विधेयक में कहा है तो उसे एकाधिकार को रोकने की बजाय उसे जड़ से उखड़ने का प्रयत्न करना चाहिये था। अतः अधूरे मन से कार्यवाही करने से तो एकाधिकार प्राप्त कारखानों को अपना एकाधिकार बढ़ाने का ही अवसर मिलेगा। मेरा तो यही विचार है कि पूंजीवादी प्रणाली में कोई भी शक्ति एकाधिकार को समाप्त नहीं कर सकती। श्री डी० एल० मजूमदार, जो समवाय विधि प्रशासन विभाग के भूतपूर्व सचिव थे, का भी यही मत था।

जबसे हमने समाजवाद लाने का राष्ट्रीय उद्देश्य बनाया है तब से एकाधिकार में कुछ तेजी से वृद्धि हो गई है। अब टाटा और बिड़ला समाजवाद का नारा इसलिये लगा रहे हैं क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकार से हम गरीबों के धन को अच्छी तरह से लूट सकते हैं। यदि सरकार इस समस्या का हल वास्तव में करना चाहती है तो उसे देशीय एवं विदेशीय एकाधिकार प्राप्त समूहों पर कब्जा कर लेना चाहिये। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जनता यह महसूस करने लग जायेगी कि आप ऐसा 1972 के चुनावों के लिये कर रहे हैं। मैं और मेरा दल तो यही महसूस कर रहा है कि सरकार ऐसा करने में गत 22 वर्षों में असमर्थ रही है और न ही वह ऐसा करना चाहती है।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : Many changes are coming in the politics of the country. Some people think that they will go down in this change over while others think that they will get an opportunity to rise. Whatever may be the result of this change over but one thing is certain that the rights and the feelings of the people will get the supreme place.

Ours is a country inhabited by the poor. The size of the average holding here is 1.8 hectare. The per capita income is also very low. The property is concentrating in a few hands. It is not a good thing for the country and we cannot tolerate it.

As far as this Bill is concerned I welcome and support it. Corrupt businessman, corrupt politician and corrupt Government officer have been exploiting the masses. This Bill is showing a ray of hope that this era will be no more now. We hope that the political monopoly will now come to an end.

Keeping in view the condition of the country this Bill should have been brought much earlier than this. But it is good that its importance has been realised even now.

Some people criticise public sector and private sector. They are right in doing so. But I feel that if three elements as enumerated by me above are removed from the society then everything will be all right. When there will be only public sector and private sector will be no more then the farmer will also start working well.

I am of the view that there should be Government control over all the big factories. No big factory should be under any one individuals control At the same time I would like to suggest that there should be only one individuals control over cottage industries. The term mixed economy should be defined explicity. This should be made clear that the big industries shall be in the public sector and small industries in the private sector.

Shri Amrit Nahata (Barmer) : Shri Masani has said that in the private sector in India there is no monopoly at all. I think that he has forgotten whatever he has learnt about economics. He is not aware of the definition of the words monopoly. Monopoly does not necessarily means the condition of production and supply at one place. Monopoly is also there where there is no competition, imperfect competition or where there is no choice for the consumer.

Shri Masani and Shri Ashoka Mehta forget that the aim of this Bill is not only to stop the practice of monopoly but also economic concentration.

There is disparity in all the corners of the country. One the one hand there are palatial buildings for the rich and on the other hand there are no houses for the poor to live in.

On account of wrong policy pursued by Planning Commission there has be loprided growth of our economy. Now we find that there is great disparity in the living standard of people in our country. The Planning Commission under the leadership of Shri Ashok Mehta has been patronising the big industrialists and businessmen. A large number of licences were given to these peoples. Many committees have pointed out these things in their reports These anomalies cannot be stopped by law. We will have to adopt correct policies for that. We will have to put emphasis on social justice and cquelity. Small entreprenneus will have to be encouraged. Correct policies are necessary for doing that.

Shri Ashok Mehta and Shri Masani represent monopoly interests. They advocate for large scale industries. By doing so they want to increase exports. I am not convinced by this argument. We Should give preference to small scale industries.

श्री हिम्मतसिंहका (गोडवा) : जब यह विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था उस समय इसमें कुछ ऐसी बातें थीं जिन्हें हम ठीक नहीं समझते थे, परन्तु हमें आशा थी कि प्रवर समिति में इसमें सुधार कर दिया जायेगा। बड़े खेद की बात है कि प्रवर समिति ने इस में से त्रुटियां हटाने के स्थान पर ऐसी बातें रख दी हैं जो कि और भी अधिक खराब हैं। अविभक्त हिन्दु परिवार के उपक्रमों के स्वामित्व के बारे में उपबन्ध बहुत त्रुटिपूर्ण है।

इस विधेयक में केवल निजी उपक्रमों के एकाधिकार पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है और यह सभी सरकारी उपक्रमों पर लागू नहीं होगा। यह उपबन्ध सरकारी उपक्रमों पर भी लागू होने चाहिये।

विधेयक में एक और गलत धारणा है। वह यह है कि बड़े पैमाने के व्यापारियों को एकाधिकार वाला समझा जा रहा है। एकाधिकार आयोग की रिपोर्ट में जिन 75 बड़े व्यापार गृहों का उल्लेख है उन सभी को एकाधिकारी माना जा रहा है। बड़ी कम्पनियों के वास्तविक मालिक तो शेयरधारी हैं। कम्पनियों के प्रबन्धकों को एकाधिकारी नहीं माना जाना चहिये। प्रबन्ध करने वाले ये व्यक्ति तो अंशधारियों द्वारा इसी प्रकार चुने गये हैं जैसे राजनैतिक सदस्यों को लोग चुनते हैं। इस प्रकार इसमें बहुत गलत फहमी है।

अनेक सदस्यों ने एकाधिकार आयोग की रिपोर्ट से उदाहरण देकर 75 बड़े उद्योग गृहों को एकाधिकार की प्रवृति के लिये जिम्मेदार ठहराया है। यदि ये गृह जोखिम नहीं उठाते तो देश में औद्योगिक प्रगति नहीं होती ? मैं यह समझ नहीं पाया।

वैसे एकाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि इन उद्योग गृहों ने देश के औद्योगिक विकास तथा व्यक्तियों के प्रशिक्षण में विशेष कार्य किया है।

श्री सेझियान ने कहा है कि देश के तीन बड़े उद्योग गृहों टाटा, बिडला और मफतलाल ने गत चार पांच वर्षों में बहुत धन कमाया है। और इन बड़े उद्योगपतियों को सरकार ने ऋणों और शेयरों के रूप में 450 करोड़ रुपया दिया है। हमें ध्यान रखना होगा कि यह राशियां कम्पनियों की आस्तियों के आधार पर दी गई हैं। और इनका वापिस भुगतान किया जायेगा, फिर ये आस्तियां किसी विशेष व्यक्ति अथवा उद्योग गृह की निजी सम्पति नहीं है बल्कि ये शेयरधारियों की सामूहिक सम्पत्ति हैं। इस बारे में गलतफहमी उत्पन्न नहीं की जानी चाहिये। इस प्रकार की बात से एकाधिकार को रोकने के लिये बड़ी अच्छी परियोजनाए रुकी पड़ी हैं।

यदि भीठापुर परियोजना तैयार हो जाती है, तो हम अपने आयात को कम कर सकते हैं। इससे देश को बहुत लाभ होता। एकाधिकार को समाप्त करने की इस भ्रामक धारणा के कारण देश में अनेक महत्वपूर्ण उद्योग पनप नहीं रहे हैं। देश के आर्थिक विकास में बाधाएं खड़ी की जा रही हैं।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैंने माननीय सदस्यों के० विचारों को बड़े ध्यान से सुना है। उनके द्वारा दिये गये अच्छे सुझावों के लिये मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने रूढ़िवादी विचारो को व्यक्त किया है। श्री अशोक मेहता ने निहित स्वार्थों की बात कही है। मै पुनः स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार की औद्योगिक नीति का लक्ष्य देश में उद्योग और अर्थव्यवस्था का विकास है। हमें सामाजिक तथा आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति में अपने प्रयासों को और अधिक बढ़ाना है। हमें ध्यान रखना है कि आर्थिक विकास से सभी को लाभ हो और केवल कुछ एक व्यक्तियों के पास ही धन एकत्र न हो जाये। जनसाधारण को लाभ

पहुंचे। समाज में चल रही विषमताएं समाप्त हों। हमें अपनी औद्योगिक नीति इस प्रकार बनानी होगी कि यह लक्ष्य प्राप्त किये जा सके। ऐसा केवल कानून द्वारा ही नहीं किया जा सकता। यह केवल एक साधन है।

श्री मसानी किसी समय स्वयं एक समाजवादी थे। फिर वह ऐसे लोगों के पास चले गये जहां पर उन्होंने अपने ज्ञान के विपरीत शिक्षा प्राप्त की। और अब जब देश में परिवर्तन लाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं वह कुछ और ही सोचते हैं। यह परिवर्तन देश के हित में है। हमें प्राचीन बातों और धारणाओं को छोड़ना होगा। पहले से चले आ रहे आर्थिक शोषण को हमें समाप्त करना होगा।

सरकार की आर्थिक नीति की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि निहित एकाधिकारी स्वार्थों पर नियन्त्रण होना चाहिये। श्री मसानी अमरीकी उद्योगपतियों की भांति सोचते है। वहां भी बड़े बड़े उद्योगों को छोटे उद्योगों की सहायता पर निर्भर करना पड़ता है। इन छोटे उद्योगों की संख्या सैकड़ों में है। हमारे देश में वहां के समान स्थिति नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकारी उपक्रमों के समीप छोटे छोटे उद्योग स्थापित हों। आजकल हम क्या देखते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने उपक्रमों के निकट छोटे उद्योग स्थापित नहीं किये हैं। सरकारी क्षेत्र में इस दिशा में कुछ कार्य हुआ है।

इस विधेयक पर संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिये बड़ी संख्या में लोग आये थे। वहां विधेयक पर बड़े विस्तृत रूप से विचार किया गया है। सदस्यों ने वहां भी कुछ सुझाव दिये थे। उनपर विचार करने के बाद समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया है। समिति ने जो परिवर्तन किये है, यदि धन के केन्द्रीकरण को रोकना है तो इस प्रकार उपबन्ध आवश्यक हैं। वैसे इन उपबन्धों को अभी और भी कड़ा किया जा सकता था।

मैं गैर–सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मुकाबले के प्रश्न में नहीं जाना चाहता। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दोनों क्षेत्रों में परस्पर सूझबूझ होनी चाहिये ताकि ठीक प्रकार से आर्थिक विकास हो सके।

हमें दोनों क्षेत्रों के उपक्रमों का मुकाबला नहीं करना चाहिये। गैर–सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम तो धन कमाने के उद्देश्य से चलाये जाते हैं। सरकारी उपक्रम देश में समृद्धि लाने के लिये हैं। सरकारी क्षेत्र अब एक स्थायी चीज है। इसके कार्य में सुधार हेतु हमें भरपूर प्रयत्न करना है। प्रोफेसर गालब्रेथ की पुस्तक का भी यहां उल्लेख किया गया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में उपक्रमों को अधिक अधिकार देने की बात कही है।

श्री मसानी ने प्रो० गालब्रेथ की पुस्तक का उल्लेख करते हुए उस पुस्तक के कुछ उद्धरणों को सभा के समक्ष रखा है। मैं श्री मसानी से निवेदन करता हूँ कि वह श्री गालब्रेथ की पुस्तक का सही निर्वाचन करें। उन्होंने आज हम पर यह आरोप नहीं लगाया है कि हम अधिक से अधिक सरकारी क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। परन्तु उन्होंने जो कहा है वास्तव में वह यह है कि अधिकारों का अधिक प्रत्यायोजन किया जाना चाहिये। संयुक्त राज्य अमरीका में भी राज्य का उससे कहीं अधिक नियंत्रण है। जितना कि हमारे देश में है और जिसके बारे में श्री मसानी इतनी अधिक आपत्ति कर रहे हैं।

मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि इस विधान से औद्योगिक विकास में बाधा पैदा हो जायेगी और ऐसा कहते समय उन्होंने यह भी कहा है कि अन्य देशों के उद्योगों की तुलना में हमारे उद्योग बहुत छोटे हैं। यह सच है कि हमारे उद्योग छोटे हैं और मैं इस तथ्य से इंकार नहीं कर सकता हूं। मैं उनके इस तर्क से भी सहमत हूँ कि बड़े उद्योग का होना उपभोक्ताओं के हित में है और इससे चीजें सस्ती मिल सकेंगी। परन्तु उद्योग के बड़े होने को एकाधिकार से नहीं जोड़ा जाना चाहिये। यह दो भिन्न चीजें हैं। हमने देश के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय करना है। हमें बड़े उद्योग स्थापित करने के लिये प्रयास करना है, क्योंकि ऐसा करना देश के हित में होगा परन्तु साथ-साथ हमने यह भी सुनिश्चित करना है कि इससे एकाधिकार को बढ़ावा न मिले। हमारे सामने इस समय उद्योगों के आकार को बढ़ाने की समस्या नहीं है, अपितु औद्योगिक और व्यापारिक कार्यकलापों का ध्रुवीकरण करने की समस्या है। हमने कुछ एक बड़े बड़े उद्योग-गृहों के एकाधिकार को रोकना है, क्योंकि इससे देश की अर्थ व्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ता है। इससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं मिलता है, अपितु प्रतिस्पर्धा रुक जाती है। हम मध्यम वर्ग के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के उत्सुक है। उन्हें इस योजना के अन्तर्गत उचित स्थान नहीं मिल सका है। वास्तव में अधिकांश विकासशील देशों की अर्थ व्यवस्था को एकाधिकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और मैं माननीय सदस्य को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि अमरीका तथा ब्रिटेन जैसे देशों में भी काफी समय से एकाधिकार विरोधी विधान मौजूद हैं।

माननीय सदस्य ने एकाधिकार शब्द की वही व्याख्या की है जो कि शब्दकोष में दी हुई हैं। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि हमें एकाधिकार शब्द के शाब्दिक अर्थ को इतना महत्व नहीं देना चाहिये, हमें तो यह देखना है कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है और इससे हमारी अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है।

फिर उन्होंने यह कहा था कि वह आयोग केवल एक सलाहकार समिति की भांति था। आयोग के दो मुख्य कृत्य थे। आयोग का एक कृत्य प्रतिबन्धात्मक व्यापार पद्धति से सम्बन्धित था। जहां तक इसका सम्बन्ध है, आयोग केवल एक सलाहकार समिति के रूप में नहीं था, परन्तु उसे निर्णय लेने के अधिकार प्राप्त थे।

जहां तक एकाधिकार का सम्बन्ध है, यह सच है कि इस बारे में आयोग का दर्जा एक सलाहकार समिति का दर्जा था। परन्तु सरकार को जो निर्णय लेना है, वह आयोग द्वारा दी गई सलाह के आधार पर लेना है और इस निर्णय को केवल दो स्थानों पर अर्थात उच्चतम न्यायालय एवं इस सभा में चुनौती दी जा सकती है और यदि सरकार द्वारा कोई गलती हो जाती है तो उस पर विचार किया जा सकता है और उसके बारे में उचित कार्यवाही की जा सकती है। अतः माननीय सदस्य को आयोग के सलाहकार स्वरूप के बारे में इतना चिन्तित नहीं होना चाहिये, क्योंकि पीड़ित पक्ष इस मामले को उच्चतम न्यायालय अथवा इस सभा में उठा सकते हैं और सरकार द्वारा की गई गलती को दूर किया जा सकता है।

अन्त में उन्होंने कहा था कि यह विधान बनाते समय उपभोक्ता को भुला दिया गया है। यह विधेयक प्रतिस्पर्धा के पक्ष में है और इसका उद्देश्य उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना है। इससे एकाधिकार की प्रतिबन्धात्मक पद्धति पर नियन्त्रण किया जा सकेगा।

श्री अशोक मेहता ने योजना की आलोचना की है तथा इस विधेयक के उपबन्धों की आलोचना की है। जहां तक योजना का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूँ कि श्री अशोक मेहता का योजना के साथ मुझसे घनिष्ट सम्बन्ध रहा है, क्योंकि वर्ष 1963 से चार वर्षों की अवधि तक वह योजना आयोग से सम्बन्धित रहे हैं, क्योंकि पहले वह योजना आयोग के उप-प्रधान थे और फिर योजना मन्त्री।

विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में श्री अशोक मेहता की आलोचना को सुनकर मुझे बड़ा ताज्जब हुआ। वह आपत्ति पर आपत्ति करते जा रहे थे। विधेयक को सभा में पुरः-स्थापित करने से पहले उसे मन्त्रिमन्डल के समक्ष लाया जाता है तथा सरकार द्वारा उस पर संयुक्त निर्णय किया जाता है। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि जब इस विधेयक के प्रारूप को मन्त्रिमन्डल के सामने लाया गया था, उस समय श्री अशोक मेहता ने इस विधेयक पर एक भी आपत्ति नहीं की थी। उस समय वह मन्त्रिमन्डल के सदस्य थे। मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस विधेयक में अब इतनी त्रुटियां कैसे हो गई और वही उपबन्ध जो उन्हें उस समय जब वह हमारे थे, सही लगते थे, अब त्रुटिपूर्ण कैसे हो गये? अतः कम से कम उन्हें इस बात को देखते हुए तो इस विधेयक की आलोचना नहीं करनी चाहिये थी, क्योंकि वह स्वयं इस विधेयक का अनुमोदन कर चुके हैं।

श्री अशोक मेहता ने मेरे बारे में कुछ वैयक्तिक टिप्पणियां की थीं जो बिल्कुल असंगत थीं। मैं उनका उल्लेख नहीं करूंगा, क्योंकि वह इस समय उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने बड़े उद्योग गृहों के लिये आंसू बहाये हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस आयोग का मौलिक उद्देश्य इस बात का मूल्यांकन करने के लिये अमुक व्यक्ति इस विधेयक की परिधि में आता है अथवा नहीं एक स्वतंत्र अधिकार की स्थापना करना है, ताकि बड़े उद्योग अथवा श्री मसानी और श्री अशोक मेहता जैसे बड़े उद्योग के मित्र सरकार पर यह आरोप न लगा सकें कि प्रधानमंत्री तानाशाह की तरह काम कर रही हैं।

फिर उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि ब्रिटेन में उद्योगों को मिलाकर बड़े से बड़े उद्योगों की स्थापना की जा रही है, ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ मैं निर्यात व्यापार में प्रतिस्पर्धा के लिये बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना के विरुद्ध नहीं हूँ। परन्तु यह भी जरूरी है कि आन्तरिक बाजार में छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जाये और ऐसा न हो कि बड़े बड़े उद्योग उन्हें समाप्त कर दें।

उन्होंने औद्योगिक ऋण की उपलब्धता के बारे में भी उल्लेख किया था। मैं यह नहीं समझ सका कि वह क्या कहना चाहते थे परन्तु यदि उनके कहने का अर्थ यह था कि एक व्यापक ऋण योजना तथा नीति होनी चाहिये, तो मैं उन से सहमत हूं।

इसके बाद उन्होंने औद्योगिक उत्पादन का उल्लेख किया था जहां तक मैं समझ सका हूँ वह यह चाहते थे कि सरकारी क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र केवल बुनियादी उद्योगों तक ही सीमित रखना चाहिये तथा गैर-सरकारी क्षेत्र को अन्य उद्योगों को जो कि अधिक लाभप्रद हैं, अनुमति होनी चाहिये। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि भविष्य में हमारी

औद्योगिक नीति इस प्रकार की होगी जिसमें सरकारी क्षेत्र में भी अधिक लाभप्रद उत्पादन वाले कारखाने खोले जायेंगे।

श्री मेहता ने कहा है कि सरकार मुगलों की भांति कार्य कर रही है, मैं समझता हूँ कि कोई भी माननीय सदस्य इस बात को पसन्द नहीं करेगा कि यह सरकार मुगलों की भांति काम करे तथा यह निश्चित है कि कोई भी सदस्य इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यह आलोचना निराधार है कि सरकार मुगलों की भांति काम रही है, क्योंकि सरकार की हर कार्यवाही की यहां आलोचना की जाती है तथा उसे बुरा–भला कहा जाता है। मैं नहीं जानता कि ऐसी स्थिति में भी वह कैसे कह सकते हैं कि सरकार मुगलों की भांति काम कर रही है।

श्री कंवर लाल गुप्त ने वर्ष 1950 से एकाधिकार में हुई वृद्धि का उल्लेख किया था। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एकाधिकार के मामले में वर्ष 1950 का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। हमारा औद्योगिक विकास हुआ ही नहीं था। वस्तुतः हमारा आर्थिक विकास वर्ष 1954 अथवा 1955 में आरम्भ हुआ था। इसलिए जब इस विकास के बाद औद्योगिक विकास का यह दुर्भाग्यपूर्ण पहलू सामने आया तो उसके बाद दो एकाधिकार आयोग नियुक्त किये गये। पहला एकाधिकार आयोग वर्ष 1960 में नियुक्त किया गया था तथा दूसरा वर्ष 1964 में, दूसरे आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें वर्ष 1965 में पेश की गयी थी। आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद हम संसद में यह विधेयक लाये थे, जो कई महीनों से संसद् के समक्ष है। अतः श्री कंवर लाल गुप्त का यह कथन कि एकाधिकार के मामले पर कई वर्षों तक सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, सही नहीं है।

मैं अब तक उन माननीय सदस्यों की बातों का उत्तर देता रहा हूँ जिन्होंने इस विधेयक की आलोचना की थी। अब मैं श्री राम सेवक यादव तथा श्री सेझियान जैसे अपने माननीय मित्रों को जिन्होंने इस विधेयक का स्वागत किया था यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस विधेयक के उपबन्धों को उचित ढंग से क्रियान्वित किया जायेगा तथा अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समय समय पर इसके कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इससे हमारी अर्थ व्यवस्था में सुधार हो तथा उसके विकास की गति तेज़ हो।

माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के बारे में कई सुझाव दिये हैं। हम उन्हें ध्यान में रखेंगे और यदि अनुभव के आधार पर अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिये किन्हीं संशोधनों की आवश्यकता होगी तो हम उसे सभा के समक्ष लायेंगे।

मै सभा से अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि आर्थिक प्रणाली के परिवर्तन का परिणाम सामान्य उपाय करने वाले आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण न हो, एकाधिकारों के नियन्त्रण के लिए, एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं के प्रतिशेध के लिए और तत्संसक्त या तदानुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य–सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 2

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में विधेयक पर खण्डवार चर्चा होगी। माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करें। श्री यशपाल सिंह अनुपस्थित हैं।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 13,14,15,16 और 17 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मो० रु० मसानी (राजकोट) : मैं अपने संशोधन संख्या 28, 30, 31, 32, 33 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अपने संशोधन संख्या 56, 57, 58, 59, 60,61 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 और 76 प्रस्तुत करता हूं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैं अपना संशोधन संख्या 163 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दांडेकर (जाम नगर) : मैं अपने संशोधन सख्या 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 199 और 200 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लोबो प्रभु (उद्दीपी) : मैं अपने संशोधन संख्या 226, 227, 228, 229, 230, 231 और 232 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : मैं अपने संशोधन संख्या 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 प्रस्तुत करता हूं।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं अपने संशोधन संख्या 313, 314, 315, 317, 319, 320, 321, 322, 323 और 324 प्रस्तुत करता हूं।

श्री वेणीशंकर शर्मा (बांका) : मैं अपने संशोधन संख्या 380, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 392 और 393 प्रस्तुत करता हूं।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : मैं अपना संशोधन संख्या 416 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं अपने संशोधन संख्या 453 और 454 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 477 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सेजियान (कुम्बकोणम) : खण्ड दो के सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि उस पर उप–खंडवार विचार किया जाय ताकि अन्त में मन्त्री के उत्तर के लिए समय बच सके और उस पर मतदान भी हो जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दांडेकर।

श्री दांडेकर : उपाध्यक्ष महोदय, अपने संशोधनों के बारे में जो कुछ मुझे कहना है उसे मैं संक्षेप में समाप्त करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले; मैं अपने संशोधन संख्या 28 को लेता हूँ। उसमें उल्लिखित प्रमुख उपक्रम की परिभाषा के बारे में मेरा यह निवेदन है कि उसकी परिभाषा में 'कुल माल के एक तिहाई' के स्थान पर 'कुल माल का आधा' किया जाये। दूसरे, मैं चाहता हूं कि परिभाषा में से 'अदरवाइज कन्ट्रोल्स' शब्द हटा दिये जाये। तीसरी बात यह है कि उक्त खंड में दी गई परिभाषा के अनुसार कुछ मुद्दों पर छूट दी गई है। यदि किसी व्यक्ति के कई छोटे उपक्रम हैं तो वे उक्त परिभाषा की परिधि से बाहर रहेंगे। इस सम्बन्ध में बड़ी और छोटी एककों में कोई अन्तर नहीं किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

विधेयक में 'माल' की परिभाषा भी स्पष्ट नहीं है। मैंने अपने संशोधन संख्या 182 में 'माल' की स्पष्ट परिभाषा दी है। मेरे विचार से परिभाषा में 'सामान्य उपभोक्ता के सामान्य उपभोग की वस्तुए जैसे सीमेंट, कपड़ा आदि' स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। साथ ही मैंने यह भी जोड़ दिया है कि उपक्रम में तैयार होने वाली ऐसी वस्तुओं को, जो उक्त उपक्रम के उत्पाद में कच्चे माल के रूप में काम में लाई जाती है, सम्मिलित न किया जाये। यदि इस प्रकार का छट न दी गई तो कोई लाभ न होगा।

अन्तर्सम्बन्धित उपक्रम वे उपक्रम होते हैं जो उन फर्मों द्वारा संचालित होती हैं जिनमें एक या अधिक साझेदार होते हैं। जिसका अर्थ है एक प्रतिशत साझीदारी होने पर भी वे अन्तर्सम्बन्धित हो जायेंगे, किन्तु इसमें कोई सार नहीं है कि एक प्रतिशत साझेदारी होने पर भी उन्हें ऐसी फर्में माना जाये। इसलिये मेरा सुझाव है कि ऐसी प्रत्येक फर्म में कामन साझेदारों के 50 प्रतिशत से कम अंश नहीं होने चाहिए।

मेरा संशोधन संख्या 30 भी अन्तर्सम्बन्धित उपक्रमों के प्रश्न से ही सम्बन्ति है। मेरा सुझाव यह है कि प्रस्तावित उप खण्ड (छ) (तीन) के स्थान पर यह रखा जाये कि जहां उपक्रम निकाय निगमों द्वारा संचालित की जाती है, यदि वे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 की व्याख्या के अन्दर एक ही प्रबन्ध के अन्तर्गत हों।"

{ श्री क ना. तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary *in the Chair.* }

: इसी प्रकार संशोधन संख्या 184 में मेरा सुझाव है कि किसी साझेदार को साझेदारी तथा कम्पनी दोनों ही मामलों में पर्याप्त अंशधारी होना जरूरी है।

संशोधन संख्या 185 में मेरा सुझाव यह है कि प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से "शब्दों के स्थान पर "प्रत्यक्ष रूप से अथवा एक या अधिक रिश्तेदारों के माध्यम से" शब्द रखे जाये, क्योंकि "कम्पनी अधिनियम में" रिश्तेदारों" की परिभाषा स्पष्ट दी हुई है।

संशोधन संख्या 186 में 'प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शब्दों को हटाने का सुझाव है जिससे अर्थ स्पष्ट हो जाता है।

मेरा संशोधन संख्या 187 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है, अन्यथा विधेयक में प्रस्तावित रूप में उसका कोई अर्थ नहीं निकलता और उसमें सुधार करना आवश्यक है, जिसके लिये मेरा संशोधन उपयुक्त है।

कण्डिका (छः) तथा (सात) को पूरी तरह निकाला जाना चाहिए क्योंकि कण्डिका (छः) में अन्तर्सम्बन्धित उपक्रमों की जो परिभाषा दी गई है वह अर्थहीन है क्योंकि इससे पहले की कण्डिकाओं में उसका स्पष्टीकरण किया जा चुका है। इसी प्रकार कण्डिका (सात) जो अन्तर्सम्बन्धित उपक्रमों के बारे में है सबसे ज्यादा असंगत प्रस्ताव है, जिसे निकालना आवश्यक है। क्योंकि इससे एक साझीदार की एक एक प्रतिशत भागीदारी के आधार पर कई फर्मों में साझीदार बनने से वे फर्में 'अन्तर्सम्बन्धित बन जायंगी।

इसके बाद 'एकाधिकार व्यापार प्रथा' की जो परिभाषा है वह बिलकुल अस्पष्ट है जिसे निकाला जाना चाहिए, अतः मैंने अपने संशोधन संख्या 188, 189 तथा 190 में सुझाव दिये हैं, जिनसे स्थिति स्पष्ट हो जाती है। विधेयक में दी गई परिभाषा के अनुसार एकाधिकारी लोग कीमतों को ऊंचे स्तर पर रखेंगे, अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं करेंगे और इस प्रकार सामान को नष्ट करेंगे जिससे लोगों को माल नहीं मिलेगा। इसलिए, मैंने इसे निकालने का सुझाव रखा है और उसके स्थान पर संशोधित तथा स्पष्ट परिभाषा का सुझाव दिया है।

Shri Yashpal Singh (Dehradun) : Sir, I have a submission to make. I could not move my amendments to clause 2 as I was attending the meeting of the committee on "Absence of Members" So I may be allowed to move them now.

Mr. Chairman : You can move them now.

Shri Yashpal Singh : I beg to move my amendments Nos. 2, 5 and 6.

श्री दाण्डेकर : जहां तक व्यापार प्रथा का अर्थ है, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, वाणिज्य तथा बैंकिंग में उसका अर्थ स्पष्ट है तथा अच्छी तरह समझ में आ जाता है, लेकिन वर्तमान परिभाषा के अनुसार, किसी विशेष कम्पनी के व्यापार के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया असम्बन्धित कार्य तक शामिल है, इस भाषा में सुधार की आवश्यकता है जिसकी मैंने अपने संशोधन के कोशिश की है।

अन्त में, मैं अपने संशोधन संख्या 33 पर आता हूं जो "आस्तियों का मूल्य" की परिभाषा से सम्बन्धित है। आस्तियों के मूल्य" की जो परिभाषा विधेयक में दी गई है, वह बिलकुल गलत है और उसके स्थान पर वह परिभाषा रखी जानी चाहिए जो मैंने अपने संशोधन संख्या 33 में दी है, जो इस प्रकार है :–

" किसी उपक्रम के सम्बन्ध में "आस्तियों का मूल्य" का अर्थ उसकी आस्तियों के उस मूल्य से है जो मूल्य ह्रास के लिए, नवीकरण के लिए और चालू दायित्वों तथा

उपबन्धों के लिए धन की व्यवस्था करने के बाद उसके वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन उसकी लेखा पुस्तकों में दिखाया गया है।''

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : मैंने खण्ड 2 के उप खण्ड (घ) में से 'in India or any substantial part thereof' (भारत में अथवा उसके किसी काफी भाग मे) शब्द निकालने के बारे में संशोधन संख्या 13, 14 और 16 रखे हैं। इनके स्थान पर 'in any part of India' (भारत के किसी भाग मे) शब्द रखना मेरे विचार में काफी रहेगा।

मेरा दूसरा संशोधन संख्या 17 'trade practice' के बारे में है। 'trade practice' की परिभाषा में 'isolated action' भी शामिल है। इन शब्दों के उल्लेख से कानूनी तथा अन्य कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी और इससे भ्रांति उत्पन्न हो जायेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि 'isolated action' शब्द निकाल देने चाहिये। मेरा अनुरोध है कि मेरे संशोधन स्वीकार कर लिये जायें।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : मैं केवल संशोधन संख्या 32 पर बोलूंगा। 'एकाधिकारी उपक्रमों' (monopolistics undertakings) की परिभाषा न केवल भ्रांतिकारक बल्कि दोषपूर्ण भी है। मान लीजिये क्रमश: 48 प्रतिशत 1½ प्रतिशत और 1 प्रतिशत उत्पादन करने वाली तीन भिन्न भिन्न कम्पनियां हैं। वर्तमान परिभाषा के अनुसार इन तीनों कम्पनियों को इकट्ठा रखकर 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादन किये जाने के कारण 1 प्रतिशत उत्पादन करने वाली कम्पनी को भी एकाधिकारी उपक्रम माना जायेगा। इसलिए इस परिभाषा में पर्याप्त सुधार करने की आवश्यकता है।

परिभाषा का दूसरा भाग भी भ्रांतिकारक है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। यदि एक कम्पनी ने 1968 में सारे भारत में कुल उत्पादन 1,20,000 इकाई होने पर 50,000 इकाइयों का उत्पादन किया, जो कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से कम हुआ। अगले वर्ष उसका उत्पादन घटकर 40,000 हो जाता है। लेकिन अन्य कम्पनियों द्वारा उत्पादन किये जाने के कारण देश में कुल उत्पादन घटकर 20,000 हो जाने की स्थिति में यह कम्पनी अपना उत्पादन कम हो जाने पर भी एकाधिकारी उपक्रम मानी जायेगी। अखिल भारतीय वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर कुल अखिल भारतीय उत्पादन अथवा अधिष्ठापित क्षमता, जो भी अधिक हो, का 50 प्रतिशत कर दिया जाये।

आज आवश्यकता कुशलता और उत्पादन बढ़ाने तथा उत्पादों को शीघ्रता से उपभोक्ता तक पहुंचाने और उनका मूल्य कम करने की है। परन्तु इस विधेयक के उपबन्ध उत्पादन बढ़ाने में बाधक हैं। मेरे विचार में किसी कम्पनी को एकाधिकार उपक्रम मानने के लिये उसके द्वारा उत्पादन देश में कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत कर देना चाहिए जैसाकि हमने सुझाव दिया है। दूसरा सुझाव यह है कि एक वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष का औसत उत्पादन लेना चाहिए अन्यथा हम ठीक निष्कर्ष पर नहीं पहुँचेंगे। इसके अतिरिक्त उसकी शेयर पूंजी कुल राशि की तीन चौथाई होनी चाहिए। इस संशोधन को स्वीकार करके 1, 2, 3 अथवा 4 प्रतिशत उत्पादन करने वाली छोटी कम्पनियों को एकाधिकारी उप-

क्रम की परिभाषा से निकाला जा सकता है। मेरा मन्त्री जी से अनुरोध है कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

Shri Deven Sen (Asansol) : The word 'unreasonably' is likely to create some difficulties and benefit the monopolists. Therefore, I have suegested through by amendment No. 43 that word 'unreasonably' at page 4, line 41 may be ommitted. Secondly, I want that at page 5, line 6 and 10 the words 'one-half' may be substituted by 'one-third'.

Shri Shiv Chnadra Jha (Madhubani) : Mr. Chairman, I have given notice of 21 amendments on clause 2, I want that at page 2 line 10 'one- hird' may be substituted by 'one-fourth' since one-fourth of the total production is also sufficient to gain monopolists control of the market. Then in Explanation No. 3 the word quality should also be added after quantity. Similarly at page 3, line 37 the word 'influence' should also be added. In Explanation No 4-3 calendar years may be substituted by 2 calendar years.

My amendment No. 76 seeks to add the word 'views' with the word 'news' since views should also be controlled.

Shri O. P. Tyagi (Moradabad) : Mr. Chairman by amendment No. 136 seeks to substitute the words 'in India or any substantial part thereof' at page by 'in any part of India'. My amendment No. 149 is similar. I feel that the act should apply to the whole of India.

My amendment no. 245 relates to the definition of India. The Bill says 'India means the territorities to which this act extends'. There is only one definition of India. Therefore, this definition should be dropped. About my amendment no. 247 I have to say that the use of word 'Maintaning' in the condition for monopolistic trade practices is not proper as the prices depend on many factors. It may be substituted by "monipulating." My amendment no. 248 seeks to replace "unreasonably" by intentionally" My amendment no. 249 is intented to substitute "interconnected" for "independent." Now two types of policies are being suggested, one is nationalisation in all spheres and the other is based on laissez for faire theory. I am of the opinion that we should purpose a policy midway between the two because monopoly of Government or private sector, both are bad. Our country has got a large population and every person should get some occupation. Therefore, I have used the word 'intercorrected'. I agree with Shri Dandekar that the words 'a single or isolated action of any person in relation to any trade' may be ommitted.

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मेरा संशोधन है कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 7 में "undertaking" के बाद

"whether owned by a private individual or corporation or by the State either directly or through by a corporation set up by it.

शब्द जोड़ दिये जायें।

सहकारी स्वामित्व वाली कम्पनियों और नियमों को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर रखना एक भयंकर भेदभाव होगा। हम एकाधिकार का इसलिये विरोध करते हैं कि यह आम उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध होता है। उपभोक्ताओं जिनकी संख्या 95 प्रतिशत

है, की मांग है कि प्रतियोगिता हो ताकि किसी प्रकार के व्यापार अथवा उत्पादन पर किसी एक का नियन्त्रण न हो और वह कोई भी माल का मनचाहा मूल्य न ले सके। एकाधिकार चाहे सरकार का हो, चाहे बिड़ला का टाटा का हो, बुरा है। राज्य के पास न केवल आर्थिक शक्ति बल्कि राजनैतिक, पुलिस और सैनिक शक्ति भी है, इसलिए उसका एकाधिकार इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसका सामना नहीं किया जा सकता है। सरकार ने नेपा मिल को अपने हाथ में ले लिया है, इसलिए कागज अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है। जब पूंजी राज्य के नियन्त्रण में होती है, तो इसे राज्य पूंजीवाद कहते हैं। मैं सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के पूंजीवाद के विरुद्ध हूं। जब सरकारी उपक्रम को प्रतियोगिता करनी पड़ती है, तो वह असफल रहती है। मुझे किसी भी एक सरकारी कम्पनी का नाम बताइये जो प्रतियोगिता कर सकती है और सस्ते दाम पर अपना माल बेचती है। जनसाधारण के हित में सरकार को मेरा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए।

{श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudeven Nair *in the Chair*}

श्री लोबो प्रभु (उद्दीपी) : मैं सरकारी अथवा गैर-सरकारी किसी भी प्रकार के एकाधिकार के विरुद्ध हूं क्योंकि यह आर्थिक प्रगति में बाधक है और उपभोक्ता के विरुद्ध है तथा उत्पादक को अपने माल की किस्म सुधारने के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं होता है। हमें इस विधेयक को तीन कसौटियों से देखना है। क्या इस देश मे कोई एकाधिकार है जिसके लिये यह विधेयक आवश्यक हो ? क्या इस विधेयक में ऐसे एकाधिकार के विरुद्ध कोई उपबन्ध है ? क्या इस विधेयक में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं, जिनका एकाधिकार से कोई सम्बन्ध नहीं है बल्कि अर्थ-व्यवस्था पर सरकार द्वारा शक्ति प्राप्त करने से है ?

एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन में किसी एकाधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। दो प्रकार का केंद्रीयकरण बताया गया है। पहला है उत्पादनवार केन्द्रीयकरण जिसमें सम्भवतः सिगरेटों को छोड़कर केवल विलासिता की वस्तुएं आती हैं। यदि आप देशवार केन्द्रीयकरण की बात करते हैं, तो प्रतिवेदन में 75 समूहों का उल्लेख है, जिनका लगभग 2,600 करोड़ रुपये की आस्तियों वाली 1,600 कम्पनियों पर नियन्त्रण है। उनकी आस्तियां इस देश में गैर-सरकारी कुल आस्तियों की लगभग 47 प्रतिशत हैं। आयोग ने उनके मूल्यों में वृद्धि करने अथवा उनकी सप्लाई कम करने का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है।

मेरे सात संशोधन हैं। पहले के द्वारा मैं 'one-third' (एक-तिहाई) के स्थान पर 'one-half' (आधा) रखना चाहता हूं। इसके बारे में श्री दांडेकर बहुत कुछ कह चुके हैं। शरमन एण्ड क्लेटन अधिनियमों में कोई प्रतिशतता नहीं रखी गई है। 1964 के ब्रिटिश अधिनियम में एक-तिहाई प्रतिशतता का उल्लेख है परन्तु उसमें भी अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यापक प्रक्रिया है। यहां ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। जर्मन विधान में 25 प्रतिशत का उपबन्ध है। अन्य देशों में कोई सीमा नहीं रखी गई है। मेरा अगला संशोधन '(g)' उपखंडों में 'controls' के स्थान पर 'employs' शब्द प्रयोग करने के बारे में है अन्यथा सरकार उद्योगों पर नियन्त्रण का दुरुपयोग कर सकेगी। कम्पनियों की अपनी सहायक कम्पनियां

होती हैं और वे सप्लायर और विक्रय एजेंटों के रूप में दूसरे नाम से अपने आप को नियुक्त करते हैं। आपको इसे रोकना चाहिए।

मेरा अगला संशोधन संख्या 230 भी 'control' के बारे में है। मेरा सुझाव है कि पंक्ति 37 और 38 को निकाल दिया जाये। (g) (iv)(b) और (vi) में से भी 'control' या तत्संबंधी निर्देश को निकाल देना चाहिए क्योंकि इन शक्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है। कंपनियों का परस्पर सम्बन्धित होना गलत है। इस प्रकार का सम्बन्ध होने पर कोई भी कम्पनी एकाधिकार हुए बिना नहीं रह सकती है। यदि यह उपबन्ध रखना है, तो न्यूनतम सीमा रखनी चाहिए। जैसे 50 प्रतिशत का श्री दांडेकर ने सुझाव दिया। यदि आप इसे अधिक समझते हैं, तो किसी अन्य कम्पनी से सम्बन्धित करने की हकदार होने से पहले किसी कम्पनी की न्यूनतम अंश पूंजी 10 प्रतिशत कर दीजिये।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Mr. Chairman, my amendment Nos. 313 and 314 seek to omit the word for otherwise controls.' Government should not take sweeping powers but their powers should be definite and precise and not vague and will otherwise they are likely to be misused.

I feel that hardly 100 families are going to be affected by this measure. Supposing Government success in controlling the monopolies, will they be able to raise the standard of the common man ? No, there is going to be no improvement at all. Earlier also Government had the powers but they have themselves created monopolies. The enhanced powers taken by the Government by virtue of the Act are not going to serve the purpose. This Bill is still incomplete. It should have contained the provisions for raising the standard of living of general massses which are not there.

I would like to know whether Government have powers to check the monopolies if yes, the reasons for which they have been unable to check the monopoly so far. May I know the number os industries it will affect. I suggested 33⅓ percent in place of 50 percent, Moreover, I agree with what Shri Balraj Madhok said that private monopoly is bad and the State monopoly is absolutely bad. The letter is worse than the former. Their should be free competition between the two. Both should be controlled equally. If the state monopoly will be controlled the general consumers will not have to suffer from the ineficiency corruption rampant in the undertakings and by the State.

श्री हिम्मतसिंहका : संशोधन संख्या 416 के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उसमें पृष्ठ चार पर नये उपखंड की पंक्तियां 9 से 32 के स्थान पर एक नई व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है। मूल अधिनियम के उप खण्ड (तीन) और (चार) के अतिरिक्त शेष सभी खंड प्रस्तुत विधेयक में ले लिए गये हैं। ये उपखंड हिन्दू संयुक्त परिवार की व्याख्या से सम्बद्ध थे और इनके छोड़े जाने से गड़बड़ हो गई थी। मेरा व्यापार और मेरे पुत्र का व्यापार तो परस्पर सम्बद्ध माने जा सकते हैं किन्तु मेरी पुत्री के पुत्री के पति के व्यापार को मेरे व्यापार से सम्बद्ध कैसे माना जा सकता है। समवाय अधिनियम की धारा 6 के अनुसार तो पुत्र की पुत्री का पति और पुत्री की पुत्री के पति भी सम्बन्धी हैं। विधेयक की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि जिसमें काम चलना बिल्कुल भी सम्भव न होगा। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यदि सरकार वास्तव में एकाधिकार को समाप्त करना चाहती है तो उसे मेरे संशोधन संख्या 437, 438, 439 और 440 स्वीकार कर लेना चाहिए। यद्यपि मैं इस विधेयक के पक्ष में नहीं हूं, परन्तु मैं इसके उद्देश्य की सराहना करता हूं। इसमें कुछ खंड अच्छे हैं। यह सच है कि हमारे देश की अधिकांश सम्पत्ति पर 75 व्यक्तियों का अधिकार है। एकाधिकार को बिल्कुल समाप्त करना तो बहुत कठिन है। हां, उसे कम अवश्य किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इन संशोधनों को एकाधिकार कम करने के उद्देश्य से स्वीकार कर लेंगे।

श्री वेणी शंकर शर्मा : श्रीमान, इस विधेयक में खण्ड तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। अतः उनके बारे में विचार करते हुए हमें सावधान रहना है। पहले मैं अपने संशोधन संख्या 392 और 393 को लेता हूं। 'परिसम्पत्तियों का मूल्य' की परिभाषा बड़ी अस्पष्ट है। इस अस्पष्टता को दूर करने के लिये मैंने उपरोक्त संशोधन प्रस्तुत किये हैं। जिन्हें सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए। उपखंड (च) में 'भारत' की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि इस अधिनियम के लिए 'भारत' से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिस पर यह अधिनियम लागू होगा। भारत की एक सुनिश्चित परिभाषा है और उसे आगे परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए ऐसा करने से भ्रम पैदा होता है। मेरे संशोधन संख्या 380, 382 और 385 का सम्बन्ध 'प्रमुख उपक्रम' से है। 'एक या अधिक सामान्य साझेदारों' के स्थान पर 'आधे या उससे अधिक साझेदारों' होना चाहिए। प्रस्तुत विधेयक में दी गई 'एक या अधिक सामान्य साझेदारों' की परिभाषा की उपयुक्तता पर श्री हिम्मतसिंहका ने भी संयुक्त प्रवर समिति में विमति दी थी, इस दोष को दूर करने के लिए श्री दांडेकर का या मेरा संशोधन मान लिया जाये। हमारे देश में विकासशील अर्थ-व्यवस्था है उसमें उत्पादन अधिक होना चाहिए, जिससे उपभोक्ता को किसी प्रकार का कष्ट न हो। अतः हमें ऐसा ही काम करना चाहिए जिससे उत्पादन बढ़े।

श्री सेझियान : संशोधन संख्या 453 और 454 का सम्बन्ध खंड 2 के उपखंड (ञ) से है, जिसमें 'एकाधिकारवादी उपक्रम की परिभाषा की गई है। इस परिभाषा के अनुसार भविष्य में कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि हमें $\frac{1}{2}$ के बजाय $\frac{1}{6}$ लेना चाहिए। ऐसा करने से वह उपक्रम प्रमुख उपक्रम समझा जायेगा जो किसी वस्तु के कुल उत्पादन का $\frac{1}{6}$ उत्पादित या नियंत्रित या वितरित करती है।

सभापति महोदय : श्री फखरुद्दीन अली अहमद।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : इस खंड के लिए बहुत अधिक संख्या में संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। उनमें से प्रत्येक के सम्बन्ध में चर्चा करना तो सम्भव नहीं है परन्तु उनमें से जो महत्वपूर्ण हैं, मैं उन्हें ले रहा हूं। जहां तक श्री दांडेकर के इस आशय के संशोधन का प्रश्न है कि सीमा $\frac{1}{3}$ से बढ़ाकर $\frac{1}{2}$ कर दी जाये, मेरा यह कहना है कि $\frac{1}{3}$ सीमा की एकाधिकार जांच आयोग ने सिफारिश की थी। इस बात पर संयुक्त समिति में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई थी।

जहां तक 'या अन्यथा नियन्त्रण' वाक्यांश का सम्बन्ध है, मुझे केवल यह कहना है कि तत्सम्बन्धी संशोधन को स्वीकार कर लेने पर विधेयक के क्षेत्राधिकार से वे कम्पनियां बाहर

निकल जायेंगी जिन पर हम यह अधिनियम लागू करना चाहते हैं। जहां तक 'टैंड टू' (प्रवृत्ति है) को हटाने का प्रश्न है उस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस 'प्रवृत्ति' को भी रोकना चाहते हैं। यदि यह स्वीकार कर लिया जाये कि परस्पर सम्बद्ध उपक्रमों की उत्पादन सीमा देश के कुल उत्पादन का 15 प्रतिशत होनी चाहिए, तो विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार हम संशोधन संख्या 30 को स्वीकार करने में भी असमर्थ हैं जो परस्पर सम्बद्धता के बारे में है। हम परस्पर सम्बद्धता में उन संगठनों को भी लेना चाहते हैं जो एक ही प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं आते हैं, किन्तु जो किसी न किसी प्रकार परस्पर सम्बद्ध होती हैं।

चूंकि संशोधन संख्या 184 और 185 में प्रतिबन्ध की व्यवस्था है और हम प्रतिबन्ध लगाना नहीं चाहते। इसलिये ये भी सरकार को अस्वीकार्य हैं। यदि संशोधन संख्या 186 के अनुसार 'अप्रत्यक्ष रूप से' शब्दों को हटा दिया जायेगा तो, विधेयक का विस्तार सीमित हो जायेगा ऐसा करने से वे कम्पनियां इस विधेयक की सीमा से परे हो जायेंगी, जिनका मुख्य कम्पनी से अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है। संशोधन संख्या में 'प्रबन्ध' के बाद 'पूर्वोल्लिखित निगमन संस्था के रूप में' जोड़ने का सुझाव दिया गया है। इस संशोधन को प्रस्तुत करने का आशय वर्तमान स्थिति में सुधार करना है। किन्तु मेरे विचार से इस वाक्यांश के जोड़ देने से उसमें और अधिक स्पष्टता नहीं आयेगी। इसी आशय के अन्य संशोधनों को भी हम अस्वीकार करते है क्योंकि हम इन मामलों पर उस ढंग से नहीं सोचते जिस ढंग से वे सोचते हैं। श्री शिवचन्द्र झा के संशोधन 56–76 है। जहां तक $\frac{1}{3}$ से घटाकर $\frac{1}{4}$ करने का सुझाव है इस मामले पर संयुक्त समिति से गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया था। वहां पर इस सीमा को बढाने और घटाने के पक्ष में तर्क दिये गये थे। सभी प्रकार की परिस्थितियों साक्ष्यों और सदस्यों के विचारों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त समिति द्वारा यह सीमा $\frac{1}{3}$ निर्धारित की गई थी। मैं इस संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : The recommendation of Joint Committee should not be taken as final words.

Shri F. A. Ahmed : We have taken into consideration the various views and then we have find it as one third. We have used quantity in place of quality. As far as the views of Shri Madhok is concerned, he assures that the State has also monopoly. I do not agree with him because if the Government undertake some work then it is intended for the benefit of the people. Moreover we have not covered Government Undertakings under this monopoly.

श्री बनर्जी ने भी मांग की है कि अनुपात बढ़ा दिया जाये हमने पहले ही बता दिया है कि हमने सब बातों पर विचार कर लिया है और ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिससे संयुक्त समिति की सिफारिशों में परिवर्तन लाया जाये।

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगुसराय) : आप एकाधिकार की परिभाषा को बदलिये तथा आधे के स्थान पर एक तिहाई की व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : किसी के विचार में यह मात्रा आधी होनी चाहिए, और कईयों का कहना है कि यह तीन चौथाई होनी चाहिए, संयुक्त समिति ने इन सब तर्कों पर विचार किया है।

श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या इन 75 एकाधिकारी उद्योग समूह में से कोई एक इस विधान के अन्तर्गत आयेगा ?

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : आप कितने उद्योग समूहों पर नियन्त्रण रखेंगे ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : हमारा उद्देश्य विद्यमान एकाधिकारी की समस्या को ही सुलझाना नहीं है अपितु एकाधिकारता की ओर जा रही प्रवृत्ति को भी रोकना है, यह विधेयक इसी उद्देश्य के लिए लाया गया है।

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

पृष्ठ 2, पंक्ति 10, में 'एक तिहाई' (One Third) के स्थान पर 'एक चौथाई' (One Fourth) रखा जाये—(56)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha Divided

पक्ष में 16	विपक्ष में 120
Ays. 16	**Noes. 120**

संशोधन अस्वीकृत हुआ
The amendment was negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए
All the amendment were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

" कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खन्ड 2 को विधेयक में जोड दिया गया
Clause 2 was added to the Bill

खन्ड 3

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) . मैं संशोधन संख्या 34 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं संशोधन संख्या 325 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हिम्मत सिंहका (गोड्डा) मैं संशोधन संख्या 346 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : मैं संशोधन संख्या 479 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मी० रु० मसानी : विधेयक का खन्ड 3 बहुत आपत्तिजनक है, क्योंकि यह एकाधिकार की परिधि में देश के वास्तविक एकाधिकारी जैसे भारत सरकार के जीवन बीमा निगम, इंडियन एयर लाइन्स आदि को नहीं लाता है ।

मैंने जो यह संशोधन संख्या 34 प्रस्तुत किया है, उसका उद्देश्य इस विधेयक की परिधि में भारत सरकार के उपक्रमों और कम्पनियों को भी लाना है । यह संशोधन कार्मिक संघों का भी ध्यान रखेगा ।

श्री बलराज मधोक ने इस बारे में अच्छा तर्क प्रस्तुत किया है कि सरकारी एकाधिकार में अन्य गैर सरकारी एकाधिकारियों के समान बुराइयां हैं । सरकार का मेरे संशोधन पर विरोध केवल इसलिये है क्योंकि इससे विधेयक के द्वारा वह अपने विरोधी एकाधिकारियों को प्रतिस्पर्धा में आगे आने नहीं देना चाहती है । यदि सरकार ने मेरा संशोधन स्वीकार नहीं किया तो हम समूचे खन्ड का विरोध करेंगे ।

मन्त्री महोदय ने यह बात उठाई है कि यह विधेयक काफी सीमा तक एकाधिकार पर दास गुप्ता आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि सरकारी उपक्रम भी निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अपना सकने में समर्थ हैं और यदि गैर सरकारी उपक्रमों पर नियंत्रण रखना है तो यही बात सरकारी उपक्रमों पर भी लागू होनी चाहिए ।

इसी प्रकार मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में मुझ पर श्री गैलब्रेथ के कथन को गलत ढंग से प्रस्तुत करने का आरोप लगाया है, मैंने प्रो० गैलब्रेथ के उन विचारों का उद्धरण दिया है जिसमें उन्होंने सरकारी उपक्रमों को अनुत्तरदायित्वपूर्ण तथा लोकतांत्रिक नियंत्रण से मुक्त बताया है, मैं प्रो० गैलब्रेथ की पुस्तक "दी न्यू इंडस्ट्रिअल स्टेट' के पृष्ठ 101 और 102 का उद्धरण दूंगा जिसमें कहा गया है कि इंगलैंड के समान भारत और श्रीलंका और कुछ अफ्रीकी देशों में सरकारी उपक्रमों को स्वायत्तता नहीं मिली हुई है । मैं पूरे दो पृष्ठ नहीं पढ़ सकता अतएव मंत्री महोदय उन्हें स्वयं पढ़कर गलत आरोप लगाने पर क्षमा मांगे ।

हम अनेक संशोधन पर मतदान के लिए दबाव डालेंगे, यदि इस विधेयक से सरकारी उपक्रमों को निकाल दिया तो यह इस देश के लोगों के साथ एक बड़ा धोखा होगा और हम इसका समर्थन नहीं कर सकते ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I fully support the observations of Shri Masani. I think that the Government's Monopoly is more harmful than the Private's

Monopoly. Take the example of State Trading Corporation which is earning huge profit by selling goods at exorbitant rates. Because the Government are doing this, so it is good but at the same time if Private enterpries does it then it would be considered bad. This double standard should not be there The Government should also not expoit in such a way. Secondly there should be free competition so that the consumers may be benefitted. In my amendment I have also demanded to exempt the charitable trusts.

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : भारत में या कहीं और उपभोक्ता को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि उसको मिलने वाला माल प्राप्त होने वाली सेवा सहकारी या राज्य के उपक्रम या गैर-सरकारी क्षेत्र से उपलब्ध हो रही है, वह केवल इसी बात को ध्यान में रखता है कि उसको मिलने वाला माला अच्छी किस्म का होना चाहिये और कीमत भी कम होनी चाहिए। यदि सरकार का उद्देश्य उपभोक्ता के हितों को देखना है और एकाधिकार को रोकना है तो मैं इस विधेयक के अन्तर्गत राज्य के उपक्रमों को नहीं लाने का कोई कारण नहीं देखता।

यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि यह राज्य व्यापार निगम न केवल मुनाफाखोरी ही कर रहा है, अपितु चोर बाजारी में भी रत है क्योंकि कुछ वस्तुओं के मामले में उनका एकाधिकार है। इससे यह पता चलता है कि वे सब कुछ अपने अधिकार में करके उपभोक्ताओं को उनके अधिकार से वंचित रख रहे हैं।

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : मैं श्री मसानी के संशोधन का विरोध करना चाहता हूं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम मांग की लोचशीलता को ध्यान में रखकर मूल्य निर्धारित करते हैं और जो उनसे लाभ मिलता है उसको देश के लोगों की भलाई में लगाते हैं। स्वतन्त्र दल एक ओर तो यह कहता कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम घाटे में चल रहे हैं और दूसरी यह भी कहता है कि वे काफी लाभ कमा रहे है, यह परस्पर विरोधी वक्तव्य है। वे राज्य के पूंजीवाद के बारे में कहते हैं, यदि मांग में लोच नहीं है तो हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से यह आशा करते हैं कि वे लाभ कमायें ताकि उसको देश के विकास में लगाया जा सके। यदि राज्य के एकाधिकार का उद्देश्य निजी लाभ कमाना तथा शोषण करना नहीं है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह ठीक ही हुआ कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इस विधयक की सीमा से बाहर रखा गया है क्योंकि गैर-सरकारी एकाधिकार तथा राज्य एकाधिकार को बराबर का दर्जा नहीं दिया जा सकता है,

---

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISOY COMMITTEE

तेतालीसवां प्रतिवेदन

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं कार्य मन्त्रणा समिति के तेतालीसवां प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं। इसमें दो मुख्य सिफारिशें हैं, पहिली, कि शनिवार 20 दिसम्बर को लोकसभा का अधिवेशन होगा और दूसरी यह कि कल से मध्यान्ह भोजन के लिए समय नहीं दिया जायेगा।

** कलकत्ता के विकास के बारे में

Re : DEVELOPMENT OF CALCUTTA

श्री समरगुह (कन्टाई) : मैं भारत के ऐतिहासिक शहर कलकत्ते की दुर्दशा की ओर ध्यान खीचना चाहता हूं, अभी हाल में कलकत्ता की यात्रा पर एक विदेशी ने यह कहा कि कलकत्ता शहर समाप्त हो रहा है, हमारी सरकार कलकत्ता की ओर से उदासीन हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संस्था ने भी इस शहर के विरुद्ध अपनी टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि इसकी समस्या समूचे भारत की समस्या है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि 1912 तक कलकत्ता भारत की राजधानी थी तथा इसने भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।

कलकत्ता ने भारत तथा विश्व को अपना योगदान दिया है, इस ऐतिहासिक शहर ने हमारे देश तथा मानवता को राजा राम मोहन राय और रामकृष्ण, विवेकानन्द और अरविंदो जैसे महान पुत्र दिये, इसने आचार्य जगदीश चन्द्र और प्रफुल्ल चन्द्र जैसे वैज्ञानिक दिये। यह शहर देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपना हाथ बंटा रहा है।

कलकत्ता भारत का सबसे बड़ा महानगर है। यहां से समूचे देश के लिए काफी बड़ी मात्रा में कोयला, इस्पात, लोहा और भारी इंजीनियरी के माल, रेलवे के माल डिब्बे, पटसन का सामान, रसायन शास्त्र तथा गोला बारुद का उत्पादन होता है, यह समूचे पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा औद्योगिक केन्द्र है।

ग्रेटर कलकत्ता 79 प्रतिशत लोहा तथा इस्पात का उत्पादन करता है। यहां 78% रेलवे के माल डिब्बे बनते है, इसके औद्योगिक क्षेत्र में 4,000 से अधिक कारखाने स्थापित हैं देश के उत्पादों में से 15 प्रतिशत का उत्पादन यहां होता है। टनों के हिसाब से कलकत्ता के बन्दरगाह में भारत के निर्यात का 45 प्रतिशत और आयात का 25 प्रतिशत लदाई ढुलाई होती है, कलकत्ता 9100 संयुक्त स्कन्ध समवायों पर नियंत्रण रखता है, जिसमें 634 करोड़ रुपयों की चुकता पूंजी लगी हुई है, यहां 9 लाख कर्मचारी काम करते हैं जिनमें से 8 लाख कर्मचारी राज्य से बाहर के हैं।

राष्ट्रीय वित्तव्यवस्था में कलकत्ता के योगदान का प्रमुख भाग है। ग्रेटर कलकत्ता समूचे राष्ट्र के लिए वर्ष में 641 करोड़ रुपये का उत्पादन होता है, कलकत्ता कुल केन्द्रिय कर का $\frac{1}{5}$ भाग चुकाता है और विदेशी मुद्रा का $\frac{1}{3}$ भाग अर्जित करता है, कलकत्ता वार्षिक निर्यात तथा आयात शुल्कों से 96 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से 45 करोड़ रुपये वसूल करता है। 1959 में कलकत्ता ने 100 करोड़ रुपये मूल्य की चाय और 66.2 करोड़ रुपये के पटसन के उत्पाद निर्यात किये।

ग्रेटर कलकत्ता 332 करोड़ रुपये के वार्षिक खनिज पदार्थों का उत्पादन करता है, यहां छोटी बचत सर्वाधिक हैं। कलकत्ता से हस्तान्तरित पूंजी देश के अन्य भागों के व्यापार और उद्योग में काम आती है।

** आधे घटे की चर्चा

** Half an hour discussion.

सरकार को कलकत्ता की स्थिति के बारे में ध्यान देना चाहिए, यदि कलकत्ता समाप्त हो जाता है तो हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का क्या होगा ? यह एक वृहत शहर है, मैं कलकत्ता की भयावह स्थिति का चित्र पेश करूंगा, इस समय कलकत्ता की जनसंख्या 78 लाख है और 1986 में यह 100 लाख हो जायेगी, इसकी 55 प्रतिशत जनसंख्या पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी है। पश्चिमी बंगाल से बाहर के 9 लाख व्यक्ति यहां कार्य कर रहे हैं।

कलकत्ता में लगभग 30,000 व्यक्ति बेकार है और लगभग 18000 व्यक्ति भिखारी है, जो पटरियां पर ही रहते और सोते हैं। लगभग 12 प्रतिशत व्यक्तियों के पास शौचालय की सुविधायें नहीं है। संभवतया यही कारण है कि 'सिपलिंग' ने एक बार कहा था कि कलकत्ता विश्व की हैजा की राजधानी हैं। प्रतिवर्ष औसतन 1800 व्यक्ति हैजा से यहां पर मरते हैं। पीने के पानी की सप्लाई भी प्रति व्यक्ति कम हो गई है। बम्बई तथा मद्रास आदि की तुलना में कलकत्ता में बाग आदि भी बहुत कम हैं।

कलकत्ता के 54 प्रतिशत भाग में गन्दा पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है। हावड़ा में ऐसी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। दस मिनट की वर्षा से समूचा यातायात ठप्प हो जाता है।

1956–64 तक मोटरगाड़ियों में 43 प्रतिशत की बृद्धि हुई है परन्तु आठ किलो मीटर लम्बी नई सड़कें बनाई गई है। पिछले दस वर्षों में दुर्घटनाओं में 24 प्रतिशत वृद्धि हुई है। नगर में असाधारण भीड़ होने के कारण मोटर गाड़ियां प्रतिघण्टा औसतन 10.5 मील ही चल पाती है। 32 प्रतिशत बच्चों तथा 56 प्रतिशत प्रौढ़ व्यक्तियों को प्राथमिक तथा जूनियर शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध नहीं है। ग्रेटर कलकत्ता में पांच लाख पढ़े लिखे युवक बेरोजगार हैं।

कलकत्ता को सामाजिक एवं आर्थिक समस्या को हल करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए इस सम्बन्ध में मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूँ।

(1) गन्दी बस्तियों की सफाई की जाये तथा बेघर लोगों को मकान दिये जाये ;
(2) कलकत्ते के नागरिकों को स्वच्छ तथा शुद्ध पानी पर्याप्त मात्रा में सप्लाई किया जाना चाहिए।
(3) सड़कों तथा गलियों का विकास, निर्माण तथा मरम्मत।
(4) सरकुलर, भूमिगत तथा मोनों रेलों और ट्राली बसों की व्यवस्था।
(5) कूड़े की नियमित सफाई।
(6) गन्दे पानी के निकास के लिये समूचे नगर में नाली आदि की व्यवस्था।
(7) हुगली नदी पर दो अन्य पुलों का निर्माण।
(8) प्राइमरी तथा जूनियर शिक्षा का विकास।
(9) पढ़े लिखे युवकों के लिए रोजगार।
(10) बागों तथा मनोरंजन स्थानों आदि का विकास।

कलकत्ता को स्थिति सुधारने के लिए इन सुझावों पर तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

कलकत्ता के विकास के लिए महानगरीय संगठन ने लम्बी अवधि की एक योजना तैयार की थी। इन परियोजनाओं के लिए 1000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है परन्तु अल्पावधि योजनाओं के लिए 100 से 150 करोड़ रुपये की ही आवश्यकता है। इन कार्यक्रमों के लिए पी० एल० 480 के धन का प्रयोग किया जा सकता है तथा विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष निधि से सहायता ली जा सकती है। केन्द्रीय सरकार भी इस मामले में सहायता कर सकती है।

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1961 में कहा था कि कलकत्ता की समस्या राष्ट्र की समस्या है और इसके लिए कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये। न्यूयार्क टाइम्स में हाल में कलकत्ता की दयनीय स्थिति के बारे में लेख प्रकाशित हुआ।

यदि कलकत्ता की स्थिति सुधारने के लिये गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही न की गई और केन्द्रीय सरकार निरन्तर उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाती रही तो भारत को कुछ ही समय में राष्ट्र विरोधी तत्वों से खतरा उत्पन्न हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस बारे में कोई आश्वासन दे। मैं चाहता हूँ कि इस बारे में प्रधान मंत्री वक्तव्य दें।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : May I know whether the Calcutta Metropolitan Plan will never be implemented and if not the reasons therefor.

I also want to know whether the underground raid is being laid under this very plan or some other Plan ?

I also want to know whether Government propose provide cheapfood in Calcutta as is being done in Bombay ?

I futher want to know whether Government propose to construct common halls for the use of the persons who live on foot paths ?

I also want to know the extent of help received so far from World Bank or some other outside institution and how much help is still expected from these quarters ?

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : May I know the amount of money given or being given by the Government for the development of Calcutta during the First Second, Third or Fourth Plan separately ? I also want to know the amount of income derived by the Central Government from Calcutta ? I also want to know whether the Mayor of Calcutta had held any talks with the Prime Minister and officials of the Central Govern nent in connection with the development of Calcutta ? If so, the details thereof and Governments' reaction thereto ?

श्री वेणीशंकर शर्मा (बांका) : कलकत्ता की अनेक समस्याएं हैं। इनमें से कई समस्याओं की ओर श्री समर गुह ने सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है। कलकत्ता में अभी तक कोई अच्छा स्टेडियम नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि कलकत्ता में अच्छा स्टेडियम कब तक बन जायेगा जिसमें दो लाख व्यक्ति बैठ सकें। माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि कलकत्ता में शीघ्र ही एक सरकुलर रेलवे बनाई जायेगी जिससे यातायात की समस्या काफी हद तक हल हो जायेगी। मैं इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति जानना चाहता हूँ।

श्री बे० कु० दास चौधरी (कूच-बिहार) : मेरे माननीय मित्र श्री समर गुह ने कलकत्ता की समस्याओं के बारे में जो कुछ कहा मैं उसका समर्थन करता हूं। पश्चिम बंगाल की कुल आय का 58 प्रतिशत भाग कलकत्ता नगर से ही आता है। हाल के आंकड़ों के अनुसार 1966–67 में पश्चिम बंगाल को केवल कलकत्ता नगर से लगभग 1,000 करोड़ की आय हुई थी। इस आय का अधिकांश भाग केन्द्रीय सरकार को ही मिलता है। हाल में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1967 में कलकत्ता से 450 लाख रुपये अन्य राज्यों को भेजे गये। परन्तु कलकत्ता की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। विश्व बैंक के एक दल ने कलकत्ता का दौरा करने के पश्चात् यह टिप्पणी की थी कि कलकत्ता में जनसंख्या की वृद्धि के अनुसार उस नगर का विकास नहीं हो रहा है और इससे लोगों में असंतोष फैल रहा है।

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी एक बार कहा था कि कलकत्ता की समस्याएं राष्ट्र की समस्याएं हैं और इस बारे में कुछ विशेष कार्यवाही की जानी चाहिए।

राष्ट्रपति ने कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल की अपनी हाल ही यात्रा के दौरान वहां के मेयर को आश्वासन दिया था कि वह पश्चिम बंगाल विशेषकर कलकत्ता के विकास के लिये सभी सम्भव प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि वह प्रधान मंत्री से मिलकर उनको कलकत्ता के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए भी कहेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या 4000 करोड़ रुपये तथा इससे अधिक के बजट से 150-200 करोड़ रुपये कलकत्ता के विकास के लिए निकालना वास्तव में सरकार के लिए कठिन है। सरकार को यह बात जान लेनी चाहिए कि यदि कलकत्ता नष्ट होता है तो भारत जीवित नहीं रह सकता। भारत की कुल आय का 15–20 प्रतिशत कलकत्ता से ही प्राप्त होता है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं प्रधान मंत्री की ओर से ही यह घोषणा कर रहा हूं कि हम कलकत्ता की समस्याओं को पूरी तरह समझ रहे हैं तथा उनको कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वर्तमान प्रधान मंत्री ने कलकत्ता के बारे में लगभग वही भाव प्रदर्शित किया है जो 1961 में पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा किये गये थे। कलकत्ता की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी बात को देखते हुए हुगली नदी में पानी के बहाव को बनाये रखने के लिए फरक्का बांध बनाया जा रहा है। कलकत्ता का जीवन हुगली नदी पर ही निर्भर करता है। फरक्का परियोजना पर कुल 153.6 करोड़ रुपये लागत आयेगी। इसमें से 77 करोड़ रुपये पहले ही व्यय किये जा चुके हैं और 70 करोड़ रुपये चौथी योजना में व्यय किये जायेंगे।

योजना आयोग समय समय पर इस बात पर जोर देता रहा है कि स्थानीय संसाधनों को बढ़ाया जाना चाहिए। परन्तु इसके बावजूद कलकत्ता की प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर कमी हुई है और यह 21.26 रुपये से कम हो कर 20.77 रुपये हो गई है जबकि बम्बई में प्रति व्यक्ति आय 56.63 रुपये से बढ़कर 65.91 रुपये हो गई है। इस प्रकार दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय भी 28.70 रुपये से बढ़कर 31.64 रुपये हो गई है।

श्री समर गुह : कलकत्ता की समस्याओं को अन्य नगरों की समस्याओं से तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि कलकत्ता में 40 लाख शरणार्थी आये हैं। सरकार ने कलकत्ता की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया। वह सदा जबानी सहानुभूति दिखाते रहे हैं।

श्री प्र० चं० सेठी : योजना आयोग ने चौथी योजना के मसविदे में कहा है कि कलकत्ता निगम को स्थानीय करों की वसूली से तथा उनमें वृद्धि अथवा नये कर लगाकर अपने साधन बढ़ाने चाहिए। मैं ब्यौरे में नहीं जाना चाहता परन्तु प्रति व्यक्ति आय में वहां पर वृद्धि अवश्य होनी चाहिए। इससे सड़कों की मरम्मत आदि के कार्य पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है।

जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान प्रधान मंत्री कलकत्ता की समस्याओं पर विशेष ध्यान दे रही हैं। 1968–69 में शुरू में कलकत्ता के विकास के लिए 3.06 करोड़ रुपये रखे गये थे जिनको बाद में बढ़ाकर 5.36 करोड़ कर दिया गया था। परन्तु इसमें से कुल 4.75 करोड़ रुपये ही व्यय किये गये हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि रुपये की कमी है।

राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव दिया था कि चौथी योजना में कलकत्ता महानगर के लिए 32.5 करोड़ रुपये रखे जायें परन्तु एक अध्ययन दल ने इस समस्या के समूचे पहलू पर विचार किया और अन्ततः यह निष्कर्ष निकाला कि इस राशि को बढ़ाकर 42 करोड़ रुपये कर दिया जाना चाहिए।

हुगली पर दूसरा पुल बनाने की स्वीकृति दे दी गई है और पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार अब इस पुल पर 16 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

जहां तक उपनगरीय रेलवे का सम्बन्ध है डम डम से प्रिन्स घाट क्षेत्र रेलवे लाइन बिछाने की मंजूरी दे दी गई है। सर्कुलर रेलवे का मामला विचाराधीन है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि कलकत्ता की उपेक्षा की जा रही है।

कलकत्ता के आपांजन संगठन के लिये फोर्ड फाउन्डेशन ने 4.54 लाख डालर की सहायता दी थी। उन्होंने कलकत्ता में पानी की सप्लाई सम्बन्धी सर्वेक्षण में भी सहायता दी थी।

पी० एल० 480 से यदि बड़ी मात्रा में राशि निकाली जाती है। तो इससे निश्चय ही मुद्रास्फीति फैलेगी परन्तु इस धन को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए शनैः शनैः प्रयोग किया जा सकता है। इस कार्य के लिए 105 करोड़ रुपये पहले ही निकाले जा चुके हैं।

कलकत्ता के विकास के लिए एक समेकित संविधिक प्राधिकार बनाये जाने की आवश्यकता है ताकि कलकत्ता के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा सके।

जीवन बीमा निगम आदि जैसे अभिकरण पानी की सप्लाई जैसी योजनाओं के लिए ऋण देते हैं। कलकत्ता निगम इस सम्बन्ध में इनसे सम्पर्क स्थापित कर सकता है।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली के विकास के लिए दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकार किस हद तक स्वयं धन जुटा रहे हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र है। और इसकी प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। अतः धन जुटाने के लिए स्थानीय स्तर पर भी प्रयास किये जा रहे हैं।

जहां तक निधियों के बंटवारे का सम्बन्ध है हम पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित कर रहे हैं। आयोग ने अपनी सिफारिशें देते समय जनसंख्या तथा उस क्षेत्र से होने वाली आय को भी ध्यान में रखा है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि किसी राज्य विशेष से आय कर अथवा उत्पादन शुल्क के रूप में जो धन लिया जाता है वह वहां की सरकार को वापस नहीं दिया जाता। इस तरह प्राप्त धन को वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को वापस कर दिया जाता है।

यह सच है कि कलकत्ता के महापौर दिल्ली आये थे और प्रधान मंत्री को मिले थे। उन्होंने कलकत्ता की कुछ समस्याओं को प्रधान मंत्री के समक्ष रखा था और प्रधान मंत्री उन पर ध्यान दे रही हैं।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार 18 दिसम्बर, 1969/27 अग्रहायण 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then Adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December, 18,1969/Agrahayana 27, 1891 (Saka).

डायमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर–3